सोमवार, 2 मार्च 1981

11 फाल्गुन 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 12, सोमवार, 2 मार्च, 1981/11 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 186 से 189, 191 और 193	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—171
तारांकित प्रश्न संख्या : 190, 192 और 194 से 206	19—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1901 से 1934, 1936 से 1982 और 1984 से 2000	29—171
अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 दिनांक 15.12.80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	171
ध्यानाकर्षण आदि के बारे में	172-174
ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	174-176
सभापटल पर रखे गए पत्र	176—181
सदस्य की गिरफ्तारी	182
(श्री थाजाई एम० करुणानिधि)	182
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	182—185
नियम 377 के अधीन मामले	185, 186, 231—233
(एक) वर्तमान कार्य के दौरान मातृभाषा न लिखी जाना	185
श्री रशीद मसूद	185
(दो) खेल खूद के क्षेत्र में सुधार का कार्यक्रम	231
श्री रास बिहारी बहेरा	231
(तीन) मोटरगाड़ियों में डीजल के स्थान पर पावर अलकोहल का उपयोग	232
श्री पी० राजगोपाल नायडू	232
(चार) राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने की आवश्यकता	233
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	233
(पाँच) पश्चिम बंगाल के बरुईपुर तथा अन्य क्षेत्रों के बीच खराब टेलीफोन लाइनों की मरम्मत	233
श्री मुकुन्द मण्डल	233
विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक पुरःस्थापित	186
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	186
श्री जार्ज फर्नान्डीस	186
श्री सोमनाथ चटर्जी	189
श्री मगनभाई, बारोट	192

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री ज्योतिर्मयम बसु	192
श्री निरेन घोष	207
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	208
श्री हरिकेश बहादुर	209
श्री रामविलास पासवान	209
श्री ए० के० राव	211
श्री ई० बालानन्दन	211
श्री आनन्द पाठक	211
श्री श्रीमती सुशीला गोपालन	212
श्री सुनील मैत्रा	212
श्री मुकुन्द मण्डल	212
श्री रामावतार शास्त्री	213
श्री समर मुखर्जी	214
श्री गुलाम रसूल कोचक	217
श्री सी० टी० दण्डपाणि	218
विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981 के बारे में विवरण	231
रेल बजट 1981-81—सामान्य चर्चा	233—158
श्री राम नगीना मिश्र	233
श्री शिवप्रसाद साहू	237
श्री रामावतार शास्त्री	239
प्रो० निर्मला कुमारी शकतावत	244
श्री चिरंजीलाल शर्मा	247
श्री हरिकेश बहादुर	252
श्री तारिक अनवर	255

लोक सभा

सोमवार, 2 मार्च, 1981/11 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री ज्योतिर्मय बसु **

अध्यक्ष महोदय : श्री भीखूभाई । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । ...(व्यवधान)**

डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा जयपुर के बीच असन्तोषजनक दूरसंचार सेवा

*186. **श्री भीखाभाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालय जयपुर के बीच दूरसंचार सेवा बहुत असंतोषजनक है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय के बीच दूरसंचार सेवा में सुधार करने के लिये उदयपुर-रतलाम लाइन को सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जोड़ने का है; और

(ग) क्या इस लाइन पर पड़ने वाले जिला मुख्यालय को एस० टी० डी० से जोड़ दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) लाइनों की किस्म तथा मौजूदा अन्य दूरसंचार संयन्त्र को मद्दे नजर रखते हुए दूरसंचार सेवा का कार्यनिष्पादन लगभग औसतन है ।

(ख) बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला मुख्यालयों से जयपुर तक दूरसंचार सेवा सुधारने के प्रस्तावों में उदयपुर और रतलाम के बीच सूक्ष्मतरंग प्रणाली शामिल नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री भीखाभाई : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सेवा संतोषजनक है या नहीं । उन्होंने केवल यह कह कर टाल दिया है कि लाइनों भी किस्म तथा मौजूदा अन्य दूरसंचार संयंत्र को मद्दे नजर रखते हुए दूर संचार सेवा का कार्यनिष्पादन लगभग औसतन रहा है । क्या यह उत्तर है ? यह सही नहीं है । मैं मंत्री जी का सम्मान करते हुए—क्योंकि उन्होंने मुझे दूर-संचार व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया है—यह कह सकता हूँ कि उनका उत्तर सही नहीं है । मैं उनसे स्पष्टरूप से हाँ या ना में उत्तर चाहता हूँ ।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

फिर उन्होंने उत्तर में कहा है :—

"बांसवाडा और डूंगरपुर जिला मुख्यालयों से जयपुर तक दूरसंचार सेवा सुधारने के के प्रस्तावों में उदयपुर और रतलाम के बीच सूक्ष्मतरंग प्रणाली शामिल नहीं है।" मैं कहता हूँ कि यह व्यवस्था है। मेरी जानकारी के अनुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम को जोड़ने का भी प्रस्ताव है। उनका उत्तर सही नहीं है। मैं मंत्री जी से विशिष्ट उत्तर की अपेक्षा करता हूँ।

मैं तीसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि...(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : इसका संबंध भाग (ग) से है।

श्री भीखाभई : मंत्री जी ने भाग (क), (ख) और (ग) क्या उत्तर दिया। उन्होंने भाग (ग) का उत्तर 'जी नहीं' दिया। इसका क्या अर्थ है ? मैंने उदयपुर से रतलाम तक भी लाइन के बारे में पूछा है। उनके 'नहीं' का भिन्न अर्थ है। उदयपुर, रतलाल और बांसवाड़ा के बीच कई जिला मुख्यालय हैं। मैंने पूछा था कि क्या इन्हें एस० टी० डी० से जोड़ा गया है। उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया है। अजमेर एस० टी० डी० से जुड़ा हुआ है। पर वे इसके बारे में चुप हैं।

श्री कार्तिक उरांव : इस समय डूंगरपुर एक्सचेंज में ही 43 ट्रंक बोर्ड हैं और एक रिकार्ड इन्क्वारी पोजीशन है। औसतन यहाँ से 220 ट्रंक काल प्रतिदिन होती हैं और पिछले चार महीनों के औसत के आधार पर कार्यकुशलता प्रतिशत 61 बैठता है। यह डूंगरपुर-जयपुर, डूंगरपुर-उदयपुर, डूंगरपुर-बांसवाड़ा और डूंगरपुर-संगवाड़ा चार मुख्य लाइनों से जुड़ा हुआ है। पिछले छः महीनों की सर्किट रूट का कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है : अगस्त, 1980-91.9% सितम्बर-81%, अक्टूबर-86.61%, नवम्बर-88.7%, दिसम्बर-82.6% और जनवरी 1981-81.7%। यह सर्किट निष्पादन संतोषजनक है और कभी भी औसत से कम नहीं रहा है। बल्कि औसत से अधिक ही रहा है

अब मैं बांसवाड़ा पर आता हूँ। पिछले चार महीनों के औसत के आधार पर इस इक्सचेंज की कार्यकुशलता 61% रही है। बांसवाड़ा जयपुर और उदयपुर समेत छः मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ है। बांसवाड़ा से जयपुर के मामले में सर्किटों की कुल संख्या और यातायात सर्किट कार्य-कुशलता 52% रही है। यह वस्तुतः कम है। पर इसका कारण यह है कि जयपुर से बांसवाड़ा लाइन अंशतः खुली लाइन है और अंशतः को एक्सियल लाइन है। बांसवाड़ा से जयपुर लाइन की छः महीनों सर्किट कार्यकुशलता इस प्रकार रही है : अगस्त, 1980-61.3%, सितम्बर,-49.2%, अक्टूबर-87.81%, नवम्बर, 1980-70.6%, दिसम्बर-70.9% और जनवरी, 1981-67.4%। इससे पता चलता है कि सदस्य महोदय की बात ठीक नहीं है। सेवा-सम्पर्क वस्तुतः आदर्श नहीं रहा है। विशेषर भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक ढाँचा आदर्श ढाँचा नहीं है वहाँ आदर्श दूरसंचार व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। अतः हम सभी राज्यों में आदर्श स्थिति की आशा नहीं रख सकते। पर सरकार सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। पर हमारी भी कुछ सीमाएं हैं।

श्री भोला भाई : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि स्थिति अच्छी है। मैंने कहा कि स्थिति खराब है, और उन्होंने तीनों का जवाब इवेसिव दिया है, और आप कहें तो मैं पत्रों द्वारा प्रमाणित कर सकता हूँ। जब से मैं सदस्य बना हूँ डूंगरपुर से मैं चाहता हूँ कि डूंगरपुर मेरी बातचीत हो या बाँसवाड़ा हो जाय। मुझे अपने घर से सम्पर्क करना भी कठिन होता है। संसद सदस्य के नाते मुझे सरकार ने टेलीफोन दिया है। पर मैं टेलीफोन से अपने घर बातचीत नहीं कर सकता।

मेरे एम० पी० बनने पर सरकार ने टेलीफोन दिया इसके लिये तो आपको धन्यवाद है, लेकिन अगर उसका मैं उपयोग ही नहीं कर सकता तो अपने क्षेत्र की कैसे सेवा कर सकता हूँ ? घर पर भी मेरी बात नहीं हो सकती है।

माननीय मंत्री मुझे एश्योरेंस दें कि मैं दिल्ली से बाँसवाड़ा में बात कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : घर से जरूर बात करा दीजिए इनकी।

श्री मूल चन्द डागा : अभी यह अपने घर पर अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर सकते हैं।

श्री कार्तिक उरांव : माननीय सदस्य ने कई तरह से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि टेलीफोन सेवा बहुत ही खराब है और उन्हें टेलीफोन नहीं मिल रहा है। किन्तु महोदय, सरकार की नीति के अनुसार हम सभी जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि अभी हम जिला मुख्यालयों में हस्त चालित टेलीफोन इक्सचेंजों को स्वचालित करना चाहते हैं तो हमें 1,15,000 लाइनों के स्वचालित एक्सचेंजों की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान क्षमता लगभग 5,000 समान मजबूत एस० टी० डी० लाइनों तथा 6000 स्वचालित उपकरणों की लाइनों की है। अतः हम वर्तमान प्रणाली की भारी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। यह बहुत कठिन है। हम अपने देश में एक आदर्श व्यवस्था बनाना चाहते हैं।

महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, वह टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बहुत जोर देते रहे हैं और उन्होंने मंत्रणा समिति की बैठकों में भी डूंगरपुर-बाँसवाड़ा-रतलाम को जोड़ने का प्रश्न उठाया है। वास्तव में बाँसवाड़ा-रतलाम मार्ग के 1984-85 तक चालू हो जाने की आशा थी, परन्तु इसके कार्य की गति में तेजी लाई गयी है और अब इसके 1982-83 तक पूरा हो जाने की आशा है। जहाँ तक डूंगरपुर-बाँसवाड़ा का सम्बन्ध है, इसका इससे पहले निर्माण नहीं हो सकता है और इसे अब 1984-85 में ही चालू किया जाना है। हम इसका निर्माण इससे पहले इस कारण नहीं कर सकते कि योजना के पहले तीन वर्षों में रेडियो उपकरण सीमित मात्रा में उपलब्ध हुए तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त मार्गों के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए इन उपकरणों की अधिक मांग हुई।

अध्यक्ष महोदय : टेलीफोन का प्रश्न बहुत लम्बा हो गया है।

श्री कार्तिक उरांव : अध्यक्ष महोदय, अगर मौका मिले तो मैं माननीय सदस्य को एक भी सप्लीमैंटरी पूछने नहीं दूंगा।

फसल बीमा

*187. **श्री चन्द्रदेव वर्मा :**

श्री दौलतराम सारण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फसल बीमा योजना को अब तक कम तरजीह देती रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ विकसित देशों, विशेषकर उत्तर अमरीका और यूरोप में आरम्भ की गई फसल बीमा योजना के बारे में कोई अध्ययन किया है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए, सरकार का विचार देश में फसल बीमा योजना को तरजीह देने का है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत सरकार फसल बीमा के महत्व को जानती है और देश में क्रियान्वित करने के लिए एक उपयुक्त योजना बनाने का प्रयत्न कर रही है । भारत सरकार द्वारा 1970 में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति का विचार था कि निकट भविष्य में फसल-बीमा को लागू करने की सलाह नहीं दी जा सकती क्योंकि इस योजना के फलस्वरूप दुर्लभ वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाले अधिक आशाजनक उपायों से हटाना पड़ेगा और उपज की विभिन्नता में भी कमी हो जाएगी । किन्तु भारत सरकार ने इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया था । सरकार ने मार्गदर्शी योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व भारतीय सामान्य बीमा निगम को सौंपने का निर्णय किया । 1973 से 1979 की अवधि के दौरान भारतीय सामान्य बीमा-निगम ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों के चुनींदा क्षेत्रों में निजी दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शी योजनाओं को क्रियान्वित किया था । कपास, गेहूँ, मूंगफली तथा धान की फसलों को फसल-बीमा के अन्तर्गत लाया गया । अनेक प्रशासनिक एवं वित्तीय अड़चनों के कारण ये सभी योजनाएं देशव्यापी आधार पर अपनाई जाने के लिए अक्षम एवं अनुपयुक्त सिद्ध हुई हैं । अतः क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाकर फसल-बीमा के क्रियान्वयन की एक वैकल्पिक पद्धति के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया । भारतीय सामान्य बीमा निगम ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित एक मार्गदर्शी फसल-बीमा योजना तैयार की है और इसे इस समय चार राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल, में क्रियान्वित किया जा रहा है । सरकार

का छठी योजना (1980-85) में इस मार्गदर्शी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

2. सरकार ने उत्तरी अमरीका तथा यूरोप की फसल बीमा योजना का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। एक अन्य विकसित देश, अर्थात् जापान के अनुभव का अध्ययन किया गया है। इससे पता चलता है कि फसल बीमा के क्रियान्वयन के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी तथा सरकार की इस योजना के लिए भारी राज सहायता देनी होगी। विकसित देशों की फसल-बीमा योजनाएं भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकतीं। भारत के लिए फसल बीमा योजना इस देश की स्थितियों के अनुसार शुरू करनी होंगी।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1970 में एक विशेषज्ञ समिति फसल बीमा के लिए नियुक्त की थी, उसने अपनी रिपोर्ट नहीं में दी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने यह पास किया कि फसल बीमा चलानी है और इसके निर्णय के अनुसार 4 राज्यों में सामान्य बीमा निगम के अधीन यह कार्य सौंपा गया, जिनके नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़, ओले, सूखा से उत्तर भारत यानी बिहार और उत्तर प्रदेश तथा बंगाल आदि कई राज्य हर वर्ष बर्बाद हो जाते हैं और किसानों की अपार क्षति होती है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन-कौन से राज्य हैं, जिनके साथ सरकार अभी विचार-विमर्श कर रही है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : चार स्टेट्स और हैं, जिनमें अभी जेनरल इनशोरेंस कार्पोरेशन के साथ इस बात पर विचार हो रहा है कि क्राप इनशोरेंश लागू की जाए। वे राज्य हैं : यू० पी०, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : इस विवरण में कहा गया है कि सरकार ने यूरोप और अमरीका की फसल बीमा योजना का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है और इस बारे में सिर्फ जापान के अनुभव का अध्ययन किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि विकसित देशों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने उन देशों के अनुभव का अध्ययन करके फिर अविकसित या विकासशील देश के लिए ऐसी कोई योजना लागू करने का उपाय क्यों नहीं किया। उसने बैठे-बैठे यह तय कर लिया कि जैसी योजना विकसित देशों में है, वैसी यहां पर लागू नहीं हो सकती है। क्या सरकार ने कोई नई योजना बनाई है, जिसे उसके स्थान पर यहाँ लागू किया जा सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : फसल बीमा का विचार तब से चल रहा है जब से देश को आजादी मिली है। समय-समय पर विभिन्न समितियाँ नियुक्त की गईं और हमेशा यह देखा गया कि भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ संसाधनों की कमी है, फसल बीमा योजना के भार को वहन नहीं किया जा सकता है जिसमें राज सहायता के रूप में भारी रकम की आवश्यकता होती है।

विससित देशों में स्थिति बिलकुल भिन्न है। उदाहरण के लिए जापान में किसानों के कतिपय वर्गों के लिए फसल बीमा अनिवार्य है किन्तु वहाँ यह योजना स्वयं किसानों के विभिन्न राहत संघों के द्वारा चलाई जाती है। भारत में फसल बीमा योजना कतिपय प्रारम्भिक परियोजनाओं में प्रयोग के रूप में आरम्भ की गई है।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार किसानों के हित में नीति के तौर पर फसल बीमा योजना लागू करना आवश्यक समझती है; यदि हाँ, तो फिर इस सम्बन्ध में इतने विलम्ब का क्या कारण है ? सरकार ने जो पायलट प्रोजेक्ट लागू करने की बात कही है, उसमें तीन चार फसलें ही ली हैं, और वह योजना भी ठीक तरह से लागू नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे प्रशासनिक कठिनाइयाँ क्या हैं, मंत्री महोदय उसका विवरण देने का कष्ट करें, ताकि हम भी समझ सकें।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रशासनिक कठिनाइयों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई धनराशि की है। जहाँ कहीं भी अभी तक तह तजुर्बा किया गया है, उसकी बिना पर अगर मैं ब्यौरा दूं, तो माननीय सदस्य समझ जायेंगे कि इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। 1978-79 में एक्सपेरिमेंटल स्कीम 3800 हैक्टर के लिए थी। उसमें प्रीमियम वसूल हुआ 3,38,000 रुपए और उस पर क्लेम अदा किया गया 36,06,000 रुपये यानी जितना प्रीमियम इकट्ठा हुआ, उससे बारह गुना क्लेम का देना पड़ा जनरल इनशोरेंश कारपोरेशन को। इसी तरीके से पहले भी कहीं कहीं जो तजुर्बा किया गया था, उसमें भी हैवी लास हुआ।

1188 हैक्टर में यह 73 से 76 तक कुछ इलाकों में लागू की गई थी और उसमें प्रीमियम 1 लाख 16 हजार इकट्ठा हुआ था। जबकि क्लेम तय किया गया 1 लाख 82 हजार का। यह स्कीम अभी सिर्फ उन इलाकों में लागू की जा रही है जहाँ कुदरत की तरफ से नुकसान कम होने की सम्भावना होती है, जो लो रिस्क एरियाज हैं। अब हमारी कोशिश आगे यह है कि इसके अलावा इसको मीडियम रिस्क एरियाज के अंदर भी ट्राई किया जाए। उसकी योजना है।

यह अभी तक जो क्राप इनशोरेंश स्कीम हमारे देश में चल रही है वह फसल का बीमा नहीं है, बल्कि वह जो बैंकों से किसानों को कर्ज मिलता है उस कर्ज की रकम का बीमा है ताकि अगर नुकसान कुछ ज्यादा हो जाय तो उसके हिसाब से जो रकम बैंक को अदा करनी है वह किसान से वसूल न की जाय बल्कि जनरल इनशोरेंश कम्पनी और स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी कुछ हिस्सा होता है उनकी तरफ से वह बैंक में अदा कर दी जाए जिससे कि किसान के ऊपर बोझ न पड़े। अभी यह उसी हद तक है। अगले साल के अन्दर इसको बढ़ाने की योजना है। पिछले साल भी इसको काफी हद तक बढ़ाया गया है। कुछ स्टेट्स और इसके ऊपर विचार कर रही हैं कि इसको लागू करें। दूसरी स्टेट्स भी इससे कुछ इनीशिएटिव लेंगी तो उनको भी इसमें लिया जा सकेगा।

श्री नीरेन घोष : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह वास्तविक फसल बीमा नहीं है किन्तु इससे कुछ भिन्न है। यही कारण है कि सम्भवतः कुछ अधिक खर्च करना पड़ेगा। गरीब किसानों और सीमान्तिक किसानों को आपके मूल्य निर्धारण से कोई लाभ नहीं मिला है। उन्हें आजादी से

आज तक भी कोई लाभ नहीं मिला है। भारतीय खाद्य निगम का कहना है कि वह इस निश्चित मूल्य पर उनसे खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। कृषि मूल्य निगम के मूल्य निर्धारण से उन्हें सहायता नहीं मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए यदि आप कम से कम फसल बीमा योजना लागू करें तो इससे किसानों को लाभ होगा। सरकार को कम से कम गरीब और सीमान्त किसानों के सम्बन्ध में फसल बीमा योजना तत्काल लागू करने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए ? महोदय, अब तक काफी समय बीत चुका है।

राव बीरेन्द्र सिंह : फसल बीमा योजना का न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। वह बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। आप इन दोनों को मिला नहीं सकते।

श्री नीरेन घोष : गरीब तथा सीमान्त किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि फसल बीमा योजना लागू की जाती है तो उन्हें समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भी लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल तभी होगा जब कोई हानि हो अथवा कोई आपदा हो।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ बैंकों ने कुछ गाँवों को अपनाया है क्या वहाँ फसल बीमा योजना लागू करना सम्भव नहीं है ? कृषि कार्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की देख-रेख में हुआ है। इन मामलों में जोखिम बहुत ही कम होगा। अतः मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ऐसे गाँवों में फसल बीमा योजना लागू करने की सोच रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि प्रारम्भिक परियोजनाओं के रूप में कुछ कार्यवाही की गई है। चार राज्यों ने पहले ही इसे क्रियान्वित किया है। चार और राज्य इसे क्रियान्वित करने की सोच रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, दो प्रकार से किसान को नुकसान होता है—एक तो प्राकृतिक प्रकोप से और दूसरे सरकार की कमियों की वजह से, प्राकृतिक प्रकोप से तो जैसे फेमिन है, ओले पड़ जाते हैं या किटाणु लग जाते हैं, इस तरह से नुकसान होता है। सरकार की गफलत से जो नुकसान होता है उसमें बिजली न मिलना, पानी न मिलना या जो अन्य प्रकार से साधन क्राप को जीवित रखने के लिए उपलब्ध होने चाहिए वह उपलब्ध नहीं होते, उनसे उसको नुकसान हो जाता है। तो इनमें से किस के ऊपर सरकार यह क्राप इन्श्योरेंस की कार्यवाही चलाना चाहती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्राप इन्श्योरेंस तो जिस ढंग से इस वक्त कवर हो रही है वह तो मैंने अर्ज कर दिया। सरकार की भी दिक्कतें होती हैं। उसकी वजह से जो किसान को हानि पहुँचती है उसका किस तरीके से हम इन्श्योरेंस कर सकते हैं उसके लिए माननीय सदस्य अगर हमारे पास कोई सजेश्चन भेजेंगे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह तो आप खुद सोच सकते हैं।...(व्यवधान)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों का रोका जाना

*188. **श्री राजेश कुमार सिंह**

श्री चिंतामणि जेना : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये खाद्यान्नों को दिये जाने से रोकने का रबी की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के बंटन केन्द्रीय गोदाम में खाद्यान्नों की उपलब्धता और राज्यों के पास पहले से उपलब्ध खाद्यान्नों के उपयोग में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय तथा खाद्य विभाग द्वारा की गई विशेष पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का हाल ही में तेजी से वितरण किया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, मैंने पूछा था कि आने वाली रबी की फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? वास्तविकता यह है कि इनकी मिनिस्ट्री के रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत :

"केन्द्रीय ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों ने इस वर्ष नवम्बर,1980 के अन्त तक 9.7 लाख टन खाद्यान्न का उपयोग किया जो कि पिछले वर्ष में प्रयुक्त खाद्यान्न कम से कम 12 लाख टन कम है। 1979 में जो इस्तेमाल किया, वह उससे भी कम किया। (व्यवधान) इसमें हमारा और आपका कोई सवाल नहीं है। आप वास्तविकता जो है उसको देखें। 1979 की की जो बात है :

"पिछले वर्ष 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत 43.4 लाख टन खाद्यान्न के बदले 43.50 करोड़ कार्य दिवसों की व्यवस्था की जा सकी।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हालत है इस प्रोग्राम की। इस पर कोई अमल नहीं हुआ। कहते हैं कि फूड-ग्रेन्स की कमी है। लेकिन आपने कहा है कि बफर स्टाक में 15 मिलियन टन गेहूँ हैं और 4 मिलियन टन चावल है। जब आपके पास बफर स्टाक में इतना है तब क्या आप 1 मिलियन टन देकर इस प्रोग्राम को लागू नहीं कर सकते हैं जबकि आज कीमतें बढ़ रही हैं और बाजार में गेहूँ का भाव ढ़ाई रुपए किलो चल रहा है ? यह सरकार तो अपने को मजदूर हितैषी कहती है फिर क्या सरकार अपने स्टाक में से किसानों मजदूरों के लिए यह अनाज देने पर विचार करेगी ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक किन स्टेट्स में इस कार्यक्रम को अमल में लाया गया है और किन स्टेट्स में नहीं लाया गया है तथा कितनी स्टेट्स में इस प्रोग्राम में मैल-प्रैक्टिसेज पाई गई हैं जहाँ से इस प्रकार से शिकायतें आई हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आनरेबल मेम्बर शायद यह समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जितना चाहे उतना अनाज फूड फार वर्क के लिए एलाट कर सकती है। लेकिन पार्लमेंट ने इस साल के लिए सिर्फ 340 करोड़ रुपए फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए रखे हैं, उसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। इसके मुताबिक जितना अनाज हम ठीक समझते थे देने के लिए, उसको हमने तक्सीम कर दिया है। बाकी कहीं अगर अनाज की कमी देखी तो उसके मुकाबले में हमने कैश दे दिया। 340 करोड़ रुपया इस फार्मूले के हिसाब से सारी स्टेट्स को बांट दिया गया है। पिछले दिनों में गेहूँ के एश्यु में, स्टाक्स को देखते हुए कुछ कमी की गई है ताकि आइंदा दिक्कत न पड़े। उस वक्त कायदा यह बनाया कि तीन किलो से ज्यादा अनाज किसी वर्कर को नहीं दिया जायेगा, एक रोज में, क्योंकि पहले कई स्टेट्स में 5-6 किलोग्राम तक इश्यु किया जाता था। उसमें बचत करने के लिए यह किया गया कि तीन केजी में 2 केजी अनाज और एक केजी के लिए कैश दिया जाएगा। इस हिसाब से जितना भी देना था वह तक्सीम कर दिया गया है और अब 1 मिलियन टन फालतू देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, सही तरीके से इस कार्यक्रम पर अमल नहीं किया गया है। मैंने यह भी पूछा था क्या कहीं से मैल-प्रैक्टिसेज की रिपोर्टें आई हैं, और अगर आई हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें कहीं-कहीं शिकायतें आती रहती हैं। जब इतने बड़े देश के अन्दर इतना बड़ा प्रोग्राम चले तो मैल-प्रैक्टिस लोअर लैवल पर होती है, कई जगह पंचायत लैवल पर होती है, बी० डी० ओ० ज० लैवल पर भी होती है। इस संबंध में जो शिकायतें आती हैं वे हम स्टेट गवर्नमेंट को रैफर करते हैं, ताकि वे इसकी इक्वायरी करा कर हमें इत्तिला दें, क्योंकि यह स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की मारफत लागू की जाती है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट डायरैक्टली इसका हिसाब-किताब नहीं रखती है। एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रान्त के बारे में पूछता हूँ। क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फूड-फार-वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने कितना फूड का एलोकेशन किया है और कितना दिया है तथा कितना बाकी है ? क्या उत्तर प्रदेश में जो मैल-प्रैक्टिस होती है, उसकी सूचना आपको मिली है, तथा इस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न के अन्तर्गत आता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं हर स्टेट के बारे में यदि माननीय सदस्य चाहें तो जानकारी दे सकता हूँ और इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट सारे हिन्दुस्तान का मैं रखने के लिए तैयार हूँ।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश का मैं बता देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे सभा पटल पर रख दीजिये।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत 78-79, 79-80, 80-81 में फूड-फार-वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितना अनाज आवंटित किया गया था और क्या सरकार इस योजना को खत्म करने जा रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : फूड-फार-वर्क का कार्यक्रम तो फिर पाँच साल के लिए अपना लिया है और योजना को खत्म करने का तो कोई सवाल नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 78-79, 79-80, 80-81 में आपने कितना अनाज फूड-फार-वर्क के तहत एलोकेट किया है और जो आपने दिया है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है—आप उसकी फीगर बतलाइए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जितना पार्लियामेंट ने वोट किया है, उस हिसाब से हमने दिया है। मैं अन्दाजन बता सकता हूँ, मुझे उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। इन्होंने पिछले साल 1979-80 के बारे में पूछा है, पिछले साल इस कार्यक्रम के तहत 28 लाख टन तकसीम किया गया था और इस साल करन्ट ईयर में, 1980-81 में कोई 21 लाख टन के करीब एलाटमेंट हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : आप 1978-79 के बारे में बताइए।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस संबंध में आप अलग से सवाल कर लीजिए। यह सवाल इस सवाल से पैदा नहीं होता है।

श्री राम विलास पासवान : लेकि आपने छः लाख टन तो कम कर दिया।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि काम के बदले अनाज योजना के अन्दर पिछले सालों में बहुत सारी स्कीमें अधूरी रह गई और आपने अन्न सप्लाई नहीं किया। इसलिए उन स्कीमों का क्या हुआ जो अन्न के अभाव में अधूरी पड़ी हुई हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो स्कीमें अधूरी रह गई हैं इस प्रोग्राम के तहत, यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो आगे उसको पूरा करा सकती हैं और नहीं तो अपने फण्ड से भी पूरा किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के अन्दर यह कोई गारन्टी नहीं है कि कोई स्कीम अगर अपना ली जाएगी तो उसका सारा खर्च 100 प्रतिशत सैन्टर गवर्नमेंट देगी।

एक दूसरी गलत फहमी जो माननीय सदस्य की थी कि छः लाख टन अनाज कम कर दिया। उनकी इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहूँगा। सन् 1979-80 के अन्दर कैश-कम्पोनेंट नहीं था और इस साल 21 लाख टन अनाज दिया गया है जिसमें पिछले वर्षों का शेष 7 लाख टन अनाज भी शामिल है। तथा इसके साथ साथ 70 करोड़ रुपए कैस-कम्पोनेंट के लिए भी है। इस तरह से हिसाब लगायें, तो यह सब पिछले साल से कम नहीं हैं।

चौधरी मुलतान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि अनाज की कमी की वजह से रुपया दिया गया था। तो रुपए से तो वह ढ़ाई

रु० किलो में खरीदेगा और जो आप अनाज देंगे, वह सवा रु० में देंगे, इस तरह से मजदूरों को तो दुगुना नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जितने गोदाम हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं और भरे हुए हैं तथा नई फसल भी आने वाली है, लेकिन गोदामों में जगह नहीं है। इस वक्त गल्ला ढ़ाई रु०, दो रु० और कहीं-कहीं पर तीन रु० किलो भी बिक रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इन गोदामों को खाली करके और नई फसल के रखने के बारे में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (एच द्वारा जारी)

राव बीरेन्द्र सिंह : अनाज का जितना स्टाक रखने की हमारी नीति है, उस हिसाब से हमारे स्टाक में अभी काफी कमी है। इसलिए हम अनाज खरीदने में कोई कोताही नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद कर हमारा बफर स्टाक जितना कम हुआ है उस को पूरा करना चाहते हैं। इसलिये इसमें आप को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये खाद्यान्न की पूर्ति के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को सूचित किया था कि जितने खाद्यान्न का उपयोग किया गया। उसके सम्बन्ध में उचित लेखा नहीं रखा गया; और उसके परिणामस्वरूप बंगाल में और खाद्यान्न नहीं भेजा जा सका। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस विवाद को सुलझा लिया गया है और क्या कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। किन्तु यदि पश्चिम बंगाल में कोई विवाद बना हुआ है तो मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ।

प्रो० मधु बंडवते : विवाद दोनों ओर से चल रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें जो सूचना मिली है हम उस पर दृढ़ हैं। हमने बार बार दोहराया है कि मैंने जो आंकड़े उपलब्ध किये हैं वह सही हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी उनकी जांच की है। अब भी हमारे अभिलेखों के अनुसार दिसम्बर, 1980 तक पश्चिम बंगाल के पास लगभग एक लाख खाद्यान्न था जिसका उपयोग नहीं किया गया था।

फसल के स्वरूप में परिवर्तन के बारे में किसानों को शिक्षित करने की योजना।

189. **श्री ए० सी० दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के स्वरूप को बदलने के बारे में किसान वर्ग को शिक्षित करने तथा सिंचाई से अधिकाधिक लाभ उठाने की योजनाएं आरम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी योजनाएँ उड़ीसा में आरम्भ की जायेंगी;

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं और वे कब तक अरम्भ की जायेंगीं; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) सरकार सिंचाई से पूरा लाभ उठाने के लिए बदलते प्रतिमानों के सम्बन्ध में कृषकों को शिक्षा देने के बारे में पूर्णतः जागरूक है। इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा राज्य में नवम्बर, 1968 से योजनाएं चलायी जा रही हैं। 1977 में इस राज्य में प्रशिक्षण और दौरे की एक नयी पद्धति शुरू की गयी है जिसे उड़ीसा कृषि विकास परियोजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य अधिकतम फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये सस्य प्रतिमानों में परिवर्तन करने के लिए सिंचित और गैर-सिंचित क्षेत्रों में कृषकों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना है।

श्री अनादि चरण दास : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं कौन-कौन सी हैं ? दूसरे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी कृषि भूमि का अधिकांश भाग वर्षा के जल पर आश्रित है, क्या सरकार की वर्षा के जल के उपयोग की तथा फसल के स्वरूप को बदलने के बारे में किसानों को शिक्षित करने की कोई योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : उड़ीसा कृषि विकास परियोजना 1977 से चलाई जा रही है तथा फसल के स्वरूप में परिवर्तन के लिए किसानों को शिक्षित करने तथा किसान स्तर पर सम्बन्धित तकनीक को स्थानान्तरण करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं माननीय सदस्य वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या जानना चाहते हैं मैं उस बात को समझ नहीं सका हूँ, किन्तु यह भी उस कार्यक्रम का अंग है कि केवल सिंचित क्षेत्रों में ही नहीं अपितु वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में भी खेती किस प्रकार सघन बनाई जा सकती है। यह समूची योजना का एक हिस्सा है।

श्री अनादि चरण दास : होता यह है कि हमारे किसानों को वर्षा के जल के उपयोग के बारे में शिक्षित नहीं किया जाता है। वास्तव में हमें आवश्यकता इस बात की है। वह अपने ढंग से खेती कर रहे हैं। क्या सरकार इस संदर्भ में इन क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में, नई प्रकार की योजनाएं लागू करने पर विचार कर रही है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि विस्तार पद्धति क्या है अर्थात प्रशिक्षण और दौरे-सम्बन्धी योजना क्या है तथा इस प्रशिक्षण और दौरे सम्बन्धी योजना से कितने आदिवासी तथा हरिजन, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, लाभान्वित हो रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उन व्यक्तियों की संख्या नहीं जानता जिन्हें अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। और विशेषकर कितने आदिवासी अब तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। किन्तु उड़ीसा राज्य में यह एक बहुत बड़ी परियोजना है जिस पर काफी धनराशि व्यय की जा रही है।

श्री दारुर पुलय्या : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों में यह प्रचार करेगी कि वह सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में धान के स्थान पर आई० डी० फसलें उगायें जिनकी सिंचाई कुओं से भी की जा सकती है, क्योंकि धान की फसल के लिए अत्यधिक जल की

आवश्यकता होती है। जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भीय जल में कमी आती जा रही है। यदि आई०डी० फसल उगाई जाती हैं तो इसके अन्तर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र लाया जा सकता है और अनेक कुएं भी खोदे जा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई विधान लाने पर विचार कर रही है और राज्य सरकारों को निर्देश देने जा रही है कि वह किसानों के किए किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्यों ने यहाँ ये सब सुझाव दिए हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव : देश को हमारे कृषि वैज्ञानिकों पर मान है जिन्होंने देश में कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है। और मैं कृषि मंत्रालय का इसके लिए प्रशंसा करता हूँ। किन्तु मेरे विचार में 'फसल का स्वरूप' शब्द अथवा नाम ही बड़ा अस्पष्ट है हमें इसे फसलों की स्थानिक व्यवस्था कह सकते हैं चाहे यह फलीदार अथवा गैर फलीदार फसल हों अथवा अन्य किसी प्रकार की।

'दियारा नदी' के नाम से एक बड़ा नदी क्षेत्र है जिसमें कभी-कभी बाढ़ का पानी भर जाता है और बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वहाँ की भूमि फसलों के लिए अच्छी हो जाती है। इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 'दियारा' क्षेत्र की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस क्षेत्र का गहन अध्ययन कराने की बात सोच रहे हैं।

(2) क्या मंत्री महोदय किसानों को शिक्षित करने के लिए उस क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों को भेजने की बात पर विचार करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम और मरु भूमि विकास क्षेत्र कार्यक्रम के नमूने पर, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की शिफारिश के अनुसार, मंत्री महोदय और उनका मंत्रालय इस नदी क्षेत्र में और अधिकांश रूप से गंगा तटीय क्षेत्र में फसलों के विकास के लिए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारे पास अनेक कार्यक्रम हैं। सभी का उद्देश्य विभिन्न कृषि जल-वायु मौसमों में और ऐसे क्षेत्रों में भी जो कि पट्टियाँ हैं, अर्थात जहाँ बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद भी भूमि अच्छी हो जाती है और पानी उतर जाने के बाद भूमि बहुत उर्वर हो जाती है, कृषि प्रणाली में सुधार करना है। यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा और यह विचार करूंगा कि क्या इससे भी अधिक कुछ किया जाना है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम अवश्य ही शुरू किए जायेंगे।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार खाद्य उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने और बदलती हुई फसल प्रणाली के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने के लिए एसे उपाय लागू किरने हेतु सांविधिक उपाय करने का है। विश्व के अन्य देशों में ऐसा किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत भी इसका अनुकरण करेगा और इस सम्बन्ध में सांविधिक उपाय लागू करेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरी समझ में नहीं आया आया कि माननीय सदस्य का कहने का

क्या मतलब है। परन्तु यदि वह चाहते हैं कि सरकार किसानों पर विशेष ढंग की कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रतिबन्ध लगाए तो मैं नहीं समझता कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना संभव होगा। इससे किसान नाराज भी हो सकते हैं और यह बात अच्छी नहीं होगी। अतः कृषि को किसानों के लिए लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा देनी होगी जिससे वे सरकार के कार्यक्रम और नीति अपनाएं और वे उन चीजों का उत्पादन करें जिनकी हमारे देश को अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री सतीश अग्रवाल : इस प्रश्न को और प्रश्न संख्या 202 को एक साथ लिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी को कोई आपत्ति न हो तो हम ऐसा कर देंगे। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं।...(व्यवधान)

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं। यह प्रश्न अलग है। यह प्रश्न एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए इजराइल को आमंत्रित करने के बारे में ही है। दूसरा प्रश्न व्यय के बारे में है।...(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह प्रश्न खेलों में भाग लेने के बारे में है और दूसरा प्रश्न इसके व्यय के बारे में है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा। हम एक-एक करके लेंगे।

एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए इजराइल को निमंत्रण

*191. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक्षिक पत्रिका "न्यूज फ्राम इजरायल" में प्रकाशित टिप्पणी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इजरायल को एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजने के बारे से कुछ अनिश्चितता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) नई दिल्ली में 1982 में होने वाले नौवें एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए एशियाई खेल संघ से सम्बद्ध एशियाई राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति को निमंत्रण भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा सितम्बर 1980 में गठित विशेष आयोजन समिति के जरिए जारी किये जाएँगे। निमन्त्रण अभी जारी किए जाने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर० एन० राकेश : मैं जानना चाहता हूँ कि इन गेम्स में मुल्क का कितना खर्चा होगा ? दूसरे, यह जानना चाहता हूँ कि देश में जहाँ कि इतने लोग गरीब हैं, दसियों करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इन गेम्स का क्या औचित्य ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहाँ तक इस विशेष प्रश्न का संबंध है, यह इजराइल

को निमंत्रण भेजने के संबंध में ही तो है। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है। ...(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इसका सम्बन्ध प्रश्न संख्या 202 से है। तब तक समय समाप्त हो जाएगा।

श्री आर० एन० राकेश : स्पष्ट रूप से इसमें कितना खर्चा होगा यह बताने की स्थिति में तो आप होंगे।

श्री राम विलास पासवान : जब आप इतने इनवीटेशन भेज रहे हैं तो इसका क्या औचित्य है, यह तो बता दें ?

श्री आर० एन० राकेश : इन गेम्स का क्या औचित्य है, यह तो बताने की कृपा करें ?

श्री एस० बी० चह्वाण : यह तो सरकार का निर्णय है। भारतीय ओलंपिक संघ की सलाह से निर्णय लिया गया था और सरकार इस वचन को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है।... (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : प्रश्न इजराइज को आमंत्रित करने के बारे में है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय मैच शुरू होने से पहले लोक दल के सदस्यों के नामों को कुक्कुट युद्ध के लिए शामिल करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान) उन्हें इनके नाम शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

श्री रशीद मसूद : मैं मोहतरिम वजीर साहब से यह मालूम करना चाहता हूँ कि अगर इस एशियन ओलम्पिक कमेटी ने इजरायल को इन्वाइट किया तो उस वक्त गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा ?

श्री एस० बी० चह्वाण : इस बारे में निर्णय ओलम्पिक एसोशिएसन और संगठन की विशेष समिति लेगी। यह उनके अधिकार क्षेत्र में है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टेडियम तैयार नहीं है क्या मंत्री महोदय ये खेल 1982-83 तक स्थगित करने जा रहे हैं ?

श्री एस० बी० चह्वाण : मेरी सूचना के अनुसार नहीं।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको जानकारी है कि ...

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले अपनी बात कर ली है, अब उन्हें भी पूछ लेने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किसी अन्तर्राष्ट्रीय खेल संगठन अभिकरण को भारत में खेलों के आयोजन का वचन दिया गया है और यहाँ खेलों के आयोजन का यही औचित्य है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी विदेशी खेल आयोजक संस्था को दिए

गए वचन को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपए व्यय करना भारतीय लोगों को संविधान में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिए गए वचन से अधिक महत्वपूर्ण समझती है।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य महोदय इस तथ्य के बावजूद कि सरकार बार-बार यह आश्वासन दे रही है कि 700 करोड़ रुपए व्यय नहीं किए जायेंगे इस प्रश्न पर जोर दे रहे हैं। हमने अन्य प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार दिए गए वचन को निश्चय ही पूरा करेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय मंत्री महोदय ने यह आरोप लगाया है कि उनके द्वारा बार-बार इन्कार करने के बावजूद मैं वक्तव्य दिए जा रहा हूँ। क्या सरकार इस प्रश्न पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस में बार-बार एशियाई खेलों की बात उठाई जाती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे कक्ष में मेरे पास आइये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि इन गेम्स पर कितना रुपया खर्च होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संबंधित नहीं है, इसका उत्तर बाद में कभी आ जाएगा। इस प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है।... (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : अगर 700 करोड़ खर्च नहीं होगा तो कितना खर्च होगा ?

"लैण्ड शार्क्स डिन्यूड डेल्हीज ग्रीन बेल्ट" शीर्षक से समाचार

*193. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1981 के 'टाइम्स आफ इंडिया' नई दिल्ली में प्रकाशित "लैण्ड शार्क्स डिन्यूड डेल्हीज ग्रीन बेल्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भूमि की इस गैर कानूनी बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित की गई

भूमि की बिक्री गैर-कानूनी है और दिल्ली भूमि (हस्तान्तरण पर नियन्त्रण) अधिनियम, 1972 में दिये अनुसार यह एक ऐसा अपराध है जिस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है अधिसूचित भूमि की गैर कानूनी बिक्री के कंटक को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन ने पुलिस उपायुक्त की देख-रेख में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है जिसने 20 फरवरी, 1981 तक 148 मामले दर्ज किये हैं और 875 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

क्योंकि नगरीकरण योग्य सीमाओं के बाहर फार्म हाउसों की आड़ में भी भूमि की बिक्री देखने को मिली है, अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिग्रहण के लिये 19 राजस्व सम्पदाओं में लगभग 14,000 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : दिल्ली में मास्टर प्लान है और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम भी है। परन्तु कई कालोनाइजर इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और भोले-भाले लोगों को कृषि भूमि के नाम पर भूमि बेच रहे हैं। अन्य कालोनाइजर सरकार की अनुमति के बिना बस्तियाँ बसा रहे हैं यहाँ तक कि गाँवों में भी लाल डोरा की भूमि बेची जा रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ऐसे मामले उनके ध्यान में लाए गए हैं, और यदि लाए गए हैं तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? इन कालोनाइजरों के नाम क्या हैं ? भूमि सुधार अधिनियम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुदेशों की परवाह किए बिना उन्होंने भोले-भोले लोगों को जमीनें बेची हैं। क्या मंत्री महोदय हमें इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराएंगे और उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की परवाह नहीं की और भोले-भाले लोगों को जमीन बेची है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली प्रशासन के ध्यान में यह बात आई थी कि 'फार्म हाउसेज' के नाम पर जमीन बेची जा रही है। इस गलत कार्य को रोकने के लिए दिल्ली प्राशासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अधीन तीन अधिसूचनाएं जारी की और पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में 14,000 एकड़ भूमि को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इससे भूमि की सट्टेबाजी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली में भूमि सुधार अधिनियम और अन्य अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए रिहायशी प्लाटों की गैर कानूनी बिक्री हुई है। दिल्ली प्रशासन ने पुलिस उपायुक्त के अधीन ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष कोष्ठ की स्थापना की है।

20 फरवरी, 1981 तक दिल्ली भूमि (निबन्धन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन 875 व्यक्ति पकड़े गए हैं। जिनका उल्लेख माननीय सदस्य महोदय कर रहे थे। लगभग 148 मामले संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अधिसूचित और अधिगृहीत भूमि को गैर कानूनी रूप से बेचने के लिए दर्ज किए गए हैं। विशेष कोष्ठ की स्थापना से गैर कानूनी सौदों को रोकने में बहुत सीमा तक सफलता मिली है।

लाल डोरा क्षेत्र में जहाँ खाली भूमि या निर्मित मकान हैं वहाँ फैक्ट्रियों के लिए उन्हें गैर कानूनी रूप से बेचा गया जो कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारण साबित हो रहे हैं। उपर्युक्त विशेष कोष्ठ इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने उन कालोनाइजरों के नाम पूछे थे जिन्होंने सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुये इन कालोनियों को बना रहे हैं। इन्होंने नाम नहीं बताये हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : ये नाम फिलहाल मेरे पास नहीं हैं। मैंने आपको दर्ज किए गए मामलों और पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या बता दी है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मुझे आँकड़े नहीं चाहिए। मैंने उन कालोनाइजरों के नाम पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसी में नाम पूछे थे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें नाम भेज देंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन भोले-भाले लोगों ने विशेष रूप से उन्होंने जो विदेशों में रह रहे हैं और जिन्होंने भूमि खरीदी है उनका क्या होगा ? क्या सरकार इसे रोकने और उन लोगों की सहायता करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही ? क्या सरकार इन लोगों को राहत देने पर विचार कर रही है।...(व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा : मेरा सवाल था। मैं हाउस में था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। आप अपनी जगह नहीं थे। बाद में मैंने इन्हें बुलाया।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं हाऊस में था मैंने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये 192 या 193 में क्या फर्क। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैंने कहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भाटिया अपना उत्तर सभा से बाहर भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही दल के हैं। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कितने होटल वाले उद्यमियों ने दिल्ली में सुपर डीलक्स पाँच तारा होटलों को आरम्भ करने के लिए आवेदन किया है ? क्या इनकी संख्या 10 से अधिक है ? यदि हाँ, तो एशियाई खेलों के आरम्भ होने से पूर्व पाँच तारा होटलों के निर्माण के लिए इन आवेदकों को कितनी भूमि दी जायेगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिए। यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों का कार्यकरण

*190. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ऐसे राज्य खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों के कार्यकरण की कड़ी आलोचना की है जिन्होंने राज्यों में खादी अथवा ग्रामीण एककों को संगठित करने में कोई प्रगति नहीं दिखाई है;

(ख) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य बोर्डों को उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए भारी राशियां दी हैं;

(ग) क्या राज्य बोर्डों की वित्तीय स्थिति, कार्य प्रतिवेदन तथा लेखे राज्य विधान समाओं के समक्ष रखे जाने चाहियें क्योंकि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन एवं लेखे संसद के समक्ष रखे जाते हैं; और

(घ) सरकार ने गाँव, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन कार्यक्रम के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) मैंने राज्यों के उद्योग मंत्रियों और राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के अध्यक्षों के 20 जनवरी 1981 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा था कि कुछ राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के कार्य की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ। मैंने इस सम्मेलन में कहा था कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के मामले में हम उनकी वार्षिक रिपोर्टें तथा लेखे संसद में प्रस्तुत करते रहे हैं तथा उसी आधार पर राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखे राज्य विधान समाओं को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कुछेक राज्य सरकारें पहले ही ऐसा कर रही हैं।

(घ) यह सम्मेलन मुख्य रूप से राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के कार्यकरण को कारगर बनाने के उपायों पर विचार करने तथा देश में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आयोजित किया गया था। राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को मजबूत बनाने तथा उसके आधारभूत ढाँचे में सुधार के लिए इस सम्मेलन में कई सुझाव दिए गए। इस प्रयोजन के लिए एक 'आदर्श विधेयक' तैयार करने के बारे में सर्वसम्मति हुई थी। सम्मेलन की शिफारिशों पर सम्यक रूप से कार्यवाही की जाएगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में मकानों का निर्माण

*192 **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में कितने मकान बनाये जाने का विचार है;

(ख) समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनमें से कितने मकानों का कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दो हैक्टार भूमि के स्वामी और एक औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय की तुलना

194. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो हैक्टार भूमि के स्वामी के पास, जो वर्ष में क्रमशः (1) धान (2) ज्वार (3) बाजरा (4) गेहूं और (5) अन्य खाद्यान्नों की एक फसल उगाता है, (सभी प्रकार के निवेश की लागत और भाड़े के श्रमिक आदि को भुगतान आदि जैसे सभी खर्च निकाल कर) अनुमानित कितनी वास्तविक राशि बचती है; और

(ख) यह एक औसतन औद्योगिक श्रमिक की शुद्ध वार्षिक आय की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, 2 हैक्टार भूमि वाले एक कृषक, जो केवल एक ही फसल उगाता है, को प्राप्त होने वाली निवल आय निम्न प्रकार है :

धान (1978-79)	
पंजाब	4,754.00 रुपये
ज्वार (1977-78)	
महाराष्ट्र	1,260.00 रुपये
बाजरा (1975-76)	
हरियाणा	1,100.00 रुपये
गेहूं (1978-79)	
पंजाब	3,290 00 रुपये

(ख) वर्ष 1977 में, जिस नवीनतम वर्ष के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो, द्वारा आंकड़े निर्मुक्त किए गये हैं, औद्योगिक श्रमिक की औसत वार्षिक आय 5,614.00 रुपये थी ।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन

*195. **श्री अनादि चरण दास :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को इस समय मिलने वाली निःशुल्क शिक्षा सुविधाओं के अतिरिक्त 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को कुछ प्रोत्साहन भत्ता देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उड़ीसा के अनुसूचित जन जातियों के उक्त आयु वर्ग के छात्रों के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई राशि नियत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) ऐसे बच्चों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पहले ही आयोजित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अनुदानों के अलावा कोई विशेष निधियाँ आबंटित नहीं की गई हैं।

सिंचाई तथा बहुपयोजनीय परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*196. **श्री जैनूल बशर :** क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सिंचाई तथा बहुपयोजनीय परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है और प्रत्येक को कितनी राशि मिली है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनाओं के लिये प्रस्ताव पेश किये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वे राज्य, जिन्हें सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है, परियोजनाओं के ब्यौरे और विश्व बैंक द्वारा दिए गए/दिए जाने के लिए सहमत हुई ऋण सहायता की धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	सिंचाई परियोजना का नाम	प्राप्त हुई ऋण सहायता (अमरीकी मिलियन डालर)
(क) वे परियोजनाएँ जिन्होंने विश्व बैंक की सहमति अनुसार पूरी ऋण सहायता प्राप्त कर ली है।			
1.	आंध्र प्रदेश	पोचमपाद परियोजना	39.0
2.	बिहार	सोन बराज	15.0
3.	गुजरात (i)	शेत्रुंजी परियोजना	3.4
	(ii)	कडाना परियोजना	35.0
4.	महाराष्ट्र	पूर्णा परियोजना	13.0
5.	उड़ीसा	सालन्दी परियोजना	7·5
6.	पंजाब	बाढ़ सुरक्षा और जल-निकास परियोजना	10.0
7.	उत्तर प्रदेश	नलकूप परियोजना	6.0

(ख) विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने वाली निर्माणाधीन परियोजनाएं।			विश्व बैंक द्वारा दिए जाने के लिए सहमत हुई ऋण सहायता (अमरीकी मिलियन डालर)
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी बराज परियोजना	45.0
2.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर परियोजना	145.0
3.	तमिलनाडु	पेरियार वेगाई परियोजना	23 0
4.	महाराष्ट्र	जायकवाडी परियोजना	70.0
5.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना	210.0
6.	उड़ीसा	उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना	58.0
7.	उड़ीसा	महानदी बिरूपा बराज परियोजना	83.0
8.	कर्नाटक	अपर कृष्णा परियोजना	117.0
9.	गुजरात	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	85.0
10.	गुजरात	गुजरात संयुक्त सिंचाई परियोजना	175.0
11.	हरियाणा	हरियाणा सिंचाई परियोजना	111·0
12.	पंजाब	पंजाब सिंचाई परियोजना	129.0
13.	राजस्थान	चम्बल अयाकट विकास परियोजना	52.0
14.	राजस्थान	राजस्थान नहर अयाकट विकास परियोजना परियोजना चरण-एक	83.0
15.	मध्य प्रदेश	चम्बल मध्य प्रदेश अयाकट विकास परियोजना	24 0
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना	18.0

(ख) और (ग) मई, 1980 में हुए करार के अनुसार उत्तर प्रदेश में 500 सरकारी नलकूपों के निर्माण के लिए इस समय उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना को 18 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। इसके अलावा, राज्य द्वारा सुझाई गई निम्नलिखित दो सिंचाई परियोजनाओं पर, विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता दिए जाने के लिए विचार किया जा रहा है।

(1) उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना, चरण-दो

(2) उत्तर प्रदेश संयुक्त सिंचाई परियोजना, चरण-एक

(अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण)

वर्तमान संकेतों के अनुसार, इन परियोजनाओं पर विश्व बैंक के वित्त वर्ष 1982 (जुलाई 1981 से जून, 1982 तक) के दौरान विश्व बैंक के साथ ऋण सहायता के लिए बातचीत होने की संभावना है। परियोजना के विस्तार और ऋण सहायता की मात्रा पर विचार किया जा रहा है।

यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के चालकों द्वारा मांगी गई रियायतें

197. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के चालकों ने ऋण की वापसी, बीमा की किस्तों के भुगतान, रियायती दरों पर हाई स्पीड डीजल और मत्स्य पकड़ने की अपेक्षित शर्तों के संबंध में कुछ रियायतें देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस अनुरोध पर सरकार का क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) मेरे मंत्रालय में ऋण की वापसी, मछली पकड़ने की शर्तों तथा रियायती दर पर हाई स्फीड डीजल आयल के सम्बन्ध में रियायतें देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऋण की वापसी तथा हाई स्पीड डीजल आयल पर रियायतें देने के विषय में वित्त मंत्रालय तथा पैट्रोलियम विभाग के साथ परामर्श किया जा रहा है क्योंकि मूल रूप से वे ही इन मामलों से संबंधित हैं। जहां तक मछली पकड़ने की शर्तों का संबंध है, अभ्यावेदनों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है क्योंकि यह मामला निश्चित रूप से उनके कार्यक्षेत्र में आता है।

जल संसाधनों के लिये राष्ट्रीय महत्व की योजना

*198. **श्री एच० एन० गौडा**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने जल संसाधनों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय महत्व की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) जल का इष्टतम उपयोग किस प्रकार प्राप्त करने तथा बाढ़ की विभीषिकाओं को किस प्रकार कम करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) से (ग) भारत सरकार ने अन्तर्राज्यिक और अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें विभिन्न नदियों पर जल-संचयन जलाशयों की व्यवस्था करने और बेसिन क्षेत्रों की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जल प्रवाह का उपयोग परस्पर जोड़ने वाले लिंक्स का निर्माण करके जल की कमी क्षेत्रों में करने के उद्देश्य से जल को ट्रांस्फर करने की परिकल्पना की गई है। इससे उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी। जल-संचयन जलाशयों की व्यवस्था से अनुप्रवाह में आने वाले क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

मोटे अनुमानों के अनुसार, मौजूदा कीमतों के आधार पर इस स्कीम पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत आने के संभावना है। इस प्रस्ताव में भूमिगत जल के उपयोग में वृद्धि करके

10 मिलियन हैक्टेयर और लगभग 40 मिलियन किलोवाट विद्युत के उत्पादन के अलावा भूतल जल प्रवाह द्वारा 25 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना की गई है। राज्यों के साथ सलाह करके सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के पश्चात् योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति

*199. **श्री जगदीश टाईटलर : श्रीमती कृष्णा साही :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की शारीरिक क्षमता में सुधार की दृष्टि से सरकार "राष्ट्रीय पोषाहार नीति" तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार इस देश के लिए एक राष्ट्रीय पोषाहार नीति पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य अनेक परस्पर संबंधित क्षेत्रों में पोषाहार कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य के प्रयत्नों को संचालित करना है जिससे पोषाहार के मुख्य अंशों, जैसे कि पूर्ति और खपत को समन्वय किया जा सके तथ खाद्य उत्पादन, पोषाहार शिक्षा, खाद्य पुष्टिकरण, पूरक आहार वितरण और स्वास्थ्य उपायों के विभिन्न पहलुओं से परस्पर योगदानों की कार्यपद्धति के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

विकलांग बच्चों का पुनर्वास

*200. **श्री राम विलास पासवान : श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग बच्चों के पुनर्वास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ठीक-ठीक भूमिका क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विकलांग बच्चों के पुनर्वास के संबंध में कभी कोई मूल्यांकन किया है; यदि हाँ, तो इस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और स्वयंसेवी ऐजेंसियों के साथ घनिष्ट सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देना चाहती है।

(ख) तथा (ग) विकलांग बच्चों की संख्या, उन की निर्योग्यताओं और पुनर्वास आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, सरकार ने विकलांग व्यक्तियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा की योजना ।

2. प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं शुरू करने के लिए "विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों को सहायता" की योजना ।

3. "नेत्रहीनों, बधिरों और अपंग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियों" की योजना के अन्तर्गत 9 वीं कक्षा से और आगे शिक्षा और इन-प्लांट प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती है ।

4. विकलांग को, जिनमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, सहायता यन्त्र और उपकरण मुक्त अथवा रियायती दरों पर, जो यदि विकलांग व्यक्ति आश्रित है तो उसके बालदेन/अभिभावक की आय पर निर्भर होगी, उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई जा रही है ।

5. बच्चे नेत्रहीनता को रोकने, पोषाहार सहायता, रोग प्रतिरोधन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी आते हैं ।

कम प्रतिशतता वाले राज्यों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि

*201. **श्री दलबीर सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई की राष्ट्रीय प्रतिशतता क्या है और राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में मध्य प्रदेश और शहडोल जिलों की सिंचाई प्रतिशतता कितनी है ।

(ख) जिन राज्यों की औसत प्रतिशतता राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में कम है और जिन जिलों की औसत प्रतिशतता राज्य की प्रतिशतता से कम है उनकी सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कोई विशेष नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों (1976-77) के अनुसार सिंचाई की अखिल भारत प्रतिशतता (सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र) 25.8 है । मध्य प्रदेश के आंकड़े 9.8 हैं । राज्यवार आँकड़े मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुए हैं । 1979-80 में अन्ततः क्षमता की तुलना में सृजित सकल सिंचित क्षमता की प्रतिशतता मध्य प्रदेश की 29.33 और देश की 49.95 है ।

(ख) और (ग) संविधान के अन्तर्गत सिंचाई राज्य-विषय है और सभी सिंचाई परियोजनाओं का अन्वेषण, आयोजन, क्रियान्वयन और वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके पास उपलब्ध समस्त आबंटनों से किया जाता है । किन्तु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि उन्हें छठी योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए ।

एशियाई खेल, 1982 के आयोजन पर होने वाला व्यय

*202. **श्री शतीश अग्रवाल : श्री के० मालना : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :,

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि उपरि-

पुलों सड़कों रेल लाइनों स्टेडियम आदि के निर्माण की लागत सहित एशियाई खेलों पर कुल लागत अब 700 करोड़ रु० से भी अधिक होगी;

(ख) यदि हाँ, तो जब सरकार ने इस कार्यक्रम की मंजूरी दी थी उस समय कितनी लागत आने का अनुमान था; और

(ग) क्या सरकार ने यह मालूम कर लिया है कि निवेश में यह वृद्धि कहाँ तक न्यायसंगत है और इसमें किस हद तक कमी की जा सकती है?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कृषि विस्तार कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

203. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने उड़ीसा राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम के लिए सहायता देते की पेशकश की थी; और

(ख) उक्त कार्यक्रम किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) यह योजना सम्पूर्ण राज्य के लिये है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी केवल अतिरिक्त कृषि निदेशक (विस्तार) को सौंपी है। परियोजना के अनुसार जिला सब-डिवीजनल के स्तर पर कृषि विस्तार स्टाफ तथा उनकी सहायता के लिए क्षेत्री आवश्यकताओं के अनुसार विषय वस्तु विशेषज्ञ मुहेय्या किये जाते हैं। नियन्त्रण सम्बन्धी एकरूपता के लिए ग्राम सेवकों को कृषि विभाए का अंग माना जाता है। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उनकी सेवाओं का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। और उन्हें नियमित रूप से रख लिया जाता है। 15 दिन में एक बार निश्चित समय पर ग्राम सेवक गावों का दौरा करते हैं और कृषकों को प्राद्योगिकी के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ग्राम सेवकों के कार्य क्षेत्र की सीमा घटा दी गयी है तथा इस योजना में दौरों की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

विवरण

उड़ीसा कृषि विकास परियोजना 1-7-1977 से लागू हुई है तथा इसके क्रियान्वयन की अवधि 5 वर्ष है जो जून 1982 में पूरी होनी है। इस परियोजना में, विस्तार सम्बन्धी कार्य प्रणाली, विस्तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ग्राम स्तर के कृषि कर्मचारियों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, व्यावहारिक अनुसंधान की व्यवस्था करना व कार्यकलापों का समन्वयन करना शामिल है।

इस परियोजना पर 5 वर्ष की अवधि में 36 करोड़ रुपये व्यय होगें तथा परियोजना के लिए विनियोग का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.	प्रथम वर्ष	8,29,30.000 रु०
2.	दूसरा वर्ष	1,2,02,80.000 रु०
3.	तीसरा वर्ष	7,94,40.000 रु०
4.	चौथा वर्ष	3,82,90.000 रु०
5.	पांचवां वर्ष	3,90,60.000 रु०
		36,00,00.000 रु०

1.	क्षेत्र	सम्पूर्ण राज्य (इसमें 30 कृषि जिले शामिल हैं)
2.	परियोजना के अन्तर्गत आने वाले कृषक परिवार	3400,000
3.	अन्तर्गत आने वाला शस्य क्षेत्र	6800,000 हैक्टार

4. स्टाफ स्थिति

(क)	ग्राम सेवक	5363 (कार्य कर रहे हैं)
(ख)	ए ई ओ	577 ,,
(ग)	ए डी ए ओ	58 ,,
(घ)	डी ए ओ	30 ,,
(ङ)	एस एम एस (जिला स्तर)	80 ,,
(च)	एस एम एस (रेन्ज स्तर)	65 ,,
(छ)	प्रशिक्षण अधिकारी	12 ,,

5. वाहन

ए ई ओ के लिए 700 मोटर साइकिलों में से 540 मोटर साइकिलें तथा ग्रामीण कृषि कर्मचारियों के लिए 2800 साइकिलों में से खरीदने के लिए ऋण दे दिया गया है।

जिला स्तर के विषय वस्तु विशेषज्ञों के लिए अपेक्षित 124 जीपों में से 113 जीपें तथा रेन्ज स्तर के एस एम एस के लिए अपेक्षित 13 पिक अप में से 8 पिक अप खरीद ली गई हैं। शेष 5 पिक अप इस वर्ष खरीदी जायेंगी।

6. व्यवहारिक अनुसंधान

स्थानीय परिस्थितियों के अन्तर्गत कृषि आर्थिक पद्धतियों, कृषि प्रणालियों तथा नई किस्मों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में 13 व्यावहारिक अनुसंधान फार्म स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान 12 व्यावहारिक अनुसंधान फार्मों में विभिन्न फसलों के बारे में 267 प्रयोग किये गये हैं। खरीफ 1980-81 के दौरान 494 प्रयोग किये गये हैं।

'नेफेड' द्वारा उत्तर प्रदेश से आलू की खरीद

204. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'नेफेड' पिछले अनेक वर्षों से उत्तर प्रदेश से आलू नहीं खरीद रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस ओर केन्द्र का ध्यान दिलाया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह मामला केन्द्र को कब भेजा गया था और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) यह सही नहीं है कि 'नेफेड' गत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश से आलू नहीं खरीद रहा है । वास्तव में 'नेफेड' 1975-76 से हर वर्ष उत्तर प्रदेश से कुछ मात्रा में आलू खरीद रहा है ।

(ख) से (ग) जी नहीं । भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा "बाल-आहार" तैयार किया जाना

*205. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम 'बाल-आहार' नामक पौष्टिक खाद्य तैयार करने की स्थिति में है;

(ख) क्या भारतीय साद्य निगम 'बाल-अहार' का उत्पादन वाणिज्यिक आहार पर करने के लिए तैयार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पौष्टिक खाद्य के उत्पादन के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में होने वाले विलम्ब सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम आहार कार्यक्रमों के अधीन केवल मुफ्त वितरण करने के लिए बालाहार का उत्पादन कर रहा था । उनका बालाहार का वाणिज्यिक आधार पर विपणन करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में पुराने मन्दिरों की मरम्मत

*206. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण के लिये कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल के कितने मन्दिरों को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत चुना गया है; और

(ग) क्या सरकार का विष्णुपुर (बांकुरा) पश्चिम बंगाल के मन्दिरों की मरम्मत तथा सड़कों के निर्माण के लिये धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल उन मन्दिरों रख रखाव तथा परिरक्षण के लिए निधि का आबंटन करता है जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये हैं।

(ख) संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित ऐसे मन्दिरों के स्थलों की संख्या 47 है।

(ग) मन्दिरों के परिरक्षण के लिए 67,000/-रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। सड़क बनाने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है।

दिल्ली में जल-मल से गैस तथा उर्वरकों का उत्पादन

1801. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में जल-मल से गैस उर्वरकों का उत्पादन करने की कोई योजना तैयार करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार हैं; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निपटान संस्थान द्वारा निर्मित अवमल को पहले ही खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ओखला मल निपटान संस्थान से घरों में प्रयोग के लिए 10,000 गैस कनैक्शन की योजना भी निर्धारित की जा रही है।

(ख) इस योजना का लगभग 14 महीनों में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) लगभग 129 लाख रुपये।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को स्व-नियोजन में प्रशिक्षण का लक्ष्य

1802. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों में ग्रामीण युवाओं को स्व-नियोजन में प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम चला रही है; और

(ख) यदि हां तो आन्ध्र प्रदेश वर्ष 1981 के दौरान ग्रामीण युवाओं को स्व-नियोजन

में प्रशिक्षण देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं तथा उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) जी हाँ। यह योजना ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती है।

प्रति खण्ड 40 ग्रामीण युवक की दर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में 324 खण्ड हैं अतः वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए 12,960 युवकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उड़ीसा में ग्रामीण युवाओं के स्व-नियोजन के प्रशिक्षण का लक्ष्य

1803. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्र राज्यों के ग्रामीण युवाओं को स्व-नियोजन में प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा में ग्रामीण वर्ष 1981 में युवाओं को स्व-नियोजन में प्रशिक्षण देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं और उसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है।

(ग) क्या अलग से कोई सहायता निधि बनाई गयी हैं जिसमें से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को अपने बिजिनेस की स्थापना करने हेतु सहायता दी जाएगी और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उड़ीसा में कितने युवाओं को यह प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है और कितने स्व-नियोजित हो चुके हैं ; और

(ड.) ये आँकडे अन्य राज्यों के आंकडों से किस प्रकार तुलनीय हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ। यह योजना ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) नाम से जानी जाती है।

(ख) 1980-81 के लिए राज्य सरकार द्वारा 5500 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1980-81 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई अथवा व्यापार को लागत के एक-तिहाई तक उपदान की व्यवस्था है जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में 3000/- रुपये होगी शेष धनराशी को संस्थागत वित्तदायी एजेंसियों से ऋण लेकर पूरा किया जाना है।

(घ) 1979-80 के दौरान, 258 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया था। 1980-81 के

दौरान 1126 युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 2070 युवक प्रशिक्षण पा रहे हैं। अब तक 585 युवक स्व-नियोजित हो गए हैं।

(ङ) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रगति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत राज्यवार प्रगति

राज्य	1979-80		1980 (दिसम्बर 1980 तक)		
	प्रशिक्षित	स्वनियोजित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षणाधीन	स्वनियोजित
1 2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	892	138	3033	7123	943
2. असम	134	—	—	1084	—
3. बिहार	506	107	243	982	21
4. गुजरात	40	—	10610	—	—
5. हरियाणा	1562	232	4066	32	—
6. हिमाचल प्रदेश	133	—	234	2090	—
7. जम्मू तथा काश्मीर	1979-80 के दौरान कार्यान्वित नहीं किया गया।				
8. कर्नाटक	1547	—	2020	—	—
9. केरल	119	—	420	—	—
10. मध्य प्रदेश	335	—	1497	4200	220
11. महाराष्ट्र	1202	—	349	—	—
12. मणिपुर	75	—	20	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—	—
14. नागालैंड	61	—	—	—	—
15. उड़ीसा	258	—	1126	2070	585
16. पंजाब	58	—	1405	1483	—
17. राजस्थान	—	—	4796	2902	1451
18. सिक्किम	15	—	10	—	—
19. तमिलनाडु	8164	2889	7062	—	4100
20 त्रिपुरा	530	—	—	2300	—
21. उत्तर प्रदेश	6218	575	1570	17626	1945
22. पश्चिम बंगाल	—	—	74	631	—

1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र					
23.	अन्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	15	16	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	7	—	—	—	—
25.	चंडीगढ़	—	—	31	—	—
26.	दादरा तथा नगर हवेली	कार्यान्वित नहीं किया गया				
27.	दिल्ली	66	5	98	—	21
28.	गोवा, दमन तथा दीव	—	—	—	750	—
29.	लक्षद्वीप	कार्यान्वित नहीं किया गया				
30.	मिजोरम	-यथोपरि-				
31.	पांडिचेरी	164	30	26	—	—
	अखिल भारत	22086	3958	38705	43289	9286

पंजाब हरियाणा जल विवाद

1804. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का पंजाब हरियाणा जल विवाद को शीघ्र हल हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 78 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 24 मार्च, 1976 को जारी किए गए आदेश से संबंधित मामलों पर पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने 1979 में उच्चतम न्यायलय में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। दोनों ही याचिकाएं उच्चतम न्यायलय में लम्बित पड़ी हुई हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों के मतभेदों को न्यायलय के बाहर आपसी बातचीत द्वारा हल करने के लिए दोनों राज्य सरकारों को सहायता देने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आदिवासी बोलीयों का विकास

1805. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटी भाषाओं और आदिवासी बोलियों का विकास करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां तो तो उडीसा की 'सनताल' 'मन्दिर' और 'ही' बोलियों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार की गई हैं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसके कब तक शुरू किये जाने की आशा हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति शीला कौल) (क) से (ङ) तक केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर आदिवासी भाषाओं के विकास उन्नयन कार्य में लगा हुआ है। संस्थान ने शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए सन्ताल बोली का अध्यन किया है। इसने मुन्दरी ग्रामर और फोनेटिक रीड़र प्रकाशित की है और मुन्दरी तथा हो से निकट संबंध रखने वाली भूमिज का वर्णन करते हुए प्रौड साक्षरता तैयार की है। संस्थान मुंदरी प्राइमर प्रयोग करने के लिए बिहार सरकार से पत्राचार कर रहा है इसके अलावा, भारत सरकार को भारतीय भाषाओं और भारत में प्रयोग की जाने वाली आदिवासी भाषाओं सहित अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने को एक योजना हैं।

पीने के पानी के लिए आसाम को वित्तीय सहायता

1906. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों पेय जल की योजना को क्रियान्वित करने के लिए आसाम को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिह) पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गाँवो को पेय जल मुहैया करने के लिए आसाम को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

1977-78	57.60 लाख रुपये
1978-79	149.57 लाख रुपये
1979-80	323.15 लाख रुपये

ग्रामीण क्षे त्रों में पेय जल पूर्ति योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिए असम को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई हैं। पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था राज्य प्लान में कीं जाती है। किन्तु, समस्याग्रस्त गावों को पेय जल मुहैया करने के लिए, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया हैं।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

1807. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा जो धनराशि दी गई है उसे किन परियोजनाओं के लिए उपयोग किये जाने का विचार है।

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) पश्चिम बंगाल के

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(रु० लाख में)

	कुल लागत	कुल ऋण सहायता राष्ट्रीय निधि से प्राप्त होने वाली राशि
(क) भूमि विकास तथा सिंचाई	1468	629
(ख) मात्स्यिकी विकास	210	92
(ग) सामाजिक वानिकी	35	17
(घ) कृषि विस्तार	4	2
(ङ) परियोजना अवस्थापना	571	282
(च) सहकारी समितियों को मदद (प्रारम्भिक संचयन सहित	25	10
(छ) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	13	8
(ज) प्रबंध सहायता	140	68
घटाएं : पहले ही किए गए व्यय	(100)	
योग (क) से (ज) तक	2366	1108
(झ) वास्तविक फुटकर खर्चे	324	364
(ट) मूल्य संबंधी आकस्मिक खर्चे	490	
	3180	1472

सूखा ग्रस्त राज्यों के लिये केन्द्रीय बोर्ड

1808. **श्री के० बी चौधरी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में लगातार सूखा पड़ने के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के बारे में कोई स्थाई हल निकालने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय बोर्ड बनाने का है; और

(ग) सरकार ने जिला बीजापुर में सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कोई क्या कार्रवाई पर्यावरण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री [illegible] (क) नगा-लाल सूखे के प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और काम को शुरू करने के लिए क्या कोई योजना शुरू की गई है, जिसके के अन्तर्गत क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया महत्वपूर्ण तथा कार्य आपके है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राहत कार्यों का कार्यान्वयन पूरी तौर से राज्य सरकार का दायित्व है, जिसको प्राकृतिक आपदा के दुष्प्रभाव रूप से सामने होने पर विशेष कार्यक्रम देकर सहायता की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने, जोधपुर में क्रम कार्यमुक्त नियोजन कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन और राहत प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी 1981 तक 145.00 लाख रुपये वितरित किए थे। इसके अलावा, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 1980 के अन्त तक लगभग 100.33 लाख रुपये व्यय किए गए थे।

एशियाई खेलों के लिये दूर संचार सुविधायें

1809. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में अगले वर्ष आयोजित की जाने वाली एशियाई खेलों के लिए उपलब्ध की जाने वाली आधुनिक दूर संचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर कितने पूंजीगत परिव्यय का अनुमान है;

(ग) क्या डाक-तर विभाग ने आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त एक्सचेंज लगाने एवं टेलेपिस कनेक्शन, एशियाई खेलों के विभिन्न कार्यालयों, स्टेडियमों तथा समितियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टेलीप्रिंटर सम्पर्क, आदि जैसी अन्य सुविधाएं देने के लिए किसी विशेष एजेन्सी की स्थापना की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका गठन क्या है और क्या इस दिशा में होने वाली दैनिक प्रगति पर नजर रखने हेतु कोई एजेन्सी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एशियाई खेल प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित, इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित एक्सचेंज, पट्टे पर लम्बी दूरी के ट्रंक सर्किट टेलेक्स लाईन, प्वाइंट-टू-प्वाइंट टेलीप्रिंटर संपर्क तारघर, तार सुविधा प्रसारण तथा ध्वनि प्रसारण सुविधा, दूर-दर्शन युक्त चैनल, रंगीन दूरदर्शन पारेषण जैसी कुछ संचार सुविधाएं एशियार्ड को दूरस्थ देशों को मानिटर कराने की योजना है।

(ख) एशियार्ड के लिए केबुलों पर 45 लाख रुपये तथा दूर दर्शन पारेषण एवं मानिटरिंग सुविधा पर 50 लाख रुपये की पूंजीगत परिव्यय होने की संभावना है। इसके अलावा, खेल ग्राम में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए 23 लाख रुपये लगाया जा रहा है जो बाद में वसूल किया जायेगा तथा पुनः इस्तेमाल किया जायेगा।

(ग) जी नहीं। डाक-तार विभाग स्वयं कार्य पूरा करेगा।

(घ) अधीनस्थ यूनिटों से प्राप्त पाक्षिक प्रगति रिपोर्टों से उच्चत्तम डाक-तार प्रशासन को कार्य की प्रगति मानीटर करने में सहायता मिलती है । इस प्रयोजन के लिए तथा इससे सबंधित मामलों के लिए मार्गदर्शन समिति ने संचार सचिव की अध्यक्षता में एक संचार समिति गठित की है ।

राज्यों को बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता

1810. **श्री के० प्रधानी :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजना में कुछ बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उडीसा की उन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या है जिनके लिए उपरोक्त अवधि के दौरान केन्दीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) उन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम एवं संख्या क्या है जिनको 1981-82 के दौरान आरम्भ किया जाना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते ।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

1811. **श्री आचार्य भगवान देव :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में, जिला-वार राजस्थान में कितने-कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) राजस्थान में, जिला-वार 31 दिसम्बर 1980 तक टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए टेलीफोन विभाग के पास कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ग) टेलीफोन रखने के इच्छुक इन व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) राजस्थान में 31.12.80 तक की जिलेवार प्रतीक्षासूची तथा 1980 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोद कनेक्शनों की जिलेवार विवरण संलग्न है ।

(ग) केवल निम्न प्रकार के कुछ आंशिक मामलों को छोड़कर 31.12 80 तक दर्ज आवेदकों को 1983-84 के अंत तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे ।

—एक्सचेंजों से दूर वाले अधिक लंबी दूरी के कनेक्शन

—कुछ बड़े स्थानों पर सामान्य श्रेणी के आवेदकों को यदि ओ वाई टी श्रेणी की अधिक मात्रा में नयी मांगें होगी।

विवरण

राजस्थान के प्रत्येक जिले में 31.12.80 तक की प्रतीक्षा सूची की तथा 1980 के दौरान प्रदान किये गये नये टेलीफोनों की विवरणी

क्रमांक	जिले का नाम	1980 के दौरान प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	31.12 80 तक प्रतीक्षा सूची
1.	अजमेर	219	1154
2.	अलवर	224	174
3.	भरतपुर	138	45
4.	बीकानेर	118	317
5.	बाड़मेर	167	42
6.	भीलवाड़ा	161	191
7.	बुन्डी	36	1
8.	बांसवाड़ा	34	2
9.	चुरु	207	34
10.	चित्तौड़गढ़	136	कुछ नहीं
11.	दुर्गापुर	35	1
12.	जयपुर	1019	4174
13.	झुनझूनु	95	27
14.	जैसलमेर	17	कुछ नहीं
15.	जोधपुर	469	1987
16.	जालौर	101	4
17.	झालवाड़ा	59	1
18.	कोटा	176	795
19.	नागौर	64	24
20.	सीकर	122	123
21.	सिरोही	71	6
22.	सवाई माधोपुर	71	29
23.	श्रीगंगानगर	379	317
24.	टोंक	46	7
25.	पाली	200	334
26.	उदयपुर	284	943
	योग	4648*	10732

*टिप्पणी :—कुल 4648 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये। तथापि लौटाये गए तथा काटे गये टेलीफोन कनेक्शनों के कारण 3701 कनेक्शन ही दिये गये।

संपत्तियों का पुर्नमूल्यन

1812. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद ने विभिन्न नगर पालिकाओं के अधीन सम्पत्तियों के प्रत्येक पांच वर्षों में बारी-बारी से पुनर्नमूल्यन करने के लिए हर राज्य में एक एजेन्सी की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह सुझाव विचाराधीन है ।

अम्बरनाथ के कंसई सेक्शन में डाक-घर खोलना

1813. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार मंत्री** अम्बरनाथ के कंसई सेक्शन में नया डाक-घर खोलने के बारे में 24 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बरनाथ (जिला थाना) के कंसाई सेक्शन में नया डाक घर खोलने के लिए उपयुक्त जगह प्राप्त करने की दिशा में गत तीन महीनों के दौरान सरकार ने सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) इस डाक-घर के कब तक खुल जाने की आशा है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) विभाग ने अम्बरनाथ नगर परिषद् के अध्यक्ष से डाकघर हेतु उपयुक्त स्थान देने का आग्रह किया है । तथापि विभाग के लिखित आग्रह का अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है । उपयुक्त भवन किराए पर लेने के अन्य प्रयास जारी हैं ।

(ख) और (ग) जैसे ही उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा डाकघर खोल दिया जायेगा ।

पटना के अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधियों की बैठक बुलाया जाना

1814. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये डाक और तार कर्मचारियों के मंजूर शुदा संघों/फैडेरेशनों के प्रतिनिधियों की प्रति माह बैठक बुलाने के लिये नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय तार घर पटना के अधीक्षक ने पिछले

नवम्बर से इस प्रकार की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया है जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष है;

(ग) यदि हाँ, तो बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पटना डिवीजनल यूनियन द्वारा इस संबंध में उन्हें कोई पत्र भेजा गया है;

(ड.) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) नियमों में निर्धारित अवधि पर मान्यता प्राप्त संघों/संघटनों के साथ बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था है किन्तु शर्त है कि ऐसी बैठकों को कार्य सूची नियत तारीख तक अग्रिम रूप में प्राप्त होनी चाहिये। यदि कार्य सूची प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी बैठकें आयोजित नहीं की जा सकतीं।

(ख) अखिल भारतीय तार यातायात तृतीय श्रेणी कर्मचारी मंडल संघ के अलावा केन्द्रीय तारघर, पटना के मुख्य अधीक्षक हर महीने सभी मंडल संघों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते रहे हैं। अक्तूबर से दिसम्बर, 1980 तक इस संघ की बैठकें नहीं हुई।

(ग) केन्द्रीय तारघर शाखा संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के मामले में एक विवाद उत्पन्न हुआ था जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय तारघर, पटना के मुख्य अधीक्षक को पदाधिकारियों की समान्तर सूचियाँ प्राप्त हुई थीं। विवाद का निपटारा दिसम्बर, 1980 में हुआ। बाद में 27-1-81 को एक बैठक हुई थी। बैठक की अगली तारीख 27-2-81 निर्धारित की गई है।

(घ) और (ङ) : उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) के तहत दिये गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

1980 के दौरान खोले गए शाखा डाकघर का लक्ष्य

1815. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में देश में नए शाखा डाकघर खोलने के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित था; और

(ख) नए शाखा डाकघर खोलने हेतु क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1980-81 के दौरान देश में 1600 नये शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

(ख) शाखा डाकघर खोलने के लिए अपनाये गए मानदंड विवरण दिए गए हैं।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और

(2) पहाड़ी, आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :

(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की सम्भावना हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गाँव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

2. पहाड़ी आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए अथवा ग्रामों के समूह की आबादी 1.5 किलोमीटर के घेरे में 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिये, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

3. उपर्युक्त के बावजूद भी पोस्ट मास्टर जनरलों को उक्त मानदंडों में से किसी के भी हर वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार (आन्तरिक वित्त

सलाहकार के परामर्श से) एतद् द्वारा दिया जाता है। लाभ ग्राही/प्रस्तावक को अपने क्षेत्र के मंडल अधीक्षक डाकघर से सम्पर्क करना होता है।

आई० बी० आर० डी० एड-वर्ल्डस पूअरेस्ट हार्डली ट्चड शीर्षक समाचार

1816. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 18 दिसम्बर 1980 के 'इकानामिक' टाइम्स में आई० बी० आर० डी० एड-वर्ल्ड्स पुअरेस्ट हार्ड्ली ट्चड शीर्षक समाचार की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि विश्व बैंक ऋण की शर्तों के अनुसार देश में डेयरी उपकरणों का भारी मात्रा में आयात बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से किया जा रहा हैं, जबकि इन उपकरणों का निर्माण अपने देश में हो रहा हैं ; और

(ग) इंड़ियन डेयरी कारपोरेशन द्वारा अपनी डेयरी मशीनों को बन्द किए जाने तथा स्टेनलेस स्टील बैरलों का न्युजिलैंड़ से आयात करने का क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से ऐसे डेयरी उपकरणों का भारी मात्रा में आयात नही किया जा रहा है जिनका विनिर्माण प्रायः देश में हो रहा हैं।

(ग) भारतीय डेयरी निगम द्वारा डेयरी मशीनों का यूनिट लगाने का प्रस्ताव मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पक्ष में त्याग दिया गया था, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्र कम्पनी हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठान समिति ने सुझाव दिया था कि पहले हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान यूनिटों के माध्यम से डेयरी उपकरणों के विनिर्माण की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए। मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने भी परियोजनाओं की क्रियान्वयन में रुचि ली। वे परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर चुके है।

रेल दुग्ध टैंकरों के बैरलों के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील के कुछ "इनर शैल्स" के आयात की अनुमति दी गई थी।

विकलांग अस्थि वाले व्यक्ति

1817. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि :-

(क) नियुक्ति के मामलों में विकलांग अस्थि वाले व्यक्तियों की आयु शैक्षिण योग्यता आदि सम्बधों में क्या क्या छूट दी जाती है; और

(ख) विकलांग व्यक्ति की परिभाषा क्या है।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमति शीला कौल) : (क) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाने वाले वर्ग 'ग' और 'घ' पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए

विकलांग अस्थि वाले व्यक्तियों के मामले में उच्च आयु सीमा में 10 वर्ष तक की ढ़ील दे दी गई है। शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में कोई ढील नहीं दी जाती है।

(ख) रोजगार में आरक्षण के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों को विकलांग अस्थि वाले व्यक्ति समझा जाता है जिन में कोई ऐसी शारीरिक कमी या विकृति होती है जिससे उनकी हड्डियों, पेशियों और जोडों के सामान्य संचालन में रुकावट होती है।

क्षेत्रीय भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें

1818. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें बनाने की योजना सन्तोषजनक ढ़ंग से कार्यान्वित नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक राज्य सरकारों के पास लगभग 6 करोड रु० के मूल्य की विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तकें जमा हो गई हैं।

(ग) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण है ;

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध की गई थी ;

(ड) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि में योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति शीला कौल) (क) से (ग) विभिन्न पुस्तक निर्माण एजेंसियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 30-9-1980 को लगभग 670 लाख रु० मूल्य की पुस्तकें उनके स्टाक में पड़ी हुई हैं। अनबिकी पुस्तकों के स्टाक के जमा हो जाने का मुख्य कारण क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में धीमी गति से परिवर्तन है।

(घ) **विवरण** संलग्न है।

(ड) 1979-80 से योजना में पहले ही संशोधन कर दिया गया है और योजना की प्रतियां भाग लेने वाली सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(च) योजना की प्रमुख विशेषताए इस प्रकार हैं :-

(1) योजना के अन्तर्गत केवल उसी अनुमोदित साहित्य को प्रकाशित किया जाएगा जिसका विश्वविद्यालय शिक्षा से सीधा संबंध हो।

(2) पाण्डुलिपियों को तैयार करने और उनके प्रकाशन से सम्बन्धित व्यय ही केन्द्रीय सहायता के लिए स्वीकार्य होगा। अन्य सभी व्यय सम्बद्ध राज्य सरकारों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के अपने संसाधनों द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) छठी योजना के दौरान उन राज्य सरकारों को नाम मात्र की सहायता दी जा जा सकेगी, जिन्हें 1,0 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके है।

विवरण

क्रम सं	राज्य	1979-80 तक दिए गए अनुदान
		(लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	102.00
2.	असम	102.00
3.	बिहार	77.26
4.	गुजरात	91.46
5.	हरियाणा	42,50
6.	कर्नाटक	102.00
7.	केरल	100.02
8.	मध्य प्रदेश	100.00
9.	महाराष्ट्र	87.08
10.	उड़ीसा	94.00
11.	पंजाब	65.00
12.	राजस्थान	57.00
13.	तमिलनाडु	100.00
14.	उत्तर प्रदेश	85.60
15.	पश्चिम बंगाल	37.33
		1243.25

संसद् सदस्यों की ओर बकाया मकान किराया

1819. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) संसद् सदस्यों की ओर कोठियों, स्वीटों, फ्लेटों आदि के किराये की कुल कितनी राशि आज तक बकाय है; और

(ख) इन संसद् सदस्यों के अवधिवार पृथक-पृथक नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सम्पदा निदेशालय के रिकार्ड के अनुसार संसद् सदस्यों पर 1-1-1981 की स्थिति के अनुसार, लाइसेन्स फीस, फर्नीचर, किराया आदि की 3,26,491,62 रुपये की राशि बकाया है।

(ख) सलग्न **विवरण-I** तथा II के अनुसार।

विवरण-I

1-1-1981 तक संसद् सदस्यों (लोक सभा) पर बकाया का विवरण

क्र० सं० (1)	संसद् सदस्य का नाम (2)	निवास स्थान (3)	अवधि (4)
	सर्वश्री		
1.	के० एम० मधुकर	16, नार्थ एवेन्यू	23-3-77 से 6-8-77 तक
2.	डी० पी० जडेजा	101-103, साऊथ एवेन्यू	23-3-77 से 19-7-77
3.	सी० वी० एम० तिवारी	15, नार्थ एवेन्यू	18-2-77 से 1-8-77
4.	सी० टी० दण्डपाणि	67, नार्थ एवेन्यू	1-4-77 से 19-4-77
	ए० —वही—	12. बी० डी० मार्ग	1-12-80 से 31-12-80
5.	सी०पी० शैलानी	3-5, नार्थ एवेन्यू	23-3-77 से 13-7-77
6.	आर० पी० यादव	20, नार्थ एवेन्यू	23-3-77 से 30-4-77
7.	सहोद्रा बाई राय	148, —वही—	23-3-77 से 24-4-77
8.	टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	24, साऊथ एवेन्यू	1-1-77 से 8-7-77
			9-5-78 से 30-11-78
9.	श्रीमती विद्यावति अतुर्वेदी	89, शाहजहाँ रोड	9-5-78 से 25-11-78
10.	जैनुल बशर	68, साऊथ एवेन्यू	11/80
11.	प्रो० के० के० तिवारी	54, साऊथ एवेन्यू	11/80
12.	शिव शरण वर्मा	96, —वही—	10/80
13.	ए० सी० दास	30, —वही—	12 80
14.	अमृत पटेल	64, —वही—और	12/80 और
		74, वैस्टर्न कोर्ट होस्टल	19-6-80 से 30-9-80
15.	वी० एन० शर्मा	122, साऊथ एवेन्यू	6-8-80 से 30-9-80 और 12/80
16.	बी० एन० शर्मा	39, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	1-9-80 से 31-12-80
	वी० एन० शर्मा	59, —वही—	12/80
17.	वी० वी देसाई	20, —वही—	14-3-80 से 30-9-80 और 12/80
18.	एच० के० एल० भगत	51, —वही—	10-10-80 से 31-12-80
	श्रीमती कृष्णा सहाय	55-57, नार्थ एवेन्यू	11-3-80 से 31-8-80
19.	गुलाम एम० खान	177, नार्थएवेन्यू	1-4-80 से 30-4-80
20.	डा० करूपसिंधाबोई	6, विण्डसर प्लेस	12/80

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	आर० सी० रथ	सी० 1/39, पण्डारा पार्क	29-10-80 से 31-12-80
22.	चन्द्रजीत यादव	सी० 1/21, हुमायूं रोड	1-5-80 से 31-12-80
23.	एन० के० सोलंकी	23, डी० आई० जेड एरिया	13-3-80 से 3-9-80
24.	अरविन्द नेताम	24, -वही-	23-3-80 से 27-9-80
25.	गुलाम नबी आजाद	37, -वही-	8-3-80 से 1-5-80
26.	छोटे लाल ऊके	48, -वही-	9-4-80 से 13-7-80
27.	गुफरां आजम	55, -वही-	21-3-80 से 16-5-80
28.	रामेश्वर निकरा	57, -वही-	14-3-80 से 14-5-80
29.	चन्द्रशेखर	3, साऊट एवेन्यू और 3, एस०ए० लेन, वी०-11, 44, एम० बाग	12/80 5/77 से 6-11-80
30.	के० लकप्पा	1, बी०डी० मार्ग -वही-	12/80 1/80 से 10/80
31.	कमलापति त्रिपाठी	9, जनपथ	24-4-77/31-10-79
32.	रवीन्द्र वर्मा	12, अकबर रोड और 9, विण्डसर प्लेस	4/77 से 31.1-80
33.	मधु दण्डवते	8, के० एम० मार्ग और 10, अशोक रोड	4/78 से 3/80
34.	जार्ज फर्नान्डीज	9, एम० एल० एन० मार्ग	9/79 से 3/80
35.	ए० बी० वाजपेयी	7, सफदरजंग रोड	4/77 से 8/79
36.	डी० एल० मण्डल	6, जनपथ	4/77 से 8/80
37.	बीजू पटनायक	5, रेस कोर्स रोड	4/79 से 4-2-80
38.	राम किंकर	10, के० एम० मार्ग	4/77 से 8/80
39.	के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	11, फिरोजशाह रोड और सर्वेंट क्वार्टर 47, वी. पी. हाऊस	77-78 से 10-1-80 9/80
40.	ए० के० सेन	9, रायसीना रोड	2/77 से 4/77
41.	जितेन्द्र प्रसाद	सी०-1/20, पण्डारा रोड	2/77 से 3/77
42.	के० पी० ऊनी कृष्णन	सी०-11/30, तिलक मार्ग	11/79 से 8/80
43.	वाई० वी० चव्हाण	1, रेस कोर्स रोड	7/79
44.	एम० एल० सुखाड़िया	3, सुनेहरी बाग रोड	3/80
45.	आर० वाई० घुरपड़े	14, तुगलक रोड	3/80
46.	ज्योतिर्मय बसु	15, तालकटोरा रोड	11/79 से 2/80
47.	समरमुखर्जी	4, अशोक रोड	5/78 से 3/80
48.	जगन्नाथ राव	3, मोतीलाल नेहरू प्लेस	10/80 से 12/80
49.	देवी लाल	11, तीन मूर्ति लेन	10/80

(1)	(2)	(3)	(4)
50.	एम० एच० खान	20, विण्डसर प्लेस	10/77 से 2/80
51.	जयदीप सिंह बारिया	17, तीन मूर्ति मार्ग	10/80
52.	सज्जन कुमार	48, बी०, हैवलाक स्कवेयर	7/80 से 12/80
53.	कमलनाथ	7, तुगलक रोड	7/80 से 9/80
54.	बी० आर० नहाटा	सी०-1/14, लोधी गार्डन	10/80 से 12/80
55.	गदा धर शाह	14, अशोक रोड	8/79-1-1-79
		215, 216. 217 वी० पी० हाऊस	
56.	पी० पार्थासार्थी	1, जन्तर मन्तर रोड	1/77 से 2/80
57.	एस० एम० सिन्हा	21, अकबर रोड़	1/77 से 2/80
58.	राम गोपाल रेड्डी	7, अशोक रोड	3/77 से 2/80
59.	दरूरपुलाह	डी०-16, शाहजहाँ रोड	8/79 से 12-4-80
60.	बेगुन सम्बुरी	9, पं० पन्त मार्ग	8/79 से 2/80
61.	शरदिस राय	13, विट्ठल भाई पटेल हाऊस	4/77 और 8/79 से
		422, -वही-	11/79—8/79 से 11/79
62.	विजयकुमार एन० पटेल	103, वी० पी० हाऊस	8/79 से 11/79 और 6/80
		103, -वही-	8/79 से 11/79
		104, -वही-	8/79 से 9/79
63.	गिरधर गोमांगो	108, -वही-	4/77 और 8/79 से 11/79
		306, -वही-	4/77, 11/77, 6/79 और 8/79 से 9/79
64.	दयाराम शाक्य	211, 213 वी० पी० हाऊस	8/79 से 11/79
			8/79 से 11/79
65.	पी० के० कोड़ियन	313, 312, 324 -वही-	5/77, 8/79 से 11/79
			8/79, 8/79 से 11/79 और 11/80
66.	रेणुपदा दास	314, -वही-	8/79 से 11/79
		412, -वही-	8/79 से 11/79
67.	एस० वी० थोरथ	318, -वही-	8/79 से 11/79
		514, -वही-	8/79 से 9/79
		111, -वही-	8/79 से 11/79
		112, -वही-	10/79 से 11/79
		505, -वही-	9/78
68.	मुकुन्द मण्डल	323, -वही-	8/79 से 11/79
		510, -वही-	8/79 से 11/79
69.	ए० के० शाह	421, -वही-	8/79 से 11/79
		503, -वही-	8/79

(1)	(2)	(3)	(4)
70.	वी० जी० गोस्वामी	501, -वही-	4/77 और 8/79 से 11/79
		502, -वही-	-वही-
		511, -वही-	8/79 से 11/79
71.	ए० के० राय	512, -वही-	6/79 और 8/79 से 11/79
72.	रीत लाल प्रसाद वर्मा	37, सर्वेन्ट क्वार्टर, वी०पी० हाऊस	8/79
73.	जी० एस० कूचन	202, वी० पी० हाऊस	11/80
		515, -वही-	11/80
74.	धर्मराज सिंह	9, -वही-	6/80
75.	श्रीमती विद्याचेन्नुपति	101, -वही-	9-1-80 से 22-3-80
76.	एन० सी० पराशर	116, -वही-	21-1-80 से 26-2-80
77.	जमीलुर रहमान	210, -वही-	11-1-80 से 2-4-80
78.	रासबिहारी बहरा	224, -वही-	6/80 और 7/80
79.	एच० एन० एन० गोवादा	306, -वही-	6/80
80.	मृत्युन्जय नायक	403, -वही-	7/80
81.	छुंगर राम	402, वी० पी० हाऊस	5/80, 8/80, 9/80
82.	कृष्ण प्रताप सिंह	524, -वही-	6/80 और
		508, -वही-	9/80, 10/80
83.	आर० एस० शाक्य	516, -वही-	5/80 से 8/80
		522, -वही-	6/80 से 9/80
84.	सुनील मैत्रा	224, -वही-	11/80
85.	एच० के० शास्त्री	मोटर गैराज 12, वी. पी. हाऊस	9/80 और 11/80
86.	माधव राव सिन्धिया	ए० बी०-7, तिलक मार्ग	1-1-77 से 5-6-80
87.	एन० आर० मिरधा	40, केनिंग लेन	12/80

विवरण-II

1-1-1981 तक संसद् सदस्यों (वर्तमान राज्य सभा) पर बकाया का विवरण

क्र० सं०	संसद् सदस्य का नाम	निवास स्थान	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
	सर्वश्री		
1.	पी० एल० कुरील	14-सी, फिरोजशाह रोड	1-3-66 से 7-12-66
2.	कुमारी सरोज खापर्डे	15, 16, 17, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	1-5-77 से 19-5-75
3.	जे० के० पी० एन० सिंह	12, बी० डी० मार्ग	1-3-70 से 6-4-70
		5, सफदरजंग लेन	7/80
4.	एस० एस० महापात्रा	38, 39, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	6-4-74 से 30-6-74
		29, केनिंग लेन	1-1-78 से 21-3-78

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	राम भगत पासवान	105, साऊथ एवेन्यू	1-1-77 से 9-4-77
6.	जी० एस० तोहड़ा	47-49, -वही-	1-12-79 से 16-12-79
		25, -वही-	8/80
7.	आर० मोहनरंगम	10, बी० डी० मार्ग	1-1-80 से 16-3-80
8.	सच्चिदानन्द	42, मीना बाग	18-7-80 से 19-7-80
9.	डा०(कु०) नाजमा हेपतुल्ला	14, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	12/80
10.	डा० एच० के० मलिक	42-43, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	15-5-80 से 54-9-80
		और 16 सी०, फिरोजशाह रोड	27-11-80 से 3-12-80
11.	एम० सी० भण्डारे	62, 63, 64, 65, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	1-11-80 से 31-12-80
12.	एम० आर० कृष्ण	95, नार्थ एवेन्यू	1-12-80 से 31-12-80
13.	बी० पी० मौर्य	11, अकबर रोड	4/73 से 7-8-77
14.	एल० के० अडवानी	सी०-1/5-6, पण्डारा पार्क	4/79 से 6/79
15.	आर० के० सिन्हा	16, अशोक रोड	4/79 से 1/80
16.	भानु प्रताप सिंह	22, अकबर रोड	4/77 से 3/80
17.	एम० आर० कृष्ण	4, कुशक रोड	72-73
18.	सराह शेजियाँ	12, एलन बाई रोड	1/77 से 6/77
19.	डी० एन० सहाय	3, कुशक रोड	8/78
20.	स्वरूप सिंह	21, विलंग्डन क्रेसेन्ट	9/78
21.	बी० एन० पाण्डे	13, जी०, आर० जी० रोड	4/80
22.	दिनेश सिंह	1, त्यागराज मार्ग	12/80
23.	सतपाल मित्तल	33, लोधी इस्टेट	1/80
24.	बी० सत्य नारायण रेड्डी	सी०-1/18, हुमायूं रोड	7/79
25.	जगदीश चन्द्र भट्टाचार्य	6, बी० पी० हाऊस	11-1-80 से 28-3-80
26.	श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय	113, -वही-	3/80
		518, -वही-	6/79
27.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	118, बी० बी० हाऊस	12/80
		301, वही-	7/78, 8/78, 11/78
28.	जी० पी० माथुर	122, -वही-	8/80 1 /80
		123, -वही-	8/80
		124, -वही-	8/80
29.	पी० डी० यादव	204, 207, -वही-	10/80
30.	सैयद रहमत अली	6, -वही-	9/80
31.	श्रीमती इला भट्टाचार्य	504, -वही-	10/80
		120, -वही-	10/80

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	पी० एल० खण्डेलवाल	123, -वही-	8/.0
33.	डा० माल्कोमसथियननाथन आदिशेशैया	31, सर्वेंट क्वार्ट -वही-	10/80

गोआ, दमन और दीव में अध्यापको को सेलेकशन ग्रेड

1820. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को दिए जाने वाले सलेकशन ग्रेडों के बारे में अध्यापकों की बीच मतवैविध्य है; और

(ख) यदि हां, तो इन अन्तरों को दूर करने तथा इस समस्या का समाधान निकाकने के लिए और अध्यापकों की अधिकतम सहमति प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) (क) जी, हाँ।

(ख) मामला विचाराधीन है।

उड़ीसा में ग्राम सड़कों का निर्माण करना तथा उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना

1821. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाली ग्राम सड़कों का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कुार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा के मयुरभंज जिले की बनाई गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से जोड़ी गई ग्राम सड़कों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि तथा ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

मछली का उत्पादन

1822. **श्री मुकुंद मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में मछली के (अन्तर्देशीय एवं समुद्री) उत्पादन के राज्यवार आँकड़े क्या हैं,

(ख) मछली के निर्यात का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या वित्तीय कदम उठाये गये हैं ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) यह सूचना **विवरण 1 और 2** में दी गयी है ।

(ख) भारत से प्रमुख देशों को निर्यात की गई मछलियों के बारे में सूचना विवरण 3 में दी गई है ।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में दो योजनायें शामिल की गई हैं, जो मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता सम्बन्धी उपायों के रूप में हैं । ये योजनाएँ निम्नलिखित हैं :—

(1) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से गहन समुद्रीय मत्स्यन जलयानों की प्राप्ति के लिए आसान शर्तों पर ऋण देना ।

(2) मत्स्य-पालक विकास एजेन्सी के माध्यम से राज सहायता तथा ऋण देना ।

तथापि, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भी ऋण देने की अनेक योजनाएं हैं ।

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम भी ऋण देने के लिए पुनर्वित्त की सुविधायें प्रदान करता है ।

विवरण

1977 से 1979 तक के वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय मछली उत्पादन

(मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977	1978	1979 (पी)
1. आन्ध्र प्रदेश	119013	119850	116566
2. असम	42700	41126	40880
3. बिहार	62996	65934	71063
4. गुजरात	15529	11183	14115
5. हरियाणा	1550	2994	10088
6. हिमाचल प्रदेश	1580	2180	2190
7. जम्मू और कश्मीर	7439	7343	8212
8. कर्नाटक	36000	40000	40000
9. केरल	23978	24366	24230
10. मध्य प्रदेश	10500	11000	12000
11. महाराष्ट्र	21027	22027	23850
12. मणीपुर	2250	2500	3000
13. मेघालय	1196	1239	1239

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977	1978	1979 (पी)
14. नागालैंड	193	200	300
15. उड़ीसा	28000	29000	21000
16. पंजाब	2400	2500	12500
17. राजस्थान	11500	12500	2600
18. सिक्किम	100	150	165
19. तमिलनाडु	150000	160000	160000
20. त्रिपुरा	4642	5200	6005
21. उत्तर प्रदेश	29300	30000	31800
22. पश्चिम बंगाल	288000	221000	232000
योग राज्य	859896	811586	843803
23. अन्डमान	...	...	...
24. अरुणाचल प्रदेश	300	360	410
25. चन्डीगढ़	200	215	350
26. दिल्ली	500	600	800
27. गोवा	1332	1759	1472
28. लक्षद्वीप	...	...	...
29. मिजोरम	572	680	710
30. पांडिचेरी	629	1252	978
31. दादरा तथा नगर हवेली	...	...	...
योग संघ शासित क्षेत्र	3533	4866	4740
कुल योग	863429	816452	848543

(पी) अनन्तिम स्रोत : राज्य सरकार

विवरण

1977 से 1979 तक के वर्षों के दौरान समुद्री मछली का उत्पादन

(मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977	1978	1979 (पी)
1. आंध्र प्रदेश	1,00,756	82,116	91,182
2. गुजरात	2,31,262	2,07,427	2,03,436
3. कर्नाटक	1,07,016	1,62,812	2,02,813
4. केरल	3,45,037	3,73,339	3,30,450
5. महाराष्ट्र	3,52,318	2,97,406	3,10,589
6. उड़ीसा	38,000	32,000	32,000
7. तमिलनाडु	2,05,058	2,10,316	2,06,956
8. पश्चिम बंगाल	17,000	70,000	60,000
योग (राज्य)	13,86,447	14,35,416	14,37,426

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977	1978	1979 (पी)
9. अण्डमान	1,499	1,535	1,721
10. गोआ	46,998	37,253	38,683
11. लक्षद्वीप	2,214	2,780	3,846
12. पांडिचेरी	61,993	54,271	57,429
कुल योग	14,48,440	14,89,687	14,94 855

(पी) अनन्तिम

स्रोत :—राज्य सरकारें

विवरण

देशवार भारतय समुद्री उत्पादों का निर्यात
1978-1980

मात्रा मीटरी टन में
मूल्य लाख रुपयों में

देश	1980		1979		1978	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. जापान	37259	15254.49	38121	17876 62	33885	14157.50
2. अमरीका	7715	2036.78	14621	4019.59	178.40	3856.53
3. कुवेत	5756	863 47	2270	253 86	2797	278.35
4. नीदरलैंड	3033	831.81	2338	690.56	1196	250.05
5. फ्रांस	2394	589.15	3620	826.23	5632	1163.16
6. यू० के०	1741	579.52	1526	575.75	370	118.06
7. बेलजियम	1168	241.45	537	172.56	413	116.14
8. यू० ए० ई०	1839	225.05	544	51.02	379	47.18
9. सिंगापुर	378	203.78	980	213 41	1325	193.49
10. आस्ट्रेलिया	482	192.37	488	229.14	306	99.12
11. श्री लंका	4076	187.62	3387	150.21	5935	284.32
12. हाँग काँग	270	159.22	233	78.37	484	210.64
13. इटली	408	80.48	101	4.32	60	15.37
14. ग्रीस	449	77.32	नगण्य	0.01	1	0.35
15. थाईलैंड	4284	77.18	20534	7.3304	5288	193.35
16. स्पेन	435	76.85	389	51.30	139	20.04
17. पश्चिम जर्मनी	113	31.19	379	97.88	102	34.94
18. अन्य देश	2242	179.73	2116	178.75	1794	177.15
योग	74542	21887.56	92184	26202.92	77946	21215.74

स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

आदिवासी और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में कालिजों के लिए विकास अनुदान

1823. **श्री गिरिधारी गोमांगो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आदिवासी और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में स्थित कालेजों के विकास के लिए विकास अनुदान की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अनुदान के लिए अब तक विश्वविद्यालय ने ऐसे किन-किन कालेजों का नाम सुझाया है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) वर्ष 1978-80 और 1980-81 में किन-किन कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हुआ है और किन-किन प्रयोजनों के लिए तथा कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा के अन्तर्गत कालेजों के लिए वर्ष 1981-82 का अनुदान संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) बरहामपुर विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित कालेजों की सिफारिश की थी :

1. डी० ए० वी० कालेज, कोरापुट
2. रायगाड़ा कालेज, रायगाड़ा
3. राजकीय विज्ञान कालेज, फुलबनी
4. विक्रम देब कालेज, जैपोर
5. गुनुपुर कालेज, गुनुपुर
6. नवरंगपुर कालेज, नवरंगपुर

बरहामपुर विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए उन कालेजों के नाम, जिनके लिए आयोग द्वारा सहायता दी थी, तथा दी गई सहायता के ब्यौरे इस प्रकार है :—

कालेज का नाम	सहायता का प्रयोजन	तक दिए गए अनुदान 1978-79	1979-80	1980-81
		रु०	रु०	रु०
1. डी० ए० वी कालेज, कोरापुट	(क) पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	30,000	25,000	—
	(ख) उपकरण	40,000	25,000	—
2. रायगाड़ा कालेज,	(क) पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	45,000	—	3,621.00

कालेज का नाम	सहायता का प्रयोजन	तक दिए गए अनुदान 1978-79	1979-80	1980-81
रायगाड़ा	(ख) शिक्षक अधिछात्रवृत्तियां	—	—	9393.65
3. राजकीय विज्ञान कालेज, फुलबनी	(क) पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	65,000	20,000	—
	(ख) उपकरण	85,000	20,000	—
4. बिक्रम देब कालेज, जैपोर	(क) पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	—	20,000	17,500.00
	(ख) उपकरण	30,000	—	20,000.00
	(ग) कार्यशाला का निर्माण तथा कार्यशाला उपकरण की खरीद	50,000	—	5,000.00
	(घ) शिक्षक अधिछात्रवृत्तियां	—	—	5,534.00
	(ङ) छात्रावास सुविधाओं का सुधार	—	—	6,000.00

(घ) संशोधित छठी योजना का अन्तिम निर्णय होने तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों के विकास सम्बन्धी नए प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रहा है। ऐसे प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए छठी योजना की मार्गदर्शी रूप रेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने पर मांगे जाएंगे।

खादी भवन, नई दिल्ली द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं की खरीद का ढंग

1824. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भवन, नई दिल्ली हस्तशिल्प को निर्माणकर्त्ताओं अथवा सहकारी समितियों से न खरीदकर, सीधे ही गैर-सरकारी फर्मों से मनमाने मूल्यों पर खरीदते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दस्तकारों अथवा सहकारी समितियों से सीधे ही माल की खरीद और बिक्री करने के किन्हीं उपायों को खोजने का है, ताकि बिचौलिए से छुटकारा पाया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा रेशे, बैंत और बांस की बनी हुई हस्तशिल्प की वस्तुएँ, जो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र में आती हैं, ग्रामोद्योगों की अन्य मदों के समान ही सहकारी और पंजीकृत संस्थाओं आदि से खरीदी जाती हैं। तथापि, चूंकि कुछ अन्य हस्तशिल्प की वस्तुओं, जो खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादित नहीं की जाती हैं, के लिए मांग होती है, अतः इन्हें हस्तशिल्प का विनिर्माण अथवा व्यापार करने वाली फर्मों और यथा-

संभव कारीगरों से भी खरीदा जाता है। वस्तुओं की खरीद करते समय क्वालिटी एवं मौजूदा बाजार भावों का उचित ध्यान रखा जाता है।

उड़ीसा में अस्टारंग स्थान पर "फिशिंग हार्बर"

1825. **श्री नारायण साहू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला पुरी (उड़ीसा) में अस्टारंग स्थान पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रेट ब्रिटेन अस्टारंग में मछली पकड़ने की परियोजना में धन लगाने तथा सहयोग देने का इच्छुक है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा प्रस्ताव का जायजा लिया गया है।

(घ) निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए धन की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए भवन निर्माण अग्रिम की ग्राह्यता

1826. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन के बारे में 15 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3830 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 439 लोगों में से जिन्होंने मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के आबंटन के लिए 1972 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने नाम पंजीकृत कराए थे परन्तु जिन्हें अभी तक फ्लैट आबंटित नहीं किये गए हैं सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी इन फ्लैटों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने तथा सीमा तक सरकार से ऋण प्राप्त करने के हकदार न होने के कारण अब इन फ्लैटों के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि वे रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लाटों के आबंटन हेतु विकल्प देते हैं, तो क्या उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन सरकारी कर्मचारियों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है जिन्होंने डी० डी० ए० के फ्लैटों के लिए आवेदन किया है। किन्तु, 439 पंजीकृत व्यक्तियों में से, 384 व्यक्तियों को फ्लैटों का आबटन किया जा चुका है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों का स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम एक सीमित केन्द्रीय सहायता है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें यह भी आशा है कि स्वयं अपनी बचत एवं अन्य स्रोतों से इसे पूरा किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चन्द्रपुर डाक मंडल के लिए निर्माण कार्यक्रम

1827. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक कार्यालय अधीक्षक चन्द्रपुर ने चन्द्रपुर डाक मंडल के लिए निर्माण कार्यक्रम के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने, भवन निर्माण, पोस्टल डिलीवरी सुविधाओं और स्टाफ क्वाटरों के बारे में क्या कदम उठाए है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) महाराष्ट्र सर्किल, बम्बई के पोस्टमास्टर जनरल ने 1980 85 के लिए योजना कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभी मंडल अधीक्षकों से सूचना मांगी है। अन्य डाकघर अधीक्षकों के समान, डाकघर अधीक्षक चन्द्रपुर ने भी उपर्युक्त पत्र के उत्तर में अपनी रिपोर्ट भेज दी है। डाकघर अधीक्षक, चन्द्रपुर डाक मंडल ने अलग से कोई निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) वर्ष 1980 के दौरान चन्द्रपुर डाक मंडल के लिए 1 निम्न चयन ग्रेड, 14 समयमान लिपिक, 4 पोस्टमैन तथा 2 डाक ओवरसियर मंजूर किए गए। गाडचिरोली तथा राजूरा मानिकगढ़ में डाकघर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। यह प्रस्ताव है कि ब्रह्मपुरी डाकघर भवन का विस्तार किया जाए तथा वारोरा डाकघर भवन का पुनः निर्माण किया जाए। गाडचिरोली में 7 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। चन्द्रपुर मंडल में दैनिक वितरण सेवा पहले ही उपलब्ध है। चन्द्रपुर मंडल में दैनिक वितरण सेवा को और अधिक कारगर बनाने के लिये 1979-80 में विभागेत्तर वितरण एजेंटों के 75 पदों तथा 1980-81 में 17 पदों का सृजन किया गया।

चिमनियों से बहुत अधिक धुएँ को कम करने के लिए इलेक्ट्रो-प्रेसीपिटेटर्स की स्थापना

1828. **श्री जी० वाई० कृष्णन : श्री गुफरान आजम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रो-प्रेसीपिटेटर्स की स्थापना करके राजधानी में चिमनियों से निकलने वाले अत्यधिक धुएँ को कम करने के प्रयोजन से कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इन्द्रप्रस्थ स्टेशन से होने वाले वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए इलैक्ट्रो-स्टेटिक अवक्षेपकों की यूनिट नं० 1 में व्यवस्था की गई है । दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने 2 से 5 यूनिटों के स्थिर विद्युत अवक्षेपकों के सुधारने तथा यूनिट नं० 5 के लिए नवीन अवक्षेपक के लिए मांग-आदेश दे दिए है ।

जहाँ तक, प्राकृतिक वात प्रवाही छोटे बोइलरों तथा मैकेनिकल वायु प्रवाह साज-सज्जा से सज्जित चल चेन जाली बाइलरों की चिमनियों का सम्बन्ध है, स्थिर विद्यु अवक्षेपकों का लगाना न तो मितव्ययी है और न ही अपेक्षित है ।

व्यायाम शिक्षक, कला अध्यापक और गृह विज्ञान अध्यापकों के वेतनमान

1829. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त कनिष्ठ व्यायाम शिक्षक, कनिष्ठ कला अध्यापक और कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापक कुछ समय पहले तक 425-15-560-20-640 रुपये के वेतनमान में काम कर रहे थे;

(ख) क्या सरकार द्वारा केवल कनिष्ठ कला अध्यापकों को तो 440-20 500-25-750 रुपये का वेतनमान दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों को उक्त वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) सीनियर और जूनियर ड्राइंग अध्यापकों की शैक्षिक अर्हताएँ वही हैं, सिवाय इसके कि सीनियर ड्राइंग अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव निर्धारित किया गया है । क्योंकि शैक्षिक अर्हताओं में कोई भिन्नता नहीं है, यह निर्णय किया गया था कि ग्रेड 3 के ड्राइंग अध्यापक (जूनियर ड्राइंग अध्यापक) को इस शर्त पर ग्रेड 2 (सीनियर ड्राइंग अध्यापक) में लाया जाए कि ग्रेड 3 के विद्यमान अध्यापकों को ग्रेड 2 के वेतनमान में केवल तभी लाया जाएगा जब वे 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लें । ग्रेड 2 में लाये गये व्यक्तियों की कुल संख्या ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में संस्वीकृत पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी और ग्रेड 3 के पदों पर आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी ।

तथापि, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों तथा गृह-विज्ञान अध्यापकों के मामले में, जूनियर और सीनियर वेतनमानों में निर्धारित मूल शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताएँ भिन्न-भिन्न हैं । अतः इन वर्गों के जूनियर वेतनमानों के अध्यापकों को सीनियर वेतनमानों में लाना सम्भव नहीं हुआ है ।

राजस्थान नहर की पूर्ति के लिए सहायता

1830. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर की पूर्ति के लिए और आगे कोई विश्व बैंक सहायता अथवा कोई अन्य विदेशी सहायता की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राजस्थान नहर परियोजना चरण-एक अथवा चरण-दो के लिए इस समय कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। किन्तु राजस्थान नहर अयाकट विकास परियोजना के चरण-एक फेज-एक को विश्व बैंक से 83 मिलियन डालर की ऋण सहायता मिल रही है। राजस्थान अयाकट विकास परियोजना के चरण-एक फेज-दो को भी अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से 55 मिलियन डालर की ऋण सहायता मिल रही है। राजस्थान नहर परियोजना चरण-दो को पूरा करने के लिए अन्य द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं

1831. **श्री केयूर भूषण** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ, पाइरी, अरपा, अगर, इन्द्रावती आदि नदियों में यद्यपि पर्याप्त जल बहता है, तथापि इस क्षेत्र का पिछले 15-20 वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएँ आरम्भ करने का है और क्या चालू सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 7 जिले, नामशः रायपुर, दुर्ग, राजनन्द गांव बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं। इस क्षेत्र के किसी भी जिले को सूखाग्रस्त अथवा सूखा-प्रवण क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, यद्यपि इस क्षेत्र में कभी-कभी सूखे की स्थिति हो जाती है। इस क्षेत्र को लाभ पहुँचाने वाली कई सिंचाई स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। इस क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में भी नई स्कीमों का प्रस्ताव किया है।

इस क्षेत्र में निर्माणाधीन और प्रस्तावित स्कीमों की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

सरकार की नीति हमेशा सभी निर्माणाधीन सिंचाई स्कीमों को शीघ्रता से पूरी करने की रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विभिन्न जिलों को लाभ पहुंचाने वाली निर्माणाधीन/प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएँ

(लाख रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभान्वित जिला	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	अन्ततः क्षमता (हजार हैक्टेयर)
1.	2.	3.	4.	5.
क—निर्माणाधीन स्कीमें				
बृहद स्कीमें				
1.	एम० आर० पी०, चरण-एक	रायपुर	4,500	24
	एम० आर० पी०, चरण-दो	रायपुर दुर्ग	12,460	113
2.	हंसदेव बाँगो	रायगढ़ बिलासपुर	24,520	167
3.	हंसदेव आर० बी० सी०	बिलासपुर	1,433	42
4.	अप	बिलासपुर	6189	72
5.	पैड़ी	रायपुर	13,66	73
6.	कोदार	-वही-	633	18
7.	जोंक	-वही-	830	15
मध्यम स्कीमें				
1.	पुतका	रायगढ़	120	2
2.	किकरी	रायगढ़	181	5
3.	बालर	रायगढ़	477	7
4.	मंड डिवीजन	रायगढ़	606	16
5.	बिलासपुर डिवीजन	बिलासपुर	390	4
6.	झिरमका	सरगुजा	374	3
7.	बंकी	-वही-	323	4
8.	घोंगा	बिलासपुर	436	8
9.	उदंती	रायपुर	1,205	15
10.	घुंघुटा	सरगुजा	730	12

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभाविन्वत जिला	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	(लाख रुपये/हजार हैक्टेयर) अन्तत: क्षमता (हजार हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
ख—नई स्कीमें				
	बृहद			
1.	हप (सिंचाई)	बिलासपुर	6,370	41
2.	रेहड़	सरगुजा	2,600	33
3.	कन्हर	सरगुजा	2,800	58
4.	कारमल जलाशय	रायपुर	782	65
5.	खुटपाली	सरगुजा	1,500	31
6.	मरवाही	बिलासपुर	1,800	22
	मध्यम स्कीमें			
1.	छिरापानी	राजनन्द गाँव	560	7
2.	कासरटेडा	बस्तर	601	10
3.	गज-टेंक	सरगुजा	520	4
4.	बिरानी-टेंक	सरगुजा	260	2
5.	रामपुर	बिलासपुर	250	8
6.	मल्हेनिया	बिलासपुर	250	8
7.	पिरहाफल	बस्तर	300	4
8.	डोलकी	रायगढ़	200	5
9.	ईहाओर	बस्तर	300	4
10.	मरवाही	बिलासपुर	250	10
11.	कोटापल्ली	बस्तर	100	2
12.	उरकुरा	-वही-	200	4
13.	मनधर नाला	-वही-	200	4
14.	मंड व्यपवर्तन	सरगुजा	200	3
15.	गोइर डिवीजन	-वही-	200	3
16.	खानदनाई	-वही-	250	5
17.	कन्नोसेत	-वही	150	3
18.	सूर्य	-वही-	500	9
19.	सुखमई	-वही-	120	1
20.	खरंग का आधुनिकीकरण	बिलासपुर	2860	उ० न०

ग्रामीण जल योजना में हुई प्रगति

1832. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जल योजना के लिए अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और राज्यों ने आबंटित राशि का पूरा उपयोग किया है; और

(ख) क्या ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत प्रगति धीमी है और इस क्षेत्र में निर्माण संबंधी कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्यों की ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं पर अब तक खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

पहली योजना	3.00 करोड़ रुपये
दूसरी योजना	30.00 करोड़ रुपये
तीसरी योजना और तीन वार्षिक योजनाएँ	48.00 करोड़ रुपये
चौथी योजना	208.00 करोड़ रुपये
पांचवीं योजना (1974-78)	348.00 करोड़ रुपये
1978-79	193.00 करोड़ रुपये
1979-80	146.00 करोड़ रुपये
जोड़	1076.00 करोड़ रुपये

(ख) यद्यपि, इससे पहले प्रगति सन्तोषजनक नहीं थी, अब इसका सुधार हो गया है। क्योंकि, मार्च, 1977 तक लगभग 64,000 गाँवों को जल पूर्ति की व्यवस्था की गई थी, अतः मार्च, 1980 तक इसकी संख्या बढ़कर लगभग 1,29,000 हो गई है।

दिल्ली प्रशासन के वन विभाग में दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिक

1833. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कृषि वन विभाग में अनेक श्रमिक लम्बे समय से दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है और वे कब से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या यह गृह मंत्रालय का निदेश है कि ऐसे श्रमिकों को, जिन्होंने 240 दिन काम कर लिया है, नियमित किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली प्रशासन उनकी सेवा को नियमित करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है; और

(ङ) उनकी सेवा को अब तक नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) रोपाई मौसम के दौरान वृक्षों के रोपण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है। इनकी संख्या प्रत्येक मौसम में भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) मजदूरों की संख्या समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है। अतः मजदूरों की सही-सही संख्या और हर मजदूर के मामले में उसे काम पर लगाए रखने की अवधि के बारे में बताना सम्भव नहीं है। तथापि, 31-12-79 को मजदूरों की संख्या 221 और 31-12-80 को 315 थी।

(ग) गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार ऐसे दैनिक मजदूर जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान दैनिक मजदूर के रूप में कम से कम 240 दिन पूरे किए हों (जिसमें सेवा भग की अवधि भी शामिल है) नियमित किए जाने के पात्र हैं।

(घ) और (ङ) वन सम्बन्धी कार्य अर्थात् पौदों का रख-रखाव, पौद रोपण, वृक्ष लगाना आदि मौसम विशेष में ही किया जाता है, अतः इनकी सेवाओं को नियमित करना संभव नहीं है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम का कार्यकरण

1834. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 27 अक्तूबर, 1980 में केन्द्रीय भाण्डागार निगम में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, सनकीपन, पक्षपात, नकली फर्मों, काली सूची वाली फर्मों के साथ सौदे तथा दोषपूर्ण माल को स्वीकार किये जाने के बारे में, जिसके कारण निगम को भारी हानि हुई, छपे समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कथित निन्दाजनक सौदों तथा भ्रष्ट पद्धतियों को रोकने के लिए निगम के कार्यकरण की जांच करना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के बारे में 27-10-1980 को प्रकाशित "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिल्ली के कार्य शीर्षक में की गई कुछेक टिप्पणियां सरकार के नोटिस में आई हैं।

(ख) और (ग) इस मामले की जाँच की गई है। भारतीय खाद्य निगम में रिपोर्ट से उल्लिखित पदों की की गई खरीदारी के बारे में समीक्षा करने से यह विदित होता है कि इसका काली रूची में उल्लिखित फर्मों के साथ कोई लेन-देन नहीं है और उसको कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। तब भी निगम से कहा जा रहा है कि वे जहां कहीं आवश्यक हो वहाँ अपनी कार्यविधियों को सख्त कर दे।

टेलीफोन में खराबियों तथा मीटर प्रभारों की स्थिति में सुधार

1835. **श्री गुफरान आजम** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन में खराबियों एवं मीटर प्रभारों की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है।

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) दिल्ली में टेलीफोन की शिकायतों तथा मीटर दोषों को दूर करने के लिए कितने कर्मचारी हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ। संचार मंत्रालय देश में टेलीफोन सेवाओं को सुधारने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है।

(ख) टेलीफोन की खराबियों तथा मीटर प्रभारों की शिकायतों को कम करने के लिए कुछ निम्न उपाय किए जा रहे हैं :

(एक) बिजली की खराबियों तथा कटौती का सामना करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु अतिरिक्त इंजिन आल्टरनेटरों की व्यवस्था;

(दो) केबुलों को क्षति से बचाने के लिए कंक्रीट की नालियों तथा पी० वी० सी० नलिकाओं में केबुल बिछाना।

(तीन) शुष्क वायु द्वारा टेलीफोन केबुलों का दाबीकरण ताकि जब दोष उत्पन्न हो तो उनका पता लगाया जा सके।

(चार) टेलीफोन के बिल बनाने सम्बन्धी शिकायतों का निपटान करने के लिए डाक-तार विभाग अपेक्षित उपस्कर के आयात के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(ग) टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतों तथा मीटर की खराबियों की देख भाल करने के लिए दिल्ली टेलीफोन के विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है :

शिकायत पर्यवेक्षक	टेलीफोन निरीक्षक	टेलीफोन आपरेटर	टेलीफोन उपनिरीक्षक	लाइन मैन	मीटर क्लर्क
85	207	1158	364	1902	91

1981 के लिए गेहूं की वसूली सम्बन्धी नीति

1836. **श्री लहना सिंह तुर : श्री हरिनाथ मिश्र : श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : श्री दौलत राम सारण : श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के लिए गेहूं की वसूली सम्बन्धी नीति की घोषणा कब की जाएगी।

(ख) कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रति क्विंटल दर की क्या सिफारिश की गई है; और

(ग) कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट की जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है और गेहूं के मूल्य की घोषणा कब तक की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग ने गेहूँ के लिए मूल्य नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट में

1981-82 के विपणन मौसम (1980-81 की फसल) के लिए 127 रु० प्रति क्विंटल के मूल्य की सिफारिश की थी। गेहूँ का उत्पादन खपत करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ताकि उनके विचारों का पता लग सके। गेहूँ की मूल्य और खरीद नीति के बारे में शीघ्र ही घोषणा किए जाने की सम्भावना है।

विदेशी सामाजिक संगठनों के विरुद्ध शिकायतें

1837. **श्री हन्नान मोल्लाह** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में कोई ऐसा विदेशी सामाजिक संगठन कार्यरत है जिसके विरुद्ध राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की शिकायतें हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वे संगठन कौन कौन से हैं; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) से (ग) समाज कल्याण मंत्रालय को इस देश में काम करने वाले किसी भी विदेशी सामाजिक संगठन के विरुद्ध राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो भी, विभिन्न राज्य सरकारों से पूछताछ की जा रही है तथा जो जानकारी प्राप्त होगी, उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

वायु-प्रदूषण

1838. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण के कारण लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विश्व-भर से वैज्ञानिक वायु मण्डल में प्रदूषण से बहुत चिन्तित हैं जिनके कारण मानव के लिए अत्यावश्यक आक्सीजन खराब होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस बारे में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) : वायु प्रदूषण से वायु में आक्सीजन की कोई विशेष हानि नहीं होती। तथापि, कार्बन आक्साइड और सल्फर के अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होने के कारण इसका संयोजन बदल जाता है।

वायु प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण की व्यवस्था करने के लिए, वायु (प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण) विधेयक संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। तथापि, राज्य सभा द्वारा सुझाए गये कतिपय छोटे-छोटे संशोधनों की लोक सभा द्वारा अभी अभिपुष्टि की जानी है।

भीलवाड़ा, अजमेर तथा उदयपुर को सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाना।

1839. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की असिंद, मंडल तथा रायपुर तहसीलों को हर दूसरे वर्ष सूखे और दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार ने उनको सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित करने की शिफारिश की थी;

(ग) क्या इन तहसीलों के साथ लगने वाले अजमेर तथा उदयपुर जिले सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन तहसीलों को सूखा ग्रस्त रहने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उदयपुर जिले के भीम, देवगढ़ और खेरवाड़ा खण्डों तथा भीलवाड़ा जिले के साथ लगने वाले अजमेर जिले के जवाजा और मसौदा खण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है।

(घ) इन तहसीलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

1840. **श्री छीतूभाई मारमित : श्री जी० वाई० कृष्णन : श्री के० प्रधानी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को छात्रवृत्तियां देने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): अन्य विकलांग बच्चों की तरह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विकलांग बच्चे भी "नेत्रहीनों, बधिरों, और

विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियों" की योजना, जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत शिक्षा और इन-प्लांट प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ पाने के पात्र हैं।

नेत्रहीनों द्वारा अपनी बेरोजगारी के विरुद्ध आन्दोलन

1841. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह नेत्रहीनों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के अपने पूर्ववर्ती आश्वासन से मुकर रही है।

(ख) उक्त परिसंघ अपनी किन विशिष्ट मांगों को लेकर दिल्ली में आन्दोलन कर रहा है ;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त आन्दोलन में भाग लेने के कारण दिसम्बर 1980 से जनवरी 1981 के दौरान दिल्ली में कितने नेत्रहीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल : (क) नेत्रहीनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने नेत्रहीनों को रोजगार की गति पर असंतोष प्रकट किया है।

(ख) और (ग) परिसंघ की मुख्य मांगे ये हैं :—

(1) रोजगार कार्यालयों में एक वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत सभी नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाना।

(2) बेरोजगार नेत्रहीनों को भत्ते की व्यवस्था।

(3) नेत्रहीनों के हितों की रक्षा के लिए विधिनिर्माण।

जहाँ तक रोजगार दिलाने का संबंध है, विशेष रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग से प्रयत्न किए जा रहे है।

विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना राज्य विषय है तथा इसलिए राज्यों को अनुरोध किया गया है कि वे बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों को भत्ता देने पर विचार करें।

जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, विकलांग व्यक्तियों के लिए विधि निर्माण पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है।

(घ) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है। जैसे ही यह प्राप्त होगी इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग

1842. **श्रीमती प्रमिला बंडवते** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री कृष्ण कुमार नगर, शहादा, महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा की गई इस माँग का पता है कि अल्प संख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आयोग की तरह उनके लिये भी एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) सरकार को न तो महिलाओं के सम्मेलन और न ही उस में की गई किसी मांग के बारे में जानकारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख में वन्य जीवन शरण स्थल के लिए सिफारिश

1843. **श्री पी० नामग्याल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सरकार ने कुछ वर्षों पहले लद्दाख के छंगथंग क्षेत्र में वन्य जीवन का अध्यन करने के लिए एक प्रकृति—विशेषज्ञ को लद्दाख भेजा था;

(ख) क्या प्रकृति-विशेषज्ञ ने यह सिफारिश की थी कि लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं और पक्षियों की कुछ विरली नस्लों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र में एक वन्य जीवन शरण स्थल की स्थापना की जाए;

(ग) यदि हाँ, तो प्रकृति-विशेषज्ञ द्वारा ही गई सिफारिशों के सन्दर्भ में शरण स्थल स्थापित करने और वन्य जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार रिपोर्ट की प्रति सहित उस क्षेत्र के विद्यमान वन्य जीवन तथा समाप्त प्राय वन्य जीवन की सूची सभा पटल पर रखने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सभी मौसमों में खुली रहने वाली ग्रामीण सड़कों का विकास

1844. **श्री जगपाल सिंह : श्री राजेश कुमार सिंह : प्रो० अजित कुमार मेहता : श्री रशीद मसूद : श्री राम विलास पासवान : श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक गाँव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने सहित सभी मौसमों में खुली रहने वाली ग्रामीण सड़कें उपलब्ध करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखे गए थे और उनमें क्या प्रगति हुई;

(ख) देश में ऐसे गाँवों की संख्या क्या है जो अब भी किसी मानक की मोटर-योग्य सड़क से सीधे जुड़े हुए नहीं है;

(ग) पांचवीं, पंचवर्षीय योजना लक्ष्यों में पूर्वानुमानित लक्ष्यों के प्राप्त होने में कमी के, यदि कोई हो, क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण सड़कों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई भावी योजनायें बनाई गई हैं तो वे क्या हैं; तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु शुरू किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले 29,000 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान था। इस लक्ष्य के मुकाबले में, इस योजनावधि के दौरान लगभग 12,000 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया था।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, जहां तक ग्रामीण सड़कों का सम्बन्ध है, केवल 1000 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले गाँव आते हैं। देश में ऐसे कुल 1,23,883 गाँवों में से 1 अप्रैल, 1980 को लगभग 69,475 गाँवों को किसी भी सड़क से न जोड़े जाने की सूचना मिली थी।

(ग) योजना आयोग के अनुसार संसाधनों की अड़चन पांचवीं योजना के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी का मुख्य कारण प्रतीत हुई है।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित छठी योजना (1980-85) में यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक 1500 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी गाँवों को तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा तथा इस लक्ष्य का 50 प्रतिशत छठी योजना अवधि के दौरान प्राप्त कर लिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्र आते हैं।

शराब बन्दी के कारण हानि

1845. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शराब बन्दी के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि शराब बन्दी लागू करने के कारण कई राज्यों की आय कम हो गई है और वे अपना खर्च पूरा कर पाने में असमर्थ हैं।

(ग) शराब बन्दी लागू करने से पहले राज्यवार कुल आय कितनी थी और आम लोगों द्वारा शराब पर कुल कितनी राशि खर्च की जाती थी;

(घ) क्या यह सच है कि शराब बन्दी के परिणामस्वरूप गरीब लोगों द्वारा शराब की खरीद पर खर्च की जाने वाली 1500 करोड़ रु० की रकम बचेगी जिससे अन्य वस्तुओं के संबंध में उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी; और

(ङ.) यदि हाँ, तो शराबबन्दी को कड़ाई से लागू न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सरकार की नीति संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में दिए अनुसार मद्य निषेध के लिए प्रयत्न करना है।

(ख) और (ग) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) और (ङ.) यद्यपि लोगों द्वारा शराब पर की गई धन राशि का वास्तविक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, तथापि यह सच है कि वे शराब पर जिस हद तक खर्च नहीं करेंगे उस हद तक उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। मद्य निषेध राज्य विषय है, इसलिए राज्य सरकारों ने अपनी मद्य निषेध नीति बना रखी है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में सहकारी क्षेत्र का हिस्सा

1846. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर 1980 में राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि सहकारिता क्षेत्र को प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के स्वामित्व एवं प्रबन्ध में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को देखते हुए राष्ट्रीय सहकारिता बैंक की स्थापना का विचार छोड़ दिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हाँ, सम्मेलन का प्रस्ताव नोट कर लिया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय बैंक के स्वामित्व एवं प्रबन्ध के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाए और उसे वास्तविक रूप से स्थापित कर लिया जाए।

तकनीशियनों के वेतनमानों में विषमता और उनकी अर्हतायें

1847. **श्री सूरजभान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में एक ही समान शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताओं वाले तकनीशियनों की विभिन्न वेतनमानों वाली चार श्रेणियां हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सभी चारों श्रेणियों में कार्य का स्वरूप एक जैसा है;

(ग) यदि हां, तो भिन्न भिन्न वेतनमान रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी चारों श्रेणियों में वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। संचार मंत्रालय के अधीन दो विभागों में तकनीशियनों को केवल तीन श्रेणियां हैं। डाकतार विभाग में एक तथा अनुश्रवण संघटन में दो। इन तीन श्रेणियों को शैक्षणिक तथा तकनीकी अर्हताएँ व वेतनमान भिन्न भिन्न हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ.) क्योंकि इन श्रेणियों को शैक्षणिक तथा तकनीकी अर्हताएँ, कार्य का स्वरूप व प्रोन्नत्ति के अवसरों में भिन्नता है, इसलिए इनके वेतनमानों में भी भिन्नता है। इन वेतनमानों में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वेतनमान, वेतन आयोग के परामर्श से तय किए गए हैं।

सम्पदा निदेशालय के किराया विंग के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित विभागीय समिति

1848. **श्री जार्ज जोसफ** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाँचवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से सम्पदा निदेशालय में किराया विंग के कार्यकरण की जाँच करने के लिए एक विभागीय समिति गठित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उस समिति ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी;

(घ) क्या उपरोक्त समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उसे पूर्ण रूप से कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) 30-1-1978 को

(घ) तथा (ङ) : इस समिति ने 14 सिफारिशें की जिनमें से 13 स्वीकृत की गई। स्वीकृत सिफारिशों में से चार को कार्यान्वित किया गया है। नौ सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए विचार के विभिन्न चरणों में है।

राज्यों में पंचायती राज की तीन स्तरों वाली प्रणाली लागू किया जाना

1849. **श्री शिव कुमार सिंह** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में तीन स्तरों वाली पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहाँ 20 वर्षों की अवधि के पश्चात् भी प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण नहीं किया जा सका है; और

(ग) इसके राज्यवार कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार (केवल आठ जिलों में) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। नागालैण्ड तथा मेघालय को छोड़ कर शेष राज्यों में पंचायती राज की या तो द्वि-स्तरीय प्रणाली है अथवा एक स्तरीय प्रणाली है। नागालैण्ड तथा मेघालय में कोई पंचायती राज ढाँचा नहीं है।

(ग) पंचायती राज राज्य का विषय है तथा पंचायती राज निकाय राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा शासित हैं। राज्य कानूनों में, अन्य बातों के साथ-साथ इन निकायों को प्रशासनिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करती है कि राज्य कानूनों में किए गए संगत प्रावधानों के संदर्भ में इन निकायों को पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए।

मेघालय तथा नागालैण्ड में पंचायती राज ढांचा मौजूद नहीं है परन्तु इनमें विकेन्द्रीकृत प्रशासन के अन्य रूप लागू किए गए हैं। नागालैण्ड में पंचायती राज ढांचे के स्थान पर क्षेत्र, प्रक्षेत्र तथा आदिवासी परिषदें कार्य कर रही है जबकि मेघालय में स्वायतशासी जिला परिषदें कार्य कर रही हैं।

केन नदी पर बरियार पुर बांध के पानी के बंटवारे के बारे में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच विवाद

1850. **श्री राम नाथ दूबे** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन नदी के पानी के बंटबारे के बारे में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के बीच कोई विवाद है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार का विचार उक्त बांध के बाएँ किनारे से गहरी नहरें खोद कर मध्य प्रदेश में स्थित केन नदी पर बने बरियार पुर बाँध, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति है, के सारे पानी को लेने का है और उक्त नहरें तो खोद भी ली गई हैं; और क्या उत्तर प्रदेश में बहने वाली बादान केन नहर इसके फलस्वरूप पूरी तरह सूख जायेगी; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त विवाद हल करने के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) केन नदी के जल के वितरण पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि बरियारपुर वीयर पर केन नदी के जल के समुपयोजना के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच जनवरी, 1977 में एक करार हो गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

बरोटीवाला (हिमाचल प्रदेश) में सरकारी मुद्रणालय की स्थापना का प्रस्ताव

1851. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश में बरोटीवाला में सरकारी मुद्रणालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी हां। शिमला के मौजूदा भारत सरकार मुद्रणालय को बरोटीवाला में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है क्योंकि मौजूदा मुद्रणालय भवन उसकी नींव सहित असुरक्षित बताया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रस्तावित स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त हुए कतिपय अभ्यावेदनों को देखते हुए, स्थानान्तरण के लिए एक विस्तृत योजना अभी बनाई जानी है और स्थानान्तरण पर खर्च होने वाली सम्भावित राशि का पता ऐसे अनुमानों के तैयार होने के बाद ही केवल लगाया जा सकेगा।

मूंगफली और तिलहन के उत्पादन की परियोजनाएं

1852. **श्री त्रिलोक चंद : श्री राजेश कुमार सिंह : श्री रशीद मसूद : श्री जगपाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मंगफली और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये परियोजनाएं शुरू की जानी हैं, और

(ग) उपरोक्त के परिणामस्वरूप देश में इस उत्पादन में कितनी वृद्धि होने और खाद्य तेल के आयात में अनुमानतः कितनी कमी होने का अनुमान है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां

(ख) भारत सरकार ने तिलहलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल में ही निम्नलिखित दो केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दी है :-

(एक) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए गहन परियोजना (1980-81 से 1983-84)

(दो) मध्य प्रदेश में सोयाबीन की 5 वर्षीय परियोजना (1981-82 से 1985-86)

ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त हैं।

गुजरात में इस परियोजना का उद्देश्य 1890-81 में प्राप्त किए जाने वाले मूंगफली के 18 लाख मीटरी टन के प्रत्याशित उत्पादन को बढ़ाकर 1983-84 के अन्त तक इसका उत्पादन 27 लाख मीटरी टन तक करना है। उत्पादन में यह वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी :-

(1) खरीफ मूंगफली की फसल के लिए संरक्षणात्मक सिंचाई की व्यवस्था

(2) बुवाई से पहले सिंचाई की व्यवस्था करके जून के प्रारम्भ में खरीफ मूंगफली की फसल की बुवाई करना

(3) ग्रीष्म सिंचित मूंगफली के क्षेत्र को 1979-80 में 70,000 हैक्टार के स्तर में बढ़ाकर 1983-84 के अन्न तक 2.00 लाख हैक्टार तक करना

(4) अच्छी किस्म के बीजों का वितरण

(5) रियायती दरों पर सीड ड्रिलों के वितरण के माध्यम से बीजों को सघन तथा उचित रूप से बोने की प्रणाली को लोकप्रिय बनाना

(6) बड़े क्षेत्रों में वनस्पति रक्षण उपायों की व्यवस्था और

(7) मूंगफली की खेती की उन्नत प्रणालियों का प्रचार करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शन करना।

इस परियोजना के अन्तर्गत बीजों, वनस्पति रक्षण उपायों, प्रदर्शनों, सिंचाई की लागत आदि, पर राज सहायता के रुप में वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा इसका सारा खर्चा भारत सरकार वहन कर रही है। इस परियोजना पर तीन वर्ष की अवधि में 35 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश में इस परियोजना का उद्देश्य 1980-81 में सोयाबीन के अन्तर्गत के 4.50 लाख हैक्टार क्षेत्र को बढ़ाकर 1985-86 के अन्त तक 18 लाख हैक्टार करना है तथा 14.40 लाख मीटरी टन का उत्पादन करना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत सोयाबीन की खेती को मुख्य रूप से परती भूमि को बढ़ाने का विचार है। अन्य बातों के साथ-साथ यह परियोजना बीजों, प्रदर्शनों, राइजोबियन कल्चर, कृषकों के प्रशिक्षण तथा विस्तार से सम्बन्धित कर्मचारियों, प्रचार आदि पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पांच साल की अवधि में इस परियोजना पर कुल 15 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) तिलहनों के विकास से सम्बन्धित चालू केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित गुजरात तथा मध्य प्रदेश के लिए हाल ही में स्वीकृत की गई विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन से छठी योजना, अर्थात 1984-85 के अन्त तक तिलहनों का उत्पादन बढ़ाकर 130 लाख मीटरी टन तक करने में मदद मिलेगी तथा इसके परिणाम स्वरूप खाद्य तेलों को आयात करने की आवश्यकता कम होगी।

1980-81 में खाद्यानों की वसूली का लक्ष्य

1853. **श्री चित्त बसु** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980-81 के लिए खाद्यान्नों की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार लक्ष्य क्या है; और

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए स्टाक में वृद्धि करने की दृष्टि से बिक्री योग्य खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा को जुटाने के लिए सरकार ने प्रबन्ध किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हाँ। सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा उनको उचित औसत किस्म के पेश किए गए खाद्यान्नों के सभी स्टाक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वसूली मूल्यों पर खरीदने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। कई एक राज्यों में चावल मिलों और व्यापारियों पर अनिवार्य लेवी लगाकर भी वसूली की जा रही है।

दिल्ली में प्लाटों को "लीज होल्ड" से फ्री होल्ड में बदला जाना

1854. **श्री सुभाष यादव : श्री कृष्ण प्रताप सिंह।** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सभी "लीज होल्ड" प्लाटों को "फ्री-होल्ड" प्लाटों में बदलने पर विचार कर रही थी ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली में आवासीय प्लाटों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने का यह प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही ब्यौरे स्पष्ट होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) निकट भविष्य में निर्णय लिये जाने की आशा है।

विश्व बैंक सहायता से जोधपुर जिले को पेय जल की पूर्ति

1855. **श्री अशोक गहलोत : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में जोधपुर जिले को पेय जल उपलब्ध कराने की कोई योजना विश्व बैंक को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ? और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : (क) राजस्थान जलपूर्ति एवं मल-निर्यास परियोजना के सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं जिससे इसके साथ साथ जोधपुर सहित राजस्थान के 20 जिलों के लगभग 2,000 गांवों को और जोधपुर सहित 4 शहरों को पीने के पानी की व्यवस्था से लाभ पहुंचेगा।

(ख) इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य पहले ही आरम्भ हो गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केलोरियों के रूप में खाद्य की कम उपलब्धता

1856. **श्री समर मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केलोरियों के रूप में भारत में प्रतिव्यक्ति खाद्य उपलब्धता 1967-71, 1972-74, 1975-77 के दौरान क्रमशः 2030, 1979 और 1949 थी ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि निर्धनता की रेखा से बहुत से अनुमानों में 2250 केलोरियों के "मानदन्ड" को न्यूनतम आवश्यकता माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में प्रतिव्यक्ति उपलब्धता, यदि वह 1969-71 अथवा बाद में हो, न्यूनतम आवश्कता से बहुत कम बैठती है ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) : केलोरी की कुल उपलब्धता अनाजों, दालों, गिरियों, बीजों, सब्जियों, फलों, कंद-मूल, दूध और दूध से बने पदार्थों, वसा और तेलों, चर्बी वाले भोजन तथा चीनी और गुड़ जैसी जिन्सों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचनानुसार, 1970-78 के दौरान केलोरीज के हिसाब से खाद्य की प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता निम्न प्रकार है :-

1970	2026
1971	2117
1972	2108
1973	1929
1974	2097
1975	1928
1976	2108
1977	2042
1978	2203

(ख) योजना आयोग ने 1977-78 में गरीबी की रेखा का अनुमान लगाने के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 2,400 और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2,100 न्यूनतम केलोरीज की खपत करने की परिकल्पना की है।

(ग) और (घ) : केलोरी की औसत उपलब्धता सांकेतिक आवश्यकता से कम है। जनता की जरूरतों के अनुरूप खाद्य सामग्री की उपलब्धता तथा उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होने से खाद्यों में केलोरी की मात्रा में वृद्धि होगी। सरकार ने खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने और विकास कार्यक्रमों को शुरू करने की दिशा में पग उठाए हैं ताकि जनता के जीवन-यापान के स्तर में सुधार किया जा सके।

उड़ीसा में सहकारी क्षेत्रों में चीनी के मिल की स्थापना

1857. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है कि राज्य में सहकारी या सरकारी क्षेत्र में नये चीनी मिल स्थापित किये जायें;

(ख) यदि हां, तो कितने मिलों के लिए और किन स्थानों के लिए अनुरोध किया गया है ; और

(ग) क्या इन के लिए लाईसेन्स जारी कर दिये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) (1) नयागढ़, जिला पुरी और (2) बांकी, जिला कटक में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए लाईसेंस प्राप्त करने हेतु 11.2.81 को दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) क्योंकि आवेदन पत्रों में प्रस्तावित क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धता के बारे में आंकड़े नहीं दिए गए थे, इसलिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपेक्षित सूचना भेजें ताकि केन्द्रीय सरकार इन प्रस्तावों के बारे में विचार कर सके।

हुडको योजना का विश्व बैंक टीम को भेजा जाना

1858. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास और नगरीय विकास निगम ने विश्व बैंक टीम को एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विश्व बैंक की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, हां। यह प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से पेश किया गया था।

(ख) यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश के 10 से 12 छोटे तथा मध्यम कस्बों के विकास के लिए पाइलेट परियोजना के रूप में था।

(ग) हाल ही में विश्व बैंक ने उस परियोजना के विस्तार का पता लगाने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा जिसे बैंक द्वारा सहायता दी जा सके। इस प्रतिनिधि मण्डल के निष्कर्षों पर विश्व बैंक से औपचारिक पत्राचार की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय मत्स्य उद्योग के प्रेसीडेंट की ओर से ज्ञापन

1859. **श्री जय नरायण रोट** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल ही में भारतीय मत्स्य उद्योग के प्रेसीडेंट की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) हाल में कोई अभ्यावेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

रक्षा सेवाओं में प्रतिक्षण और प्रमाण-पत्र

1860. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने रक्षा सेवाओं के विभिन्न विभागों में किसी प्रशिक्षण और प्रमाण पत्रों को मान्यता देने का निर्णय लिया है; और

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय कौन से हैं और ऐसे प्रशिक्षण तथा प्रमाण-पत्र कौन-कौन से हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अनेक रक्षा सेवा संस्थाओं द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों और उनके प्रमाण-पत्रों को कई विश्वविद्यालय भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालयों के नाम और उनके द्वारा दी गई मान्यता इस प्रकार हैं :—

	रक्षा सेवा संस्था का नाम	विश्वविद्यालयों के नाम और उनकी मान्यता का उद्देश्य
1.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला और सेना कैडेड कालेज, देहरादून	बी. ए./बी एस-सी. की डिग्री प्रदान करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
2.	रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंगटन	एस. एस-सी. की डिग्री प्रदान करने हेतु मद्रास विश्वविद्यालय।
3.	सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे	(1) एम. बी. बी. एस., बी. एस-सी. (नर्सिंग) और चिकित्सा में विभिन्न उत्तर-स्नातक डिग्रियाँ और डिप्लोमा प्रदान करने हेतु पूना विश्वविद्यालय। (2) दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय।
4.	सेना शिक्षा दल (कार्प्स) प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र, पंचमढ़ी	शिक्षा और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री और मूल तथा दृश्य-श्रव्य शिक्षा और चीनी तथा तिब्बती भाषाओं में डिप्लोमा आयोजित करने के लिए सागर विश्वविद्यालय।
5.	मिलिट्री इंजीनियरी कालेज, पुणे	और आगे अध्ययन जारी रखने के लिए निम्नलिखित द्वारा मान्यता-प्राप्त इंजीनियरी में डिग्री पाठ्क्रम : 1. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़। 2. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर। 3. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की। 4. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) 5. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर।

6. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
7. बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान ।
8. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
9. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।
10. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
11. पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
12. पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
13. जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
14. जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
15. दिल्ली विश्विद्यालय, दिल्ली ।
16. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।
17. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
18. अन्नामलई विश्वविद्यालय, अन्नामलई नगर ।
19. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।
20. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
21. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर ।
22. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल ।
23. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर ।
24. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
25. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपती ।
26. (दिल्ली, वम्बई, खड़गपुर और मद्रास) स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।
27. बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।
28. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर ।

6. मिलिट्री दूर संचार इंजीनियरी कालेज, महू तथा सिगलन प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर ।

और आगे अध्ययन जारी रखने के लिए निम्नलिखित द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरी में डिग्री पाठ्क्रम :-

1. जबलपुर विश्वविद्यालय ।
2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।
3. केरल विश्वविद्यालय ।
4. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपती ।
5. जोधपुर विश्वविद्यालय ।
6. मद्रास विश्वविद्यालय ।
7. रुड़की विश्वविद्यालय ।

8. महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा ।
9. जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
10. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।
11. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
12. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ।
13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।
14. भारतीय प्रद्यौगिकी सस्थान, मद्रास ।
15. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।

7.	विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी मिलिट्री कालेज, सिकन्दराबाद और ई. एम. ई. स्कूल, बड़ौदा ।	उच्च अध्ययनों के लिए निम्नलिखित द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम :—

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ।
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ।
4. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।
5. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6. जवाहर लाल नेहरु प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।

8.	राष्ट्रीय रक्षा कालेज	इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रक्षा विज्ञान में मास्टर डिग्री के रामकक्ष राष्ट्रीय रक्षा कालेज के प्रतीक को मान्यता प्रदान की है ।

मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में साल के वनों का गिराया जाना

1861. **श्री नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मध्य, उत्तरी तथा पूर्वी बस्तर डिवीजनों में "साल" का प्राकृतिक वन, जो पूर्णतया आदिवासी क्षेत्र है, को पूर्णतया गिराया जा रहा है और औद्योगिक उपयोग के लिए "चीड़" का वन उगाने की योजना है,

(ख) क्या उस क्षेत्र के आदिवासी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए साल के वन पर निर्भर करते हैं और वे "साल" के वन गिराये जाने के कारण बहुत उद्वेलित हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है :

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) साल के वनों की पूर्ण कटाई करके वहां औद्योगिक उपयोग हेतु वाणिज्यिक आधार पर उष्ण-कटिबन्धनीय चीड़ के वन लगाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । तथापि,

गत 4 वर्षों में केवल केन्द्रीय बस्तर वन प्रभाग के कुछ हिस्से में विद्यमान साल के वनों के स्थान पर प्रयोगात्मक और मार्गदर्शी आधार पर ऊष्ण-कटिबन्धनीय चीड़ के पेड़ लगाये गये हैं।

(ख) उस क्षेत्र के आदिवासी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामों के आसपास के साल के वनों पर निर्भर है। यदि स्थानीय आदिवासियों की वास्तविक आवश्यकताओं की भलीभाँति पूर्ति हो जाये तो उन्हें चीड़ के पेड़ लगाने में कोई आपत्ति नहीं होती। तथापि, क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों ने साल के वनों के स्थान पर उष्ण-कटिबन्धीय चीड़ के पेड़ लगाने का विरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार ने इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है।

नेशनल राइफल एसोसिऐशन आफ इंडिया द्वारा कारतूसों आदि का आयात

1862. **श्री आनन्द सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 में नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया ने कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के कारतूसों आदि (अम्यूनीशन) का आयात किया;

(ख) सदस्यों में इसके वितरण की व्यवस्था क्या है;

(ग) नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रत्येक सदस्य के लिए क्या कोटा निर्धारित किया गया है; और

(घ) कितने सदस्यों को निर्धारित कोटे से अधिक कारतूस आदि दिये गये और इस अधिक सप्लाई के क्या कारण थे ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य (श्रीमति शीला कौल) : नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा उपरोक्त प्रश्न के (क) से (घ) भागों के बारे में दी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क)	(1) ·22 बोर एल आर ऐली टेनेक्स	1,00,000
	(2) .22 बोर एल आर पिस्टल मैच	50,000
	(3) .22 बोर शार्ट पिस्टल	50,000
	(4) 12 बोर रोटवेल	25,000
	(5) 12 बोर सैलर और बैलट	1,00,000

(ख) उपरोक्त स्टाक से 'टार्गेट शूटर्स' को केवल राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए ही गोला बारूद (एम्यूनिशन) जारी किया गया हैं। एसोसिएशन के किसी अन्य साधारण सदस्य को कोई गोला बारूद जारी नहीं किया गया है।

(ग) सदस्यों के लिए कोटा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आयातित गोला बारूद केवल 'टार्गेट शूटर्स', के लिए ही था और केवल उन्हीं को जारी किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मल के बहाव तथा यातायात में रुकावट

1863. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 के एशियाई खेलों के बारे में बनाये जा रहे उपरिपुलों, फ्लाईओवरों, सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों के कारण राजधानी के मल बहाव तथा यातायात में सम्भावित रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयम्बटूर में टेलीफोन कनेक्शन

1864. **श्री इरा मोहन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया है;

(ख) अपना टेलीफोन स्वयं खरीदें योजना के अन्तर्गत कितने लोगों ने अपना नाम पंजीकृत कराया ।

(ग) सामान्य सूची के अन्तर्गत कितने आवेदक हैं;

(घ) इस प्रकार पंजीकृत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे; और

(ङ) क्या कोयम्बटूर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता के विस्तार की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) से (ग) 1-2-81 तक 1648 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में क्या दर्ज थे जिसमें 160 ओ० वाई० टी० श्रेणी में तथा 1186 सामान्य श्रेणी और शेष विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) ओ० वाई० टी० श्रेणी के अलग अंतर्गत दर्ज अधिकांश आवेदकों को 1982-83 के अन्त तक तथा सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 1985-86 तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की उम्मीद है ।

(ङ) जी हाँ । निम्नलिखित विस्तार की योजना है :—

एक्सचेंज	वर्तमान सज्जित क्षमता	विस्तार	वर्ष
कोयम्बटूर मुख्य	12,300	300 लाइन	1981-82
		600 लाइन	1982-83
पीसामेडू	400	100 लाइन	1981-82

साई बाबा कलोनी में 7 वीं योजना अवधि के प्रारम्भ में 3000 लाइनों की प्राथमिक क्षमता वाला एक नया एक्सचेंज भी चालू किए जाने की योजना है।

डीबिजनल और विभागीय तारघरों की व्यवस्था :

1865. **श्री डूंगर लाल बैठा :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से जिला मुख्यालयों में और यहाँ तक कि कुछ डिवीजनल मुख्यालयों में भी डिवीजनल तारघरों और विभागीय तारघरों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हा, तो क्या विशेष रूप से विहार राज्य में डिवीजनल और जिला मुख्यालयों में डिवीजन तारघरों और विभागीय तारघरों की व्यवस्था करने की कोई योजना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां। कई जिला और मंडल मुख्यालयों में तारघर नहीं है। ऐसे स्थानों पर, जहाँ इस समय विभागीय तारघर नहीं हैं, तार सुविधाएं संयुक्त डाकतार घरों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(ख) जब यातायात निर्धारित मानकों तक पहुँच जाता है तो जिला और मंडल मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों पर भी विभागीय तारघर खोले जाते हैं। बिहार राज्य के देवघर और सहरसा में संयुक्त डाक-तार घरों को विभागीय तारघरों में बदलने का मामला विचाराधीन है।

राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास

1866. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास और वहाँ अकाल की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) इन रेगिस्तानी जिलों में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितना व्यय किया गया है और अकाल की समस्या का स्थायी हल निकालने में कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को अधिक व्यापक बनाएगी और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उनके लिए अधिक धनराशि आबंटित करेगी जिससे की अकाल की समस्या का कोई दीर्घकालीन हल निकाला जा सके ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से दीर्घकालीन आधार पर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए दो विशेष योजनाएँ अर्थात सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरु की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उत्पादकता तथा आय में स्थायी आधार पर वृद्धि करना है।

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू से लेकर सितम्बर, 1980 तक लगभग 84.90 करोड़

रुपये व्यय किए गए है। यद्यपि कार्यक्रमों के सारे लाभों की संख्या नहीं बताई जा सकती हैं फिर भी कुछेक मुख्य सूचक संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) संदर्भाधीन दोनों कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र पहले ही काफी व्यापक है। छठी योजना के दौरान दोनों कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता सुलभ की जाएगी।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सूचकों के बारे में भौतिक उपलब्धियां

क्षेत्र/गतिविधि	इकाई	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (शुरू से लेकर सितम्बर, 1980 तक)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (शुरू से लेकर सितम्बर, 1980 तक)
1. वनरोपण तथा चरागाह विकास	हजार हैक्टेयर	111.68	10.96
2. शैल्टर बैल्ट	किलोमीटर	—	1905
3. भूमि तथा नमी संरक्षण	हजार हैक्टेयर	213.10	12 संख्या*
4. सिंचाई	*	48.50	अप्राप्त
5. दुधारू पशुओं का वितरण	संख्या	8676	—
6. दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियों के गठन	संख्या	487	—
7. भेड़ सहकारी सोसायटियों के गठन	संख्या	169	—
8. बिजली से चलने वाले नलकूप/पम्प	संख्या	—	769

* निर्मित जल संचयन ढाँचों से सम्बन्धित है।

टेलीफोन बूथों का विकलांग व्यक्तियों द्वारा सचालन

1867. **श्री हीरा लाल आर० परगार ; श्री बी० बी० देसाई क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने सार्वजनिक बूथ स्थापित किए जाने का विचार है जिनका संचालन विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा :

(ख) इस कार्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के चयन का क्या तरीका होगा : और

(ग) विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन बूथों पर क्या सुविधाएं दिए जाने का विचार है और उन्हें कम से कम कितनी आय होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1981 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देकर हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सार्वजनिक पार्कों आदि में 200 से अधिक रक्षित प्रकार के गारंटीयुक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है। विकलांग व्यक्तियों के प्रबन्ध में संचालित अब तक खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन घरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय विकलांग संगठन जैसे संघों एवं एजेंसियों की सहायता से दूरसंचार सर्किलों एवं टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों को उपयुक्त विकलांग व्यक्ति प्राप्त हो सकेंगे।

(ग विभाग प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन के लिए एक बूथ तथा एक नकदी पेटी का प्रबन्ध करेगा। सार्वजनिक टेलीफोन को किराये पर लेने वाला उपभोक्ताओं से 50 पैसे प्रति काल वसूल करेगा और प्रति तिमाही कालों की कुल संख्या का ध्यान रखें बिना 30 पैसे प्रति काल की समान दर से डाक तार विभाग को भुगतान करेगा इस प्रकार विकलांग व्यक्ति को 20 पैसे प्रति काल की दर से आय होगी।

14-2-1981 तक विकलांग व्यक्तियों के प्रबन्ध में संचालित सार्वजनिक टेलीफोनों को दर्शाने वाला विवरण

आन्ध्र प्रदेश	15
दिल्ली	11
गुजरात	1
केरल	13
मध्य प्रदेश	2
पंजाब	3
महाराष्ट्र	7
तमिलनाडु	14
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	1
	60

हरित क्रांति के सीमित लाभ

1868. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हरित क्रांति केवल गिनी-चुनी फसलों और गिने-चुने क्षेत्रों तक ही सीमित रही है जिसके परिणामस्वरूप कुल मिला कर इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके लाभों के समान वितरण तथा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि में क्या क्या तकनीकी परिवर्तन करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

1869. **श्री पी० एम० सईद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने फरवरी, 1981 में लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान उस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम काम के बदले अनाज देने की योजना आरम्भ करना मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में इस योजना को आरम्भ करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किए जाने की सम्भावना है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इसकी केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से जांच की जाएगी।

मलजल निकास सुविधाओं और गंदे पानी का उपयोग

1870, **श्री भीकू राम जैन क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे कितने नगर है जहां मलजल निकास और गन्दे पानी का उपयोग करने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) सरकार का विचार इस बारे में क्या उपाय करने का है जिससे कि जल स्त्रोतों को नगर का मलजल अंधाधुंध रुप से बहे जाने का खतरा न बना रहे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क): 1978-79 में किए गए सर्वेक्षणानुसार, एक लाख से अधिक आबादी वाले 142 शहरों में से, केवल 8 शहरों में मल निर्यास एवं गन्दे पानी के लिए पूरी सुविधाएं हैं। शेष 134 शहरों में मल निर्यास एवं गन्दे पानी के शोधन की सुविधाएं नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उन प्रथम श्रेणी के शहरों में मल निर्यास एवं मल जल शोधन सुविधाओं के विकास को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस मामले को पहले ही राज्य सरकारों के पास उठाया है जिन्हें देश के भावी नगरीय विकास कार्यक्रम में चरणवार सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना और विस्तार

1871. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में 33 नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने तथा वर्तमान फैक्ट्रियों का विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन नयी फैक्ट्रियों की स्थापना कहाँ की जाएगी और उन फैक्ट्रियों, जिन्हें विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी, के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने समूची छठी योजना के लक्ष्यों के अनुसार नयी चीनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है। जिन स्थानों पर नयी चीनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाएंगी और जिन फैक्ट्रियों को विस्तार करने की इजाजत दी जाएगी उनके नाम 4 जुलाई, 1980 को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष के अनुसार होंगे।

चीनी उद्योग की वर्तमान लाइसेंसशुदा क्षमता 74 लाख मीटरी टन वार्षिक चीनी उत्पादन के आस-पास है और नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर छठी योजनावधि के अन्त तक इस क्षमता को बढ़ाकर 96 लाख मीटरी टन कर दिया जाएगा। 1980-81 के दौरान 3 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने का लक्ष्य है। अब तक दो नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और 3 वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस/आशय पत्र दिए गए हैं।

सरकारी आवास

1872. **डा० कृपासिंधू भनेई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हजारों क्वाटरों का निर्माण काफी समय पूर्व शुरू किया गया था किन्तु उन्हें अभी भी पूरा किया जाना है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक श्रेणी के कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और उनका निर्माण पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में इस समय प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने कर्मचारी क्वार्टर के आबंटन की प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) उन्हें उचित समय में क्वार्टर देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्माणाधीन विभिन्न टाईप के क्वार्टरों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

टाईप-I/ए	टाईप-II/बी	टाईप-III/सी	टाईप-iV/डी
807	2586	5712	72

क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब के कारण नीचे दिए जाते हैं :—

(एक) ईट, सीमेंन्ट, लोहा, सीं पाइप, दरवाजा, शटर आदि जैसी निर्माण सामग्री की कमी।

(दो) कुछ ठेकेदारों द्वारा कार्य का छोड़ा जाना जिसे उनके जोखिम तथा मूल्य पर दूसरे अभिकरणों के माध्यम से करना पड़ा था।

(तीन) डी० आई० जेड० क्षेत्र में कुछ पुराने क्वार्टरों को खाली न किया जाना जो कि नए क्वार्टर बनाने के लिए गिराये जाने थे।

(ग) दिल्ली में विभिन्न टाईपों में क्वार्टरों के आबंटन की अभी भी प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

टाईप	क्वार्टरों की संख्या
ए	5954
बी	24048
सी	13659
डी	3008
ई	1474
ई०-1	844
ई०-2	172
ई०-3	110
	49269

(घ) सरकार उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत जितने सम्भव हैं उतने क्वार्टर निर्माण कर रही है। तथापि, यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक, प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिए जायेंगे।

गुजरात में खाद्यान्नों का उत्पादन

1873. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान गुजरात में उत्पादित की जाने वाली खाद्य फसल, खरीफ और रबी, की अनुमानित कुल मात्रा कितनी होगी;

(ख) क्या उपरोक्त प्राक्कलन खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी दर्शाते हैं; और

(ग) यदि खाद्यान्नों की उत्पादन में कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान गुजरात में खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(उत्पादन 000 मीटरी टन में)

मद	1979-80 अंतिम अनुमान	1980-81 अग्रिम अनुमान
खरीफ खाद्यान्न	2598	3060
रबी खाद्यान्न	1410	1400
कुल खाद्यान्न	4008	4460

(ख) 1980-81 में कुल प्रत्याशित उत्पादन 1979-80 की तुलना में अधिक है।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

चन्द्रशेखर आजाद पर स्मारक टिकट

1874. **श्री पीयूष तरिकी : श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकरण ने महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद के सम्मान में स्मारक टिकट जारी करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) श्री चन्द्रशेखर आजाद के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर फिलैटली सलाहकार समिति ने विचार किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाते हुए डाक टिकटों की ऋंखला जारी करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए उक्त समिति ने एक उप समिति का गठन किया था।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जीवन बलिदान करने वाले शहीदों के प्रति राष्ट्रीय श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए अब 23.3.1981 को एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

बाढ़ प्रभावित मणिपुर को केन्द्रीय सहायता

1875 **श्री नगनगोम मोहेन्द्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में बाढ़ के लिए राहत उपायों के रूप में मणिपुर सरकार को वस्तुओं के रूप में अथवा नकद या दोनों तरह की कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा-राशि कितनी है। खाद्यान्न का स्वरूप क्या है और पूरी मात्रा में ये वस्तुएँ/राशियाँ कब दी गई-भुगतान कब किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मणिपुर सरकार ने राज्य में अक्तूबर, 1980 के महीने में बाढ़ से हुई क्षति के बारे में 28. 11.80 को एक ज्ञापन भेजा था। इस ज्ञापन में कई बातों की कमी पाई गई और उसमें वांछित केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। इस लिए राज्य सरकार से संशोधित ज्ञापन भेजने का अनुरोध किया गया। संशोधित ज्ञापन 28.1.81 को प्राप्त हुआ था। बाढ़ के कारण हुई क्षति के आधार पर धनराशि की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु एक अभियांत्रिकी विशेषज्ञ मणिपुर भेजा जा रहा है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

अगरतला मुख्य डाकघर का दर्जा बढ़ाना

1876. **श्री अजय विश्वास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला मुख्य डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे राजपतित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। निर्धारित विभागीय मानदंडों के अनुसार अगरतला प्रधान डाकघर को अभी राजपत्रित दर्जा देने का औचित्य नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

आल गोआ फिशरमैन्स यूनियन की ओर से ज्ञापन

1877. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 'आल गोआ फिशरमैन्स यूनियन' की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का उसके सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) आल गोआ फिशरमैन्स यूनियन ने समुद्र तट से 5 किलोमीटर तक प्रचालन कार्य करने का एकमात्र क्षेत्र बनाने, रात की ट्रालिंग एवं पर्ससीनिंग पर प्रतिबन्ध लगाने तथा तस्करी की गतिविधियों को रोकने के उपायों हेतु कानून बनाने तथा उसे लागू करने के लिए माँग की है।

(ग) तथा (घ) विभिन्न प्रकार की नौकाओं के सम्बन्ध में प्रचालन क्षेत्र के सीमांकन के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक मानक विधेयक की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर गोआ की विधान सभा ने "गोआ दमन व दीव समुद्री मत्स्यन विनियमन विधेयक—1980" पास किया हैं।

दिल्ली-शाहदरा और दिल्ली-गाजियाबाद के बीच बेहतर टेलीफोन सेवाएँ

1878. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि दिसम्बर, 1980 तक दिल्ली-शाहदरा और दिल्ली-गाजियाबाद टेलीफोन सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा;

(ख) क्या विशिष्ट सुधार किए गए हैं; और

(ग) सेवाओं को अभीष्ट सम से कुशल बनाने के लिए और क्या कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) अंतर एक्सचेंज जंक्शन उपस्कर सहित शाहदरा, शाहदरा पूर्व और गाजियाबाद टेलीफोन एक्सचेंजों में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्रवाई में तेजी लाई गई है।

(ग) शाहदरा पूर्व एक्सचेंज में महत्वपूर्ण मार्गों पर उच्च स्तरीय पी सी एम जंक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गाजियाबाद, तीस हजारी और जनपथ एक्सचेंजों के बीच एक सह-धुरीय केवल बिछाया गया है तथा टर्मिनल उपस्कर का संस्थापन कार्य चल रहा है। इससे इन एक्सचेंजों के बीच एक बेहतर जंक्शन भी उपलब्ध हो सकेगा।

आल इंडिया टेलीग्राफ ट्रैफिक एमप्लाईज़, यूनियन पटना की माँगे

1879. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया टेलीग्राफ ट्रैफिक एमप्लाईज यूनियन क्लास 3 की पटना डिवीजन शाखा ने उन्हें 48 सूत्री मांग पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तार विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की शिकायत दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक सारणी लोक सभा पटल पर रखी जा रही है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1993/81)

छपरा, पटना मुजफ्फपुर बिहार का टेलीफोन केन्द्र

1880. **प्रो० सत्यदेव सिंह :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि के टेलीफोन केन्द्र अपने पुराने उपकरणों के कारण निरन्तर खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने उपकरणों के स्थान पर नए उपकरण लगाने का विचार है; और

(ग) सरकार टेलीफोन सेवा में सुधार लाने में कब सक्षम होगी ?

संचार मन्त्रालय में रज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। छपरा, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के एक्सचेंज पुराने नहीं हैं और हमेशा खराब नहीं रहते।

(ख) और (ग) पटना के चार एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज का उपस्कर ऐसा है जिसकी प्रभावी क्षमता समाप्त प्रायः है। इस उपस्कर को बदलने के लिए कार्रवाई की गई है। इस बीच जहां कहीं आवश्यक समझा गया पुर्जों को बदल करके संतोषजनक स्तर पर सेवा प्रदान की जा रही है।

कोसी नियन्त्रण बोर्ड के कार्य

1881. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के पिछले सत्र में तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने बिहार के मुख्य मंत्री सहित केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में कोसी नियन्त्रण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की थी;

(ख) क्या बिहार के मुख्य मंत्री की अध्क्षयता में एक कोसी नियन्त्रण बोर्ड पहले से ही कार्य कर रहा है;

(ग) इन दोनों बोर्डों के विशिष्ट कार्य क्या है; अब तक उनकी अलग-अलग कितनी बैठकें हुई हैं और क्या कार्य किए गए हैं और निकट भविष्य में कितनी बैठकें आयोजित किए जाने और उनमें क्या कार्य किए जाने का विचार है;

(घ) क्या उनमें से किसी भी बोर्ड ने निर्माणाधीन पश्चिमी कोसी नहर, बराह क्षेत्र में प्रस्तावित उच्च बाँध स्थल को मौके पर जाकर देखा है अथवा उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाएँ हैं; और

(ङ) जनवरी, 1974 में बनाए गए कोसी परामर्श दाता बोर्ड के विशिष्ट अस्थायी और अन्तिम सुझाव क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 5-8-1980 को तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में में कोसी नियन्त्रण बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है जिसमें बिहार के मुख्य मंत्री शामिल होंगे।

(ग) बिहार सरकार द्वारा पहले स्थापित कोसी नियंत्रण बोर्ड के कुछेक महत्वपूर्ण कार्य ये हैं :—

परियोजना अनुमानों की संवीक्षा और अनुमोदन के लिए उनकी सिफारिश करना, कोसी और उसकी सहायक नदियों पर जल संचय बाँधों के अन्वेषण के लिए उपायों की जाँच और सिफारिश करना, कोसी समस्या को पूर्ण रूप से हल करने के लिए अपेक्षित भू-संरक्षण उपाय आदि, कोसी परियोजना पर नेपाल के साथ हुए करार से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर की जाने वाली कार्रवाई की नीति की जाँच और अनुमोदन करना, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जाँच और अनुमोदन करना, दरों की विशिष्टिया और सूची निर्धारित करना और मुख्य प्रशासक या मुख्य इंजीनियर की शक्तियों से बाहर उप-अनुमानों और संविदाओं का अनुमोदन करना।

बोर्ड की 30 बैठकें हुई और अन्तिम बैठक 20-7-1975 को हुई थी।

नया बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव पर अभी बिहार सरकार के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि इससे पहले वाले बोर्ड ने प्रस्तावित उच्च बांध और पश्चिमी कोसी नहर का दौरा किया था। चूंकि अभी नया बोर्ड गठित नहीं हुआ है, इसलिए उसके दौरे का सवाल पैदा नहीं होता।

(ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपर सकरी जलाशय परियोजना

1882. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य की अपर सकरी जलाशय परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के सम्बन्ध में बिहार की सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का बिना किसी और विलम्ब के इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा इस पर कार्य शुरू करवाए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अगस्त, 1979 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर बिहार सरकार से दिसम्बर, 1980 में प्राप्त हुए हैं। जनवरी, 1980 और जुलाई, 1980 में भेजी गई अतिरिक्त टिप्पणियों के उत्तर अभी आने हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते।

ताजमहल में लम्बी दरारें

1883. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरे के ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल में अनेकों लम्बी दरारें पड़ गई हैं;

(ख) क्या ये दरारें आस-पास के क्षेत्रों में लगातार धुएं, गैसों तथा दूषित वातावरण के कारण पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) ताजमहल 300 वर्ष से भी अधिक पुराना स्मारक है जिसके कुछ पत्थरों में कुछ सूक्ष्म दरारें दिखाई पड़ी हैं। लम्बे समय तक तापमान में उतार-चढ़ाव का प्रभावन, मूल निर्माण में प्रयुक्त लोहे के शिकंजों का आक्सीकरण और संगमरमर की पटियालों में अन्तर्निहित दोष ही दरार पड़ने के कारण माने गए हैं। संभवतः हानिकारक गैसों के प्रभावन के कारण दरारें नहीं पड़ सकतीं।

कोटा और झालावाड़ में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

1884. **श्री चतुर्भुज** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा और झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये कितने केन्द्र खोले गए हैं और किन-किन एककों ने कार्यक्रम आरम्भ कर दिया तथा अभी भी इसमें व्यस्त हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है और उसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिलावार किन-किन स्थानों पर चलाये जा रहे हैं तथा कौन-कौन सी एजेंसियां ये कार्यक्रम चला रही हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एशियाई खेल 1982 के लिए इनडोर स्टेडियम बनाने का स्थान

1885. **श्री डी० पी० यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल 1982 के लिए बनाया जा रहा प्रस्तावित शानदार इण्डोर स्टेडियम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बाढ़ का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का चयन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्टेडियम को बाढ़ से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माणाधीन इन्डोर स्टेडियम अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक

स्तर की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप है और चूंकि आवश्यक उपाय किये गये हैं इस लिए इस स्थल को बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।

(ख) दिल्ली बृहत् योजना के अनुसार यह स्थल खेल परिसर के लिए विकासित किये जाने के लिए निर्धारित है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस स्थल को पर्याप्त ऊँचा कर दिया गया है और आश्वासन दिया कि इस स्टेडियम के अन्दर तथा आस-पास कोई पानी नहीं रुकेगा।

केरल में विश्वविद्यालय अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान न देना

1886. **श्री के० ए० राजन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से माँग की है कि उसे राज्य में विश्वविद्यालय अध्यापकों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मान देने हेतु वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उस पर क्या निर्णय है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) नवम्बर, 1974 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को, विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुछ परिशोधित वेतनमान अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी थी। दी गई केन्द्रीय सहायता 1-1-1973 से 31-3-1979 तक की अवधि के लिए परिशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन में हुए अतिरिक्त खर्च का 80% थी। यह पेशकश भी राज्य-सरकारों द्वारा भविष्य में भर्ती के लिये अर्हताएँ, भर्ती की प्रणाली और चयन पद्धति, परिवीक्षा की अवधि, कार्यभार इत्यादि से सम्बन्धित कुछ शर्तों की स्वीकृति पर आधारित थी। परिशोधित वेतनमान भिन्न होते हुए भी यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों से अधिक न हों और 1-1-1973 के बाद कार्यान्वित किए गए हों तब भी केन्द्रीय सहायता देय थी।

इस पेशकश के प्रत्युत्तर में केरल सरकार ने विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के उन वेतनमानों के परिशोधन के लिए जिन्हें वे पहले ही 1-7-1973 से कार्यान्वित कर चुके हैं, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान अपनाने के लिए वित्तीय सहायता माँगी थी। फिर भी, क्योंकि राज्य सरकार ने न्यूनतम अर्हताएँ, भर्ती की प्रणाली, चयन पद्धति इत्यादि जैसी योजना की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी, इस लिये उन्हें किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता देना संभव नहीं हो सका।

सर्वहितकारी सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड

1887. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व हितकारी सहकारी आवास निर्माण समिति की सदस्यता का मसला पहले ही तय किया जा चुका है और दिल्ली प्रशासन द्वारा लाटरी निकालने को अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो लाटरी निकालने का काम अभी तक क्यों नहीं किया गया है विशेष कर तब जबकि दस वर्ष पहले विकसित की गई भूमि बिना देखभाल के पड़ी हुई है और सदस्यों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) समिति की प्रबन्ध समिति को पुनः कब चालू किए जाने की सम्भावना है विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा 1976 में समिति को अपने अधिकार में लेने की तारीख से यह समिति तीन प्रशासकों के कब्जे में रह चुकी है और कोई वांछित परिणाम नहीं निकला है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उप न्यायाधीश के न्यायालय, दिल्ली ने न्यायालय द्वारा सुने जा रहे एक वाद में प्रशासक पंजीकार, सहकारी समिति को आगे के आदेश होने तक पर्ची निकालने के लिए रोक दिया है।

(ग) इस प्रबन्ध समिति को हटाए जाने की अवधि 30-6-81 तक है। प्रबन्धक समिति को बनाए रखने का मामला इस तारीख से पहले पुनरीक्षित किया जाएगा तथा तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षक संगठन को वित्तीय सहायता

1888. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न शिक्षक संगठनों को अपने सम्मेलनों अथवा विचार गोष्ठियों के लिए कोई सहायता (वित्तीय) दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनको कितनी राशि प्राप्त हुई ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत अध्यापकों संगठनों को सम्मेलनों अथवा सेमिनारों के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके। तथापि, विगत में ऐसी सहायता की तदर्थ संस्वीकृति के कुछ मामले सामने आए हैं।

गुजरात तथा दिल्ली में सरकारी आवास

1889. **श्रीरामजी भाई मावणि** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान गुजरात और संघ क्षेत्र

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितने क्वार्टर तथा बंगले प्रदान किये;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान कितने क्वार्टरों तथा बंगलों का निर्माण किए जाने की आशा है और वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान कितने क्वार्टरों तथा बंगलों का निर्माण किया गया है; और

(घ) इस कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) गुजरात में 1978, तथा 1979 और 1980 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल में कोई क्वार्टर नहीं दिया गया हैं। जहाँ तक दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र का प्रश्न है, 1978, 1979 और 1980 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को दिए गए टाइप "ए" से इ-3 के क्वार्टरों बंगलों की संख्या इस प्रकार है :—

वास का टाईप	जिस वर्ग में आबंटन किया गया		
	1978	1979	1980
ए	804	1880	839
बी	1364	2339	1974
सी	1356	2166	1611
डी	862	1212	1012
ई	235	214	288
ई-1	486	465	475
ई-2	102	93	72
ई-3	35	30	25

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडू में चिन्नामुत्तम मत्स्य बन्द्रगाह के लिए धनराशि

1890. **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू में चिन्नमुत्तम मत्स्य बन्दरगाह परियोजना के विकास के लिए 1980-81 में कितनी धनराशि दी गई थी और इसके विकास में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इस स्थान के आस-पास उपलब्ध विशेष प्रकार की मछली का निर्यात करने के लिए यह बन्दरगाह परियोजना कब तक तैयार हो जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) 1980-81 के दौरान 10 लाख रुपए की धन राशि दी गई थी। तथापि, अब तक इस पत्तन पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ख) सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इस परियोजना के लिए हाल ही में मंजूरी दी है और शीघ्र ही अन्तिम आदेश जारी हो जायेंगे। अनुमान है इस पत्तन के पूरा होने में लगभग 4 वर्ष लगेंगे। इसके पूरे होने पर इस पत्तन से पकड़ी जाने वाली मछलियां निर्यात के लिए उपलब्ध हो सकेंगी।

दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों की मांग

1891. **श्री चित्त महाटा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों ने वेतनमानों में संशोधन, और प्रिंसिपलों तथा अन्य शिक्षकों के वेतनमानों के बीच असमानता पूरे करने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) मामला विचारधीन है।

बिहार में खोले गए शाखा डाक-घर

1892. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की प्रत्येक पंचायत में संचार सुविधाएं देने की घोषित नीति के अनुसरण में बिहार के प्रत्येक जिले में शाखा डाक घर खोले गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सह-पंचायतों का ब्योरा क्या है तथा जिलावार कितने डाक-घर खोले गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) फिलहाल ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में प्रत्येक गाँव में डाकघर खोलने की डाक तार विभाग की कोई नीति नहीं है। तथापि विभागीय मानदण्डों के अन्तर्गत ऐसे गाँवों में ग्रामीण डाकघर खोलने हेतु न्यूनतम आबादी की शर्त को नजर अंदाज कर दिया जाता है। नजदीकी डाकघर से दूरी एवं पूर्वानुमानित वित्तीय परिणामों को मद्देनजर रखा जाता है। डाकघरों की संख्या के संबंध में वर्तमान आंकड़े पंचायत वार भी नहीं रखे गये हैं।

भू-जल स्रोतों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि

1893. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू योजना अवधि के दौरान देश में भू-जल स्रोतों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना सम्बन्धी अनुमानित क्षमता और संबंधित पूंजी निवेश क्या क्या हैं;

(ग) परियोजना में केन्द्र और राज्य सरकारों का हिस्सा कितना-कितना है; और

(घ) क्या परियोजना के लिए वित्तीय संस्थाओं से भी धन संबंधी सहयोग लिया जाएगा, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी अनुपात क्या होगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) जी, हाँ। छठी योजना 1980-85 में देश में भूमिगत जल संसाधनों से 7 मिलियन हैक्टेयर को सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्त का अनुमान इस प्रकार है :

	निजी निवेश	संस्थानिक निवेश	राज्य योजनाए निवेश	आई० आर० डी० के अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर कार्यक्रम	जोड़
(क) निजी वर्क्स	950	1500	200	150	2800
(ख) सरकारी सेक्टर वर्क्स	—	100	300	—	400
जोड़	950	1600	500	150	3200

इन्डोर स्टेडियम के बारे में डिजाइन

1894. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल 1982 के लिए बनाए जाने वाले इण्डोर स्टेडियम के जिस डिजाइन को प्रथम पुरस्कार दिया गया था और मंजूरी दे दी गई थी उसे अब अस्वीकृत कर दिया गया है और एक दूसरे डिजाइन को मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मूल्यांकन बोर्ड द्वारा चयन किए गए डिजाइन संकल्पना के लिए प्रथम पुरस्कार मैं० राज रेवल राम शर्मा और मोहिन्दर राज को दिया गया था। इन्डोर स्टेडियम के लिए डिजाइन के चयन के उद्देश्य से नियुक्त तकनीकी समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि मैं० शरत दास और डिजाइन कान्सोर्टियम द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीम समय और क्रियात्मक प्राचल, व्यवहार्यता, तकनीकी धारणा, निर्माण में सुविधा तथा कार्य की योग्यता के बारे में सभी संबंधित व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त करने की दृष्टि से एक अतियुक्तम विकल्प है वास्तुकीय प्रतियोगिता के सम्बन्ध में नियुक्त किए गए मूल्यांकन बोर्ड

ने भी तकनीकी समिति के विचारों का समर्थन किया है। अतः यह निर्णय लिया गया कि मैं० शरत दास और डिजाइन कन्सोर्टियम द्वारा प्रस्तुत किए गए डिजाइन संकल्पना को स्वीकार कर लिया जाए।

भारत के गांवों में पीने का पानी

1895 **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन गावों की संख्या क्या है जहाँ 31 दिसम्बर, 1980 को पीने के पानी की सुविधाएं नहीं थीं;

(ख) उन गाँवों की संख्या कितनी है जहाँ चालू वर्ष के दौरान पीने के पानी कीं सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी;

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(घ) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन

1896. **श्री राम प्यारे पनिका : श्री डी० पी० यादव : श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के समीप अपना मार्ग बदल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय भू-विज्ञान संस्थान ने सरकार को इससे उत्पन्न खतरे की चेतावनी दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा नदी अपने दाएं किनारे के साथ-साथ कटाव करती रही है। कटाव को रोकने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उपाय शुरू किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज द्वारा किसानों को भुगतान न किया जाना

1897. **श्री राम अवध** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1978-79 और 1979-80 के वर्षों में किसानों ने रत्ना शुगर मिल. शाहगंज, जिला, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को गन्ना दिया था और कुछ किसानों को अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) फैक्ट्री से प्राप्त सूचनानुसार, 1978-79 मौसम के दौरान खरीदे गये गन्ने के कोई बकाया नहीं है। तथापि, 1979-80 के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए 15 जनवरी, 1981 को केवल 9,181 रुपये की बकाया राशि बतायी जाती है।

केन्द्रीय मत्स्य निगम की मद्रास शाखा का बन्द किया जाना

1898. **डा० ए० कलानिधि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम की मद्रास शाखा को दिनांक 21 सितम्बर, 1979 को बन्द किए जाने के क्या कारण थे, जबकि भारत में इसकी अन्य शाखाएं अभी तक पूर्वत बनी हुई हैं;

(ख) क्या केवल एक अधिकारी को मद्रास से हावड़ा के मुख्यालय में स्थानान्तरित किया गया था, जबकि उक्त शाखा के बन्द कर दिए जाने पर अन्य सभी कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया था; और

(ग) अन्य कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित न किए जाने तथा उन्हें सेवा मुक्त करने के क्या कारण थे, जबकि उनकी सेवा—शर्तें 'अखिल भारतीय आधार' की थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय मात्स्य की निगम के निदेशक मण्डल ने अगस्त, 1979 में हुई अपनी बैठक में व्यय को कम करने के उद्देश्य से सभी यूनिटों को बन्द करने के लिए एक चरण-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया था। तदनुसार, मद्रास यूनिट, जो सूची में प्रथम थी, को 21-9-1979 को बन्द कर दिया गया था। मद्रास यूनिट को बन्द करने के पश्चात् सरकार ने अन्य यूनिटों को तब तक बन्द न करने का आदेश दिया जब तक निगम के पुनरुत्थान। पुनर्व्यवस्था की संभावनाओं की जाँच न हो जाए।

(ख) एक अधिकारी ने अपने बीमार पुत्र के इलाज के लिए अपना कलकत्ता स्थानान्तरण किए जाने के लिए 27-2-1979 को निगम से अनुरोध किया था। कम्पनी के खातों की लेखा परीक्षा करते समय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भी कहा था कि मद्रास यूनिट के खातों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए उस यूनिट का एक वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित होना चाहिए। अतः निगम ने उक्त अधिकारी को मुख्यालय में कार्य-भार संभालने का आदेश दिया, और उसने जून, 1979 में कार्य-भार सँभाल लिया था। उस अधिकारी के स्थानान्तरण का मद्रास यूनिट के बन्द किए जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उसका स्थानान्तरण मद्रास यूनिट को बन्द करने के निर्णय से पहले किया गया था।

(ग) किसी अन्य कर्मचारी को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं किया गया था, क्योंकि निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार अन्य सभी यूनिटों को भी बन्द किया जाना था।

बिना आवेदन पत्र मंगाये कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया जाना

1899. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायकों और 425-800 रुपये के वेतनमान में अन्य कर्मचारियों को सामान्य पूल से टाइप चार का आवास प्राप्त करने के लिए पात्र बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवेदन पत्र मंगाने की सामान्य प्रक्रिया के बिना ही टाइप चार आवास के आबंटन के लिए पात्र अधिकारियों से आवेदन पत्र मंगाने का है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी मकान के आबंटन के लिए किसी अधिकारी की पात्रता उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के आधार पर निश्चित की जाती है न कि उसके पद के आधार पर। हाल ही में सरकार ने टाइप "सी" (टाइप 111) वास के लिए निर्धारित 5000-999 रुपये की परिलब्धियों की श्रृंखला के अन्तर्गत टाइप "डी" वास (टाइप-4) के लिए एक तदर्थ श्रेणी निकालने का निर्णय किया है। तदनुसार जिनकी परिलब्धियाँ 700-990 रुपये की श्रृंखला में आती है उसके साथ वे व्यक्ति (टाइप 4) वास के लिए पात्र हैं जो कि पिछले आबंटन वर्ष के अन्त में टाइप "डी" वास की प्रतीक्षा कर रहे थे।

(ख) मामला विचाराधीन है।

बेकरी उद्योग को सप्लाई किया गया आटा

1900. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 से 1980-81 तक, वर्षवार देश में संगठित बेकरी उद्योग को कुल कितना आटा सप्लाई किया गया; और

(ख) 1977-78 से 1980-81 तक, वर्षवार ब्रिटानिया बिस्कुट और मार्डन बेकरी तथा अन्य बेकरी एककों सहित दस बड़े बेकरी एककों का अलग-अलग हिस्सा कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) आटे की सप्लाई को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा बेकरी उद्योग को कोई मात्रा आबंटित नहीं की गई थी।

रोहिणी योजना के लिए एकत्रित की गई धनराशि का एशियाई खेलों में निवेश

1901. **श्री तारिक अनवर : श्री केशव राव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार रोहिणी योजना से

प्राप्त होने वाली धनराशि का 1982 में एशियाई खेलों में निवेश करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह राशि केवल रोहिणी आवासीय योजना पर ही खर्च की जायेगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

गोदामों के निर्माण के लिए सहायता

1902. **श्री राम लाल राही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नर्मदा नदी के बाँध के कार्य में हुई प्रगति

1903. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी बाँध योजना में कितनी प्रगति हुई है और यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या विशेष सहायता सुविधाएँ दी गई हैं कि इस योजना के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा किया जा सके; और

(ख) नर्मदा नदी संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर काम चल रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) प्रश्न का संबंध संभवत: मध्य प्रदेश को नर्मदा सागर परियोजना से है । नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट आगे कार्रवाई करने तथा योजना आयोग से अनुमोदित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अभी केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन, मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना पर सर्वेक्षण, पहुँच सड़कों, कालोनियों का निर्माण आदि जैसे कुछ निर्माण पूर्व वर्क्स शुरू कर दिए हैं । इस परियोजना पर मार्च, 1980 तक 339 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं ।

नर्मदा न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, नर्मदा सागर बाँध का निर्माण कार्य गुजरात में सरदार सरोवर बाँध के निर्माण कार्य के साथ-साथ या उससे पहले शुरू करेगा और पूरा करेगा। परियोजना कब पूरी होगी, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना को पूर्ण करने के लिए दर्शाये गए कार्यक्रम के बाद ही पता चलेगा।

इस परियोजना को विश्व बैंक से बैंक के 1983 के वित्तीय वर्ष अर्थात जुलाई, 1982 से जून, 1983 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए शामिल कर लिया गया है। विश्व बैंक के सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सिंचाई मंत्रालय में स्थापित प्रयोजनीय परियोजना तैयारी कक्ष की सक्रिय सहायता से और सचिव (सिंचाई) की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल के पूर्ण मार्ग-दर्शन में किया जाएगा।

(ख) नर्मदा नदी/उसकी सहायक नदियों पर निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

नर्मदा नदी/नर्मदा/नदी की सहायक नदियों पर निर्माणाधीन स्कीमों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	मार्च, 1980 तक हुआ व्यय	परियोजना क्षमता
	एक मध्य प्रदेश			
	बृहद स्कीमें			
1.	बर्गी			
	यूनिट एक	123 0)	37.50)	245
	यूनिट दो	166.0)	7.70)	
2.	तवा	93.0	82.20	333
3.	बरना	15.3	14.9	61
4.	कोलार	33.9	1.1	26
5.	सुकता	10.7	8.8	19
	मध्यम स्कीमें			
1.	सकाल्दा	1.8	0.9	1.7
2.	चोराल	4.7	0.6	4.4
3.	मेहगंजेला	1.6	1.2	1.8
4.	बंजार	2.3	0.29	2.4
	दो गुजरात			
	बृहद स्कीमें			
1.	कर्जन	89.60	11.23	77.5
2.	सुक्खी	32.49	10.43	25.2
3.	हीरन	50.64	4.72	39·5

इसके अतिरिक्त, गुजरात को सरदार सरोवर परियोजना पर प्रारम्भिक वर्क्स प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

मध्यम स्कीमें

1. रामी	1.49	0.64	1.32
2. देव	16 06	2.80	10.16
3. बल्देवा	1.20	0.95	1.61
4. पिगाट	1.32	1.03	1.27

गोआ में कृषि और मत्स्य ग्रहण उद्योगों का विकास

1904. **श्री एडुआर्डो फलीरो : श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ अपने कृषि और मत्स्य ग्रहण उद्योगों के विकास के मामले में पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) जी नहीं। चुनींदा आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गोआ की स्थिति अखिल भारतीय औसत से भी अच्छी है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

1905. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बोर्ड का गठन कब किया गया था और इसके वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक सदस्य किस पद पर है;

(ख) क्या बोर्ड ने सभी नियमों और विनियमों की अवहेलना करते हुए एक संकल्प पारित किया था जिसमें उसके निदेशक की सेवावधि बढ़ाई गई थी;

(ग) क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा उपरोक्त संकल्प न मंजूर किये जाने के बावजूद यह निदेशक कार्य करता रहा था; और

(घ) लाइब्रेरी/बोर्ड प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं और क्या इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड का गठन 7-2-1951 को किया गया था। बोर्ड के सदस्यों की कार्यावधि उनकी नामजदगी की तारीख से तीन वर्ष की है एक विवरण के रूप में सूची संग्लन है, जिसमें दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम दिये गए हैं।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली लाईब्रेरी बोर्ड अपने निदेशक की कार्यावधि बढ़ाने का संकल्प पारित करने के लिए सक्षम था, किन्तु दिल्ली लाईब्रेरी बोर्ड के अधिनियमों और विनियमों के नियम 18 के अनुसार पुस्तकालय के निदेशक की नियुक्ति, बोर्ड द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से भारत सरकार की यथा स्वीकृति सेवा शर्तों पर की जानी है।

(ग) सरकार के आवश्यक निर्देश दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड को 18 नवम्बर, 1980 को भेज दिये गए थे और भूतपूर्व निदेशक ने अपने पद का कार्यभार 8 दिसम्बर, 1980 को छोड़ दिया था।

(घ) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक स्वायत्त संस्था है और संस्कृति विभाग से नीति के व्यापक मामले पर परामर्श करना होता है इस समय दिल्ली लाईब्रेरी बोर्ड को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिल्ली पब्लिक बोर्ड का वर्तमान गठन इसके सदस्यों के नाम तथा इनके पद

क्रम संख्या	नाम	कब से सदस्य हैं	धारित पद
1.	2.	3.	4.
1.	अध्यक्ष (शिक्षा मंत्री के मनोनीत व्यक्ति)		
2.	श्री डी० आर० कालिया	27-4-1979	पुस्तकालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली।
	शिक्षा मंत्रालय के मनोनीत व्यक्ति-2		
2.	अवर सचिव (पुस्तकालय)		सरकारी कर्मचारी
3.	सहायक वित्त सलाहकार		सरकारी कर्मचारी
	दिल्ली प्रशासन के मनोनीत व्यक्ति-2		
4.	सचिव (शिक्षा)		सरकारी कर्मचारी
5.	श्री के० सी० सिंह (उपशिक्षा निदेशक)		सरकारी कर्मचारी

1.	2.	3.	4.
	यूनेस्को के मनोनीत व्यक्ति-1		
6.	श्री एन० एल० कांच्छर	11-9-1978	पुस्तकाध्यक्ष, यूनेस्को लाईब्रेरी
	दिल्ली नगर निगम मनोनीत व्यक्ति-2		
7.	रिक्त	—	—
8.	रिक्त	—	—
	नई दिल्ली नगर पालिका मनोनीत व्यक्ति-1		
9.	रिक्त	—	—
	दिल्ली महानगर परिषद मनोनीत व्यक्ति-1		
10.	रिक्त	—	—
	सहयोजित सदस्य-4		
11.	श्री के० एम० दुग्गल (उपाध्यक्ष)	17-8-1978	विख्यात लेखक तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी
12.	श्री बी० डी० गर्ग	17-8-1978	व्यापारी
13.	डा० (श्रीमती) सुषमा पाल मल्होत्रा	17-8-1978	लेक्चरार जानकी देवी महाविद्यालय, दिल्ली
14.	श्री आर० एन० अरोड़ा	12-12-1979	विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली
15.	श्री ओ० पी० गुप्त, (पदेन सचिव)		निदेशक, दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय ।

छठी योजना के दौरान शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना

1906. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दिशा में किन्हीं ठोस उपायों का विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ तो, उनका स्वरूप क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां । शिक्षा की

छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, रोजगार और विकास को लाभप्रद ढंग से एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ठोस प्रयास करने का विचार है।

(ख) और (ग) इससे सम्बन्धित सभी प्रश्नों के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। कार्यक्रम क्षेत्रों के विकसित करने के लिए निश्चित कार्य योजनाएँ तैयार करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएँ इस समिति द्वारा तैयार की जा रही हैं। छठी योजना में कार्यान्वयन के लिये विश्वविद्यालयों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्तर्गत सुरक्षित स्मारक

1907. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्थित किये गए सुरक्षित स्कारकों की संख्या कितनी है और गत तीन वित्तीय वर्षों तथा 31 जनवरी, 1981 तक चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इन स्मारकों के चयन, विकास और अनुरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और आधार क्या है;

(ग) पर्यटक स्थल और "काम्पलेक्स" के रूप में व्यवस्थित किये गए सुरक्षिम स्मारकों की संख्या कितनी है; और

(घ) पर्यटक विभाग और सुरक्षित स्मारक विभाग द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिशतता क्या है और ये विभाग खर्च तथा पर्यवेक्षण को किस प्रकार बाँटते हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अधिसूचित प्रविष्टियों के अनुसार केन्द्र संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों की सं० 3477 है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के जनवरी, 1981 तक क्रमश: 200.22 लाख, 175.94 लाख, 155.20 लाख तथा 81.34 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ख) जो स्मारक प्राकृतिक कारणों अथवा आधुनिक विकास कार्यक्रमों से प्रभावित हुए है अथवा जिनकी सुरक्षा किसी कारण खतरे में पड़ चुकी हैं, उनके परिरक्षण तथा रख रखाव को प्राथमिकता दी जाती है। उन स्मारकों के अच्छे ढंग से प्रस्तुतीकरण के लिए विकास काय कराया जाता है जिनमें दर्शनार्थ बड़ी संख्या में दर्शकों को आकृष्ट करने की क्षमता होती है।

(ग) तथा (घ) पुरातत्व सर्वेक्षण का सम्बन्ध सभी केन्द्र संरक्षित स्मारकों से है, जिनमें से अनेक तो दर्शकों के लिए आकर्षक हैं। केन्द्र संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण तथा रख-रखाव (उद्यान कार्यों सहित) पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भार पुरातत्व सर्वेक्षण ही उठाता है, इन पर होने वाले व्यय तथा पर्यवेक्षण कार्य में कोई अन्य विभाग भागीदार नहीं होता। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने दर्शकों की अभिरुचि वाले सोलह पुरातत्विक केन्द्रों के स्मारकों के पर्या-

वरणीय परिक्षण के लिए तथा इन केन्द्रों पर अपेक्षित पर्यटक सुविधाओ के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना आरम्भ कर दिया है ।

तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा इंजीनियरी और कानूनी व्यवसाय करने के के बारे में सर्वेक्षण

1908. **श्री एन० डेनिस :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में विकलाँग व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा इंजीनियरी और कानूनी व्यवसाय करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) उन्हें उनके क्षेत्रों में सरकारी सेवा में लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सरकार ने तमिलनाडु में चिकित्सा, इंजीनियरी और कानूनी व्यवसायों में विकलांग व्यक्तियों के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया है । तो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विकलाँग व्यक्ति ऐसे पाठ्क्रमों का अध्ययन करने के लिए सहायता पाने के लिए पात्र हैं । विकलांग व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में नौकरियों का कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं किया गया है । फिर भी वे सम्बन्धित क्षेत्रों में नौकरियां प्राप्त करने के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की सहायता ले सकते हैं ।

अल्प संख्यक आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण

1909. **श्री आरिफ मोहम्मद खान :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक एकता बढ़ाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से यह अनुरोध किया है कि अल्प संख्यक आयोग सिफारिशों के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर विश्वविद्यालयों और कालेजों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) अल्प संख्यक आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कालेजों से उन पाठ्य पुस्तकों को हटा दिया जाना चाहिए जो युवा मस्तिष्कों में समुदायों के बीच वैरभाव पैदा करती हैं और उनके स्थान पर ऐसी पुस्तकों को रखा जाना चाहिए जो सभी समुदायों के सदस्यों के बीच समानता और भ्रातृत्व की भावना बढ़ाएँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सिफारिश पर विचार किया और महसूस किया कि अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों की समीक्षा अल्प संख्यक आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर की

जाए । तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12 जनवरी, 1981 को सभी विश्वविद्यालयों से अवांछनीय पुस्तकों को हटाने के लिए समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था ।

आयोग को अब तक केवल 11 विश्वविद्यालयों से उत्तर प्राप्त हुए हैं । उनमें से 9 विश्वविद्यालयों ने सूचित किया है कि सम्बद्ध अध्ययन बोर्डों से इन सिफारिशों को ध्यान में रख कर पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए कह दिया गया है । अन्य दो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जहां अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के लिए ऐसी कोई पुस्तक निर्धारित नहीं है ।

इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज के लिए विदेशी सहायता

1910 **श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किसी देश से कोई सहायता प्राप्त कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस देश का नाम क्या है और किस प्रकार की सहायता और सहयोग प्राप्त किया जाएगा ;

(ग) क्या विश्व बैंक इस क्षेत्र में कोई सहायता कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हाँ । नार्वे सरकार ने 256 लाइनों का एक इलैक्ट्रोनिक एक्सजेंज भेंट किया था जिसको कि स्थापित किया जा चुका है । उन्होंने अपने "पण्य वस्तु सहायता कार्यक्रम" के अन्तर्गत लघु ग्रामीण इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों-क्षेत्रीय परीक्षण हेतु तीन, साफ्टवेयर केन्द्र हेतु एक तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु एक, के आयात हेतु और सहायता देने की पेशकश की है । उन्होंने नार्वे में इन एक्सचेंजों के प्रशिक्षण हेतु भी आठ छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की पेशकश की है ।

जापान सरकार ने भी स्थानीय इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की 30,000 लाइनों के आयात के लिए येन मुद्रा के बतौर ऋण देना स्वीकार कर लिया है । किन्तु ऐसे ऋण का उपयोग उस निर्णय पर निर्भर करेगा जो कि विश्वजनीन निविदाओं के आधार पर लिया जाएगा जिनकी कि फिलहाल छानबीन चल रही है ।

(ग) और (घ) जी हां । विश्व बैंक ने दूरसंचार हेतु अपने छठे ऋण के अंतर्गत चार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में संस्थापना हेतु 15,000 लाइनों के इलैक्ट्रोनिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर और 10,400 लाइनों के इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज उपस्कर हेतु विदेशी मुद्रा की सहायता में वृद्धि की है । दूर संचार हेतु 7वें ऋण के अन्तर्गत इन इलैक्ट्रोनिक ट्रंक स्वचल तथा टेलेक्स एक्सचेंजों के विस्तार के लिए आयात हेतु प्रावधान रखा गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा बढ़ाये जाने वाले अगले ऋण (8वां) का विश्व बैंक ग्रुप द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा इस पर हाल ही में बातचीत की गई । इस करार पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर होने की संभावना है । इस ऋण द्वारा जिन प्रस्तावों पर धन व्यय किया जाएगा उसने निम्नलिखित मदों पर व्यय विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है :—

(एक) छोटे एवं मध्यम आकार के स्थानीय इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की 100,000 लाइनों का आयात;

(दो) प्रतिवर्ष इलैक्ट्रोनिक अंकीय ट्रंक स्वचल एक्सचेंज निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज, निजी स्वचल एक्सचेंज तथा ग्रामीण स्वचल एक्सचेंजों की 1.5 लाख लाइनों (के बराबर) के उत्पादन के लिए पालघाट स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता का विस्तार।

(तीन) जिस प्रकार के अंकीय ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों का पालघाट में उत्पादन किया जाएगा उसी किस्म की 8000 लाइनों का आयात।

राज्यों को चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि

1911. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश के मासिक कोटे में कितनी वृद्धि की जा रही है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1912. **श्री उत्तम राठौर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के पोटरा, रामेश्वर टोडा, गोरेगाँव, राजगढ़ और मरेगाँव में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने संबंधी कोई माँग की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) जी हाँ।

(ख) गोरे गाँव में एक सार्वजनिक टेलीफोनघर की मंजूरी दे दी गई है। मरेगाँव में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पोटरा, रामेश्वर टोंडा तथा रायगढ़ में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना लाभकारी नहीं है और ये विभाग की वर्तमान नीति के अन्तर्गत आने वाले स्टेशनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली

1913. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम प्रतिवर्ष औसतन 250 लाख टन खाद्यान्न की वसूली कर रहा है और ऊपरी खर्चों सहित गेहूँ की प्रति क्विंटल लागत 161.05 रुपये बैठती है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस प्रकार वसूल किये गए गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम 130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आटा मिलों को सप्लाई कर रहा है, जिससे प्रतिवर्ष औसतन 200 करोड़ रुपये की हानि हो रही है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम की उपरोक्त नीति व्यापारियों को काला धन उत्पन्न करने में सहायता दे रही है, जिससे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय-हित में आटा मिल मालिकों को राज सहायता देने की पद्धति को समाप्त करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए लगभग 94 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की औसतन वार्षिक वसूली की गई थी। इसमें से गेहूँ की मात्रा केवल लगभग 52 लाख मीटरी टन थी। 1979-80 में केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूँ की लागत लगभग 157.38 रुपये प्रति क्विंटल थी।

(ख) राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण और रोलर आटा मिलों के लिए केन्द्रीय पूल से 130 रुपये प्रति क्विंटल के समान निर्गम मूल्य पर गेहूँ सप्लाई की जाती है लेकिन रोलर आटा मिलों को की गई सप्लाई पर ही एक मात्र 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के आस-पास हानि नहीं हुई है। 1979-80 में, रोलर आटा मिलों को केन्द्रीय पूल से कुल 31 6 लाख मीटरी टन की मात्रा सप्लाई की गई थी जिसमें कुल लगभग 86·5 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

(ग) जी नहीं। रोलर आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूँ खरीदने की इजाजत नहीं है और उनसे सरकारी स्टाक से अपने कोटे उठाने की अपेक्षा की जाती है। उनके गेहूँ के उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के गेहूँ के पदार्थों और बेकरी के उत्पादों को उचित मूल्यों पर प्राप्त करने में मदद मिली है।

(घ) रोलर आटा मिलों के लिए सार्वजनिक वितरण के मूल्यों से अपेक्षाकृत अधिक निर्गम मूल्य निर्धारित करने विषयक प्रश्न विचाराधीन है।

केरल के मालाबार क्षेत्र में और डाकघरों को खोलना

1914. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पास केरल के मलबार क्षेत्र में संचार सुविधाओं के बारे में इसके पिछड़े क्षेत्रों को देखते हुए और डाकघरों को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान मालाबार के पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में 19 शाखा डाकघर और अन्य इलाकों में 10 शाख डाकघर खोले गये थे। आगामी वर्ष के लिए विस्तृत कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा

रहा है। इस समय मालाबार और उसके पिछड़े इलाकों के लिए अलग से कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है।

सम्पत समिति के प्रतिवेदन को लागू करना

1915. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 में सरकार द्वारा घोषित सम्पत समिति के मूल प्रोत्साहनों के अनुसार चीनी के पुराने कारखानों की विस्तार परियोजनाओं की पात्रता निकालने के लिए सरकार को कितना समय लगेगा;

(ख) ऐसे कितने चीनी के कारखाने है जो प्रोत्साहन योजना से लाभ उठा चुके हैं; और

(ग) ऐसे कितने काखाने हैं जिन्हें उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अभी लाभ प्राप्त करना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने पुरानी चीनी फैक्ट्रियों की विस्तार परियोजनाओं की पात्रता के मूल्यांकन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है और यह आशा की जाती है कि प्रोत्साहन देने के लिए अब तक प्राप्त दावों के बारे में उक्त कार्य 1981 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

(ख) पांच चीनी फैक्ट्रियों ने चीनी उद्योग की पुरानी प्रोत्साहन योजना का लाभ आंशिक रूप से उठाया है।

(ग) 28 चीनी फैक्ट्रियों, जिन्होंने विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन देने सम्बन्धी दावे प्रस्तुत किए हैं, को इस योजना के लाभ अभी प्राप्त करने हैं।

भागीरथ और हिन्दी में अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या के संबंध में समिति के सुझाव

1916 **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल आयोग के लिए राज भाषा सम्बन्धी निरीक्षण करने वाली उप-समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समिति को यह विश्वास दिलाया गया था कि उसके सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा और हिन्दी अनुभाग तथा हिन्दी भागीरथ में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो इन्हें पूर्ण रूपेण कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) प्रश्न का संबंध सम्भवत: संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति से है। इस उप-समिति ने अभी तक सिंचाई मंत्रालय का निरीक्षण नहीं किया है। लेकिन, उप-समिति ने सिंचाई मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग का 17.1.1979 को निरीक्षण किया था। संसदीय राजभाषा

समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, जिसमें उसकी सिफारिशें होंगी । समिति द्वारा निरीक्षण करने के बाद, समिति के कार्यालय ने आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें निम्नलिखित बातों पर खास ध्यान देने का अनुरोध किया गया था :

1. शेष 455 कर्मचारियों को जिन्हें इस समय हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, हिन्दी में प्रशिक्षित कर लिया जाएगा । जो अधिकारी अक्सर बाहर की ड्यूटी पर रहते हैं, उन्हें पत्राचार कोर्स का लाभ उठाने को कहा जाएगा ।

2. ऐसे अनुभागों, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, को 30 जून, 1979 तक अधिसूचित कर लिया जाएगा ।

3. भविष्य में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा ।

4. भविष्य में विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प दिया जाएगा ।

5. "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में श्रेणी iii और iv के कर्मचारियों की सर्विस बुके हिन्दी में रखी जायेंगी ।

6 अंग्रेजी और हिन्दी में "भगीरथ" पत्रिका के प्रकाशन के लिए समान वेतनमान का स्टाफ नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा ।

7. "भगीरथ" पत्रिका के हिए हिन्दी में मूल लेख लिखने वालों को अधिक दर से पारिश्रमिक देने पर विचार किया जाएगा ।

8. केन्द्रीय जल आयोग से सम्बन्धित विषयों की पुस्तकें मूलरूप से हिन्दी में लिखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए उस प्रकार की पुरस्कार योजना आरम्भ करने के बारे में विचार किया जाएगा जैसी कृषि मंत्रालय ने चालू की है ।

(ख) और (ग) समिति को आश्वासन दिया गया था कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए तथा राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा और इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा । केन्द्रीय जल आयोग सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों की अनुपालना के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करता रहा है और उप-समिति के सचिवालय के पत्र में दिए गए सुझावों पर उचित ध्यान दे रहा है ।

(घ) यह सवल पैदा नहीं होता ।

उड़ीसा में मीम-कुण्ड बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को मंजूरी

1917. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए भीम कुण्ड बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। भीमकुण्ड बहुद्देश्यीय परियोजना की अशोधित रिपोर्ट राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में जून, 1980 में प्राप्त हुई थी। इस समय परियोजना रिपोर्ट पर राज्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हो रहा है, ताकि उसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य का रुकना

1918. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इनके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी, नहीं। लेकिन लम्बित पड़े विवादों या राज्यों के बीच मतभेदों के कारण योजना आयोग ने अन्तर्राज्यिक नदियों पर कार्यान्वयन के लिए कुछ परियोजनाओं को स्वीकार नहीं किया है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

दिल्ली में गेहूं की कमी

1919. **श्री के० मालन्ना : श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में गेहूँ की कमी है जिसके कारण नागरिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्ण मिल आटा राशन की दुकानों पर उपलब्ध नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि परिणामी आटे के बोरों पर 'आर' चिन्ह भी नहीं अंकित है जिसके फलस्वरूप परिणायी (रिजल्टेन्ट) आटे को आटे का नाम दिया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गेहूँ की कोई कमी नहीं है।

(ख) दिल्ली प्रशासन दिल्ली की राशन की दुकानों से पूर्ण आटा सप्लाई नहीं कर रहा

है । दिल्ली रोलर आटा मिल्स गेहूँ उत्पाद (एक्स मिल और खुदरा) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1974 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार मिलों से बोरियों पर "आर" का निशान लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती है । इस आदेश में इस आशय का कि बोरियों पर "आर" का निशान अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, संशोधन करने विषयक प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

समुद्री उत्पादों का कारोबार करने वाले बड़े व्यापार घराने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1920. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े व्यापार घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जो समुद्री उत्पादों का कारोबार करते हैं और वे किस क्षेत्र में अपना कारोबार चला रहे हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितनी मत्स्य नौकाओं का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या किसी अन्य भारतीय/विदेशी फर्म ने हिन्द महासागर में अपना कारोबार आरंभ करने हेतु लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) समुद्री उत्पादों का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारिक घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) और (घ) मत्स्यन ऐसा उद्योग नही जिसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत हो ।

निम्नलिखित बड़े व्यापारिक घरानों में मछली पकड़ने वाले विदेशी जलपोतों के आयात/चार्टर के लिए आवेदन किया है । आवेदन पत्र विचाराधीन हैं :—

(1) मैसर्स टाटा आयल मिल्स कं० लिमिटेड

(2) मैसर्स यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड ।

(3) मैसर्स ब्रिटेनिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ।

(4) मैसर्स जे० के० केमिकल्स लिमिटेड ।

(5) मैसर्स विमको लिमिटेड ।

विवरण

समुद्री उत्पादों का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारिक घरानों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सूची।

कम्पनी का नाम	परिचालन क्षेत्र	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 20 मीटर और इससे ज्यादा लम्बाई वाले जलपोतों की संख्या
1. जलपोतों का परिचालन करने वाली कम्पनियां		
1. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०	आन्ध्र प्रदेश/केरल	8
2. इण्डिया तम्बाकू कं० लि०	आन्ध्र प्रदेश/पश्चिम बंगाल	2
3. ब्रिटेनिया इण्डस्ट्रीज लि०	महाराष्ट्र/गुजरात/आन्ध्र प्रदेश/पश्चिम बंगाल	3
4. ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लि०	तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश/पश्चिम बंगाल	2
5. टाटा आयल मिल्स कं० लि०	गुजरात/महाराष्ट्र/तमिलनाडु/केरल/आन्ध्र प्रदेश/पश्चिम बंगाल	2
6. कोकंण फिशरीज प्राइवेट लि०	गुजरात/महाराष्ट्र/गोवा आन्ध्र प्रदेश/पश्चिम बंगाल	6
2. ऐसी कम्पनियां जिनके पास अपने कोई जलपोई नहीं हैं		
7. ब्रुक बाण्ड इण्डिया लि०	केरल	
8. हिन्दुस्तान लीवर लि०	महाराष्ट्र/केरल	
9. रेलिस इण्डिया लि०	तमिलनाडु/महाराष्ट्र/केरल	
10. विमको लि०	महाराष्ट्र/तमिलनाडु	
11. वोल्टास लि०	केरल	
12. चौगुले इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	महाराष्ट्र/गोआ/गुजरात	
13. कोठारी इन्टरनेशनल	तमिलनाडु	
14. रानल इन्टरनेशनल	केरल	
15. कोठारी फिशरीज	तमिलनाडु	
16. ग्रीन्ज इन्टरनेशनल	महाराष्ट्र	

हरियाणा में चीनी का खुला बाजार मूल्य

1921 **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में सितम्बर से दिसम्बर, 1980 तक खुले बाजार में चीनी की दरें थीं; और

(ख) उक्त अवधि में खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी की कितनी मात्रा हरि को आवंटित की गयी और चीनी की कितनी मात्रा का वितरण किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सितम्बर, से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन, हरि सरकार को 13,500 मीटरी टन देशी और आयातित मुक्त बिक्री की चीनी आवंटित की और इसमें से उन्होंने 12 500 मीटरी टन चीनी उठाई थी और उसका वितरण किय पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक की उक्त अवधि के दौरान यह चीनी 5.95 रु किलो के निर्धारित खुदरा मूल्य पर वितरित की गई थी ।

2. 15 नवम्बर, 1980 को उपर्युक्त योजना की समाप्ति की बाद, खुले बाजार में के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी और नवम्बर, 1980 के दूसरे पखवाड़े में हरियाणा की मंडियों में चीनी के खुदरा मूल्य 9.50 रुपये से 10.60 रुपये प्रति किलो के रेंज में थे । उस मूल्यों में गिरावट आई थी और दिसम्बर, 1980 के पहले और दूसरे पखवाड़ों में हरियाणा में चीनी के खुदरा मूल्य क्रमशः 7.30 रुपये से 8 00 रुपये प्रति किलो और 7 से 7 60 रुपये प्रति किलो के रेंज में थे ।

हरियाणा की चीनी की वार्षिक मांग

1922. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा की चीनी की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वाम

(क) और (ख) चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को 17.12.1979 से पुनः लागू 16.8.1978 को चीनी पर से नियंत्रण हटने के तुरन्त पूर्व आंशिक नियंत्रण की अवधि लेवी चीनी के राज्यवार जो कोटे दिये जाते थे, उन्हें बहाल कर दिया गया है ।

तदनुसार, हरियाणा सरकार को उचित दर की दुकानों से वितरण के लि मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है । इसके अलावा, सीमा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मामूली मा की जा रही है ।

मार्च, 1980 में हरियाणा सरकार ने अपने लेवी चीनी के मासिक कोटे को 4,916 से बढ़ाकर 8,500 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण हरियाणा सहित विभिन्न राज्य सरकारों से मासिक कोटे में वृद्धि करने विषयक प्राप्त अनुरोध पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है।

हरियाणा में उर्वरकों की उठान में गिरावट

1923. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में उर्वरकों की उठान में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और कितनी गिरावट आई है; और

(ग) अगली फसल पर उस का क्या प्रभाव होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनथन) : (क) और (ख) निम्नलिखित आँकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा में उर्वरक की खपत में वृद्धि हो रही है :—

वर्ष	उर्वरक की खपत (लाख मीटरी टन पोषक तत्व)
1978-79	2.04
1979-80	2.16
1980-81	2.48

(अनुमानित)

राज्य में गम्भीर सूखे की स्थितियों के कारण वर्ष 1978-79 की तुलना में वर्ष 1979-80 में खपत में वृद्धि की दर केवल 5.9 प्रतिशत थी। तथापि 1980-81 में वृद्धि की दर के 14.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस प्रकार यह पता चलता है कि हरियाणा में उर्वरक की खपत में कमी नहीं आयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में डबल रोटी की कमी

1924. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया", नई दिल्ली में प्रकाशित 'ब्रेड शार्टेज अस्योर्ड फार ए व्हाइल इन दी कैपिटल' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और निजी क्षेत्र में बड़े निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि डबल रोटी के मूल्य में कई ओर से असामान्य वृद्धि कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने तथा इस कमी को दूर करने के लिए उत्पादकों को मैदा आदि के पूरे कोटे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली की निजी क्षेत्र बेकरियाँ रोलर आटा मिलों से अपनी आवश्यकता का मैदा प्राप्त करती हैं। ब्रेड के निर्माताओं को मैदे की सप्लाई की कमी के बारे में समाचार मिलने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी मैदे से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा किया जाता हैं, दिल्ली प्रशासन ने तुरन्त कार्रवाई की। क्योंकि तथाकथित कमी मैदे की कम सप्लाई के कारण थी, इसलिए ब्रेड निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ था।

(ग) जी नहीं। डबल रोटी के मूल्य में अनौपचारिक रूप से वृद्धि करने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने रोलर आटा मिलों से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली के ब्रेड निर्माताओं की मैदे से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करें। प्रशासन ने सूचित किया है कि ब्रेड निर्माताओं से मैदे की कम सप्लाई के बारे में फिलहाल कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा बच्चों के लिए डिब्बा बंद पौष्टिक आहार

1925. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल (हरियाणा) के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने बच्चों के लिए डिब्बा बन्द पौष्टिक आहार का विकास किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान, करनाल द्वारा बढ़ते हुए बच्चों के लिए (उम्र 1 से 4 वर्ष) वनस्पति प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत-सोयाबीन और पनीर निर्माण के एक उपोत्पाद-पनीर के पानी से एक "सो-वे" (सोया और पनीर का पानी) आहार उत्पाद विकसित किया गया है। 23% प्रोटीन, 20% वसा, 50% कार्बोहाईड्रेट्स 5% ऐश और 1.5% नमी युक्त इस आहार को स्प्रे-ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है। इस आहार चूर्ण में अच्छी घुलनशीलता है जिससे कि बच्चों के लिए एक रुचिकर और पौष्टिक पेय बनाने के लिए इसे पानी में आसानी से घोला जा सके। इस चूर्ण में पानी मिलाकर इसे दलिया के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। यदि

इच्छा हो तो थोड़ी-सी चीनी मिलाने से ये अधिक स्वादिष्ट बनेगा। यद्यपि यह उत्पाद कुछ महीनों तक तो सामान्य तापमान में भी ठीक टिक सकता है तो भी यह वांछनीय है कि इसे अंधेरे में कम तापमान में रखा जाय। तथापि, यह सलाह दी जाती है कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए जहाँ तक संभव हो इस आहार का उपभोग ताजा रूप में ही किया जाना चाहिए।

पूर्वी डोम्बीवाली के लिये डाकघर

1926 **श्री आर० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री पूर्वी डोम्बीवाली के लिए डाकघर के बारे में 24 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोम्बीवाली (जिला थाना) के रामनगर सेक्शन में नया डाकघर खोलने के लिए उपयुक्त जगह प्राप्त करने की दिशा में गत तीन महीनों के दौरान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) इस डाकघर के कब तक खुल जाने की आशा है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) विभाग ने डाकघर के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करने हेतु डोम्बीवाली नगर पालिका के अध्यक्ष से अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में उनसे अभी तक कोई जबाव नहीं मिला है। उचित इमारत को किराये पर लेने के प्रयास जारी हैं।

(ख) और (ग) किराये पर उचित इमारत की व्यवस्था होते ही डाकघर खोल दिया जाएगा।

समेकित बाल विकास सेवा

1927. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास चालू वित्तीय वर्ष में देश में किसी समेकित बाल-विकास सेवा परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा में ऐसी कुल कितनी परियोजनाएँ हैं जो लागू की जायेंगी; और

(ग) क्या देश के लोगों के लिए अधिकतम पोषण उपलब्ध कराने के लिए उचित अवधि के अन्दर कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) समेकित बाल-विकास सेवा कार्यक्रम इस देश में 1975-76 में शुरू किया गया था तथा अब

तक 200 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 के दौरान इस देश में 100 और परियोजनाएँ शुरू करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा में इस समय चल रही 10 परियोजनाओं के अतिरिक्त 1981-82 में 5 और परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पोषाहार नीति का पहला प्रारूप तैयार कर लिया गया है, परन्तु नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है। नीति के प्रारूप में कहा गया है कि राज्य (1) कृषि, (2) उद्योग, (3) वाणिज्य और संचार, (4) शिक्षा, (5) पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाओं के परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रों में से प्रत्येक में पोषाहार को शामिल करने के लिए प्रयत्न करेगा। इस से पोषाहार के मुख्य अंशों, जैसे कि पूर्ति और खपत के समन्वय को तथा खाद्य उत्पादन, पोषाहार शिक्षा, खाद्य पुष्टिकरण, पूरक खाद्य वितरण और स्वास्थ्य उपायों के विभिन्न पहलुओं से परस्पर योगदानों की कार्यपद्धति के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

केन्द्रीय तार घर, पटना में तारों का जमा हो जाना

1928. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तार घर, पटना में कर्यचारियों की कमी तथा समयोपरि भत्ता देना बन्द कर दिये जाने के कारण 5000 तार जमा हो गए हैं और लोगों को तार या तो डाक द्वारा अथवा विशेष डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पटना डिवीजनल यूनियन ने उन्हें इस सम्बन्ध में एक पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय डाक घर, पटना के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) केन्द्रीय तार घर पटना में किसी सीमा तक तार एकत्रित हो रहे थे। अगस्त, '80 से जनवरी, '81 के दौरान लगभग तीन प्रतिशत (3%) तार डाक द्वारा भेजे गए थे।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय तारघर पटना के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु उठाये गये/उठाये जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख कदम इस प्रकार हैं—

(एक) पटना से निर्गमित आन्तरिक क्षेत्रीय मार्गों पर एस०-4 डी० एक्स उपकरण की व्यवस्था।

(दो) परिपथों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करने तथा मशीनों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करना।

(तीन) उच्चवरीयता देकर प्रचालन संवर्गों में रिक्तियों को भरना, आरक्षित पूल बनाना और अल्पावधि सेवा कर्मचारियों को नियुक्त करना।

(चार) प्रेषण तार संदेश चिपकाने परिचालन और वितरण स्थानों पर विलम्ब से बचने के लिए प्रचालन-प्रक्रिया में संशोधन करना ।

(पांच) सभी स्तरों पर अतिशीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए निजी/व्यक्तिगत श्रेणी के तारों के प्रेषण की क्रियाविधि में परिशोधन करना ।

(पाँच) कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार तथा उनके व्यक्तिगत कार्यों का अतिशीघ्र निपटान करना ।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

1929. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान दिल्ली में अंशतः और पूर्णतः नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1980 को ऐसी कालोनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिन्हें अभी तक नियमित किया जाना शेष है;

(ग) क्या सरकार ने उन कालोनियों के लिए, जिन्हें हाल में नियमित किया गया है, कोई विकास-शुल्क निश्चित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसने 1980 के दौरान निम्नलिखित 5 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के नक्शों को अनुमोदित कर दिया है :—

1. पालम इन्क्लेव 1
2. राजनगर भाग 1
3. राजनगर भाग 2
4. साध नगर भाग 1
5. साध नगर भाग 2

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1980 के दौरान किसी भी कालोनी को नियमित नहीं किया है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संकलित 612 अनधिकृत कालोनियों की संशोधित सूची **अनुलग्नक** 1 से 5 तक में दी गई है । दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनुलग्नक 6 के अनुसार सूची में शामिल की गई उनके क्षेत्राधिकार की 141 कालोनियों को अब तक अनुमोदित किया गया है । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल०टी०-1994/81]

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में वर्षा के कारण गेहूं की फसल की हानि

1930. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में हाल की भारी वर्षा ने बहुत से स्थानों पर गेहूँ की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या क्षति का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) भावी भरपूर फसलों को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) यह ठीक है कि पंजाब में हाल की भारी वर्षा से गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचा है, किन्तु ऐसा नुकसान पंजाब में गेहूँ के कुल क्षेत्र के लगभग 28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 93,000 हैक्टेयर क्षेत्र तक सीमित है। पंजाब सरकार ने नुकसान की सही स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विशेष गिरदावरी का आयोजन किया है, ताकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मान-दण्डों के आधार पर राहत उपलब्ध की जा सके।

स्मारकों का संरक्षण

1931. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस समय देश में कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के 15,000 प्रसिद्ध स्मारकों के एक चौथाई की देखभाल कर रहा है;

(ख) क्या राज्य इसके लिए पर्याप्त राशि का आबंटन अथवा इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण स्मारकों की क्षति हो रही है, बहुत-सी कीमती मूर्तियां और नक्काशी वाली वस्तुओं की वर्षों से चोरी की जाती रही है तथा ये पश्चिमी देशों को भेजी जाती रही हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इसमें रुचि रखने वाले निजी निकायों को जैसे मीनाक्षी मन्दिर की देखभाल करने वाले न्यास आदि की सहायता लेने के औचित्य पर कभी विचार किया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केवल ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रख-रखाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है जिन्हें प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधि-नियम, 1958 (1958 का 24) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। ऐसे स्मारकों की संख्या 3477 है।

(ख) राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गए स्मारकों को छोड़कर सम्बन्धित राज्य-विधियों के अधीन परिरक्षित अन्य प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव की जिम्मेदारी विभिन्न

राज्य सरकारों की होती है। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पुरावशेषों के छल-कपटपूर्ण व्यापार तथा तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

शीत लहर के कारण मृत्यु

1932 **श्री आर० एन० राकेश :श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की शीत लहर के कारण अनेक गरीब लोगों की मृत्यु हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा में शीत लहर से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है,

(ग) पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष इन राज्यों में शीत-लहर में मरे व्यक्तियों के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छठी योजना के दौरान शीतागार

1933. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान सरकार का कोई प्रस्ताव विभिन्न राज्यों को शीतागार सुविधाएँ उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य में कितने शीतागार बनाए गए हैं; और

(ग) 1981-82 के दौरान उड़ीसा राज्य में (जिलावार) कितने शीतागार बनाए जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) यह मंत्रालय शीतागारों का निर्माण नहीं करता। शीतागार, राज्य सरकार की सहायता से सहकारी समितियों द्वारा तैयार होते हैं। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से भी सहायता प्राप्त होती है। उड़ीसा के लिये 16 सहकारी शीतागारों में से 14 शीतागार पूरे हो चुके हैं तथा दो तैयार हो रहे हैं। 1980-81 के दौरान 6 सहकारी शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रस्तावों पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

विचार कर रहा है। राज्य सरकार से 1981-82 से सम्बन्धित प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अभी नहीं मिले हैं। 1980-81 के दौरान स्थापित हो रहे तथा विचाराधीन शीतागारों से सम्बन्धित जिलावार स्थिति संलग्न विवरण में दे दी गई हैं।

विवरण

उड़ीसा में सहकारी शीतागारों की जिलावार स्थिति

क्रम सं०	जिला	शीतागारों की संख्या, जिन के लिये व्यवस्था की गई है।	स्तम्भ 3 में से स्थापित किए जा रहे शीतागारों की संख्या	शीतागारों की संख्या जिनके लिए 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कटक	5	1	3
2.	सम्बलपुर	2	—	1
3.	कोरापुट	1	—	—
4.	धेंकानल	2	—	1
5.	पुरी	2	—	—
6.	गंजम	2	1	1
7.	फुलबानी	1	—	—
8.	सुन्दरगढ़	1	—	—
	कुल	16	2	6

मगरमच्छ परियोजनाओं का विकास

1934. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अधीन विभिन्न राज्य सरकारों को मगरमच्छ परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा को 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई,

(ग) क्या वर्ष 1981-82 के लिए आवंटन को बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां।

(ख) 1978-79 —कोई नहीं
1979-80 —4 लाख रुपए
1980-81 —5.43 लाख रुपए

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए उड़ीसा सरकार के लिए अलाट की गई धन राशि 5 लाख रुपए है। राज्य सरकार से अलाटमेंट बढ़ाने के सम्बन्ध में अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता,

पंजाबी बाग, दिल्ली से फैक्टरियों का स्थानान्तरण

1936. **श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार पंजाबी बाग के निकट स्थित सभी फैक्टरियों को स्थानान्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वहाँ पर कितनी फैक्टरियाँ है और उनको वैकल्पिक स्थान कहाँ पर दिया जायेगा;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कीटनाशियों का निशुल्क वितरण

1937. **श्री निहाल सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को चूहों आदि से अपनी खड़ी फसलों को होने वाली भारी हानि से बचाने हेतु उनको कीटनाशी दवाओं की निशुल्क वितरण करने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(ख) यति हाँ, तो कीटनाशियों का वितरण किस एजेंसी के माध्यम से किया जाता है और राज्यों को पिछले 2 वर्षों में वर्ष-वार कीटनाशियों के रूप में कितनी सहायता दी गई;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस समय, किसानों को निःशुल्क आधार पर कीटनाशी दवाएं देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, हाल ही में बाँस के पुष्पण के समय चूहों का काफी प्रकोप बढ़ने पर मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र को, चूहों पर नियंत्रण पाने के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(ख) कीटनाशी दवाओं का वितरण केन्द्रीय सरकार नहीं करती। केन्द्रीय सहायता सिर्फ

कीट नियंत्रण उपायों के लिए दी जाती है। मिजोरम को विशेष योजना के तहत चूहों के नियंत्रण के लिए दी गई 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1978-79	7.15 लाख रुपए
1979-80	कोई नहीं।

पहाड़ी क्षेत्रों से नगरों को कृषि-उत्पादों का परिवहन

1938. **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से नगरों और बाजारों को उत्पादन के परिवहन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक किन-किन राज्यों में उत्पादन के लिए सड़कों और बाजारों की व्यवस्था की गई है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में स्कूलों का अभिभावक अध्यापक संगठन निधि

1939. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र से अभिभावक अध्यापक संगठन के लिये 2 रु० की वार्षिक फीस ली जा रही है और अभिभावकों को यह नहीं बताया जाता कि इस राशि का व्यय किन प्रयोजनों के लिये किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस लेखे पर राशि जमा करने की रोकने की करंवाही करने का अथवा क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों में अभिभावकों की बैठक बुलाने हेतु आदेश जारी करने का है। जिससे कि उनके बच्चों की शैक्षिक समस्याएं हल की जा सकें ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) और (ख) जहाँ तक राजकीय और नगर निगम स्कूलों का सम्बन्ध है, अभिभावक शिक्षक संघ का गठन एक स्वैच्छिक कार्यकलाप है। जहाँ तक मान्य सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का सम्बन्ध है, दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59 (एक) (ख) (दो) में प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में दिल्ली के प्रशासक द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार अभिभावक शिक्षा संघ के गठन का प्रावधान है। नियम के अनुसरण में जारी किए गए निर्देशों में सभी अभिभावकों से एक रुपया अथवा यदि संघ की महा सभा द्वारा निर्णय किया जाए तो इससे अधिक वार्षिक नामांकन शुल्क लेने की व्यवस्था है। दिल्ली अभिभावक शिक्षक संघ के विधान में संघ की बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावक-शिक्षक परामर्श सम्भव बनाने के कार्यक्रम तैयार करना संघ के कार्यों में से एक है।

खेल-कूद के विकास के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

1940. **श्री मनमोहन दुडू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेल-कूद के विकास के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण के लिये धन-राशि उपलब्ध कराई जायेगी;

(ग) क्या छठी योजनावधि के दौरान मयूरभंज जिले में कोई स्टेडियम निर्मित किये जायेंगे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय योजना जारी रखने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को देश में खेलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह संबन्धित राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वे जिस जिला अथवा स्थान (शहरी अथवा ग्रामीण) को सर्वोत्तम समझें वहाँ स्टेडियमों इत्यादि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजें। इस प्रकार, छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों अथवा मयूर-भंज जिले में स्टेडियमों के निर्माण के लिए यदि कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी, वह इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा सिफारिश किए जाने वाले प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

केन्द्रीय सरकार को "केयर" से प्राप्त वस्तुएं

1941. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार ने "केयर" से कितने माल का आबंटन प्राप्त किया है; और

(ख) वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान "केयर" का कितना माल रिलीज किया गया ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ख) सम्बद्ध जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में डाक एवं दूर-संचार सुविधाएं

1942. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा दूरसंचार के उड़ीसा परिमंडल द्वारा डाक तथा दूरसंचार दोनों सेवाओं की दृष्टि से किन-किन जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में अभिचिन्हित किया गया है और छठी योजना में उनके सुधार के किये चुना तथा उनमें मंत्रालय को सूचित किया है;

(ख) उस राज्य के विशेष रूप से आदिवासी जिलों में डाक तार तथा दूरसंचार के जाल के बारे में उनके मंत्रालय को क्या समस्याएँ एवं कार्यक्रम सूचित किये गये हैं;

(ग) उनके मंत्रालय ने 1980-81 वर्ष के लिए उड़ीसा परिमंडल के लिए क्या कार्यक्रम मंजूर किए हैं और कितनी धनराशि की व्यवस्था की है तथा जनजातीय क्षेत्रों में क्या कार्य आरम्भ किये गए हैं; और

(घ) उस राज्य के जनजातीय जिलों के लिये डाक यार और दूर-संचार सुविधाओं हेतु वर्ष 1981-82 के लिये क्या प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) उड़िसा सर्कल द्वारा डाक विकास के लिए पूरे तौर पर पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताविन जिले इस प्रकार है :-

(एक) क्योंझर (दो) केरापुट (तीन) कालाहान्द्री (चार) धेनकानाल (पाच) मयूर-भंज (छः) फुलवारी (सात) सुन्दरगढ़

उपरोक्त साल जिलों के अतिरिक्त दूरसंचार सुविधाओं के लिए घोषित पिछड़े जिलों में बालासौर और बोलनगीर के दो और जिले हैं जिनको उड़िसा सर्कल में पूरी तौर पर पिछड़े जिलों में शामिल कर लिया गया है और इसीलिए उन्हें दूरसंचार संबंधी सुधार के उपयुक्त समझा गया है।

डाक :

(ख) तथा (ग) जनजाति जिला/क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में भी डाक खोलने के लिए अखिल भारतीय स्तर मानदण्ड हैं। जनजाती क्षेत्रों के लिए सामान्य क्षेत्रों से अधिक उदार मानदण्ड हैं। इस संबंध में उड़िसा सर्कल से कोई विशेष समस्या अथवा कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 1980-81 के लिये ग्रामीण डाक विकास (अनुमोदित और उपलब्धि प्राप्त दोनों) के कार्यक्रम विवरण में दिये गये हैं।

दूरसंचार:

पिछले ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की उदार नीति के अन्तर्गत उड़िसा दूरसंचार सर्कल ने वर्ष 1980-81 के दौरान जनजाति जिलों के लिए दो टेली-फोन एक्सचेंजों के स्थापना की योजना बनाई थी और दोनों ही खोल दिये गये हैं। राज्य के जन जाति क्षेत्रों के दूरसंचार कार्यक्रम में वर्ष 1980-81 के दौरान 20 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रावधान दिया गया था जिसमें से अब तक 10 की स्थापना की जा चुकी हैं। लम्बी दूरी के शेष सार्वजनिक टेलीफोन घरों की स्थापना में भंडार और उपस्कारों की कमी के कारण देर हो रही हैं।

(घ) 1981-82 के लिये राज्य के जन जाति जिलों में डाक तथा दूरसंचार के कार्यक्रम को अन्तिस रूप दिया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1980 81 के लिए उड़िसा सर्कल में विभाग द्वारा किया गया प्रावधान तथा अनुमोदित कार्यक्रम।

	लक्ष्य	उपलब्धि
1. ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना	140	120
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पत्र पेटियाँ स्थापित करना	500	619
3. चलते फिरते डाकघरों के माध्यम से गांवों के लिए काउन्टर सेवा की सुविधाओं की व्यवस्था।	135	135
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेतर एजेन्टों की नियुक्ति	300	300
वर्ष 1980-81 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया कार्य		
(1) खोले गए डाकघर		47
(2) लगायी गई पत्र पेटियाँ		236
(3) ऐसे गांव, जहां कान्टर सेवा की सुविधायें उपलब्ध कराई गई		15
(4) नियुक्त किए गए विभागेतर सहायकों की संख्या		124

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तर प्रदेश के लिए विभागीय पदोन्नति समिति

1943. **दयाराम शाक्य** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान अधिकारी के रूप में पदोन्नति पर विचार करने के लिए संस्थान की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब से नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के आदेशों के अनुसार विभागयी पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिये और यदि हां, तो संस्थान अधिकारियों द्वारा इन आदेशों के उल्लघंन के क्या कारण है; और

(ग) बैठक कब आयोजित होने की सम्भावना है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि उक्त बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जायें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानिर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अनुसंधान अधिकारियों की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों (सामान्य ग्रेड) के पदों पर पदोन्नति के बारे में बिचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की पिछली बैठक 11-8-1971 को हुई थी।

(ख) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की प्रशासनिक कारणों से वार्षिक अन्तराल पर बैठक नहीं हो सकी।

(ग) इस समय संघ लोक सेवा आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। संस्थान को हिदायत दी गई है कि वह विभागीय प्रोन्नति समिति की वार्षिक बैठकें सुनिश्चित करे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए विश्व बैंक से ऋण

1944. **श्री बी० डी० सिंह : श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए विश्व बैंक से लगभग 23 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई थी, जब इस परिषद् ने गत वित्तीय वर्ष में 14 करोड़ रुपये लौटाये थे और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 से 25 करोड़ रुपये की राशि लौटाये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो जब परिषद् इतनी अधिक राशि लौटा रही थी तो इसके लिए विश्व बैंक के ऋण की किन परिस्थितियों में व्यवस्था की गई थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो कि विश्व बैंक का एक सम्बद्ध निकाय है, के साथ दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 को हस्ताक्षर हुए थे जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक योजना की स्कीम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (एन० ए० आर० पी०) के लिए विश्व बैंक से 23 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान था। इस प्रायोजना का उद्देश्य खाद्यान्न फसलों और तिलहनों में, विशेष रूप से बारानी खेती में, स्थान बिशेष की अनुसंधान चलाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ बनाने के प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करना है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (एन० ए० आर० पी०) का गठन योजना आयोग और विश्व बैंक के परामर्श के बाद, विश्व बैंक द्वारा भारत की सहायतार्थ निर्धारित प्रायोजना से सम्बद्ध विकास ऋण का उपयोग करने हेतु विश्व बैंक के समक्ष उपयुक्त प्रायोजना के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया गया था जिसमें भा० कृ० अ० प० को सामान्य बजट आबंटन के उपयोग का विचार नहीं किया गया था।

विश्व बैंक की सहायता विकास ऋण के रूप में है (और वाणिज्यिक ऋण के रूप नहीं) जिस पर सिर्फ 0.75 प्रतिशत का वार्षिक अधिभार है। पुनर्भुगतान 40 वर्षों से ऊपर तक करना होगा। प्रथम पुनर्भुगतान वर्ष 1980 में शुरू होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गए वास्तविक खर्च के आधार पर विश्व बैंक भारत सरकार को परिव्यय के 50 प्रतिशत की (चाहे विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च किया गया हो चाहे देश के भीतर स्थानीय मुद्रा के रूप में) प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा के रूप में कर देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस प्रायोजना

के लिए जिस राशि की आवश्यकता है, वह उसको भारत सरकार द्वारा अपने सामान्य वार्षिक बजट और छठी योजना के आबंटन के माध्यम से प्रदान की गई है।

यह ऋण पहली जनवरी, 1979 से प्रभावी हुआ था और वर्तमान अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1983 है। दिनाँक 31 दिसम्बर, 1980 तक विश्व बैंक से 81.71 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है। शेष राशि वास्तविक खर्च के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अब भी उपलब्ध है। कोई भी राशि न तो विश्व बैंक को वापस लौटायी जा रही है और न वापस करने का प्रस्ताव है।

योजना की अनेक स्कीमों के क्लियर न होने के कारण, बजट में किये गए मौलिक प्रावधानों का उपयोग वर्ष 1979-80 में किया जा सका और इनके पूर्णतया प्रयोग होने की आशा वर्ष 1980-81 में भी नहीं है।

योजना बजट प्राक्कलन (1979-80) की 54.96 करोड़ रुपयों की राशि के सन्दर्भ में संशोधित प्राक्कलन में 41.96 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जहां तक योजना परिव्यय का सम्बन्ध है, इसी प्रकार से वर्ष 1980-81 के दौरान, 59.49 करोड़ रुपये के बजट प्राक्कलन में से संशोधित प्राक्कलन में 40.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यह अपेक्षा की जाती है कि योजना की प्रारम्भिक अवधि की कमियों के योजना के शेष वर्षों में दूर हो जाने की सम्भावना है।

दिल्ली के अन्तर-राज्जीय बस अड्डे पर खाने की वस्तुओं के ऊंचे दाम

1945 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अन्तर-राज्जीय बस अड्डे पर स्थित दुकानें खाने की सभी प्रकार की वस्तुएँ अत्यधिक मंहगे दामों पर बेच रही हैं;

(ख) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है कि यात्रियों को वहां स्थित दुकानों मे खाने की वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिलती रहें;

(ग) क्या सरकार इन दुकानदारों को अपनी वस्तुएँ उचित मूल्यों पर बेचने के लिए आदेश दे सकती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, इस सम्बन्ध में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी विधिवत जाँच की जाती है तथा कम्पूटरों के हितों की उचित रूप से सुरक्षा की जाती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित उपाय किये गए/किए जा रहे हैं।

(एक) अधिकतम दूकानों को सार्वजजिनक उपक्रमों, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड आदि को देने की दृष्टि से लाइसेंस नीति का पुनरीक्षण करना, तथा

(दो) वस्तुओं के मूल्य को नियन्त्रित करने का अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण में निहित करने के लिए लाइसेंस की शर्तों का पुनरीक्षण करना।

(ग) सरकार सिवाय आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तथापि, चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण लाइसेंस दाता हैं, वह लाइसेंस धारी को "अच्छा व्यवहार खण्ड" के अन्तर्गत खाद्य सामग्री को उचित मूल्य पर बेचने को कह सकता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जब कभी कोई शिकायत इसके नोटिस में आती है वह इस पर आवश्यक कार्यवाही करता है।

खंडवा और इन्दौर के बीच टेलेक्स और एस० टी० डी० की सुविधायें

1946. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खंडवा से इन्दौर के बीच टेलैक्स का सम्पर्क स्थापित करने का और वहाँ एस० टी० डी० की सुविधायें भी प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जबकि खंडवा में टेलैक्स हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है, खंडवा को एस टी डी सुविधा प्रदान करने के का प्रस्ताव है।

(ख) एस टी डी सुविधा प्रदान करने के लिए खंडवा स्वचलित एक्सचेंज को इन्दौर टी ए एक्स से जोड़ने का प्रस्ताव है।1

उर्वरकों की माँग के बारे में अध्ययन

1947. **श्री के० प्रधानी :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में उर्वरकों की माँग का अध्ययन किया है;

(ख) यहि हां तो इसकी वर्तमान खपत को ध्यान में रखते हुए भारत उर्वरकों की मांग को किस हद तक पूरा करने की स्थिति में हैं; और

(ग) देश में इसका उत्पादन वढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) उर्वरकों का घरेलू उत्पादन देश में उनकी समूची मांग पूरी करने के लिये अपर्याप्त

है। उर्वरकों की माँग और घरेलू उत्पादन के बीच होने वाली कमी को आयात करके पूरा किया जा रहा है।

(ग) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों में इष्टतम उत्पादन करके तथा अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का सृजन करके घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय वृहत आकार की नौ उर्वरक परियोजनाओं का एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत सी नयी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए योजना भी बनाई जा रही है।

राजस्थान में स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण

1948. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के लोग लम्बे अर्से से केन्द्रीय सरकार से एक ऐसी योजना बनाने के लिए आग्रह करते रहे हैं जिसमें ग्रामीण युवकों को राज्यों में स्वनियोजन के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1981 के लिए कितना आंबंटन किया गया है और कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कितनी सहायता दी जायेगी और प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों की बिक्री की संभावना का पता लगाया है ताकि विपणन सुविधाओं के न होने के कारण यह पूरा कार्यक्रम निरर्थक न हो ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण युवकों के स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1980-81 हेतु देश के 5011 विकास खण्डों में से प्रत्येक खंड से 40 ग्रामीण युवकों को शामिल किये जाने का लक्ष्य है।

इस योजना में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को निम्न प्रकार की सहायता देने की परिकल्पना की गई है :—

1. प्रशिक्षण के दौरान प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह 100 रुपये तक वजीफा दिया जाएगा।

2. प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा मास्टर शिल्पी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण व्यय के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह 50 रुपये तक की धनराशि दी जायेगी;

3. कच्चे माल के लिए प्रति पाठ्यक्रम 100 रुपये तक धनराशि दी जाएगी;

4. औद्योगिक यूनिटों के मामले में प्रति प्रशिक्षार्थी 3,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक यूनिट की लागत का एक-तिहाई उपदान दिया जाएगा। अन्य मामलों में, उपदान सामान्य समन्वित ग्राम विकास के प्रतिमान पर होगा।

5. उद्यम की स्थापना पर बकाया व्यय के लिए ऋण संस्थागत वित्तदायी एजेंसियों द्वारा सुलभ किया जाना है।

(घ) प्रशिक्षार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के महत्व को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समझा गया है। यद्यपि विपणन का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से स्वयं प्रशिक्षकों का होगा, फिर भी विकेन्द्रीवृत क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे विभिन्न संगठनों तथा हस्त शिल्प, हथकरघा, कायर आदि से सम्बन्धित संगठनों के माध्यम से समुचित विपणन प्रबन्ध किए जा रहे हैं। ग्रामीण विपणन तथा सेवा केन्द्रों को भी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल

1949. **श्री सतीश अग्रवाल : श्री एन० के० शेजवलकर : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को पेय जल की सप्लाई के लिए निधियों के नियतन हेतु मानदण्ड निर्धारित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त राशि में से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का भाग कितना होगा और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और योजनाओं के निष्पादन हेतु निधियों की व्यवस्था योजना आयोग के विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य प्लानों में किया जाता है। किन्तु ग्रामीण जल पूर्ति के सम्बन्ध में, चूंकि राज्य सरकारों समस्या ग्रस्त गांवों को पेय जल मुहैया करने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में पिछड़ गई थी, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने फासला, गहराई और पानी की कोटि से सम्बन्धित कतिपय मापदण्ड के आधार पर 1972 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान पता लगाए गए ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या ग्रस्त गाँवों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रति पूर्ति करने का निर्णय लिया था। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के नियतन के लिए इन सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समाविष्ट न हुए शेष समस्या ग्रस्त गांव कितने हैं तथा इन गांवों की आबादी क्या है और संसाधन, अन्तर, निष्पादन आदि जैसे अन्य विशेष विचारणीय विषय क्या है;

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्या ग्रस्त

गांवों को पेय जल देने के लिए सहायता अनुदान के रूप में राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों को दी गई वर्षवार राशि इस प्रकार है :—

लाख रुपयों में

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
राजस्थान	252.30	353.27	205.00	359.10
मध्य प्रदेश	252.80	290 00	357.15	624.00

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद

1950. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के कर्मचारियों ने भारत सरकार से कोई शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस कालेज के कार्यों की कोई चांज की है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

तथापि, कालेज, के कर्मचारी संघ से प्राप्त कुछ अभ्यावेदन सरकार को भेजे गए हैं।

(ख) अभ्यावेदनों में उठाए गए विषयों के सम्बन्ध में सरकार के विचार कालेज के शासी कोर्ट को, कोर्ट में सरकार के नामजद सदस्य के माध्यम से सूचित कर दिये जाएँगे।

(ग) भारत सरकार को अभी हाल में हुई ऐसी किसी चाँज की जानकारी नहीं है।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यकरण में सुधार

1951. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** . क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रम का सुधार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राशन की दुकानों के माध्यम से अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई

1952. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले गेहूं की मात्रा में कमी करके चावल की मात्रा बढ़ा दी गई है, किन्तु राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे चावल की किस्म काफी घटिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव राशन की दुकानों के माध्यम से अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई हेतु निर्देश जारी करने का है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी हां, दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले चावल की मात्रा 21-10-80 से बढ़ा दी गई हैं और गेहूं की मात्रा में कमी कर दी गई है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से उचित औसत किस्म का चावल सप्लाई किया जाता है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के लिए ऐसे स्थायी अनुदेश हैं कि वे उचित औसत किस्म के अनुरूप अच्छे किस्म का चावल सप्लाई करें।

'नफेड' द्वारा प्याज की खरीद

1953. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नफेड ने विभिन्न राज्यों में किसानों से प्याज की खरीद और उसका निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी प्याज खरीदी गई है तथा इस खरीदी गई प्याज के लिए किसानों को दिया गया औसत मूल्य क्या है;

(ग) 1980-81 मौसम के दौरान देश में प्याज का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि नफेड प्रमुख निर्यातकों के माध्यम से प्याज का निर्यात कर रहा हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 के दौरान 'नफेड' द्वारा स्वयं तथा नियुक्त किए गए निर्यातकों के माध्यम से कुल कितनी प्याज का निर्यात किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। 'नफेड' घरेलू तथा निर्यात के उद्देश्यों से नियंत्रित मंडियों में राज्य सहकारी विपणन संघों/विपणन समितियों के माध्यम से किसानों से प्याज की खरीद कर रहा है।

(ख) 'नफेड' द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में की गई प्याज की खरीद का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सहकारिता वर्ष	राज्य	खरीद मीटरी टन में	औसत मूल्य रुपये प्रति मीटरी टन
1978-79	महाराष्ट्र	98,451	710
	गुजरात	14,993	710
	तमिलनाडु	9,000	—
	कुल : 1,22,444		
1979-80	महाराष्ट्र	1,89,000	520
	गुजरात	15,510	520
	तमिलनाडु	5,577	800
	कुल : 2,10,087		
1980-81	महाराष्ट्र		
1-7-80 से 31-10-80 तक		23,332	510
1-11-80 से 19-2-81 तक		53,000	610
	तमिलनाडु	1,375	600
	कुल : 77,707		

(ग) 'नफेड' द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान प्याज का उत्पादन करीब 26 लाख मीटरी टन होने की संभावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1980 तथा जनवरी, 1981 के दौरान, 'नफेड' तथा अन्य सहयोगी पोतवणिकों द्वारा किए गए निर्यात का विवरण निम्न प्रकार है :—

मात्रा : मीटरी टन में

मूल्य : लाख रुपयों में

वर्ष	महीना	नफेड		सहयोगी पोतवणिक		कुल	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1980		57132	861.70	89375	1495.12	146507	2356.82
जनवरी, 1981		3655	45.93	8192	134.33	11847	180.26

मध्य प्रदेश में फसल बीमा

1954. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1981 में मध्य प्रदेश में आयोजित फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या सामान्य बीमा निगम फसल बीमा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है और यदि हाँ, तो किस सीमा तक; और

(घ) इस योजना को विशेष क्षेत्रों के लिए सक्षम बनाने के लिए, क्या मध्य प्रदेश सरकार छोटे तथा सीमान्त किसानों से देय किश्त का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली मार्गदर्शी फसल बीमा योजना मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को क्रियान्वयन हेतु परिचालित की है, सामान्य बीमा निगम, मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों के लिए अधिकतम 6.5 करोड़ रुपये तक की बीमा संबंधी व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है। चालू मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त कृषकों द्वारा दिए जाने वाले कुल प्रीमियम पर सघन ग्राम विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक की राज सहायता दी जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश में पशु बीमा

1955. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "पशु बीमा योजना" लागू कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना किन राज्यों में चल रही है तथा दिसम्बर, 1980 तक इस योजना के अन्तर्गत कितने पशुओं का बीमा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने पशु के बाजार मूल्य पर किश्त की दर को 4 प्रतिशत से घटा कर 3.2 प्रतिशत करने का निर्णय किया है; और

(घ) मध्य प्रदेश में बीमा योजना के अन्तर्गत कितने पशुओं का बीमा करने का प्रस्ताव है तथा इस पर कितनी पूंजी परिव्यय होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पूरे देश में पशु बीमा व्यापार, जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया की चार सहायक कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1980 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाए गए पशुओं की कुल अनुमानित संख्या 56 लाख है।

(ग) प्रीमियम की दरें जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा इसकी सहायक

कम्पनियों द्वारा निर्धारित की जाती है। विशेष कार्यक्रम के क्षेत्रों, अर्थात् सघन ग्राम विकास सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में लक्षित वर्गों के लिए प्रीमियम की दर 2.25 प्रतिशत है। विशेष कार्यक्रम निधि से इस प्रीमियम पर 10 प्रतिशत की राज सहायता के लिए भी व्यवस्था है। यह बीमा संस्थागत ऋण से सम्बन्धित है। बीमा कराने वाले की इच्छा से अतिरिक्त प्रीमियम के माध्यम से पूरे बाजार मूल्य की पूर्ति की जा सकती है।

पशु बीमा पर प्रीमियम घटाने के लिए जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पशु बीमा के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है। प्रत्येक राज्य के लिए बीमा किए जाने वाले पशुओं की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है।

बजाज सागर सिंचाई परियोजना

1956. **श्री भोखाभाई :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बंसवाड़ा जिले में बजाज सागर सिंचाई परियोजना निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या ऐसा गुजरात सरकार द्वारा जो इस संयुक्त परियोजना में भागीदार है, राशि का आवंटन न किए जाने के कारण है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने कभी गुजरात सरकार को बैंक वाटर क्षतिपूर्ति जैसी बकाया देय राशि के लिए भुगतान करने को कहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सही बजाज सागर परियोजना के पूरा होने में अधिकांशत: निर्माण सामग्री की कमी और उन कठिनाइयों के कारण देरी हुई है जो परियोजना पर मुख्य ठेकेदारों के साथ उत्पन्न हो गई थी।

(ग) जी, नहीं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार द्वारा धन आवंटन न करने के कारण परियोजना पर कार्य को हानि नहीं पहुंची है।

(घ) जी, नहीं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

1957. **श्री भाखीभाई :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार भिन्न-भिन्न वर्गों के सदस्यों को मनोनीत करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि अब तक मनोनीत किए गए सदस्य या तो रईस वर्ग के रहे हैं या बाबू लोग;

(घ) क्या इस बोर्ड में निचले स्तर के व्यक्तियों पर कभी मनोनयन के लिए विचार किया गया है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) नामांकन वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएसन के अनुसार किया जाता है, जिसमें संसद सदस्यों राज्यों के प्रतिनिधियों, समाज वैज्ञानिकों, समाज कल्याण प्रशासकों और विख्यात सामाजिक कार्य कर्त्ताओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है .

(घ) जी, हाँ ।

(ङ.) प्रश्न नहीं उतठा ।

अर्थना (राजस्थान) में संग्रहालय

1958. **श्री भीखाभाई** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बंसवाड़ा जिले के अर्थना में कोई भी संग्रहालय स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सभी प्रकार की ऐतिहासिक और वस्तु कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को खुले में बिना बाड़ लगाए और बिना किसी सुरक्षा के रखा हुआ है ।

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसिहासिक स्मारकों में कलात्मक वस्तुओं को उनके वास्तु-कला सम्बन्धी सौन्दर्य के कारण चुराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का प्राचीन नक्काशी के दुर्लभ स्मारकों और उत्कृष्ट वास्तु कला संबंधी वस्तुओं के परिक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ । अर्थना में किसी संग्रहालय की स्थापना नहीं हुई है । खुली मूर्तियों को रखने के लिए ही केवल एक मूर्ति-सायबान बनाया गया है ।

(ख) कुछ बड़े आकार की मूर्तियों को छोड़कर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व की सभी उपलब्धियों को एक ही मूर्ति सायबान में सुरक्षित ढंग से रखा गया है । बड़े आकार की मूर्तियों तथा स्मारकों के उचित पहरे व निगरानी के लिए स्मारक परिचर तैनात किए गए हैं ।

(ग) इस परिरक्षित स्मारक पर कोई चोरी की घटना नहीं घटी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अर्थुना अवशेष

1959. **श्री भीखाभाई** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में बंसवाडा जिले के अर्थुना अवशेषों के ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी महत्व की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में जो खुदाई कार्य किया गया है, उसके काफी उत्साहकवर्धक निष्कर्ष निकले है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अर्थुना से तलवाड़ा तक की पाँच मील की पट्टी पर खुदाई कार्य शुरू नहीं किया गया है; और

(घ) खुदाई कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अर्थुना अवशेषों पर कोई खुदाई कार्य नहीं किया गया ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) खुदाई से सम्बन्धित मामलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नीति केवल समस्या-मूलक कार्य हाथ में लेने की रही है और उक्त स्थल इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता ।

कटक सर्कल के डिवीजनल टेलीग्राफ आफिस में रिक्त पडे पद

1960. **श्री अनादी चरण दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक सर्कल के डिवीजनल टेलीग्राफ कार्यालय में बड़ी संख्या के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वहां पर विभिन्न रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं । कटक स्थित केन्द्रीय तार घर में एक भी रिक्त पद नहीं है कटक में कोई भी मंडल तार घर नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोस्टल स्टेशनरी की कमी

1961. **डा० वसन्त कुमार पण्डित : श्री अशोक गहलोत :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलग-अलग मूल्य की डाक टिकटों तथा स्टेशनरी की कमी है;

(ख) क्या इस कमी को जिला एवं गांव स्तर पर गंभीर रूप से अनुभव किया जा रहा है; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने देश के सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में डाक टिकटें तथा डाक स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) डाक-टिकट एवं डाक लेखन सामग्री के उत्पादन में विभिन्न मदों की बढ़ती हुई माँग के साथ-साथ वृद्धि नहीं हुई है। इसके परिणाम स्वरूप डाकघरों ने, जिसमें जिले एवं ग्राम स्तर के डाकघर भी शामिल हैं, कुछ मदों की कमी रही है।

डाक टिकट एवं लेखन सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करने तथा वितरण में सुधार करने हेतु अनेक उपाय किए गए है। इन उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डाक टिकट एवं डाक लेखन सामग्री की कमी पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) डाक टिकट एवं डाक सामग्री के उत्पादन का पर्यवेक्षण करने एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय तथा डाक-तार विभाग के वरिष्ट अधिकारियों की एक अन्तर मंत्रालय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(2) डाक टिकट एवं डाक लेखन सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक की मशीन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए है।

(3) डाक लेखन सामग्री की मदों की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु हैदराबाद में एक और प्रतिभूति मुद्रणालय स्थापित किया जा रहा है।

(4) डाक-टिकटों के शीघ्र वितरण हेतु भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, रेलवे तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखने के लिए नासिक में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(5) उपलब्ध भंडार के बेहतर वितरण हेतु विभाग भंडारण एवं वितरण कार्यों को राजकीय खजानों से उत्तरोत्तर अपने हाथ में ले रहा है।

(6) उच्च मूल्य वर्ग के नियत डाक-टिकटों की संख्या प्रति शीट 50 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है ताकि उतने ही प्रयासों से अधिक संख्या में डाक-टिकट छापे जा सकें।

(7) फ्रेंकिंग मशीन के प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा फ्रेंकिंग मशीन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक सुविधाएं दी जा रही है जिनमें कुल फ्रेंक मूल्य में 1.5 प्रतिशत की छूट भी शामिल है।

(8) आवश्यकता पड़ने पर जनता की माँग को पूरा करने के लिए पोस्टमास्टर जनरल द्वारा खाली अन्तर्देशीय पत्रों एवं लिफाफों का स्थानीय उत्पादन किया जा सकता है।

(9) अनैतिक पेशे को रोकने के लिए दूरवर्ती, पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर लाइसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से टिकटों की बिक्री अस्थायी तौर पर बन्द कर दी गई है।

डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोशियेसन

1962. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसियेशन, चन्द्रपुर ने विभाग द्वारा चाही गई अपेक्षाओं का पालन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी अनुदानों के लिये एसोसिएशन के मामले पर विचार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ।

(ख) समाज कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण संबंधी योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, चन्द्रपुर के मामले पर विचार कर लिया है। 1980-81 के दौरान 50 बच्चों के पालन पोषण के लिये एसोसिएशन को 31.725 रुपये की धनराशि मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जारी की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न की मांग और उसकी सप्लाई

1963. **श्री जैनुल बशर : श्री चिरंजी लाल शर्मा : श्री आर० एन० राकेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में गेहूँ सप्लाई किया है जैसा कि राज्य सरकार ने गेहूँ के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए माँग की है;

(ग) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार की अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक की कितनी माँग थी तथा इसके विरुद्ध कितनी सप्लाई की गई है; और

(घ) यदि पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों से प्राप्त मांगों के अनुसार गेहूँ का आबंटन किया गया था। यह पाया गया कि किए गये आबंटनों से गेहूँ की निकासी अपेक्षाकृत कम है। देश में 1980 के मध्य में गेहूं की जो कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को गेहूं के आबंटन करने सम्बन्धी कार्य को अगस्त, 1980 से युक्तियुक्त कर दिया गया था ताकि आवंटन को लगभग निकासी की पहले की प्रवृत्ति के अनुरूप किया जा सके। तदनुसार उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं आवंटन में कटौती कर दी गई थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त (ख) में बताये गए कारणों के अनुसार।

विवरण

अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक उत्तर प्रदेश सरकार की गेहूं की माँग उसका आवंटन और उन्हें की गई सप्लाई को बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	मांग		आवंटन		निकासी	
	सा० वि०	मिल	सा० वि०	मिल	सा० वि०	मिल
अक्तूबर, 1980	100.0	65.0	35.0	30.65	58.2	29,5
नवम्बर, 1980	100.0	65.0	3510	29.1	32.4	28.9
दिसम्बर, 1980	70.0	50.0	35.0	27.65	22.4	29.1
जनवरी, 1981	100.0	65.0	35·0	27.65	28.5	28.4

नोट (एक) सा० वि०—सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(दो) इस आँकड़े में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी मात्रा शामिल नहीं है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक-विद्यार्थी अनुपात

1964. श्री जैनुल बशर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक-विद्यार्थी अनुपात कितना है; और

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न मानक (स्टेण्डर्ड) होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	दाखिला	शिक्षण स्टाफ	कुल शिक्षक-छात्र अनुपात
1.	अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय	13,094	9 5	1 : 13.4
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	15,695	1561	1 : 10.1
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	11,476	632	1 : 18.2
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	418	95	1 : 4.4
5.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	3,437	261	1 : 13.2
6.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	904	125	1 : 7.2
7.	विश्व भारती	1,453	404	1 : 3.6

(ख) शिक्षक-छात्र अनुपात भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों तथा भिन्न-भिन्न संकाओं में अलग-अलग है, जो प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर तथा उनके विकास स्तर पर निर्भर करता है। यह विश्वविद्यालय का ही काम है कि वह संकाय के स्टाफ सहित अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर अथवा अनुसंधान दाखिले के सम्बन्ध में अपनी नीति का निर्णय करें। सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखकर ही विश्वविद्यालय अधिनियम तथा कानूनों के उपबन्धों के अनुसार संकाय के स्टाफ का निर्णय किया जाता है।

शीतल पेयों का लोकप्रिय बनाया जाना

1965. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कम्पनियां शीतल पेय 77 की बोतलें भर रही हैं; और

(ख) जिन क्षेत्रों में इसे उपलब्ध नहीं किया गया है उन स्थानों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस समय 11 कम्पनियां शीतल पेय "77" की बोतलें भर रही हैं।

(ख) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड उन क्षेत्रों में पेय "77" की बोतलें भरने की व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रही है जहां कि यह पेय उपलब्ध नहीं है। यह कम्पनी इसके वितरण प्रचार और इसको बढ़ावा देने आदि के लिए भी कारगर पग उठा रही है ताकि इस पेय को लोकप्रिय बनाया जा सके।

चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन

1966. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पिराई मौसम के दौरान चीनी का अनुमानत: कितना उत्पादन होगा;

(ख) पिछले वर्ष के उत्पादन से कितना स्टाक शेष है;

(ग) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान खुली बिक्री की चीनी के मूल्य नियंत्रित रख सकने की आशा है; और

(घ) यदि हां, किस स्तर पर ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) वर्तमान अनुमान के अनुसार आशा है कि चीनी वर्ष 1980-81 में 52-54 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होगा।

(ख) पहली अक्तूबर, 1980 को फैक्ट्रियों के पास और पत्तनों पर चीनी का पिछला बचा स्टाक 6.02 लाख मीटरी टन था '

(ग) और (घ) दिल्ली, कानपुर, कलकत्त, बम्बई और मद्रास की प्रमुख मण्डियों में चीनी के वर्तमान थोक मूल्य (23.2.1981 को) 700 रुपये से 738 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में चल रहे हैं। सरकार खुले बाजार में चीनी के मूल्यों की प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि उन्हें उचित स्तर पर रखा जा सके।

उचित दर दुकानों के जरिये गेहूं की सामान्य सप्लाई

1967. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन कार्डों पर गेहूँ का कोटा कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस कोटे में कितनी कमी की गई है तथा यह कब तक जारी रहेगी;

(ग) दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान दिल्ली में कितनी उचित दर दुकानों पर गेहूँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था; और

(घ) उचित दर दुकानों पर गेहूं की सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और गेहूं की सामान्य सप्लाई कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली प्रसाशन से अनुरोध किया गया था कि वे गेहूँ का वितरण करने विषयक अपने कार्य का युक्तियुक्तकरण करें ताकि गेहूँ का स्टाक सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली प्रशासन ने 21-10-80 से गेहूँ के कार्ड धारियों के लिए 20 किलोग्राम प्रति मास प्रति वयस्क की बजाए 12 किलोग्राम प्रति मास प्रति वयस्क के हिसाब से गेहूँ का कोटा निर्धारित किया है। जहाँ तक चावल के कार्ड धारियों का सम्बन्ध है, गेहूँ की मात्रा को 16 किलो ग्राम प्रति वयस्क प्रति मास से घटाकर 4 किलो ग्राम प्रति वयस्क प्रति मास कर दिया गया है।

(ग) कोई नही ।

(घ) दिल्ली प्रशासन को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूँ की अधिकतम मात्रा का आवंटन किया जा रहा है । दिल्ली के उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के आवंटन को जनवरी, 1980 से 30 हजार मीटरी टन से बढ़ाकर तदर्थ आधार पर 40 हजार मीटरी टन कर दिया गया है ।

पाठय पुस्तकों से साम्प्रदायिकता हटाया जाना

1968. **श्री एच० एन० गौडा : श्री के० लकप्पा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठय पुस्तकों से साम्प्रदायिकता को हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) किस शैक्षिक वर्ष से साम्प्रदायिक झुकाव रहित पाठय पुस्तकें लगाई जाएंगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) पहले तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्कूलों के लिए निर्धारित/सिफारिश की गई, भाषा और इतिहास विषयों की सभी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से 1982-83 का शैक्षिक-सत्र आरम्भ होने से पहले पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है । समीक्षा विकेन्द्रीकरण के आधार पर की जा रही है । समीक्षा के लिए साधनों तथा मार्गदर्शी रूप रेखाओं का विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुवंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जा रहा है ।

जहाँ तक विभिन्न अध्ययन पाठय क्रमों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठय-पुस्तकों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है ।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में समिति का गठन किया जाना

1969. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब होने वाली कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गम्भीर उतार-चढ़ाव की समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार ने कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । इस प्रायोजन के लिए एक छोटा-सा दल गठित किया गया है ।

(ख) इस विषय पर सरकारी संकल्प की एक प्रति संलग्न है । (ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—1995/81)

(ग) आशा है कि यह दल अपनी प्रमुख सिफारिशें 15 मार्च, 1981 तक और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 15 मई, 1981 तक प्रस्तुत कर देगा।

इनरिच्ड फर्स्ट डिग्री कोर्स

1970. **श्री जगदीश टाईटलर : श्री के० रामामूर्ति : श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नया "इनरिच्ड फर्स्ट डिग्री कोर्स" आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) इस नई नीति के सम्बन्ध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस योजना को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) शिक्षा की 10+2+3 पद्धति अपनाने के संदर्भ में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री पाठयक्रमों के पुनर्गठन और उनकी पुन: संरचना के लिए, उनमें विविधता, लचीलापन और प्रासंगिकता लाने, उन्हें व्यवहार्योन्मुख बनाने और उनमें अन्तर्विषयक दृष्टिकोण लाने के लिए कुछ मार्गदर्शी रूप रेखाएँ तैयार की हैं। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार अवर स्नातक पाठयक्रमों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को चार क्षेत्रों में आधार दिया जा सके, अर्थात् विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी पैदा करने के लिए तैयार किए गए आधार पाठयक्रम, कोर पाठयक्रम जिससे उनमें से एक अथवा अधिक पाठयक्रम का गहराई से अध्ययन करने के साथ कुछ चुने हुए विषयों की व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकें, कुछ व्यावहारिक अध्ययनों, परियोजनाओं अथवा क्षेत्र कार्य; और विस्तार कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।

(ग) और (घ) इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं को सितम्बर, 1978 में सभी विश्वविद्यालयों में उनके शैक्षिक निकायों द्वारा उन पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन पाठयक्रमों, पाठयविवरणों इत्यादि को तैयार करने का कार्य कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है।

देश में इलैक्ट्रोनिक क्रास बार एक्सचेंज

1971. **श्री राम विलास पासवान : श्री राजेश कुमार सिंह : स्वामी इन्द्रवेश :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलैक्ट्रानिक क्रास बार एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे क्रास बार एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर तथा कब तक स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) इस प्रायोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वास नगर दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

1972. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवन गिराने के दस्ते और पुलिस ने दिल्ली में जमुना पार के विश्वास नगर में हरिजनों के 300 से अधिक मकानों को हाल ही में जला दिया और उन्हें गिरा दिया जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक हरिजन और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्ति बेघर हो गए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई पूर्व व्यवस्था की गई थी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विस्थापित व्यक्तियों के मकानों को गिराते समय उनके सामान आदि के हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का है;

(घ) यदि हां, तो मुआवजे का भुगतान किस सीमा तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसमें क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में जमुना पार की एक कालोनी विश्वास नगर में हरिजनों के कोई मकान नहीं गिराये या जलाये परन्तु सरकारी भूमि पर गई झुग्गियां तथा चाहर दीवारी बनाकर जिसमें आधे पक्के कमरे बने थे जो कि खाली पड़े थे और उनमें कोई भी नहीं रह रहा था उनके द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध उन्होंने 31-12-80 से 14-1-81 तक एक मात्र सीमित सफाई की कार्रवाई की थी।

(ख) से (ङ) चूंकि किसी को भी उठाया या बेघर नहीं किया गया था और कार्रवाई केवल असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि पर हुए नये अतिक्रमण के विरुद्ध की गई थी, इस लिए पुनर्वास सुविधाएँ देने या कोई प्रतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उचित दर दुकानों पर चीनी और गेहूँ का उपलब्ध न होना

1973. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1981 के दौरान काफी लम्बे समय तक दिल्ली में उचित दर दुकानों को गेहूँ और चीनी की सप्लाई नहीं की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मदों की सप्लाई कम है और कार्ड धारियों को इनकी उपलब्धता के बारे में मालूम करने के लिए बार-बार दुकानों पर जाना पड़ता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है, जिन की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दो लाख और अधिक राशन कार्ड जारी किए गए हैं और उनके अनुपात में अनाज और चीनी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई है; और

(ड.) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ड.) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, 1980 के दौरान 1,89,872 नये राशन कार्ड जारी किए गए हैं। चीनी की कठिन स्थिति के कारण दिल्ली और अन्य राज्यों में चीनी के कोटे में कोई अनुपातिक वृद्धि नहीं की जा सकी थी। उपलब्धता में इन दबावों के कारण कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई हैं। सरकार उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए निरन्तर स्थिति की समीक्षा करती रहती है। जहाँ तक गेहूँ का संबंध है, दिल्ली के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 1981 के लिए 10,000 मीटरी टन की तदर्थ वृद्धि की गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण आवास सम्बंधी सर्वेक्षण

1974. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों की मकानों की आवश्यकतायें पूरी करने में हुई प्रगति का कोई सर्वेक्षण किया है।

(ख) यदि हाँ, तो राजस्थान में ग्रामीण बेघर व्यक्तियों के लिए मकानों की आवश्यकता कितनी है जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है;

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए छठी योजना के अन्तर्गत कितना नियतन किया गया है और इसमें से राजस्थान को कितनी राशि दी जाएगी; और

(घ) वर्ष 1981-82 के लिए इस कार्य के लिए कितना नियतन किया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है। तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा की विकास परियोजनाओं के लिये मंजूर किए गए अनुदानों का उपयोग न किया जाना

1975. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को कितनी अनुदान राशि मंजूर की;

(ख) क्या यह सच है कि भिन्न-भिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा बाढ़ नियन्त्रण परियोजना के लिए आबंटित अनुदान का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा सरकार को इसकी वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 145.10 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया गया है।

(ख) राज्यों की योजना का वित्त पोषण करने के लिए केन्द्रीय साहयता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशिष्ठ कार्यक्रम स्कीम से संबंधित नहीं होती।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों का लागू किया जाना

1976. **प्रो० पी० जे० कुरीयन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू किया है और किन राज्यों ने इन्हें लागू नहीं किया है;

(ख) कुछ राज्यों द्वारा इन वेतनमानों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू कर दिया है। लेकिन,जम्मू तथा कश्मीर और कर्नाटक की सरकारों ने ये वेतनतान केवल बिश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए ही मंजूर किए हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1-1-1973 से 31-3-1979 तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान अपनाने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, फिर भी इन्हें मंजूर करना सम्बन्धित राज्य सरकारों के हाथ में है। इस पर निर्णय तो राज्य सरकारों को ही लेना है क्योंकि केन्द्रीय सहायता की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उनको ही संशोधित वेतनमानों को बनाए रखना है

चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी अर्जित मुद्रा

1977. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य नौकाओं को किराये पर लेने वाली विभिन्न कम्पनियों ने 1979 और 1980 में, अलग-अलग कितनी शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ख) इस प्रकार की चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं द्वारा भारतीय बन्दरगाहों पर उपयोग किए गए तेल का पूर्ण विवरण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार वर्ष 1979 तथा 1980 में क्रमश: 18, 75,212 अमरीकी डालर तथा 139,386 अमरीकी डालर की आय हुई।

(ख) आयल कम्पनी तथा इन्टर नेशनल बन्करिंग ऐजेंसियाँ चार्टर्ड मत्स्यन नौकाओं द्वारा उपयोग किए गए तेल के लिए अलग से खाते नहीं रखती है, अत: यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति

1978. **प्रो० अजित कुमार मेहता : श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वृद्धों को उनकी वृद्ध अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने के विचार से एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, तो वह क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है, तो क्या सरकार इस प्रकार की नीति तैयार करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार की वर्तमान नीति राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित देश प्रशासनों द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित वृद्धों को वित्तीय सहायता देना है। इस समय 24 राज्य,केन्द्र शासित प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

1979. **श्री माधव राव सिंधिया : श्री अमर राय प्रधान : श्री चित्त महाटा . श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए पोषण की व्यवस्था करने के लिए कार्यक्रम

1980. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए पोषण की व्यवस्था करने के लिए कोई व्यापक कार्य-क्रम निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) इस देश में अनेक पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्र भी आते हैं। परन्तु बहुत से मामलों में, विशेषतया राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, आदिवासी क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो भी ये सभी कार्यक्रम अन्य पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम को पाँच राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिनमें से एक संस्था भारतीय आदिम जाति सेवक संघ आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को चला रही है।

1. **विशेष पोषाहार कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम शहरी गंदी बस्तियों, आदिवासी इलाकों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी और अन्य कमजोर वर्गों के बच्चे आते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को 300 कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति बालक तथा माताओं को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति माता एक वर्ष में 300 दिनों तक प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 60,000 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 70 लाख लाभ प्राप्तकर्त्ता आते हैं।

2. **विश्व खाद्य कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम पूरक पोषाहार के नमूने पर असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 लाख प्राप्तकर्त्ताओं को लाने का लक्ष्य है।

3. **केअर से सहायता पाने वाले कार्यक्रम** : विशेष पोषाहार कार्यक्रम को आंशिक रूप में केअर से सहायता मिलती है। स्कूलों में आहार वितरण हेतु पोषाहार कार्यक्रमों के लिए केअर द्वारा 1979-80 में 2.86 लाख टन खाद्य पदार्थों की सहायता दी गई (स्कूलों में आहार वितरण कार्यक्रम के लिए 148 हजार टन तथा स्कूल-पूर्व आहार वितरण के लिए 148 हजार टन)।

4. **मध्याहन भोजन कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल होने और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए आंशिक रूप से केअर से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा आंशिक रूप से स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 167 लाख लाभ प्राप्तकर्त्ता आते हैं।

5. **बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा चलाई गई बालवाड़ियों में उपस्थित होने वाले 3-5 वर्ष के आयु वाले बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 3 लाख बच्चे आते हैं। इस

कार्यक्रम को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर के पाँच संगठनों में से एक है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ पूर्णतया इस कार्यक्रम को आदिवासी क्षेत्रों में चला रहा है। संघ द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम से 338 केन्द्रों में 14,900 बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

6. **समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम पूरक पोषाहार का महत्वपूर्ण भाग है तथा इसके अन्तर्गत स्कूल पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूल-पूर्व शिक्षा इत्यादि की सेवाएँ समेकित रूप में प्रदान की जाती हैं। समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की पोषाहार और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना हैं। यह कार्यक्रम इस समय 200 परियोजनाओं (105 ग्रामीण, 67 जन जातीय तथा 28 शहरी) में चलाया जा रहा है, जिनके अन्तर्गत 5,94,393 लाभ प्राप्तकर्त्ता आते है, जिनमें से 1,88,299 जन जातीय क्षेत्रों के हैं।

7. **पोषाहार के लिए खाद्य कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गो के शिशुओं स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं तथा वृद्ध, अशक्त और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए आँध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में चलाया जा रहा है। अभूतपूर्व सूखे और बाढ़ों के बाद इस कार्यक्रम को जनवरी, 1980 में शुरू किया गया था। अनुमान है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस देश में 66 लाख से अधिक लाभ प्राप्तकर्त्ता आते हैं।

चीनी उद्योग के लिए दीर्घावधि नीति

1981. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक क्षमता वाली चीनी, गुड़ तथा खाँडसारी उद्योगों की मूल समस्याओं को हल करने के लिए एक दीर्घावधि नीति तथा प्रक्रिया बनने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आम उपभोक्ता को इससे कितना लाभ प्राप्त होगा; और

(ग) क्या सरकार चीनी का 'रक्षित भंडार' बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार इन उद्योगों के समन्वित विकास और सन्तोषजनक वृद्धि तथा इसके साथ-साथ गन्ना उत्पादकों और मीठे के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर हमेशा एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने का प्रयास करती रही है। तथापि, ऐसी नीति तैयार करने में कई दबावों के अध्यधीन रहना पड़ता है क्योंकि गन्ना जो कि चीनी, गुड़ तथा खण्डसारी के निर्माण के लिए साँझा और प्रमुख कच्चा माल है, के उत्पादन, उपलब्धता, मूल्यों आदि और इन वस्तुओं के उत्पादन, उपलब्धता और मूल्यों में भी वर्ष प्रतिवर्ष भारी उतार चढ़ाव आता है जिससे इन बदलती हुए परिस्थितियों का सामना करने के लिए नीति पैरोमीटर में अल्पकालीन उपचारी उपाय और अस्थायी परिवर्तन करने लाजमी हो जाते है।

सरकार ने चीनी नीति पैरामीटर के विभिन्न विकल्पों, अर्थात् पूर्ण नियन्त्रण विनियंत्रण

और आंशिक नियन्त्रण को अपनाया है और उसका यह विचार है कि दोहरी मूल्य नीति के साथ चीनी पर आंशिक नियन्त्रण की नीति में मूलतः बदलती परिस्थितियों की जरूरतें पूरी करने का अपेक्षित लचीलापन है।

(ग) चालू मौसम के दौरान 52 से 54 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने की आशा है जो कि वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त होगा। अतः चालू वर्ष बफर स्टाक तैयार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तथापि, 1981-82 में गन्ना और चीनी का उत्पादन अपेक्षाकृत काफी अधिक होने की आशा है और इसलिए सरकार उस वर्ष में बफर स्टाक तैयार करने के बारे में विचार कर सकती है।

बिहार की बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को केन्द्र के नियन्त्रण में लेना

1982. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश को 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान बाढ़ तथा सूखे के कारण कुल कितनी हानि हुई और देश को हुई इस कुल हानि में से बिहार को कितने प्रतिशत हानि हुई; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार बिहार की बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को अपने नियन्त्रण में लेने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार का बिहार की बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ग	विवरण														
	बाढ़ से हानि						सूखा						अभ्युक्ति		
	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)			प्रभावित असली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)			प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)			प्रभावित फसली क्षेत्र			प्रभावित जनसंख्या		
	भारत	बिहार	प्रतिशतता	भारत	बिहार	प्रतिशतता	भारत	बिहार	प्रतिशतता	भारत	बिहार	प्रतिशतता	भारत	बिहार	प्रतिशतत
1979-80	39.6	8.1	20.45	20.8	2.7	12.98	183.1	37.4	20.43	386.0	30.0	7.77	2205	473	21.45
1980-81	114.2	19.2	16 81	55.5	10.0	18.02	540.9	74.5	13.77	346.4	30.0	8.66	2066	433	20.95

केवल मानसून-पूर्व अवधि के लिए

मंत्रियों और संसद सदस्यों को प्लाटों का आबंटन

1984. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रियों और संसद सदस्यों को रिहायशी प्लाट आवंटित किए गए हैं तथा उनमें से कितने भूतपूर्व मंत्री और संसद सदस्य हैं;

(ख) रिहायशी प्लाट आबंटित करने का क्या मानदंड है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को रिहायशी प्लाट आबंटित किए गए हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आरक्षित कोटा के अन्तर्गत जिन संसद सदस्यों को प्लाट आबंटित किए गए हैं उनके नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है, आरक्षित कोटे के अन्तर्गत मंत्रियों को कोई प्लाट आबंटित नहीं किए गए थे।

(ख) 1 जनवरी 1979 तक संसद सदस्यों के लिए रिहायशी प्लाटों का 2.5 प्रतिशत की दर से एक कोटा आरक्षित था।

(ग) चूंकि अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं किया गया था, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण इसके लिए कोई अलग रिकार्ड नही रखता।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जिन संसद सदस्यों को प्लाट आबंटित किए गए थे उनकी सूची

क्रम संख्या	संसद सदस्य का नाम		
	सर्वश्री		
1.	अर्जुन सिंह भदोड़िया	13.	विभूति मिश्र
2.	के० एन० तिवारी	14.	राम सेवक
3.	एम० डी० नारायण	15.	पी० सी० मित्रा
4.	डी० एन० तिवारी	16.	शिवाजी राव एस० देशमुख
5.	एम० असद मदानी	17.	श्रीमती सावित्री शाम
6.	ओ० पी० त्यागी	18.	बी० एस० पंजहजारी
7.	आर० के० पोद्दार	19.	राम सरूप
8.	स्वामी रामानन्द शास्त्री	20.	ए० पी० शर्मा
9.	पी० एल० बारुपाल	21.	अवधेश चन्द्र सिंह
10.	अर्जन अरोड़ा	22.	बी० के० दास चौधरी
11.	प्रकाश वीर शास्त्री	23.	बी० एन० कुरील
12.	शिव कुमार शास्त्री	24.	एन० के० शेजवलकर

25. पी० एम० सैयद
26. शंकर नारायण सिंह देव
27. बलराम दास
28. मारतण्ड विक्रम नय्यर
29. मुखतियार सिंह मलिक
30. अचल सिंह
31. राम कुमार वेरुआ
32. नरेन्द्र सिंह वृहत
33. बी० सी० पटनायक
34. सुबोध चन्द्र हाँडा
35. मोहन लाल गौतम
36. ब्रह्मानन्द
37. शेर सिंह
38. के० लकप्पा
39. जेड० ए० अहमद
40. के० मनोहरम
41. साधु राम
42. भरत सिंह चौहान
43. एम० वेरो
44. रतन लाल जैन
45. नागेन्द्र प्रसाद यादव
46. मादी सुदर्शनन
47. के० जी० बकुला
48. बी० बसु मतरिया
49. बी० के कौल
50. वेन्क टारविया
51. एन० पी० चौधरी
52. स्वर्ण सिंह
53. एम० सी० डागा
54. श्याम सुन्दर मदनपुचा
55. सी० वी० मनि तिवारी
56. भूपेन्द्र सिंह
57. राम शेखर प्रसाद सिंह
58. जमुना दास बेरुद
59. कुमारी कमला कुमारी
60. ए० पी० दसिया

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण

1985. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदामों का निर्माण किया गया है और उन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इन गोदामों में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न रखा जाता है और वहां रखे गए बढ़िया किस्म के खाद्यन्न में पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी कमी हुई है;

(ग) इस प्रायोजन के लिए कितने गोदाम किराए पर लिए गए हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की गई हैं; और

(घ) खाद्यान्न की वसूली और खरीद पर कितना खर्च किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के अपने कुल 443 डिपो में से 80 डिपो का निर्माण सरकार द्वारा करवा कर उन्हें हस्तान्तरित कर दिया गया था और उन पर लगभग 31.00 करोड़ रुपये की लागत बैठी थी ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अपने और किराये के सभी डिपो में 1979-80 के दौरान कुल 126.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक रखा गया था । 1979-80 के दौरान खाद्यान्नों की जिन्सों की भण्डारण में हुई कमियों का राज्य वार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों से 1,601 डिपो किराये पर लिए थे और 1979-80 के दौरान किराये पर लिए गए गोदामों के लिए 27.04 करोड़ रुपये का किराया अदा किया था।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1979-80 के दौरान बोरियों सहित खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों की वसूली और खरीद पर 1,833.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

विवरण

1979-80 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न जिन्सों के क्षेत्रवार भण्डारण में हुई कमी के ब्यौरों को बताने वाला विवरण

मीटरी टन में

क्षेत्र का नाम	भण्डारण में हुई कमी (निवल)		
	गेहूं	चावल	धान
जम्मू तथा कश्मीर	(—) 33	(—) 71	—
पंजाब	(—) 4335	28940	72172
हरियाणा	(—) 5996	10185	8697
उत्तर प्रदेश	(—) 12495	10933	1588
दिल्ली	(—) 38	1439	—
राजस्थान	(—) 550	347	373
हिमाचल प्रदेश	(—) 172	(—) 5	—
आन्ध्र प्रदेश	1127	11964	5141
तमिलनाडु	419	2324	433
कर्नाटक	1200	98	—
केरल	131	5889	96
पोर्टआपरेशन मद्रास	20	(—) 36	—
पोर्ट आपरेशन विजाग	—	2	—
मध्य प्रदेश	2277	10296	1047
महाराष्ट्र	2945	3963	—
गुजरात	4775	(—) 526	—
पोर्ट आपरेशन्स कांडला	6298	(—) 301	—
पोर्ट आपरेशन्स कलकत्ता	186	1683	164
असम	1056	3278	907
बिहार	2310	2643	19
उड़ीसा	343	1004	61

(—) लाभ का सूचक है।

(मीटरी टन में)

क्षेत्र का नाम	भण्डारण में कमी (निवल)		
	गेहूँ	चावल	धान
उत्तरी पूर्वी सीमान्त	26	25	(—) 1943
पश्चिमी बंगाल	10896	9070	291
जोनल कार्यालय दक्षिण	—	—	—
उज्जैन प्लांट	—	—	—
जोड़	9440	103171	89064

(—) लाभ का सूचक है।

कृषि ऋण ग्रस्तता

1986. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बकाया कृषि ऋणग्रस्तता का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमान क्या है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा किए गए अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (71-72) से पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों की देयताएँ 3921 करोड़ रुपये हैं। इसमें से 5 चकड़ से कम भूमि वाले कृषकों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की देयताएँ 1910 करोड़ रुपये है।

चौथी दस वर्षीय अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण जुलाई, 1981 में किया जाना है। यह सर्वेक्षण कृषि वर्ष 1980-81 से संबंधित होगा। इस सर्वेक्षण में ग्रामीण परिवारों की कुल देयताएं तथा छोटे कृषकों आदि की देयताओं का हिस्सा भी शामिल होगा।

ग्रामीण गोदामों की व्यवस्था हेतु बजट प्रावधानों का उपयोग

1987. **श्री राजेश कुमार सिंह : श्री रशीद मसूद : श्री छांगुर राम : श्री जशपाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे तथा सीमान्त किसानों के उत्पादों के भण्डारण के लिए ग्रामीण गोदामों की एक राष्ट्रीय व्यवस्था गठित करने की केन्द्रीय योजना उल्लेखनीय रूप से आगे नहीं बढ़ सकी है और कि वर्ष 1979-80 के दौरान 2 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों के समक्ष केवल 15 लाख रुपये की राशि का ही उपयोग हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1980-81 के दौरान इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय जाल स्थापित करने की योजना को 1979-80 के मध्य में ही अन्तिम रूप दिया गया था। परियोजनाओं को तैयार करने से पहले राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से इस बारे में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। उनसे समन्वय समितियों की स्थापना करने तथा भूमि प्राप्त करने जैसे प्रारम्भिक कदम उठाने की भी अपेक्षा की गई थी। ये समय लगने वाली प्रक्रियाएँ हैं। परिणाम स्वरूप 979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा देय उपदान की पहली किस्त के रूप में 15.995 लाख रुपये की धन राशि से 47,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले 136 गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव ही संस्वीकृत किए जा सके।

इस मामले को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चालू वर्ष में, 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से कुल 2,97,250 मीटरी टन भण्डारण क्षमता वाले 360 गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

मुजफ्फरपुर, बिहार में खराब पड़े टेलीफोन

1988. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला टेलीफोन प्रयोक्ता एसोशियेसन के प्रेजीडेन्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर (बिहार सर्कल) केन्द्र के लगभग 90 प्रतिशत टेलीफोन खराब पड़े हैं और शेष भी ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने एक तार भेजा है जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज के अधिकारियों पर खुले आम भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। औसतन में से 3 से भी कम टेलीफोन एक दिन में खराब होते हैं और औसतन लगभग दो घंटे के भीतर खराबियों को दूर कर दिया जाता है।

(ख) इस वर्ष के दौरान जिला टेलीफोन उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष से कोई तार प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला मुख्यालय मधुबनी की टेलीफोन कालों के सम्बन्ध में शहरघाट सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थिति

1989. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मन्त्री** ग्राम खजूरी बिहार में शाखा डाक घर तथा सार्वजनिक टेलीफोन सेवाओं के बारे में 24 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मुख्यालय मधुबनी की टेलीफोन कालों के सम्बन्ध में शहरघाट सार्वजनिक

टेलीफोन केन्द्र की स्थिति क्या है और क्या यह बरास्ता सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाती है और मधुबनी के लिए कोई काल लगना लगभग असम्भव होता है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिक कालें सुनिश्चित करने के लिए इसे मधुबनी से क्यों नहीं जोड़ा जाता;

(ग) पार्सदेवी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का कार्यक्रम क्या है और क्या उसे मधुबनी के साथ जोड़ा जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या विस्फ और बाराह में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) शहरघाट सार्वजनिक टेलीफोन घर सुरसंद के छोटे स्वचालित एक्सचेंज से संबंधित है और इस सार्वजनिक टेलीफोन घर से जिला मुख्यालय मधुबनी को काले सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के माध्यम से लगाई जाती हैं। सीतामढ़ी और सुरसंद दोनों स्थानों में बिजली के देर तक न रहने के कारण तथा बहु पारगमन होने के कारण ट्रंक कालो के मिलने में पर्याप्त देरी होती है।

(ख) आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से शहरघाट सार्वजनिक टेलीफोन घर मधुबनी से जोड़ने का औचित्य नहीं हैं।

(ग) पार्सदेवी में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा पार्सदेवी का स्थान ज्ञात नहीं है। तथापि पासौनी नाम स्थान के लिए एक सार्वजनिक टेलीफोन घर स्वीकृत किया जा चुका है किन्तु भण्डारों के अभाव में उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। अनुमान है कि माननीय सदस्य इसी सार्वजजिनक टेलीफोन घर के बारे में सूचना चाहते हैं। पासौनी सार्वजनिक टेलीफोन घर को मधुबनी से नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि सार्वजनिक टेलीफोन घरों यातायात और इन्जीनियरी को मद्देनजर रभते हुए सुविधा जनक एक्सचेंजों से जोड़ा जाता है।

(घ) विस्फि में सार्वजनिक टेलीफोन घर पहले से ही कार्यरत है। वाराह में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बाराह की आबादी बहुत कम है तथा उदारीकृत विभागीय नीति के तहत यह स्थान नहीं आता।

आवास समितियों को प्लाटों के आबंटन के लिए लाटरी निकालने की प्रक्रिया

1990. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समितियों द्वारा अपने सदस्यों को आबंटित किए जाने वाले प्लाटों के सम्बन्ध में लाटरी निकालने का काम रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ (आवास) और भूमि तथा बिल्डिग विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन शेयर धारियों को लाटरी निकालने के काम में भाग लेने की अनुमति दी जाती है उनके नामों की सूची की जाँच रजिस्ट्रार कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित समितियों के रिकार्डों से की जाती है और फिर वह सूची दिल्ली प्रशासन के

भूमि तथा बिल्डिंग विभाग को लाटरी निकालने का समय और स्थान निर्धारित करने के लिए भेज दी जाती है।

(ग) क्या डेरा इस्माइल खाँ सहकारी आवास निर्माण समिति के मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भूमि और बिल्डिंग विभाग अथवा रजिस्ट्रार कार्यालय का कोई प्रतिनिधि लाटरी निकालने के समय मौजूद था; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण आवास और मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यमुना पार की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

1991. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के पिछले सत्र में सरकार द्वारा कालोनियों को नियमित करने के बारे में दिए गए आश्वासनों को कहाँ तक क्रियान्वित किया गया है?

(ख) यमुना पार की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) विकास संबंधी राशि जमा करने के लिए किन कालोनियों को नोटिस दिए जा चुके हैं और किन कालोनियों को ऐसे नोटिस अभी दिए जाने हैं तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमति करण के बारे में नीति घोषित कर दी हैं तथा दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवश्यक अनुदेश दे दिए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन कालोनियों में से कुछ के प्रारूप विन्यास नक्शे तैयार कर लिए गए है तथा अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि बाकी कालोनियों के नियमति करण नक्शों की तैयारी का कार्य प्रगति में हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संकलित यमुना पार क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों की संशोधित सूची अनुलग्नक 1 तथा 11 में दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यमुना पार क्षेत्र की 30 अनधिकृत कालोनियों को अनुलग्नक —111 के अनुसार विकास प्रभार जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1996/81)

दक्षिण दिल्ली सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए स्थान

1992. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली सांस्कृतिक परिषद ने 19 अक्तूबर, 1980 को किदवई नगर पूर्व नई दिल्ली में दशहरा मनाने के लिए भूमि का इस्तेमाल करने के बारे में अनुमति प्राप्त करने हेतु भूमि तथा विकास अधिकारी नई दिल्ली को आवेदन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी हालाँकि भूमि तथा विकास अधिकारी को उक्त आवेदन काफी पहले प्राप्त हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि दशहरा मनाने हेतु उसी भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति कांग्रेस (आई) को स्थानीय शाखा को दी गई थी हालाँकि उनका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण दिल्ली सांस्कृतिक परिषद को अनुमति न दिए जाने के क्या कारण थे;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। भूमि तथा विकास कार्यालय में आवेदन 5.9.1980 को प्राप्त हुआ था।

(ख) जी, हाँ। तथापि, निम्नलिखित पैरा (घ) में उल्लिखित तथ्यों की दृष्टि से परिषद को कोई अन्य स्थल सुझाने की सलाह दी गई थी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) भूमि के खण्ड पर जिसका माप 500 वर्ग गज है, 18 तथा 19 अक्तूबर, 1980 को दशहरा उत्सव मनाने के लिए परिषद का अनुरोध था जबकि उसी क्षेत्र में 1.10.80 से 21-10-80 तक (जो कि बाद में बदलकर 9-10-80 से 20-10-80 हो गया) कांग्रेस (आई) के स्थानीय एकक का अनुरोध रामलीला तथा दशहरा उत्सव मनाने का था। भूमि का आबंटन परिषद को नहीं किया जा सका क्योंकि अन्य पक्षों का आबंटन अनुरोध इससे पहले की तारिख अर्थात् 9-10-80 से अपेक्षाकृत एक लम्बी अवधि के लिए था। इसके अलावा परिषद नई दिल्ली नगर पालिका से "अपेक्षित अनापति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत नहीं कर सकी। तथापि परिषद को उसी क्षेत्र में किसी अन्य वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई थी।

भेड़ों को एक निजी विमान द्वारा समरकंद से भेजे जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

1993. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ सरकार द्वारा भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की (केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर राजस्थान) को 1975 में निःशुल्क उपहार के रूप में दी गई 250 काराकुल भेड़ों को समरकन्द (सोवियत रूस) से पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली एक निजी अमेरिकी विमान से लाये जाने के मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो वे आरोप/अभ्यारोर क्या है, जिनकी ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मामला पिछले पाँच वर्षों से ब्यूरो के पास लम्बित पड़ा है और यदि हाँ, उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस जाँच के कब तक पूरे होने की सम्भावना है और ब्यूरो की रिपोर्ट कब तक आने की सम्भावना है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एस० टी० डी० लाईन का बिगड़ना

1994. **श्री जो० पो० जदेजा : संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अहमदाबाद के बीच एस० टी० डी० लाइनें बराबर बिगड़ती रहती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है और 1980 वर्ष के दौरान यह लाइनें कितने दिनों के लिए खराब रही; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। मार्ग की लम्बाई तथा वर्ष के दौरान मौसम की विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच एस० टी० डी० लाइनों के भंग होने को बार बार खराब होना नहीं समझा जा सकता।

(ख) मार्ग के भंग होने का मुख्य कारण उपस्कर में दोषों का उत्पन्न होना है। हमारे अभिलेख के अनुसार वर्ष 1980 के दौरान परीक्षण और मरम्मत के लिए सेवा को बंद करने के अतिरिक्त पूरे मार्ग में बाधा उत्पन्न होने के 52 अवसर आए हैं।

(एक) उक्त प्रणाली तथा उपस्कर को चालू हालत में रखने के लिए उपस्कर और मार्गों के लिए निर्धारित नियमित मानीटरिंग तथा नित्यचर्या के अनुरक्षण किए जाते हैं।

(दो) चालू योजना काल के दौरान मार्ग की विश्वसनीयता और बढ़ाने के लिए समर्थन माध्यम के बतौर, नई दिल्ली और जयपुर के बीच एक अतिरिक्त सूक्ष्मतरंग प्रणाली तथा जयपुर और अहमदाबाद के बीच एक सहधुरीय प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

छठी योजना के दौरान पेय जल की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान

1995. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्याप्त पेय जल की समस्या के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को पेय जल लाने के लिये मीलों तक चलना पड़ता है;

(ग) क्या जैसलमेर की महिलाओं ने प्रधान मंत्री के राजस्थान की उनकी यात्रा के समय यह बताया था कि उन्हें जीवन रक्षक पेय जल प्राप्त नहीं हो रहा; और

(घ) क्या सरकार इस तथ्य की दृष्टि से कि पेय जल की उक्त समस्या स्वाधीनता के 32 वर्ष के बाद भी हल नहीं जो पायी है, योजना व्यय में से राजस्थान को पेय जल संबंधी योजनाओं के लिये विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) : जी हाँ।

(घ) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि केन्द्रीय सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत उनके संसाधनों की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुदान सहायता दे रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों की विधियों से सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल मुहैया करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

तमिलनाडु में परिवहन व्यवस्था के लिए विश्व बैंक से ऋण

1996. **श्री एन० डेनिस** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में परिवहन व्यवस्था के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन ऋणों के उचित उपयोग की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई उपाय किये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैज्ञानिक द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हारकोर्ट बटलर संस्थान, कानपुर को छोड़ना

1997. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और विख्यात प्रोफेसरों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और हारकोर्ट बटलर संस्थान कानपुर को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने वैज्ञानिकों ने गत तीन वर्षों में इन संस्थानों को छोड़ा है और उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं कि वैज्ञानिकों के बीच असन्तोष का वातावरण न फैले और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्साह पूर्वक अपना अपना योगदान दें?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) और (ख) : गत तीन वर्षों में हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के क्रमश: 15 और 27 अध्यापकों ने इन संस्थानों को छोड़ा है। इनमें से अधिकांश लोगों ने इन संस्थाओं को भारत के ही अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च पद प्राप्त करने के लिये छोड़ा है।

(ग) अध्यापकों के वेतनमानों और सेवा शर्तों तथा अनुसंधान सम्बन्धित अवसरों और सुविधाओं में भी हाल के वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है। आज, अच्छे वैज्ञानिकों को अपनी विशेष भूमिकाएँ निभाने के लिये भारत में ही पर्याप्त चुनौतीपूर्ण कार्य उपलब्ध हैं। यह तथ्य कि अध्यापकों/वैज्ञानिकों का एक संस्थान को छोड़कर अन्य संस्थाओं में अच्छे पद प्राप्त करने के लिये जाना एक अच्छा कदम है जिसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

खण्डसारी उत्पादक यूनिटों पर कर लगाना

1998. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खण्डसारी का उत्पादन करने वाले तीन राज्यों ने उनके राज्यों में खण्डसारी उत्पादन पर कर लगाने पर सहमति प्रकट की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्य राज्यों ने मुकदमा चलाने का निर्णय किया है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीव सरकार द्वारा कर की दर निर्धारित कर दी गई है;

(घ) क्या इस बारे में राज्यों द्वारा केन्द्र को सिफारिश किये जाने के बाद ही ऐसा किया जायेगा; और

(ङ) कर की दर के बारे में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ङ) : उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के केन्द्रीय सरकार की अनुमति से प्रथम सल्फीटेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित खण्डसारी पर पहले ही 50 प्रतिशत की लेवी लगा दी है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने कम लेवी लगाने के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं और वे विचाराधीन हैं। अन्य राज्यों से प्रस्ताव जब कभी प्राप्त होंगे उन पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली में वृद्धि योजना के अन्तर्गत विकसित भूमि

1999. **श्री निरेन घोष** : निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1971-80 के लिए वृहद योजना में आवासीय उद्देश्यों के लिए 30 000 एकड़ भूमि का विकास करने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी भूमि का विकास किया गया है;

(ग) क्या यह आरोप कि केवल 15,6000 एकड़ भूमि विकसित की गई है, सही है;

(घ) कुल 139 क्षेत्रीय विकास योजनाओं में से कितनी योजनाओं पर कार्यान्वयन किया गया है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिये निश्चित किये गये 17 करोड़ रुपयों का उपयोग कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है;

(च) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये 1971-76 के बीच कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(छ) क्या 1971-77 के बीच 7000 डी० डी० ए० मकानों का अवैध ढंग से आबंटन किया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) वृहत योजना में 47,360 एकड़ रिहायशी क्षेत्र शामिल है जिसका लगभग 30,000 एकड़ का अर्जन तथा विकास किया जाना था।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 22,841 एकड़ भूमि का विकास कर लिया गया है, या विभिन्न प्रयोजनों के लिए विकास के विभिन्न सोपानों में हैं।

(घ) सरकार ने पहले ही 43 क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। 72 क्षेत्रीय विकास योजनाएं अनुमोदन के विभिन्न सोपानों में हैं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन तथा विकास के अन्तर्गत, भूमि के विकास पर 1980-81 में सम्भवतः 14.75 करोड़ रुपये तथा 1981-82 में 17 करोड़ रुपये व्यय करेगा।

(च) ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	निम्न आय वर्ग	जनता/सी० एस० पी०	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग
1970-71	364	—	—
1971-72	4602	1645	—
1972-73	—	252	—
1973-74	2488	2894	—
1974-75	1152	600	—
1975-76	696	379	—
1976-77	1009	2200	—

(छ) जी, नहीं।

"मीगर वाटर कोटा द्वारा पंजाब" शीर्ष समाचार

2000. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "ट्रिब्यून", चण्डीगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 में "मीगर वाटर कोटा फार पंजाब" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है कि क्षेत्र में किसानों को अपनी फसलों के लिये पानी की पर्याप्त मात्रा मिल सके ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी, हाँ, परन्तु प्रैस रिपोर्ट भ्रामक है ।

(ख) और (ग) जलाशयों में अपर्याप्त जल भण्डारण क्षमता और रबी मौसम के दौरान नदी में कम जल प्रवाह के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता इन तीन राज्यों की आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम प्रत्याशित थी । रबी की खड़ी फसल को अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक बचाने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों की आवश्यकताओं, रावी और व्यास नदियों के जल में पहले से सहमत उनके हिस्सों और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध जल का इन तीन राज्यों के बीच संविभाजन किया था । इस आधार पर, पंजाब को उसके हक से कुछ अधिक जल आवंटित किया गया था ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 दिनांक 15-12-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) 15 दिसम्बर, 1980 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 के (क) से (ग) भागों के उत्तर में दिये गये विवरणों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये :-

वर्ष	खोले गये केन्द्रों की संख्या	दाखिल किये गये प्रौढ़ों की संख्या	शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या
197 -78	5714	130444	77757
1978-79	6834	158102	82609
1979-80	7762	231957	43241 (अस्थायी)
	20310	520503	203607

प्रारंभिक उत्तर राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित था । बाद में राज्य सरकार ने जब तक शोधित आँकड़े भेजे थे तब तक प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका था । इसलिये इस विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है ।

ध्यानाकर्षण आदि के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। कोई प्रश्न नहीं होगा। किसी को भी बाहर नहीं फेंका गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) :**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास आइये। मैं आप से बात करूंगा। हम अपने अधिकारियों को बाहर नहीं कर सकते। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्य में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)** नहीं, नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ ? मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मुझे एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे सूचित किया गया है कि सम्बलपुर में, जहाँ उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने सभी शैक्षणिक स्थानों के परिसरों पर कब्जा कर रखा है और छात्राओं प्रोफेसरों तथा हर किसी को पीटते रहते है, अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। मैंने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह तार सम्बलपुर के नागरिकों से प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय चर्चा नहीं नहीं की जाएगी। मैं इस पर विचार करूंगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस समय चर्चा नहीं हो सकती।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपके ध्यान में इसे इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया है। वह विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : शिक्षा समवर्ती सूची में आती है.....।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकृत नहीं किया है। वह मेरे विचाराधीन है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया गया है...

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी है।

श्री राम विलास पासवान : दूसरा प्रस्ताव भी तो हमने दिया है न।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। वह मैंने प्रस्वीकृत नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सूचना दी थी कि एक ब्रिटिश कूटनीविज्ञ...(**व्यवधान**)। विदेश मंत्रालय के आदेशों का उल्लघंन यहाँ स्थित उच्चायुक्त ने किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप भी इस सम्बन्ध में विदेश मंत्री से चर्चा कर सकते हैं। अनुमति नहीं दी जाती है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)** मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी आपने 28 तारीख को कहा था बंगलौर के सिलसिले में...

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचित किया गया है कि बातचीत जारी है। वे किसी निष्कर्ष पर पहुँचने वाले हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या किसी समझौते की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे जो बताया गया है वह मैंने कह दिया है। (व्यवधान) मैंने श्री मैत्रा को अनुमति दी थी।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैंने वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। 23 फरवरी को जब जीवन बीमा निगम विधेयक लाया गया था...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नियम 222 के अधीन सूचना का उल्लेख कर रहे हैं? मैंने उसके बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए भेज दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर-हाट) : पिछले शनिवार आपने मामले के महत्व को देखते हुए मुझे यह सुझाव देने की अनुमति दी थी कि आज अर्थात सोमवार को सरकार को बंगलौर हड़ताल पर एक वक्तव्य देना चाहिए मुझे पता नहीं है।कि उन्होंने अब आपको क्या सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : प्रतीक्षा करते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस कार्य के प्रभारी मंत्री, हड़ताल समाप्त कराने वाले मंत्री... (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम जानना चाहते है कि क्या उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कटिहार जूट मिल्स के मजदूर हड़ताल कर रहे हैं पिछले...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत सरकार अतिजि गृहों का उपयोग बंगला देश के अवामी लीग के नेताओं को करने दे रही है ..

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख अपने भाषण में कर सकते है। अब इसकी अनुमति नहीं है। आप इसे यहाँ मत उठाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में इसका उल्लेख करें। आप इसे सभा के ध्य लाएँ। आपके पास पर्याप्त अवसर हैं परन्तु इस समय नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कब ?

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्रालय की मांगों के समय।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह तो बहुत दूर हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। क्या इस संबंध में कोई वार्ता चल रही है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कोई वार्ता नहीं चल रही है। इसी कारण यह मुद्दा सामने आया है। कई सप्ताह से कोई बात नहीं हुई है। इसलिए क्या वे वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है। मुझे यही बताया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कोई बातचीत नहीं की जा रही है। आप सरकार से वक्तव्य देने को कहें। क्या वह वक्तव्य देने को तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए के हिसाब से 132 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मेंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी थी। (व्यवधान) हम इस विषय में विचार कर सकते है हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की है। हम इस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं। इसमेंकोई बात नहीं। कृपया बैठ जाएगा। (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : मैंने अध्यक्ष के निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत एक और नोटिस दिया है। वित्त मंत्री ने गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम उस विषय पर बाद में आयेंगे। ठीक है।

श्री सुनील मैत्रा : क्या ठीक है ?

ऊर्जा मन्त्री (ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि संसद सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने 16 फरवरी, 1981 को उर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) के विरुद्ध

विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी है कि मंत्री महोदय ने "सातवीं लोक सभा का सदस्य परिचय" में प्रकाशित व्यक्तिगत विवरण में अपने आपको बार-एट-ला और "अविवाहित" बताकर गुमराह करने वाली सूचना दी है।

इस सम्बन्ध में श्री बसु ने मजीब रहमान चौधरी **बनाम** अब्दुल बरकत अतौल गनी के में 4 मार्च 153 को दिए गए पश्चिम बंगाल के चुनाव न्यायाधिकरण के निर्णय की एक प्रति भी सलग्न की है जिसमें श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी के पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभ के चुनाव के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की गई थी। उस मामले में चुनाव याचिका को रद्द करते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा है।

"हम ऐसे गलत प्रचार के लिए जिसमें प्रतिवादी ने घोषित किया था कि वह उच्च योग्यता सम्पन्न व्यक्ति है प्रतिवादी के आचरण की कड़ी मर्त्सना करते हैं।

इस मामले में, सभी दृष्टिकोणों से विचार करने के बाद हम यह नहीं कह सकते कि 'बार-एट-ला' के गलत प्रचार से वस्तुतः मत देने के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार के प्रयोग पर कोई रोक लगी। तदनुसार न्यायाधिकरण का यह विचार है कि प्रतिवादी की व्यक्तिगत योग्यता के बारे में गलत विवरण का प्रचार, यद्यपि काफी आपत्ति जनक है, कानून की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (2) के अन्तर्गत एक भ्रष्टाचार नहीं है और इसलिए इस अधिनियम की धारा 100 (1) (क) के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।"

मेरे निदेश के अधीन इस मामले को ऊर्जा मंत्री के पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा गया था। ऊर्जा मंत्रालय ने मंत्री द्वारा अनुमोदित अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ साथ यह बताया कि "सातवीं लोक सभा का सदस्य परिचय" में प्रकाशन के लिए श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी के व्यक्तिगत विवरण के बारे में गलत जानकारी की सप्लाई वस्तुतः निगाह चूक जाने के कारण हुई जिसके लिए वास्तविक रूप से मंत्री ने खेद भी व्यक्त किया है।

1953 की चुनाव याचिका के सम्बन्ध में उर्जा मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ साथ यह बताया कि "इस चुनाव याचिका में, जो ऊर्जा मत्री के विरूद्ध दायर की गयी थी और जो उच्चतम न्यायलय तक आई थी और निर्णय मंत्री महोदय के पक्ष में हुआ।"

यहाँ यह भी बताया जा सकता है कि श्री बसु ने जो मामला उठाना चाहा है उसे श्री बापू साहिब परुलेकर पहले 18 नवम्बर, 1980 उठा चुके हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री ने को स्थिति स्पष्ट कर दी थी और मामले को समाप्त समझा गया था।

मामले की भलीभांति जांच करने के बाद मुझे यह पता लगा है कि अपने व्यक्तिगत विवरण के बारे में कथित वक्तव्य श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी ने सभा में नहीं दिये थे। एक कथित वक्तव्य एक चुनाव याचिका का विषय था और दूसरा वक्तव्य एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सभा को गुमराह करने वाली कोई जानकारी नहीं दी गयी और इसलिये इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मैं

नियम 222 के अधीन इस मामले को एक विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा को यह जानकारी मिलनी चाहिए... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री एस० बी० चव्हाण।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई के वर्ष 1979-80 के शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास, वर्ष 1979-80 के और शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे और समीक्षायें।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1967/81]

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1968/81]

(3) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1969/81]

(4) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1970/81]

(5) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 1971/81]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1981 और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 36 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल टी 1972/81]

(2) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 1973/81]

आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद तथा वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

त्रिपुरा वन विकास और बगान निगम लि० अगरतला के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण और भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) (एक) आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1974/81]

(ख) (एक) त्रिपुरा वन विकास और बगान निगम लिमिटेड, अगरतला के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) त्रिपुरा वन विकास और बागान निगम लिमिटेड, अगरतला के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1975/81]

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1978-79* के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-1976/81]

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : निनम 376 के अन्तर्गत। मेरा काम समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप जानते है ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ। उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कागजातों का अध्यन कर चुका हूँ...(व्यवधान) मैंने वह भी पढ़ा है। आप मेरे पास आएं। मैं आपको आश्वस्त करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : औचित्य के आधार पर भी मंत्री जी को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि स्वयं ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह 1952 से यही करते आए हैं वह अपने को 'बार-एट-ला' बताते है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। आप मेरे पास आएं।

(व्यवधान)

*वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण 1 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

राष्ट्रीय जल विज्ञान सस्थान, रुड़की का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-1977/81]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक सज्जन, जार्ज को, जो मंगलौर से हैं और एक सुन्दर नागरीक हैं, अनुमति दी...(**व्यवधान**) मुझे मालूम है वह बहुत ही सुन्दर हैं ।

ज्योतिर्मय बसु : इन आधारों पर मैं समझता हूँ, यह बहुत ही अनुचित है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप मेरे पास आ सकते हैं, आप इस पर यहाँ चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा । मैं केवल यह कह रहा हू कि आप मुझे उनको हटाने के लिए, जैसा कि श्री मुदगल के मामले में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था, एक प्रस्ताव पेश करने के लिए वाध्य कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने से रोकना नहीं चाहता ।

ललित कला आकादमी नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(1) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्ककरण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 1978/81]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और कनटक कृषि उद्योग लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) चीनी (1980-81 के उत्पादन का मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 13 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 18 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० सां० नि० 35 ((ङ), जो दिनांक 28 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 13 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 650 (ड.) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 1979/81]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 1980/81]

आयकार (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 तथा धनकर (संशोधन) नियम, 1981

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखिल पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) आयकार अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 118 (ङ·) में प्रकाशित हुए थे।

(2) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक

20 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 119 (ड·) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 1981/81]

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा राष्ट्रपति का आदेश तथा राज्यपाल का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : श्री पी० वेंकट सुब्बय्या की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 28 फरवरी, 1981 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 85 (ड.) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया दिनांक 28 फरवरी, 1981 का आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 86 (ड.) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये दिनांक 27 फरवरी, 1981 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 1992/81]

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गत एक सप्ताह से मणिपुर की स्थिति का सभा में उल्लेख हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संवैधानिक प्रक्रिया लागू करवाना चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रश्न यह है कि अब विधान सभा स्थगित की जा चुकी है । सरकार के लिए यह सम्भव था कि वह विपक्षी दलों को बुलाती और उन्हें वहां सरकार बनाने के लिए कहती । ऐसा करने की बजाय वे लोगों की निष्ठा खरीदने की पुरानी चाल चल रहे हैं । क्या इस मामले पर सभा को चिन्ता नहीं होनी चाहिए ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे आज पत्र सभा-पटल पर रखने जा रहे हैं... अन्तिम क्षणों में परिचालित कर रहे हैं । यह श्रीमती गाँधी की 1967 से एक चाल है । मुझे यह मालूम है । (व्यवधान) मणिपुर का प्रश्न एक युग का प्रारम्भ है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा । (व्यवधान)* इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार है । (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

सदस्य की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि नागपट्टिनम के द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का दिनांक 1 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह आदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि अग्नि शमन से संबंधित अधिकारी द्वारा वैधानिक रूप से लागू किए गए आदेशों का उल्लंघन, जिससे लोगों का जीवन उस वस्तु के जलाने पर खतरे में न पड़े, जो भारतीय दड संहिता की धारा 143/188/285 और तमिलनाडु सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दंडनीय है, का पालन न करने वाली अवैध रूप से इकट्ठा भीड़ का अंग होने पर श्री थाजाई एम० करुणानिधि, सदस्य लोक सभा को गिरफ्तार किया जाए। तदनुसार श्री तजाई एम० करुणानिधि को 1-3-1981 को 12 बजे मध्य रात्रि को गिरफ्तार किया गया और इस समय उन्हें नागपट्टिनम सब-जेल में रखा गया है।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे। श्री नवलकिशोर शर्मा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर:) मैंने आपको लिखा था कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर आप विधि और व्यवस्था स्थिति पर विचार नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना प्राप्त हो गई थी और मैं अभी...(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे प्रश्न शाखा से असम में पूर्व-सेंसरशिप के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है। आप इसे देख सकते हैं...इस सदन के भीतर नहीं। आप मेरे पास आयें।

मुझे पहले इस बारे में कहने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : "मुझे आपको सूचित करने का निदेश मिला है कि आप के प्रश्न को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि इसका सम्बन्ध ऐसे मामले से है जो राज्य सरकार का विषय है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर अपनी बात कहने वाला हूं। हम उस पर चर्चा करेंगे। (**व्यवधान**)

मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने मुझे एक सूचना दी है जिसमें उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने पर इस आधार पर आपत्ति उठाई है कि :

"आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमों का उल्लंघन करके स्वीकार किया गया है। दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र) को छोड़कर शेष सभी राज्य के विषय है।"

इस संदर्भ में यह याद दिलाया जा सकता है कि मुझे पहले इस पर अनेक स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समाचार पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि अन्तर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हैं और वह हत्याएं कर रहे हैं। माननीय सदस्य स्वयं भी मुझसे मिले हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस विषय पर कम से कम एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि इस बारे में सदन में बताया जाए कि अन्तर्राज्यीय गिरोह लूटपाट और हत्यायें न करें यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य तौर पर मैं संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देता क्योंकि इसके बारे में केन्द्र सरकार का सीधा दायित्व है, किन्तु संसद सदस्यों के तर्कों के आधार पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को उस रूप में स्वीकार कर लिया है जिस रूप में वह कार्यसूची में दिखाया गया है। किन्तु यदि सदस्य चाहें कि हम संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में ही चर्चा सीमित रखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

क्या यह सही है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : जी हाँ, सही है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं नियमों के अनुसार ही चलना चाहता हूँ। यह सही है।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : मेरा एक निवेदन है। आपको मेरी बात सुननी होगी।

वास्तव में डकैतियों का प्रश्न केवल राज्यों से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि रेलों में भी डकैतियाँ हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम रेल बजट में चर्चा कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री नवलकिशोर शर्मा : इसका सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय गिरोहों से है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि रेलों में डकैती होती है तो उसे मामले का निपटान जी० आर० पी० द्वारा किया जाता है और जी० आर० पी० सरकार राज्य के अन्तर्गत कार्य करती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति इसलिए दी थी कि कुछ अन्तर्राज्यीय गिरोह... (व्यवधान) मैंने ऐसा किया था। यदि राज्यों सम्बन्धी मामलों को स्वीकार न करना पड़े तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह एक बड़ी सवाल है। डाकू चम्बल घाटी में रहते हैं और वहीं से कार्यवाही करते हैं। जब तक चम्बल घाटी को समतल नहीं किया जाता...

अध्यक्ष महोदय : यही बात ध्यान में रखी गई (व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : अतः यह एक व्यापक प्रश्न है। कोई एक ही राज्य इस विषय निपटने की स्थिति में नहीं है। इसलिये मेरे विचार में आपने इस ध्यान आकर्षण को स्वीकार कर अच्छा ही किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सर्वोच्च हित को ध्यान में रख कर इसकी अनुमति दी। श्री नवल किशोर शर्मा.. (व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : आशा है कि पश्चिम बंगाल में और राजनीतिक डकैतियों नहीं होगी। मैं उन्हें यहां नहीं उठाऊंगा। आप न डरें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप केवल दिल्ली की बात करें।

श्री नवल किशोर शर्मा : पर आपने उत्तर प्रदेष, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के बारे में अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें अन्तर्राज्यीय डकैतियों का उल्लेख नहीं है। चलती रेल गाड़ियों में होने वाली डकैतियां की बात नहीं की गई। यह यहां कैसे उठाई जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : रेल गाड़ियों में होने वाली डकैतियों की चर्चा हम रेल बजट पर बहस के दौरान करेंगे।(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित रखें।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्ध हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : संघ राज्य क्षेत्र और चारो ओर फैले गिरोह।

अध्यक्ष महोदय . तो राज्यों की बात फिर बीच में आ जाएगी। हम केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : तो क्या मैं दिल्ली तक ही सीमित रहूँ ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। केवल दिल्ली के बारे में।

श्री जैनुल बशर : हम पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं करेंगे। वे चिंतित क्यों हैं। यह उचित नहीं है। यह जिस रूप में है उसी रूप में है उसी रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :—

"राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लूटमार और डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाएं।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय राज्यों विशेष कर उत्तर प्रदेष, मध्य प्रदेश और दिल्ली सघ राज्य क्षेत्र में लूटमार और डकैतियों की बढ़ती हुई घटनाओं के समाचार से इस सभा के साथ-साथ सरकार भी चिंतित है...

अध्यक्ष महोदय : अन्य राज्यों को न घसीटें। केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताएं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे पास जो जानकारी है, उसे मैं बता रहा हूं। मैंने स्वीकृत कार्य सूची पढ़ी है। आपने अनुपूरक प्रश्नों में वे दिल्ली तक ही सीमित रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप दिल्ली तक ही सीमित रहें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम इसे स्थगित कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसी स्थिति में मुझे दूसरा विवरण तैयार करना होगा। इसके लिए मुझे समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कर लेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अगले मद विधेयक पेश किए जाने से पहले हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुझे इसका पाठ सप्लाई नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह ले सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की क्या स्थिति है ? उसमें मेरा नाम है।

अध्यक्ष महोदय : यह कल आएगा।

(एक) वर्तमान जनगणना कार्य के दौरान मातृभाषा न लिखी जाना

श्री रशीद मसूद : मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान देश में किए जा रहे जनगणना कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ। गत 5-6 वर्षों से हमारी यह मांग है कि जनगणना में मातृभाषा स्तम्भ को सही-सही भरा जाये। इसीलिए, इस बार उर्दू विद्वानों ने इस सम्बन्ध में काफी काम किया है। परन्तु मुझे सहारनपुर और अन्य स्थानों से शिकायतें मिली हैं कि परिगणक से मातृभाषा के स्तम्भ में लोगों की मातृभाषा नहीं लिख रहे हैं। उर्दू के समाचारपत्रों में यह खबर भी छपी है कि जब कोई व्यक्ति परिगणक से 'मातृभाषा' के स्तम्भ में की गयी प्रविष्ट दिखाने के लिए कहता है तो उसे यह बताया जाता है कि सरकार ने उस स्तम्भ को खाली रखे जाने की हिदायद दी है।

यह चिन्ता का विषय है। अतः मेरा अनुरोध है कि जनगणना कार्य, विशेषकर सहारनपुर में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किये जाये कि संगत स्तम्भ में मातृभाषा सम्बन्धी प्रविष्ट किए जाने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति को मातृभाषा की प्रविष्टि दिखायी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 377 के शेष मामले विधेयक के पुरःस्थापना के पश्चात लूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पाठ में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जा चुका है। श्री आर. वेंकटरामन।

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष वाहक बंध-पत्र, 1991 के धारकों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों और उनसे सम्बद्ध विषयों की बाबत उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विशेष वाहक बंधपत्र, 1991 के धारकों को कुछ उन्मुक्तियों तथा ऐसे बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों और उनसे सम्बद्ध विषयों की बाबत उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करने के लिये खड़ा हूँ। जब इस सत्र के दौरान इस विधेयक के सम्बन्ध में पत्र सभा-पटल पर रखे जा रहे थे तो मैंने दो बातें कहीं थीं जिसका मैं अब संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

मैं इस विधेयक की पुरःस्थापना का संवैधानिक आधार पर विरोध कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत केन्द्र को, कुछ अपवादों को छोड़ कर, करों से प्राप्त राजस्व में से कुछ अंश राज्य सरकारों को भी देना होता। है अनुच्छेद 270 इस प्रकार है :—

"कृषि आय से अतिरिक्त आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा तथा खंड (2) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा।"

मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह सामान्य तौर पर सरकार को आय-कर के रूप में प्राप्त होना चाहिए था। आयकर एकत्रित करने में असफल होने पर और पहले भी स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के माध्यम से लोगों को आयकर न देने के लिए प्रोत्साहन देकर अब आप संसद के सामने एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिसमें पहले तो काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने की व्यवस्था है और साथ ही सरकार के लिए बंध-पत्रों के माध्यम से कुछ धनराशि एकत्रित करने की भी व्यवस्था है।

मेरा निवेदन यह है कि इससे अनुच्छेद 270 का उल्लंघन होता है क्योंकि इन करों में जो सामान्य रूप से आपके पास आने चाहिए थे और जिनमें राज्य सरकारों का आपके साथ हिस्सा होना चाहिए था, राज्य सरकारों को उनका वैध और उचित हिस्सा नहीं मिलेगा।

मैं संविधान के अनुच्छेद 292 का भी उल्लेख कर रहा हूँ। अनुच्छेद 292 में कहा गया है :

> "भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।"

यह अनुच्छेद बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है किन्तु जब सरकार उधार लेना चाहती है तो सरकार को कुल धनराशि के बारे में जिसे वह उधार लेना चाहती है, बहुत ही निश्चित होना चाहिए क्योंकि इसकी देयता भारत की समेकित निधि पर है। इस मामले में मैंने बजट पत्रों को देखा है जिनमें माननीय वित्त मंत्री ने यह परिकल्पना की है कि वर्ष 1980-81 में वह 200 करोड़ रुपये एकत्रित करेंगे और वर्ष 1981-82 में जिसके लिए उन्होंने दो दिन पहले बजट प्रस्तुत किया है, सरकार 800 करोड़ रुपये और एकत्रित कर लेगी। साफ बात यह है कि मैं नहीं जानता कि क्या वह इतनी राशि एकत्रित कर पायेंगे, क्योंकि हम में से कुछ का यह विचार है कि यदि लोग रियायत के कारण जो वर्तमान सरकार दे रही है अपने काले धन को सफेद धन में बदलने का प्रयत्न करते हैं तो उस रियायत से यह सरकार बाध्य हो जायेगी, किन्तु यह किसी अन्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी। वास्तव में यदि सरकारी पक्ष के सदस्यों का यह विचार हो कि किसी की सल्तनत सम्बन्धी विचारधारा के कारण अथवा किसी अन्य कारण से वे यह समझते हैं कि वे हमेशा सत्ता में बने रहेंगे और वे इस देश में काले धन वालों को यह गारंटी दे सकते हैं कि यदि वे अब अपने काले धन को सफेद धन में बदल सकते हैं, जब तक वे सत्ता में हैं, दस वर्ष के बाद काला धन उसके मालिकों को सफेद धन के रूप में वापस किया जायेगा। तो वे इसमें एक गम्भीर गलती कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस सरकार की रियायतों के अन्तर्गत काले धन को सफेद धन में बदलने का विचार करता है, उसे यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी बाद की सरकार इसे मानने को तैयार नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि वे इसे स्पष्ट रूप से समझें। मैं चाहता हूँ कि वे अपने दिलों में भगवान से डरें। और यह समझें कि यह गारन्टी जो इस सरकार ने दी है उसके लिए बाद की कोई भी सरकार बाध्य नहीं होगी। इस तथ्य को नोट किया जाना चाहिए। तथापि जहाँ तक अनुच्छेद 292 का सम्बन्ध है, हमारे संविधान में बहुत ही निश्चित और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप समेकित निधि से गारन्टी दे सकते हैं किन्तु यह गारंटी एक निश्चित धनराशि की ही दी जा सकती है किन्तु आप जब बाहर बाजार में जायेंगे और देश के सभी काले धन के जमाखोरों तथा काले धन का धन्धा करने वालों से कहेंगे कि वे अपने धन से यथा सम्भव बांड खरीद तो यह संविधान के उपबंध का स्पष्ट उल्लंघन होगा जिसमें सरकार से यह अपेक्षित है वह उस धनराशि के बारे में जिसे वह उधार लेना चाहती है, तथा जिसकी गारंटी देना चाहती है निश्चित रूप से उल्लेख करे। क्योंकि हमें कैसे पता

लगे ? वित्त मन्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए आएंगे। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस समय देश प्रचलित कुल काला धन लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपये के बीच होगा···

एक माननीय सदस्य : मुद्रा में ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी हां, सम्पत्ति के रूप में जिसे जब भी कभी जमाखोर और काला बाजारिये ठीक समझें इसे मुद्रा में परिवर्तित करवा लें।

हम इस तथ्य को भी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 30 करोड़ रुपये का काला धन प्रति दिन पैदा किया जाता है। इस देश में प्रतिदिन 30 करोड़ का काला धन पैदा किया जा रहा है। सोडा एश और कास्टिक सोडे जैसी आम वस्तुओं को ही लीजिए···

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इस जानकारी का स्रोत क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जानकारी का स्रोत ? आपकी सरकार के कागजात। जी हां 30 करोड़ रुपए। केवल सोडा एश और कास्टिक सोडा···

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप अपने मुद्दे तक ही सीमित रहें।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : आप जब सत्ता में थे तब आपने इस मामले को क्यों नहीं उठाया ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने इस मामले को उठाया था। हम इस पर चर्चा करेंगे··· आप यदि उस पर वादविवाद करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं···।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने विषय तक ही सीमित रहें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अतः मेरा मुद्दा यह है—मैं अनुच्छेद 292 की व्यवस्था पर बोल रहा हूं—कि मान लो वे सभी लोग जो अभी अपने काले धन को सफेद धन में बदल रहे हैं, क्योंकि आपके काला धन बांडों ने काला धन की उत्पत्ति को नहीं रोका है, और वास्तव में आप अब लोगों से कह रहे हैं "आप जितना काला धन पैदा करना चाहें कीजिए" क्योंकि हम यहां भारत की महान प्रगतिशील सरकार में बैठे हैं जो आपको अपने काले धन को सफेद धन में परिवर्ति करने देगी। इस प्रकार आप लोगों को काला धन पैदा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस देश में ऐसे लोग हमेशा ही रहे हैं। अतः, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय के अपने अनुभव के विपरीत कि चालू वित्त वर्ष में 800 करोड़ रुपये का काला धन सफेद धन में परिवर्तित कर दिया जायेगा। आपको 800 करोड़ रुपये की बजाय 1800 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आप अनुच्छेद 192 का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 292 आप को इच्छानुसार कितना ही धन एकत्रित करने और भारत की संचित निधि में से लेने की अनुमति नहीं देता। यह मेरा दूसरा निवेदन है।

अन्त में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विधेयक इस देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जिससे काले धन के जमाखोरों और काले धन का धन्धा करने वालों को अधिक काला धन पैदा करने के लिए प्रोत्साहन करेगा और इसलिए यह राष्ट्र विरोधी विधेयक है।

यह इस देश के लोगों के हित में नहीं है। आपने ऐसा ही प्रयास स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अन्तर्गत 1976 में किया था और अब मुझे वित्त मंत्री से पता चला है कि स्वैच्छिक प्रगटीकरण योजना के अन्तर्गत 750 करोड़ रुपये का काला धन सफेद धन में परिवर्तित किया गया। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्वेच्छा से उन लोगों के नाम प्रगट करें जिन्होंने अपने काले धन को सफेद धन में परिवर्तित किया था। श्री लकप्पा जी मैं जब सरकार में था तो मैंने उन लोगों के नाम जारी करने का प्रयत्न किया था जिन्होंने काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित किया, परन्तु मैं असफल रहा।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी सरकार के साथ भी असफल रहा। परन्तु मैं आज माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह उन लोगों के नाम बतायें जिन्होंने 1976 में आपात स्थिति के दौरान अपने काले धन को सफेद धन में बदला था। तभी हमें पता लगेगा कि ये महान् प्रभावशाली, बड़े लोकोपकारी लोग कौन हैं जो अन्यथा निर्माण कराते हैं।

एक माननीय सदस्य : मन्दिरों का;

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हां, अस्पतालों का जो छात्रवृत्तियां देते हैं, जो अन्यथा सुविख्यात उदार और धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को लूटा, राजकोष को लूटा और जिन्होंने इतना अधिक काला धन पैदा किया और अन्त में आपात स्थिति के दौरान स्थिति से फायदा उठाते हुए उसे सफेद धन में बदला और जो अब फिर ऐसे उपाय करेंगे।

इन परिस्थितियों में यह विधेयक असंवैधानिक, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है और इसलिए मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ। महोदय, यह कानूनों का महत्व कम कर रहा है और इससे यह पता लगता है कि सरकार की सांठ-गांठ ऐसे वर्ग के लोगों से है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मेरी समझ में यह संविधि पुस्तक में एक स्थायी कलंक होगा, क्योंकि इस विधेयक द्वारा एक भद्दी भूल को स्थायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कर अपवंचकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और बेईमानी तथा अनैतिकता को बढ़ावा मिल रहा है।

जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जो योजना बनाई गयी है उसमें कानून तोड़ने वालों को पुरस्कृत किये जाने और कानून पालन करने वाले लोगों को दण्ड दिये जाने का प्रयास किया गया है। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक को तो "कदाचार के लिए इनामी बॉंड विधेयक" कहना सही होगा। माननीय वित्त मंत्री इस अत्यधिक भद्दे और विकृत शिशु को जन्म देकर स्वयं ही इनाम के हकदार हैं, शायद, भारत रत्न के। यह योजना ईमानदारी को सर्वाधिक हतोत्साहित करने वाली योजना है और जिस दिन यह अध्यादेश जारी किया गया था, वह दिन कर-अपवंचकों, चोर बाजारियों और जमाखोरों के लिए बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि उसके द्वारा इस सरकार ने कानून को भंग करने के लिए उन्हें पूरी-पूरी छूट दे दी है।

महोदय, अब यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। मुझे मालूम है कि इस मामले

के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से इस पर यहां चर्चा रोकी नहीं जा सकती परन्तु महोदय, जब समूचा देश और समस्त लोग इस मामले पर क्षुब्ध हैं तो यह शालीनता, नैतिकता और औचित्य की बात होगी कि राज्य का विधानमंडल इसे पहले पास न कर दे। यह उचित बात है कि इस समय विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें उस प्रयास को विफल करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो इस मामले में उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए किया गया है। मुझे आशा है कि इस समय हम एक ऐसे प्रस्ताव को विधायी स्वरूप नहीं देंगे। जो हमारी समझ में न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस विधेयक में जो कुछ किये जाने का प्रयास किया गया है वह केवल विपथगामी ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा ईमानदार और बेईमान कानून का पालन करने वाले और कानून को तोड़ने वाले लोगों के बीच भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया गया है। यह विधेयक उन लोगों के बीच जो देश को बर्बाद करते हैं और जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कठिन संघर्ष करते हैं, जो देश का कानूनों का खुला उल्लंघन करते हैं। और जो उनका ईमानदारी से पालन करते हैं, भेदभाव करता है। मेरे विचार के अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबन्धों के विपरीत देश के नागरिकों के बीच सांविधिक परन्तु असंवैधानिक भेदभाव के एक स्पष्ट उदाहरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

महोदय, मैं आपके और माननीय सदस्यों के विचार के लिए यह कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में कानून का पालन करने वाले और कानून का पालन न करने वाले लोगों, बेईमान और ईमानदार और राष्ट्रीय राजकोष में योगदान करने के लिए भारी प्रयत्न करने वाले तथा इस राजकोष को जान-बूझकर कम करने वाले लोगों के बीच कोई समुचित वर्गीकरण करने के बारे में कोई कल्पना या प्रस्ताव नहीं किया गया है या इसकी अनुमति नहीं दी गयी है। यह इस विधेयक के द्वारा हमारे संविधान में दिए गए समानता के सिद्धान्तों का मखौल उड़ाया गया है और यह समानता सम्बन्धी खण्ड के उल्लंघन का एक ज्वलंत उदाहरण है।

महोदय, उच्चतम न्यायालय के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश ने जो दुर्भाग्यवश अब न्यायाधीश नहीं हैं और जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में अभी हाल के निर्णय में कहा है। मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री का ध्यान इसकी ओर दिलाया गया है या नहीं। उस निर्णय में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने यह विचार व्यक्त किया है।

> "न्याय की समता के सिद्धांत का घोर अनुचित अथवा अनैतिक उपहास न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन ही है अपितु संविधान के मूल स्वरूप का उल्लंघन भी है।"

मेरा निवेदन है कि इस सभा से वर्गीकरण के आधार पर लोगों में विभेद करने की प्रक्रिया में भागी होने के लिए कहा जा रहा है जिसे कोई ईमानदार न्यायाधिकरण या मंच सम्भवतः स्वीकार नहीं कर सकता। यह योजना क्या है ? इस योजना के द्वारा सरकार खुले दिल से और घुटने टेककर काला बाजारियों को आमंत्रित कर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था के इन लुटेरों से दया की भीख मांग रही है। इस सरकार का कहना है कि यह योजना प्रभावी होगी, परन्तु यह कारगर ढंग से काम नहीं कर सकती। वित्त मंत्री उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं जिनके पास इन बाँडों में निवेश के लिए हराम की कमाई का धन है। कदाचार के लिए

इनाम दिए गए हैं। धन के स्रोत के बारे में पूछताछ नहीं की जाएगी। यह उनकी सम्पत्ति का अंग नहीं होगा। कोई उपहार कर देय नहीं है। संपदा-शुल्क से छूट दी गई है। कोई रिकार्ड नहीं रखा जाएगा। वह एक ऐसी योजना है जो अब इस 20वीं शताब्दी में एक सभ्य देश में ऐसी प्रतीत होती है जिसमें निवेश करने वालों के नाम नहीं बताये जायेंगे। अतः इसमें गुमनाम की व्यवस्था है। इसमें रहस्य है। अतः लोग ऐसा कहने से नहीं रह सकते कि वे आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। वे तो केवल पृष्ठभूमि में ही रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे चलन में आ रहे कुल अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये के काले धन में से थोड़ी मात्रा में आपकी भी मदद करें। अब माननीय मंत्री 800 करोड़ रुपए का धन निकालने के उद्देश्य से इस देश में एक वर्ग के लोगों को यह सुविधा दे रहे हैं। अतः मुझे आश्चर्य है कि कोई सभ्य सरकार किस तरह से ऐसी स्कीम भी बना सकती है।

वांचू समिति ने इस तरह के सुझाव पर, जो उनके सामने आया था, विचार किया था। इसने इस बात पर विचार किया था कि क्या इस तरह की धारक बांड योजना उस काले धन में से, जो प्रचलन में है, कुछ धन बाहर निकालने के उद्देश्य से शुरू की जा सकती है।

जहां तक मैं जान पाया हूँ वांचू समिति ने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यह सभी पहलुओं से गैर कानूनी, अनैतिक, असंवैधानिक था। यह ऐसा वीभत्स, विकृत और दानवी प्रस्ताव है जिसका कोई भी सभ्य शासन सहारा नहीं लेगा। महोदय आप अभी यह कल्पना कैसे कर सकते हैं कि यदि कोई करदाता मामूली सी भी भूल अपने हिसाब से कर बैठता है, या किन्हीं कठिनाइयों के कारण कर अदायगी में थोड़ी सी देर हो जाती है तो उसे ब्याज पर भी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सद्भावी करदाता का कहना है—मुझे थोड़ा समय दो; मैं अभी भुगतान नहीं कर सकता; पर मैं भुगतान अवश्य करूंगा। पर वह ब्याज देने के लिए बाध्य है और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। वित्त मंत्री उन लगों को राहत पहुंचा रहे हैं जिन्होंने कभी इस देश के कानूनों का पालन नहीं किया। अतः मेरा निवेदन है कि यह योजना देश के उन नागरिकों को सताए जाने की योजना के अलावा और कुछ नहीं है जो अच्छे और अच्छे विचारों के लोग हैं। यह देश के करोड़ों गरीब नागरिकों के साथ मजाक है, खिलवाड़ है। इससे केवल उन काले धन वाले व्यक्तियों को लाभ होगा जो देश की गरीब जनता की कीमत पर अपनी तोंद बढ़ा रहे हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि यह एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। हमें बेईमान लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था उनके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमें इस सभा का वातावरण दूषित नहीं होने देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि विधेयक गैर कानूनी, असंवैधानिक, जन-विरोधी है। यह एक प्रकार का घृणित, विकृत कार्य है। अत्याचार है। वित्त मंत्री विकासोन्मुख बजट पेश करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस विधेयक रूपी अपने अपंग, मृत और कुरूप शिशु को अनौपचारिक रूप से दफना दें। मुझे आशा है कि यह सभा इस कठोर और भ्रामक विधेयक के विरोध में आवाज उठाएगी जो सामान्य जनता के न्याय, कानून और नैतिकता में विश्वास को डिगाने वाला एक विधायी उपाय है। मेरी वित्त मंत्री, सरकार और इस सभा से जोरदार अपील है कि इस घृणित अध्यादेश को इस सभा में पेश करके यहां का वातावरण दूषित न

होने दें। सम्मान के साथ इस विधेयक को वापस ले लें और जनता को यह बता दें कि इस सरकार में नैतिकता और कानून के प्रति सम्मान की थोड़ी भावना अभी शेष है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु को पुकारने से पूर्व मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक का विरोध करने वाले लगभग 12 सदस्य हैं। नियम स्पष्ट है कि आप विधानता और संवैधानिकता के आधार पर संक्षिप्त में अपने विचार रख सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मेरा नाम आने के बाद आपने अचानक ही नियम बताने शुरू कर दिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने देखा कि दो सदस्यों ने बहुत अधिक समय लिया है। अतः मुझे सभा को नियमों का स्मरण कराना पड़ा। मैं केवल नियमों का जिक्र कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि कोई भी सदस्य दो या तीन मिनट से अधिक न लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या, कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत आप सदस्य को बोलने से रोक सकते हैं ? कृपया उसका पता लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल नियम 72 का हवाला दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आश्चर्य है कि सदस्यगण उस व्यक्ति के गुणों और रवैये से परिचित होते हुए भी जो वस्तुतः सरकार है इस प्रकार का विधेयक पेश लिए जाने पर आश्चर्य चकित हो रहे हैं। पर मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है* (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत पढ़ूंगा। अगर कोई आरोप मिला तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री मगनभाई बारोट : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु जी, आप नियम 353 देखें। यह स्पष्ट है। इसमें कहा गया है :

> "353. किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।"

श्री मगनभाई बारोट : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विचाराधीन विषय की विधायी सक्षमता का है अतः सदस्य केवल विधायी सक्षमता के बारे में बोल सकते हैं न कि हमारे नेता और दल के बारे में। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। अगर कुछ नियम-विरुद्ध मिला तो मैं उसे हटा दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बहुत से मेरे मित्र नए हैं। उन्हें पता नहीं है··· (**व्यवधान**)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे आपकी उम्र के हैं।

श्री मगनभाई बारोट : मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वे हर समय हमें नए सदस्य कहते हैं। उन्हें ऐसा न कहने···* उन्हें हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। हम उनकी सलाह से काम नहीं करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप अहमदाबाद जाकर देखें (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य नियमों का पालन करे और अपना भाषण दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं इस सभा सबसे भोला और शान्तिप्रिय सदस्य हूँ। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमेशा नियमों का ध्यान रखते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे नए मित्र दो प्रकार के हैं। एक आरोही किस्म के हैं। वे नटों के करतब दिखाते हैं ताकि उनको प्रश्रय मिल सके। दूसरे यह काम अज्ञानता के कारण करते हैं। मैंने 5वीं लोकसभा के दौरान इस सभा में···पेश किए हैं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह मामला न उठाएं (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय यह अपमानजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो किस्मों की और इधर-उधर की बात की है। कृपया व्यैक्तिक बातें न उठाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा···*

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी व्यक्तिगत आरोप हैं। यह ठीक नहीं है। आप एक मंजे हुए संसदविद है। आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए मुझे दुख है। (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : हमें इन मामलों में नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह संसद है। आप कहते हैं कि मैं वरिष्ठ संसदविद् हूँ। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं···की बात कर रहा हूँ।* मैंने क्यों कहा* ? पांचवीं लोक सभा में मैंने एक दस्तावेज पेश किया, वांचू समिति की अन्तरिम रिपोर्ट पेश की, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वांचू समिति की उस अन्तरिम रिपोर्ट में तब क्या कहा गया था। 12 नवम्बर, 1970 को···के अनुसार···

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस विधेयक के पुरःस्थापन से क्या सम्बन्ध है ? कृपया काम की बात करें। आप भाषण दे रहे हैं। आपको केवल वक्तव्य देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं वक्तव्य दे रहा हूँ···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाह्य विषय यहाँ न उठाएं। आप किन आधारों पर विधेयक

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

के पुरःस्थापन और उसकी विधायी सक्षमता तथा संवैधानिकता का विरोध कर रहे हैं। क्या इस बारे में मुझे आपको कुछ बताना होता। आप वरिष्ठ सांसद हैं। कृपया काम की बात कीजिए। बाह्य विषय यहाँ न लाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह कह रहा हूँ कि जिसके पास काला धन है उनसे इतना प्रेम क्यों किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विधेयक पर उसको पुरःस्थापित किए जाने के बाद बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि यह मामला अभी न्याय-निर्णयधीन है और क्या वे संसद् तथा न्यायपालिका के बीच विवाद खड़ा करना चाहते हैं ? मान लीजिए हम इस विधेयक को यहां पारित कर देते हैं और उच्चतम-न्यायालय इसे रद्द कर देता है तो क्या इससे संसद और न्यायापालिका में विवाद नहीं उठ खड़ा होगा ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं.. (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसद सर्वोच्च है। (**व्यवधान**) यह धारक बांड अति सुरक्षित मुद्रा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यह केवल आयकर, धनकर, सम्पदा-शुल्क और उपहार कर से छूट मात्र नहीं है। परन्तु यह काले धन को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने का आश्चर्यजनक तरीका है। आप हांगकांग या अन्य किसी स्थान पर 50 करोड़ रुपए के धारक बांड ले जा सकते हैं और वहां अनुचित व्यापार कर सकते हैं। सीमा शुल्क कार्यालय को कोई अधिकार नहीं है। आज ऐसा कानून नहीं है जो इन्हें देश से बाहर ले जाने से रोक सके, यद्यपि यह अति-सुरक्षित मुद्रा से कम नहीं है। इसे किसी में रूप में बदलना बहुत आसान है। भ्रष्ट अधिकारियों के मामले को लीजिए...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वैज्ञानिक क्षमता के आधार पर आइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसा कि जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है कि इससे अनुच्छेद 270 और 292 का उल्लंघन होता है, इससे आयकर अधिनियम का उल्लंघन किया गया है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारक बांड कर प्रणाली की परिध से एकदम बाहर होंगे अतः...

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक को प्रस्तुत किए जाने का विरोध करते है

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका परिणाम क्या होगा...(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : यह क्या मूर्खता...(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह धनी लोगों का बचाव को करेगा। इसीलिए न्यूनतम राशि 10,000 रुपए रखी गई है। दस वर्षों के पश्चात् एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के हाथों में जाते हुए और मुनाफा कमाते हुए ये 10,000 रुपए 50,000 रुपए हो जाएंगे और एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए का सफेद धन, जिस गति से भारतीय रुपया घट रहा है, उस गति से घट कर केवल 2000

रुपये रह जाएगा। यह आश्चर्यजनक है मैं एक उदाहरण दूंगा* (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए और वक्तव्य तक सीमित रहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये जानते हुए कि वे क्या हैं, और स्त्रोत, प्रेरणा और शक्ति को जानते हुए, मैं इतना मूर्ख नहीं बनना चाहता...(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : कृपया नियम 72 को देखें

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 72 में यह स्पष्ट है कि आप केवल वक्तव्य दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : इन्होंने जो कुछ कहा है वह सब*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अन्य लोगों को भी बिगाड़ रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय श्री लकप्पा ने कब से अकल की बात करना शुरू की है।

श्री के० लकप्पा : उनके मूर्खतापूर्ण है, इसमें हम क्या कर सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यवस्था का प्रश्न है। क्या संसदीय शब्द है या नहीं ?

श्री मूल चन्द डागा : नियम में वह बिल्कुल स्पष्ट है कि सदस्य केवल वक्तव्य दे सकता है। इससे अधिक नहीं। और यहां उन्हीं मुद्दों को दोहराया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी जी मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा और यह देखूंगा कि इसका प्रयोग किस सन्दर्भ में किया गया है। आप जग पीठासीन हों तो आप विनिर्णय दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता। मुझे भय है कि हमारे में से कुछ लोग भ्रम में हैं। वे यह सोच रहे हैं कि सरकार काले धन की समाप्ति के लिए वस्तुतः विमुद्रीकरण करेगी या अन्य कोई ऐसा कदम उठाएगी क्योंकि यदि आप देखें तो * ...(व्यवधान)

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) क्या मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल सकता हूं ? यह सब क्या हो रहा है ? मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। (व्यवधान) हमें पता लगा था, कि इस मामले में कुछ छूट दी जा सकती है। इसीलिए इस पक्ष के सदस्यों ने प्रतिबन्धित उपबन्ध पर दबाव नहीं डाला। परन्तु अब इस मामले में पूरी छूट ली जा रही है...(व्यवधान)। मैं नियम पर टिके रहने का आग्रह करता हूँ और आप से विनिर्णय देने के लिए अनुरोध करता हूँ।

इसको प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में दो उपबन्ध हैं। मैं अभी इस उपबन्धको पढ़ूंगा। यह उपबन्ध नियम 72 में है। मैं इसे पुनः पढ़ रहा हूँ :

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा .....।"

दोनों सदस्य जो इसका विरोध करें और जो इसे पुर:स्थापित करें, एक वक्तव्य देंगी भाषण नहीं।

मैं दो बातों पर जोर देना चाहता हूं। एक तो यह है कि अनुमति केवल वक्तव्य दिए जाने की है। वक्तव्य और भाषण में अन्तर होता है। यदि आप इन नियमों का अध्ययन करें तो कुछ मामले ऐसे हैं जिनकों भाषण दिए जाने की अनुमति है। और कुछ मामले ऐसे है जिनमें केवल वक्तव्य दिए जाने की अनुमति है। इस मामले में केवल वक्तव्य दिए जाने की अनुमति है, भाषण की नहीं। वक्तव्य का अर्थ है—एक लिखित वक्तव्य दिया जा सकता है और इस प्रकार भाषण दिए जाने की अनुमति नहीं है (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सी० एम० स्टीफन : दूसरी बात यह है कि यह वक्तव्य संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें समाप्त करने दीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : जिन सदस्यों ने सूचना दी है उन सभी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं कौल और शकधर की पुस्तक से उद्धृत करता हूँ :

"परम्परा यह रही है कि पुर:स्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है, किन्तु ऐसे भी अनेक अवसर आये हैं जब सरकारी विधेयकों के पुर:स्थापन सम्बन्धी प्रस्तावों का सदन में विरोध किया है। जो सदस्य इसका विरोध करना चाहते हैं उन्हें अग्रिम रूप से महासचिव को (बैठक के आरम्भ होने से पूर्व) लिखना चाहिए।...'

श्रीमन्, कृपया इस अंश को सुनिये,

"....और यदि एक अथवा दो सदस्य लिखते हैं, तो अध्यक्ष महोदय उस सदस्य को बुलाते हैं जिनकी सूचना पहले प्राप्त हुई हो। एक अवसर पर, अध्यक्ष महोदय ने एक ऐसे सदस्य को भी बोलने की अनुमति दी थी जिसने पुर:स्थापन का विरोध नहीं किया था।'

मैं शकधर की पुस्तक से उदाहरण दे रहा हूँ। "एक अवसर पर, उन सदस्यों के, जिनसे सूचना प्राप्त हुई, नाम बैलट किये गये और जिस सदस्य का नाम पहले बैलट में आया उसे विधेयक को पुर:स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करने की अनुमति दी गई थी।"

अत: मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ कि विरोध करने का अधिकार केवल एक सदस्य का है, सदस्यों का नहीं; दूसरी बात यह है कि यह केवल अधिकार बक्तव्य देने का है। तीसरा, यह अधिकार केवल संक्षिप्त वक्तव्य देने का है। महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उठ खड़े हुए।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह क्या हो रहा है ? मैं सभा को सम्बोधित कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। (व्यवधान) मुझे भी सदन में विरोध करने का अधिकार है। अतः मैं यह निवेदन कर रहा हूँ (व्यवधान) मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप अपना निर्णय ले सकते हैं। किन्तु भाषण देने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर मैं तीन बाते उठा रहा हूं (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय के पास एक विरोध करने वाले सदस्यों की सूची है। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय की बुद्धिमता को चुनौती दे रहे हैं। उनके समान वरिष्ठ सदस्य को, जो केबीनट के भी सदस्य हैं, सदन को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं केवल उससे पढ़ रहा हूं। (व्यवधान) मैं अपनी बात को अन्तिम शब्द नहीं मानता। मैं केवल इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने केवल इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। निर्णय लेना आपका काम है। (व्यवधान) मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि...(व्यवधान) श्री चटर्जी ने मुझसे पूछा था कि कौन-सी बातें हैं ? (1) एक ही सदस्य को अनुमति दी जा सकती है; (2) केवल वक्तव्य देने की अनुमति दी जा सकती है; (3) वक्तव्य संक्षिप्त होना चाहिये। यदि पहली बात को नहीं माना जाता तो भी दूसरे दो बातें तो रहती हैं केवल व्यक्तव्य की अनुमति है और यह वक्तव्य संक्षिप्त होना चाहिये। तथ्यों के सन्दर्भ में इस उपबन्ध का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं इसकी ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। आप उस पर आपने निर्णय ले सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हूँ। भोजन का समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सदन को स्थगित कर दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन को स्थगित करते हैं और मध्याह्न पश्चात 2 बजे तक समवेत होगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा के मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब आपने सदन स्थगित किया था तब मैं बोल रहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने श्री स्टीफन द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने के लिये आपसे अनुमति मांगी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय देना चाहता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब तक आप हमारी बात नहीं सुन लेते तब तक आप अपना विनिर्णय नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मैं उस पर अपना विनिर्णय दे रहा हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय दें, उससे पहले मैं उनके द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक मिनट का समय ही लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं एक मिनट से थोड़ा ही ज्यादा समय लूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बोल रहा था, आप रिकार्ड देख सकते हैं। जब आपने सदन स्थगित किया था तो मैं बोल रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहे थे। पहले हमने इस विधेयक का उसके पुरःस्थापन स्तर पर विरोध किया है। हमारा विरोध जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अन्य बातों के अतिरिक्त संवैधानिक आधार पर है। इस सम्बन्ध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। यदि विधेयक को पुरःस्थापन की संवैधानिक आधारों पर विरोध किया जाता है तो हमें उस पर सम्पूर्ण चर्चा करनी होती है दूसरी बात नियम 389 के अन्तर्गत है। जब श्री स्टीफन अनेक सदस्यों को बोलने की अनुमति देने के सम्बन्ध में समूची प्रक्रिया को चुनौती देने के लिये उठ खड़े हुए, यदि एक क्षण के लिये यह मान भी लिया जाये कि संवैधानिक मुद्दे नहीं उठाये गये हैं...मुझे विश्वास है कि आपको इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं होगा कि संवैधानिक मुद्दे उठाये गये हैं, क्योंकि अनुच्छेद 245 के अन्तर्गत संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है; संसद संविधान के उपबन्धों के अध्याधीन कानून बनाती है। मैंने अनुच्छेद 270 और 292 को उद्धृत किया है। इन दोनों अनुच्छेदों को उद्धृत करते हुए, मैंने इस बात का उल्लेख किया है इस विधेयक के संदर्भ में संविधान के इन दो अनुच्छेदों का कैसे घोर, उल्लंघन हो रहा है। अतः यदि एक क्षण के लिये मान लिया जाये कि यह मामला केवल संवैधानिक प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है और इस विधेयक के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में आम विरोध है, तो इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध यह है कि प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत नियम 389 में अध्यक्ष महोदय को नियमों का संरक्षक माना जाता है और यदि अध्यक्ष महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विधेयक के विषय की गम्भीरता तथा इस विधेयक में अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों को देखते हुए जिन सदस्यों ने विरोध करने के लिये अपने नाम दिये हैं, उन्हें बोलने की अनुमति दी जाये, तब किसी भी माननीय सदस्य का, चाहे वह मन्त्री ही क्यों न हो, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता लेकिन अवसर मिलते ही व्यवस्था का प्रश्न उठा देता है उसका भी, अन्य सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देने सम्बन्धी अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देना सही नहीं है। अतः आपको उनके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर देना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इससे हमारे संचार मन्त्री

को, जिन्होंने अपने कुप्रबन्ध के कारण इस देश में संचार के सभी साधनों को अस्त-व्यस्त कर दिया हैं, ऐसे समय जबकि इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त दक्ष मन्त्री चर्चा का उत्तर देने के लिये उपस्थिति हैं, इस आधार पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये प्रेरणा प्राप्त हुई है कि केवल एक ही सदस्य को इसमें भाग लेने की अनुमति है और उसके लिये उसे संक्षिप्त वक्तव्य ही देना होगा। यह बड़ा ही विशिष्ट नियम है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि विधायी क्षमता के सम्बन्ध में विशिष्ठ् प्रश्न उठाये जाते रहे हैं और विधेयक की वैधता को चुनौती दी जाती रही है। अतः जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि अध्यक्ष महोदय ने श्री जार्ज फर्नान्डीस को बोलने की अनुमति दी और समय सम्बन्धी कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की तथा यह भी नही कहा कि इस पर किसी अन्य सदस्य को बोलने नहीं दिया जायेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि इस विषय के महत्व को देखते हुए उन्होंने अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दे दी है कि वह अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से चर्चा नहीं होने देने का प्रयास करने का, जबकि नियमों में पुरःस्थापन स्तर पर चर्चा की व्यवस्था है, अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। अतः संसद के उचित संचालन के लिये इस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न का आरम्भ से ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये। यह तो अव्यवस्था का प्रश्न है, आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को निपटा रहा हूँ। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 371 के अधीन।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को निपटाना चाहता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया नियम 371 देखिए। इसमें कहा गया है :

> "यदि सभा के किसी विभाजन में किसी सदस्य के मत का विनिश्चिय किये जाने वाले विषय में उस सदस्य के वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष आधार पर आपत्ति की जाये तो..."

यह एक विधेयक है जो काले धन को कानूनी करार देता है।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : कोई सदस्य कितनी बार व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बोल रहा था। यह कार्यवाही वृत्तांत में है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपमान जनक वक्तव्य न दें। यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं चायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। आप एक वरिष्ट सदस्य हैं। आप तीन दशक से सदस्य रहे हैं। अपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके अनुसार मैं नया हूं। कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न कीजिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 72 में कहा गया है :

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

आज सुबह तक विशेष वाहक बंधपत्र (उनमुक्ति और छूट) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए 13 सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। (व्यवधान)* यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा।

इनमें से बहुत सदस्यों ने इस विधेयक को पारित करने की इस सभा की विधायी क्षमता पर भी आपत्ति उठाई है।

नियम 72 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें खासतौर से यह भी कहा गया है कि जब किसी प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधयनी क्षमता से परे है और उस पर अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति दी है। तथापि यह चर्चा इस मूल तथ्य को ध्यान में रख कर की जानी है कि केवल इस विधेयक के सम्बन्ध में संवैधानिकता अथवा सभा की क्षमता के संगत मुद्दों को ही उठाया जाये क्योंकि इस विधेयक से सम्बद्ध अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए आगे की अवस्था है।

मैं सदस्यों का ध्यान नियम 353 के उपबन्धों की ओर भी दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि वे कृपया उस नियम के उपबन्धों का तथा सभा में सुस्थापित इस का पालन करें कि किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध विशेष रूप से सभा के किसी वर्तमान सदस्य के विरूद्ध तब तक आरोपात्मक, निन्दात्मक अथवा अभियोगात्मक वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उस सदस्य ने अध्यक्ष को इसकी पूर्व सूचना न दी हो और अनुमति प्राप्त न की हो।

मेरा सभा के सभी वर्गों से निवेदन है कि वे सहयोग करें ताकि प्रस्ताव पर उद्देश्यपूर्ण तरीके में आगे चर्चा हो सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने नियम 371 का हवाला दिया है जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति को मतदान नहीं करना चाहिए जिसका विधेयक में आर्थिक हित हो। काले धन का परि-

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

वर्तन करने वाले इस विधेयक में...*

श्री सी० एम० स्टीफन : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है...(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु मैंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : केवल संवैधानिकता और विधायी क्षमता सम्बन्धी मामलों का ही उल्लेख किया जा सकता है। अतः वह किसी सदस्य का उल्लेख नहीं कर सकते है। संवैधानिक क्षमता और विधायी क्षमता। इससे अधिक कुछ नहीं। विधायी क्षमता ही केवल इस समय विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुख्य विषय पर आइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कह रहा हूँ कि चूंकि यह...

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा है कि सीमाएं क्या होंगी।

ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं बोल रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस नियम के अन्तर्गत ।।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुझे पूछना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे तो किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं। (व्यवधान) किस नियम के अधीन ? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। मुझे खेद है...(व्यवधान)। यदि उनका व्यवस्था का प्रश्न है तो हमें बतायें कि किस नियम के अधीन... (व्यवधान) महोदय, आप नियम का पालन कीजिए। आप हमें बताइए यह किस नियम के अधीन है...(व्यवधान)। आप यह नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हम सब कुछ आप पर छोड़ देते हैं, परन्तु इन्हें नियमों के अन्तर्गत चलाना चाहिए···(व्यवधान)

श्री मगनभाई बारोट : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अन्तर्गत ? सभा यह जानना चाहती हैं। आप केवल यह नहीं कह सकते "मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।" किस नियम के अधीन ?

श्री मगनभाई बारोट : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं कि···

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप उन्हें इसे उठाने क्यों नहीं देते ? उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

*अध्यक्षपीठ के अनुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अधीन ? वह नियमों के अधीन होना चाहिए। व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया नियमों का संविधान के अन्तर्गत होना चाहिए । मंत्री खड़ा होकर यह नहीं कह सकता "मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।" क्या वह व्यवस्था का प्रश्न है ? (**व्यवधान**) प्रक्रिया नियमों का संविधान के अन्तर्गत ही वह खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। वह केवल यह नहीं कह सकते कि···

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अधीन ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके कहने के लिए नहीं है। यह मुझ पर छोड़ा जाए। मैं चाहे इसके लिए कहूँ या नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप यह कैसे कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुझे निर्णय करना है। वह एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप हमें नियम तो बतायें। हम उस नियम को जानना चाहते हैं। आप हमसे हमेशा नियम के बारे में पूछते रहे हैं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बरोट, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (**व्यवधान**) आप उस नियम के बारे में न पूछें। मैं आपको वह नियम नहीं बताना है। (**व्यवधान**) नहीं, नहीं, मैंने व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे दी है।

श्री मगनभाई बारोट : मैं कहता हूँ कि यदि आप हर समय यह निर्णय करेंगे···

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अधीन ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

श्री मगनभाई बारोट : हर बार जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह नियम या धारा का उल्लेख करे, तो मुझसे भी ऐसा करने को कहा जा सकता है। अन्यथा यदि आप मुझसे पूछते हैं तो यह नियम 376 के अधीन है। परन्तु मेरा कहना है कि जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए कहे तो आप हर बार यह पूछें।

अब, महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ठीक एक मिनट पहले आपने··· (**व्यवधान**) यह कार्यवाही वृत्तांत में है। आपने एक निर्णय दिया है कि···पर चर्चा···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री मगनभाई बारोट : आपने कुछ मिनट पहले ही विधेयक पर चर्चा के बारे में कहा है जिसका स्वीकार किया जाना कुछ शर्तों के आधीन होगा और आपने यह भी कहा कि चर्चा में

विशेष रूप से सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अपमानजनक या संदेहास्पद आरोप नहीं लगाया जाएगा। हम सरकारी पक्ष के सदस्य हैं और इसलिए हम सभा के सदस्य भी हैं। माननीय सदस्य ने एक बार एक एक नाम दिया। दूसरी बार वह इसे व्यापक बना रहे हैं और सभा के सभी सदस्यों के विरुद्ध कह रहे हैं। आपने अभी जो निर्णय दिया है, उससे यह बिल्कुल प्रतिकूल है। उन्हें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए ·· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत पढ़ूंगा। यदि उसमें मुझे सरकारी पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध कोई चीज अपमानजनक दिखाई दी या कोई आरोप नजर आया तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। (**व्यवधान**) मैं कार्यवाही वृत्तांत पढ़ूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आपने* ·· यदि मेरा कहना गलत सिद्ध हो जाये तो यह सभा और आप जो भी सजा देना चाहें मुझे स्वीकार होगी। आपने कहा कि नियम 353 के अधीन पूर्वानुमति···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई आक्षेप नहीं लगा सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है, आप महान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप महान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह शब्द प्रयोग न करें। आप मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जार्ज फर्नान्डीस का कहना है कि मैं यह कहूं कि 'आप महान हैं।'

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप आक्षेप लगा रहे हैं। ये शब्द प्रयोग न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है आपने सभा का समुचित रूप से मार्गदर्शन नहीं किया है। मैं नियम 353 पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें पूर्वानुमति लेने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, अब आप समाप्त करें। आप विषय पर आइये। (**व्यवधान**) श्री ज्योतिर्मय बसु, आपसे एक निवेदन है। आज मेरे प्रकोष्ठ में आकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अब आप विषय पर आएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं विषय पर आ रहा हूँ। सभा को यह प्रस्ताव करना चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में आप विषय को भूल गए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको सभा को व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिए और अपनी मर्जी से। मुझे आशा है कि यह असंसदीय नहीं है। नियम 353 के अनुसार सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वह अध्यक्ष के माध्यम में सम्बन्धित मंत्री

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

को अपना भाषण देने से पूर्व नाम और आरोप दे देता है तो यह पर्याप्त है। पूर्वानुमति लेना जरूरी नहीं है। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में रखा जाए जिससे गलत चीजें कार्यवाही में सम्मिलित न हों।

श्री के० मायातेवर (डिन्डगल) : क्या आपने बताया था ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने किसी को बदनाम नहीं किया है। मैंने तो केवल···के बारे में बात की है··· (व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : उसी नियम में··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप मेरे पास आयें। समूचा मामला··· (व्यवधान) इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) ये सभी आरोप हैं। कृपया संगत विषय पर आइए। (व्यवधान)* मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)* असंगत बातें यहां की जा रही हैं (व्यवधान)* नियम 353 में यह स्पष्ट व्यवस्था है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा। जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना दे दी हो·····"

यह कुछ···विरुद्ध है··· (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। (व्यवधान) आप संगत विषय पर आइए। (व्यवधान)* यह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* मैं नियम 353 को पहले ही उद्धृत कर चुका हूँ। मैं इसे पुनः उद्धृत करता हूं—

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोधक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो ··"

इससे पहले आपने लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है। (व्यवधान)

आप संगत विषय पर आइए। मेरा आपसे विशेष निवेदन है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपने लिया है। आपने एक समाचारपत्र का नाम लिया है। समाचार पत्र के सम्पादक या मालिक इस सभा के सदस्य नहीं हैं। आप आरोप कैसे लगा सकते हैं ? इस आरोप का ऊत्तर कौन देगा ? अतः आप नहीं कह सकते। यदि आपने जानकारी दी होती, तो मैं अनुमति दे देता। यह तो विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : समाचार पत्र कोई व्यक्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपमानजनक या किसी भी प्रकार के आरोप की अनुमति नहीं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूंगा। उन्हें विधायी सक्षमता और संवैधानिक प्रश्न के आधार पर बात करनी चाहिए। मैं किसी और चीज की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : यही ठीक बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य किसी चीज की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। सदस्य को विधायी सक्षमता और संवैधानिक पहलू के बारे में ही बोलना चाहिए।

श्री रशीद मसूद : संसद किस प्रयोजन के लिए है ?··· (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

यदि श्री ज्योतिर्मय बसु बोलना चाहते हैं तो वह विधेयक के पुर-स्थापन के विरोध में बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह बताना चाहता हूँ। अन्यथा मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। मैं विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूँ···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी समाप्त करें। आप आधा घण्टे से भी अधिक समय ले चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विधेयक में खामियाँ हैं। इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। नियम 371 का उल्लंघन हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष को, जिसका विधेयक में आर्थिक हित है, विधेयक पर मतदान में भाग लेने दिया गया है। अगर मैं यह बात आपके ध्यान में न लाऊं तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहूँगा।

मैंने पदनाम भी नहीं बताया है। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है। मैंने केवल उस दस्तावेज का नाम लिया है जो इस सभा के दस्तावेज का अंग है * इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है। आप गुस्से क्यों होते हैं ? आप नियमों से बाहर क्यों जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधायी सक्षमता और संवैधानिक प्रश्न के आधार पर कैसे संगत है ? आप सिद्ध करें कि इस आधार पर संगत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस सभा के संरक्षक हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से यह पूछ रहा हूँ कि यह सब प्रश्नगत विषय से कैसे संगत है ? कृपया विषय बाह्य बातें न उठाएं। असली विषय पर चर्चा करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह आपको बुला रहे हैं* नहीं, नहीं। मैं आपको क्यों बुलाऊंगा* (**व्यवधान**)। मेरा प्रश्न यह है अगर मैं अध्यक्षपीठ का ध्यान नियम 371 की ओर आकृष्ट नहीं करता तो मैं इस सभा का एक सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हूँगा। इस विधेयक को अदालत में चुनौती दिए जाने पर···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मुझे आपको यह बताना होगा कि नियम 371 में क्या है ?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी जानते हैं। नियम में कहा गया है : सभा में मतदान में यदि किसी सदस्य का मत···

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह आ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम में कहा गया है :

"यदि सभा के किसी विभाजन में किसी सदस्य के मत का निश्चिय किए जाने वाले विषय में उस सदस्य के वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित होने···"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको वही बतना चाहता हूँ। कृपया मुझे समझने की कोशिश करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : उनके आरोप का क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि लगभग दो लाख रुपए की रकम सम्बन्धी आरोप का क्या हुआ। क्या यह रिकार्ड में है? उन्होंने दो लाख या उतनी ही रकम के काले धन के बारे में आरोप लगाया··· (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : 82 लाख रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी अपमानजनक या तौहीनी बात कार्यवाही वृतान्त में नहीं रखी जाएगी। मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप रकम कम क्यों बता रहे हैं? यह रकम 82 लाख रुपया है। 2 लाख क्यों? यह अनुमति है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आएं। यदि आप समाप्त नहीं करेंगे तो मुझे आपको बैठने को कहना पड़ेगा। कृपया एक-दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 के अन्तर्गत...

उपाध्यक्ष महोदय : और नियमों का उल्लेख न करें मैंने उन्हें समाप्त करने को कहा है।

श्री राम सिंह यादव : आप पहले मेरी बात सुनें। फिर आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। वह आरोप लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं खड़ा हूँ। आप इस सभा की कार्यवाही कैसे चला रहे हैं?

श्री राम सिंह यादव : नियम 353 के परन्तुक के अधीन अध्यक्षपीठ को किसी सदस्य को इस प्रकार की आरोपात्मक या अपमानजनक बात कहने से रोकने का अधिकार है। इसमें कहा गया है :

"परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा। यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है...

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस नियम का पता है। श्री बसु जी, आप 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक मिनट और 59 सेकेंड। स्वर्गीय श्री एन० सी० चटर्जी, जो जानेमाने विधिवेता और संसद थे। कहा करते थे कि प्रतिष्टा होने पर ही अप्रतिष्ठा का सवाल उठता है आप पहले अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें। तभी बदनामी का सवाल उठेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस पर आ रहा हूँ। इस बात की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना मेरा कर्तव्य है कि नियम 371 में उपबन्ध है और यदि आप उसका पालन नहीं करते और उस व्यक्ति विशेष को मत देने से नहीं रोकते...*(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बैठता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने काले धन और दस्तावेज के बारे में जो कहा वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है। पवित्र मंदिरों से मिलने वाला धन* रिकार्ड में जाएगा।

उपायक्ष महोदय : श्री अजीत कुमार शाह उपस्थित नहीं हैं।

श्री नीरेन घोष। केवल दो मिनट।

श्री निरेन घोष (दमदम) : मैं केवल एक मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आप राज्य सभा के सदस्य थे। हम वहां साथी रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें भाई भतीजे वाद की बू है। आप उनका पक्ष ले रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोनों राज्य सभा के सदस्य रहे हैं। वही मैं उनसे कह रहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप दूसरे सदन का जिक्र नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरे सदन के भाषण का उल्लेख नहीं किया।

श्री निरेन घोष : महोदय, वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन ने एक बार इस सभा में कहा था कि यदि मुझे कालाधन मिला तो मैं उसे पकड़ लूँगा। उनका अभिप्राय था कि कालाधन है ही नहीं। अब कालेधन को वैध करने के लिए अध्यादेश और विधान लाया गया है। यह भी कहा गया है कि सत्ताधारी दल की कालेधन में काफी रुचि हैं यह दल कालेधन पर पल रहा है। यह चुनाव इसी धन से लड़ता है। आज संविधान असंगत हो गया है। श्री जार्ज ने उन खण्ड़ों का जिक्र किया जो संविधान का उल्लंघन करने के लिए बनाए गए हैं।

यह भी सच है कि यदि यह असंवैधानिक विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है और तब उसे उच्चतम न्यायलय द्वारा अवैध करार दिया जाता है तो संसद कठिनाई में पड जाएगी। संसद को संविधान अभिलंघन करने का अधिकार नहीं है। इसे संविधान की मूलभावना को

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

बरकरार रखना है। इस प्रकार के गैर कानूनी और असंगत विधेयक विश्व भर में देश का सिर झुका देते हैं। आप कालेधन को वैध करार दे रहे हैं। कालेधन को हमारे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जा रहा है। यह सरकार और लोकतन्त्र के विपरीत है। ऐसा विधेयक लाने से पहले सरकार को यह सब देश में लोक तांत्रिक महसूस करना चाहिए कि देश के लोग ऐसे विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। अधिकांश लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सरकार संविधान की भावना नष्ट कर रही है। श्री बसु ने 371 के संगत अंश का जिक्र किया। किसी को भी आर्थिक लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। मेरा निश्चित मत है कि सत्ताधारी दल का कालेधन में स्वार्थ है। सत्तारुढ़ दल ऐसा विधान नहीं ला सकता तो लोकतन्त्र के ही विरुद्ध हो।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, वास्तव में यह देखकर बड़ा धक्का लगा है कि जो सरकार सत्यमेव जयते कहती है वह अब एक ऐसा विधेयक लायी है जिसमें सभी चोर बाजारी करने वालों को साधु बनाने का प्रयत्न किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे शेक्सपेयर के इन शब्दों को उद्धृत करें कि "कुकर्म अधिकांशतः अन्धेरे में किये जाते हैं।" यह कैसी बात है कि उन लोगों पर, जो हमारे देश को धोखा देते आ रहे हैं और सरकार को धोखा देते आ रहे हैं, हमला करने की बजाय आप उनके इस धंधे को कानूनी करार दे रहे हैं ? क्या भारत के लोगों को यह बचन नहीं दिया गया था कि चोर बाजारी करने वालों को शीघ्र ही सजा दी जायेगी ? अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वे इतने शक्तिशाली हो गये हैं कि वे आपको ही फांसी पर चढ़ा देंगे। मुझे वास्तव में यह देखकर हंसी आती है कि जो सरकार कालेधन पर नियंत्रण नहीं कर सकती है उसे ही अब काले धन से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्हें अपने काले धन को सफेद में बदलने के लिये कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। किसी भी देश के इतिहास में यह आद्वितीय घटना है। अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोपीय देशों में काला धन था तो यूरोपीय देशों की सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरन्त मुद्रा स्फीति और । काले धन पर नियंत्रण किया था। उन्होंने जो कदम उठाया था वह विमुद्रीकरण का। किन्तु भारत में हम देखते हैं कि विमुद्रीकरण का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री यह नोट करें कि वहां क्या हुआ था और किस प्रकार यूरोपीय देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद किस प्रकार मुद्रास्फीति और काले धन का नियंत्रण किया और वास्तव में उन्होंने चोर बाजारी करने वालों को यह करने नहीं दिया... (व्यवधान)। मुझे नहीं मालूम कि यहां अचानक यह राज्य विप्लव कैसे हुआ। मैं सोच रहा था कि आप सभा को नियंत्रित कर रहें हैं किन्तु मैं देखता हूँ कि कई माननीय सदस्य अब मुझे निर्देश दे रहे है। मैं नहीं जानता यह राज्य विप्लव कब हुआ। मैं एक कहानी से अपना भाषण समाप्त करूंगा क्योंकि हमारा...

उपाध्यक्ष महोदय : कहानी छोटी होनी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बहुत ही छोटी कहानी है। एक अध्यापक थे वह अपनी कक्षा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे है। वह बच्चों के पास गये और देखा कि वे सिनेमा अभिनेता और सिनेमा अभिनेत्री की तस्वीर देख रहे थे। अध्यापक ने सोचा कि इस तस्वीर से कैसे छुटकारा पाया जाये और बच्चों को पथभ्रष्ट होने से कैसे बचाया जाये।

एक दिन वह महानगर गये। पाठशाला बन्द थी। उन्होने निश्चय किया कि वह सिनेमा अभिनेत्री को मार देगा अन्यथा बच्चे उसकी तस्वीर देखते रहेंगे। तीन दिन के बाद वह वापस आया और बच्चों ने देखा कि उसने सिनेमा अभिनेत्री से शादी कर ली है। अब उसने कहा, "विद्यार्थियों, यह मेरी धर्मपत्नी है, क्या तुम उसकी तस्वीर पर देख सकते हो ?" इसी प्रकार काले धन को समाप्त करने की बजाय, उन्होंने उसे अपना लिया है। सरकार का काले धन के साथ कितना सुन्दर गठबन्धन हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, शादी करने के लिए बहुत ही वृद्ध हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देरी की कोई बात नहीं है। चार्ली चेपलिन का उदाहरण मोजूद है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं इस घृणित तथा काले विधेयक के जो असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी है, पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। यद्यपि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विधाराधीन है, सरकार को चाहिए था कि इस विधेयक को न लाती किन्तु सरकार ने जिसका वास्तव में उच्चतम न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नहीं है, इसकी परवाह नहीं की। मैं समझता हूँ कि सत्ताधारी दल की बड़े-बड़े एकाधिकारी गृहों के साथ इस विधेयक को लाने में साँठ-गाँठ है। सम्भवतः इस काले धन में उनका भी हिस्सा है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय सदस्य युवा कांग्रेस के सबसे कनिष्ट सदस्य मालूम होते हैं, वह वास्तव में 65 वर्ष से भी अधिक उम्र के हैं।

इस विधेयक से सरकार देश के उन सभी बेईमान लोगों को लाभ पहुंचा रही है जो चोर बाजारी करने वाले हैं, मुनाफाखोर हैं। और कर अपवंचक हैं जिन्होंने कर अदा नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार उन सभी लोगों को लाभ पहुँचा रही है जो सारे देश को धोखा देते रहे हैं ? सारा राष्ट्र इस विधेयक के बारे में दुखी है। अतः इस विधेयक को लाया नहीं जाना चाहिए था।

मेरा तर्क यह है कि इस विधेयक के कारण अधिक काला धन पैदा होगा क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोगों को इस विधेयक से कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। यह संविधान के सिद्धान्तों और उपबन्धों के विरुद्ध है, अतः मैं इस विधेयक को पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ और माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस विधेयक को वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

श्री रामविलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्याक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब मैं बोल रहा था एल० आई० सी० पर तो उन्होंने कहा था कि कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं ? अब मैं उनसे पूछता हूं कि आप कैसे इस ब्लैक मनी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप यह बतायें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

आपने किसके लिये लागू किया था ? हमारे लिये ? आपने उस बिल के उद्देश्य और कारण में कहा था कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं। मुनाफाखोर हैं, जिनके पास काला धन है उनके खिलाफ हम इस बिल का उपयोग करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वेस्ट बंगाल वाले उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : और अब आपने इन ब्लैक मार्केटियर्स से दोस्ती करली है और दोस्ती कैसी की ? आप जब जायेंगे रुपया ले कर के तो आपको मिल जायगा बीयरर बौंड, और आपसे कोई नहीं पूछेगा कि रुपया कहाँ से आया। हो सकता है कि सरकार को भी उससे शेयर मिल जाय 50 परसेंट तुम ले लो और 50 परसेंट हम ले लें। तो एक तरफ आपने कानून बनाया जिसके तहत आपने कहा कि देश में जो मुनाफाखोर, जमाखोर और काला बाजारी करने वाले हैं उनको पकड़ा जायगा और दूसरे तरफ आपने उनको छूट दे दी कि जिनके पास काला धन है वह उसको व्हाइट कर ले। इसलिए एन० एस० ए० का कोई असर नहीं रह जाता है। और सीधे इस्तेमाल अब उन पर किया जा रहा जो ईमानदार हैं और ईमानदारी से व्हाइट मनी पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस बिल का मैं विरोध कर रहा हूँ।

दूसरे यह कि जो चोर है और इंसान है जिसने अभी तक ईमानादारी से सरकार के कानून को माना है और जिसने सरकार को धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है, उन दोनों में अब आप कोई फर्क नहीं कर रहे है। नतीजा यह है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनका भविष्य में मन कहेगा और यह देश के लिये तथा कांस्टीट्यूशन के लिये भी घातक सिद्ध होगा।

तीसरी बात यह है, अभी आप देखें कि बहस चल रही है, अपोज किया गया है कांस्टीट्यूशन की धारा 32, 14 और 19 इन सब का आपने उल्लंघन करवाया है। आप देखिये कि सब से ज्यादा काला धन बम्बई में है या दूसरे बड़े शहरों में है, लेकिन वहाँ से काला धन नहीं निकल रहा है। निकल रहा है दिल्ली से। और मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा यह बिल उनके लिए बनाया गया है जो पोलीटीशियन करप्ट हैं जिनके पास काला धन है। बिजनेस मैन के पास तो उस पैसे को लगाने के बहुत से खनिज हैं, वह दो, चार परसेंट पर अपना पैस नहीं लगायेगा। वह तो 50 परसेन्ट उस काले पैसे पर कमा रहा है। लेकिन यह योजना तो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने रक्षा मंत्रालय में गड़बड़ काम किया है, पैट्रोलियम मंत्रालय में गड़बड किया है और काला धन कमाया है जो कहीं दूसरी जगह काले धन के रूप में जमा है विदेश में। उस धन को कैसे व्हाइट करें, इसके लिए यह कानून बनाया जा रहा है।

इसलिये मैं कहता हूँ कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अन्तिम घड़ी तक हम इसका विरोध करेंगे। सदन में ही नहीं हम सदन से बाहर सड़क तक इसे ले जायेंगे। आप यह न समझिये कि आपने यह पास कर दिया, आप बहुमत में हैं और जनता मान लेगी। वह मूर्ख बिजनेस मैन होगा जो एक पैसा भी जमा करेगा। आपने एक बजट पास किया है उसमें रखा है कि 1000 करोड़ तो ब्लैक मनी से आयेगा और 1500 रुपये के डैफीसिट में जाइये और 1000 करोड़ लगा दिया, पहले जबकि पैट्रोल और लोहे के दाम बढ़ाये थे। क्या उसका इम्पैकट नहीं पड़ेगा ? उसका इम्पैकट जरूर पड़ेगा।

दूसरे 1000 करोड़ रुपये की आप संभावना कर रहे हैं कि यह काले बाजार से आपकों आ जायेगा, ब्लैल मार्केटियर्स से आ जायेगा। ब्लैक मार्केटियर, आप जैसे हम जैसा मूर्ख नहीं है, वह एक पैसा भी जमा नहीं करेगा और जो जमा करने भी जायगा उसको हम सबक सिखायेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि यह पोलिटिकली मोटिवेटिड बिल है मैं वित्त मन्त्री जी से कहूँगा कि शायद आपके दिमाग में यह बात न रही हो। मैं जानता हूँ कि आप चाहते भी नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने लाचारी है, आप कर भी क्या सकते हैं? लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि इसको विद्ड्रा कर सकते हैं, आप इसको इन्ट्रोडकशन की स्टेज पर मत रखिये। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपका ध्यान नियम 72 के पैरा 2 की ओर दिलाता हूँ। मैं इसे उद्धृत करता हूँ :

> "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा कीअनुज्ञा दे सकेगा।"

सभी भाषणों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आप विधायी क्षमता के बारे में संतुष्ट हैं अतः आप न केवल संवैधानिक पहलू पर ही पूरी चर्वा करने की अनुमति दे रहे हैं किन्तु इसके गुण और दोषों पर चर्चा करने की भी अनुमति दे रहे हैं। महोदय, पूरी चर्चा से यह अर्थ है कि न केवल उनको जिन्होंने अपने नाम दिये हैं किन्तु उन्हें भी जो चर्चा सुनने के के बाद रुचि लेते हैं, भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो पूरी चर्चा होने जा रही है और हममें से उनको भी जिन्होंने अपने नाम नहीं दिये हैं, बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम एक "फूल" (मूर्ख) चर्चा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचार मूर्खतापूर्ण हैं। अतः स्वयं उनकी परिभाषा से सारी चर्चा तथा उनसे व्यक्त विचारों को मूर्खता की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि यह "फूल" (मूर्ख) चर्चा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल "फुल" (पूरी) कहा है न कि "फूल" (मूर्ख)।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्द पुरम) : महोदय, आज का दिन संसद के इतिहास में एक काला दिन है। देश के कानून के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से अर्जित काले धन को कानूनी करार दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा रही है जबकि हम इसे कानून का रूप दे रहे हैं। ऐसा करते हुए जीवन बीमा निगम के मजदूरों की परिश्रम की कमाई को सरकार जीवन बीमा निगम अधिनियम के जरिये लूट रही है। अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का कड़ा विरोध करता हूँ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का कड़ा

विरोध करता हूँ क्योंकि इस विधेयक से काले धन को सफेद धन में कानूनी तौर पर बदलने का प्रस्ताव है। अतः संवैधानिक अथवा नैतिक दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूँ और वित्त मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इसे वापस लें।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, एक बंगला कहावत है।

मुहावरा इस प्रकार है कि जिस व्यक्ति का एक कान काट दिया जाता है वह सड़क के एक किनारे पर चलता है किन्तु जिस व्यक्ति के दोनों कान काट दिए जाते हैं वह सड़क के बीचोंबीच चलता है। बेशर्म को कोई शर्म नहीं होती है। यह बेशर्म सरकार काले धन को दिए गये संरक्षण को उचित ठहरा रही है। यह सरकार काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर रही है। काले धन वाले लोगों को धोखेबाज, लुटेरे, और हत्यारे कहा जाता है। यह ऐसी सरकार है जो उनके हितों का संरक्षण कर रही है; ऐसी सरकार को निहित स्वार्थों की सरकार ही कहा जा सकता है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। यह सरकार उन गरीब किसानों से भी, जो केवल 3 या 4 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, कर वसूली कर रही है। और जब वे चाय या चीनी, दवाई अथवा कपड़ा या रोज-मर्रा की आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं खरीदते हैं तो उन्हें उन पर बहुत उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। इस विधेयक के माध्यम से काला बाजारियों और जमाखोरों को उनके काले धन के लिए पूरा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का नैतिक, संवैधानिक और कानूनी धाराओं पर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : बस एक ही वाक्य में कहिए। श्री मुकुन्द मण्डल। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि इससे केवल देश के काला बाजारियों, जमाखोरों और बेईमान व्यापारियों को ही लाभ होगा। यह कहा गया है कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल ने काला बाजारियों से कुछ पैसा लिया था - इस प्रकार का प्रचार किया गया था। अब आप काला बाजारियों और जमाखोरों को यह छूट और लाभ दे रहे हैं और इसके लिए आप यह विधेयक लाये हैं। आपके इस विधेयक से केवल उन्हीं वर्गों के लोगों को लाभ पहुँचेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार इस विधेयक के माध्यम से काले धन को देश की अर्थ-व्यवस्था की मुख्य धारा में मिलाना चाहती है। इसमें यह परिकल्पना की गई है कि सरकार का उद्देश्य अच्छा है। किन्तु वास्तव में यह विधेयक काले धन में और अधिक वृद्धि करेगा। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि काले धन के स्रोत के बारे में कुछ नहीं पूछा जायेगा। इस व्यवस्था से काले धन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। इससे काले धन को प्रोत्साहन ही मिलेगा। इन बांडों में निवेश के लिए काले धन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में सीमा असीम है। यह तो एक

प्रकार से कालाबाजारियों को खाली चैक देने की तरह है। इन बांडों पर जो देय प्रीमियम है वह आय-कर मुक्त होगा और बांडों के मूल्य पर धन-कर की भी छूट होगी। जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं वह सरकार को नियमित रूप से कर दे रहे हैं किन्तु जिन्होंने अनुचित उपायों से काले धन को अर्जित किया है, उन्हें आय-कर और धन-कर से छूट मिल रही है। महोदय काला धन एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का संचालन कर रहा है। यह काला धन लगभग 20,000 अथवा 25,000 करोड़ रुपया है जिससे देश में एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है। इस समानान्तर अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाए बिना सरकार ने इन कैंसर-ग्रस्त और खतरनाक तत्वों के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ और माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक का पुरःस्थापन न करें और राष्ट्र के हित में बल्कि सत्तारूढ़ दल के हित में वह इसे वापस ले लें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बेयरर बांड बिल जो इन्होंने पेश किया है मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूँ। मुझे संदेह है कि*

कई माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यही समझता हूँ। यह संदेह हमें है और बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा सन्देह है। तो सरकार को इसको स्पष्ट करना चाहिए कि इन बड़े-बड़े काला धन रखने वालों से आपको मुहब्बत कब से हो गई ? आप तो नाम लेते हैं कभी वेलफेयर स्टेट का, कभी समाजवादी स्टेट का, कभी डेमोक्रेसी का और तरह-तरह का नाम लेते हैं, लेकिन जो लोग देश के सब से बड़े दुश्मन हैं, यह काला धन रखने वालों से बड़ा दुश्मन तो और कौन हो सकता है, इस से बड़ा दुश्मन तो शायद वही हो सकता है जो हमारे देश पर हमला करने वाला हो या कभी कभी हमला करता है, लेकिन ये लोग हमारी पूरी अर्थ-व्यवस्था को तहस-नहस करने में लगे हैं, इन में इन का सबसे बड़ा हाथ है और इन्हीं को आप बेयरर बाँड के नाम से यह सहूलियत दे रहे हैं, इनके पैसे को सफेद पैसे में परिवर्तित करने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए हिन्दुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसके बड़े ही बुरे परिणाम निकलने वाले हैं। इसलिए मैं इस का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी कर के इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री मगनभाई बारोट : महोदय, उन्होंने दल द्वारा पैसा लेने का जिक्र किया है* इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को पढ़ूंगा और उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : उसे कार्यवाही वृत्तांत से क्यों निकाला जाएगा ? सभी पैसा एकत्रित करते हैं। महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से न निकाला जाए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, यदि आप कार्यवाही वृत्तांत से सब निकाल देंगे तो वह सही नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : समी पैसा एकत्रित करते हैं। आप काला बाजारियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब महान पण्डित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधान मन्त्री थे तब एक बार अनेक माननीय सदस्य यह चाहते थे कि कांग्रेस दल अपने लेखों सम्बन्धी विवरण सभा के पटल पर रखे। तभी श्री नेहरू ने कहा था कि यदि प्रत्येक दल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हों तो उन का दल भी लेखों को सभा पटल पर रख देगा। अतः एक ही दल के बारे में कुछ कहना सही नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे दल के खातों की किसी भी समय संपरीक्षा की जा सकती है। हम उसके लिए तैयार हैं। मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को चुनौती देता हूं कि वह आगे आयें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहना कि एक दल पैसा ले रहा है और दूसरा दल नहीं ले रहा है सही और उचित नहीं है। हमें नियमों का पालन करना चाहिए और अनुशासन रखना चाहिए। (व्यवधान) मैं केवल यह कह रहा हूं कि एक अथवा किसी भी राजनैतिक दल की आलोचना सही नहीं है और यह कहना सही नहीं है कि एक दल पैसे ले रहा है और दूसरा दल पैसे नहीं ले रहा। यह उचित नहीं है। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह अच्छा होगा कि हम ऐसी बातों से बचें। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने किसान रैली पर 200 करोड़ रुपयों का व्यय किया है। उनके पास यह धन कहां से आया? इन्हीं काला बाजारिये लोगों से। और अब उन्हीं लोगों को राहतें दी जा रही हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हमारे दल के विरुद्ध इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना आरोपों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने उन्हें बता दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप धनवान लोगों से पैसे ले रहे हैं। हम गरीब लोगों से पैसे ले रहे हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो बात सार्वजनिक मंचों पर कही जानी चाहिए वह यहां कही जा रही है। कृपया इन बातों से बचिए। यह बेहतर होगा।

श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है :

"अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा प्रसार को कम करने, कीमतों को नियन्त्रित करने तथा उस काले धन को, जो राष्ट्र के लिए एक गम्भीर चुनौती बन गया है, उत्पादक प्रयोजनों

में विनिहित करने की दृष्टि से सरकार ने विशेष वाहक बन्धपत्र, 1991 जारी करने का निर्णय किया है।"

इसमें यह स्वीकार किया गया है कि काला धन देश और हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए खतरा है। यदि यह स्वीकार किया गया है तो, सरकार को काले धन को महत्व नहीं देना चाहिये और इस पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

सरकार को संविधान में दिये निदेशक तत्वों के अनुसार चलना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 38 में यह व्यवस्था है :

"राज्य लोक कल्याण के उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा।

राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में अनुप्रमाणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 37-भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व में यह व्यवस्था है :

"इस भाग में दिए गए उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे किन्तु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।"

अतः वह मूलभूत तत्व कौन-से हैं जो सरकार द्वारा विधान बनाने में मार्गदर्शी होंगे। अनुच्छेद 39 (ग) में यह कहा गया है :—

"राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व-साधारण के लिये अहितकारी के अंग न हो।

अतः प्रमुख निदेशक सिद्धान्त यह है कि सरकार को अपनी नीति अथवा कानूनों का इस ढंग से कार्यान्बियन करना चाहिए कि कुछ ही लोगों के हाथ में धन इस प्रकार केन्द्रित न हो कि वह सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सिद्ध हो.

इस विधेयक में यह कहा गया है कि काले धन से अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर खतरा है। काला धन क्या है ? यह कुछ लोगों के हाथ में धन का केन्द्रित होना है जो कि आम जनता का शोषण करके किया जाता है।

और यदि नीति निदेशक तत्वों का परिपालन क्रिया जाना है तो सरकार का प्रमुख कार्य काले धन का पता लगाना है। इस समय काला धन लगभग 20,000 से 30,000 रुपये तक होगा। यहाँ इस विधेयक का उद्देश्य इस धन को उत्पादन कार्यों के लिए जुटाना है। इस विधेयक से सरकार आशा करती है कि वह काले धन के मालिकों को खुश करके अर्थव्यवस्था के लिए 800 करोड़ रुपये जुटा सकेगी। नीति निदेशक तत्वों में यह व्यवस्था है कि आम जनता के नुकशान को

देखते हुए जमा न होने दिया जाए। इस प्रकार नीति निदेशक तत्व यह कहते हैं कि सरकार दृढ़ रहे तथा सम्पूर्ण काले धन का पता लगाये।

यदि ये कदम उठाए गए होते उत्पादन कार्यों में लगाने के लिए सरकार के अधिकार में 20 000 करोड़ रुपया आगया होता और इससे आम जनता को कहीं अधिक और लाभ हुआ होता। परन्तु इस सरकार की नीति क्या है? सरकार उन्हें 20,000 करोड़ रुपये से 30,000 करोड़ रुपये की राशि अपने पास रखने की अनुमति दे रही है। यदि यह भी मान लिया जाए कि 800 करोड़ रुपये जुटाने का यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो भी शेष सारा धन काला बाजारियों के पास रहेगा और इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को खतरा बना ही रहेगा समानान्तर अर्थव्यवस्था चलती रहेगी जिससे देश में कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इस प्रकार यह विधेयक संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का पूर्णतया उल्लंघन करता है। यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और आम जनता के लिए हानिकर है। काले धन का पता लगाने की और लोगों का सहयोग प्राप्त करने की बजाए सरकार काला बाज़ारियों को प्रसन्न कर रही है उनके काले धन को कुछ सफेद रंग देते हुए उनके काले धन का बचाव कर रही है। इसे समाजवाद कहा जाता है। अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। परन्तु शासक दल के लोग देश में भ्रम फैला रहे हैं। यही कारण है कि मैं इस विधेयक का पूर्णरूपेण विरोध करता हूँ क्योंकि यह संविधान के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध है, यह काले धन का बचाव करता है और सरकार काला बाजारियों के समक्ष पूर्णतया समर्पण कर रही है। यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य अन्धकारमय है। इसी बजह से मैं इसका विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय। केवल दो मिनट।

श्री ए० के० राय : मैं केवल एक बात पर प्रकाश डालूंगा। मैं वह सब नहीं दोहराऊंगा जो पहले कहा जा चुका है।

इस संबन्ध में अध्यादेश जारी करने की प्रथा की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि पिछले सत्र में जब काले धन के प्रश्न पर विचार हुआ था तो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि काले धन के मालिकों से दो ढंग से निपटा जा सकता है : एक उनके विरुद्ध कार्यवाही करके और दूसरा उन्हें प्रलोभन देकर। और सरकार ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया है कि क्या किया जाना है। इसका अर्थ हैं कि काले धन से निपटने का प्रश्न अचानक ही सामने नहीं आ गया है। यह कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने और अन्य ऐसे कार्य केवल उन्हीं मामलों में जारी किए जाने चाहिए जो अचानक उठ खड़े हों और जो सामान्य हित के हों।

यदि आप संविधान सभा के वाद-विवादों का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था उन मामलों में की जो गैर-विवादात्मक हों, राष्ट्रीय प्रश्न हों, और जिनमें और ऐसी अचानक तत्काल आवश्यकता उठ खड़ी हो जिसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। मेरे पास उस वक्तव्य की प्रति नहीं है क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि आप इस बहस की अनुमति देने असंवैधानिकता से सन्तुष्ट हो जाएंगे। परन्तु मैं आपको बता सकता हूं कि एक मंत्री कब किसी चीज की पहले से आशा करता है। काले धन का प्रश्न वित्तीय

नीति का एक अस्थाई अंग है जिसका समाधान शासक दल को करना है। यह प्रश्न अचानक नहीं उठ खड़ा हुआ है। हमारे वित्त मंत्री इससे भली भाँति परिचित हैं। उन्होंने वक्तव्य दिया और इसके पश्चात् अन्तर-सत्र अवधि में अचानक उनमें बुद्धिमत्ता आ गई और अध्यादेश आवश्यक हो गया और भारत के राष्ट्रपति भी इस बात से सन्तुष्ट हो गए कि अचानक एक अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। उनके पद को इस तरह धब्बा नहीं लगाया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के लोग न केवल अर्थ-व्यवस्था पर धब्बा लगा रहे हैं, वरन् नैतिकता और सभी चीजों पर लगा रहे हैं। (व्यवधान) राष्ट्रपति आपकी भांति सर्वोच्च पद पर हैं। जिस प्रकार आपको किसी विवाद में नहीं लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें भी विवाद से परे रखा जाना चाहिए।

मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति की इच्छा वाद-योग्य नहीं है, इसे कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में कानून बहुत स्पष्ट है। परन्तु यह इच्छा अवश्य ही न्यायसंगत होनी चाहिए। मैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। हो सकता है कि राष्ट्रपति की इच्छा वाद से परे हो, इसे कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी हो सकता है कि शासक दल के बहुमत को इस सभा में चुनौती नहीं दी जा सकती, परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं है शासक दल को, जो किसी प्रकार सत्ता में आ गया है, पांच वर्ष तक सत्ता को अपने हाथ में रख कर सत्ता पर धब्बा लगाने का अधिकार मिल गया है। यह केवल काला विधेयक नहीं अपितु एक गन्दा विधेयक है जो इस सभा के लिए हमेशा के लिए अभिशाप बन जाएगा। इसलिए न केवल विवश होकर अपितु दुःखी हृदय से मैं इस विधेयक का पूर्णरूपेण विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : मैं भी दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : चलो आप अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मैं इस विधेयक के उद्देश्य का उल्लेख किए बिना बोलूंगा। कभी-कभी यह उद्देश्य अच्छा, बुरा या बिल्कुल बुरा हो सकता है। परन्तु मेरे विचार में यह इस सभा की वैधानिक शक्तियों से परे है। क्यों ? काला बाजारी और जमाखोरी अब भी कानूनी जुर्म हैं। हो सकता है कल उन्हें भी कानून की परिधि से बाहर रख दिया जाए। परन्तु जब तक यह जुर्म है तो इस काला बाजारी की आय वह धन है जिसे हम अब कानूनी स्वरूप देने जा रहे हैं। यह एक विरोधाभास सा होगा।

एक तरफ तो हम काला बाजार विरोधी कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ इन समाज विरोधी कानूनों की आय को इस सभा में हम कानूनी रूप देने जा रहे हैं। यह कानून विरोधी होगा। या तो हमें उन कानूनों को कानून की पुस्तक से निकालना होगा अथवा इन कानूनों के होते हुए यह सभा दूसरा कानून पारित करने में असमर्थ है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : चूंकि आपने सभी को इस पर पूर्ण बहस की अनुमति दी है··· (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नहीं।

एक माननीय सदस्य : इन्हें इसका विरोध करना है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आवश्यक नहीं है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अनिवार्य है। (व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : वह अन्य किसी सदस्य पर शर्त नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जहां तक इस मामले का प्रश्न है, केवल दो मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। एक तो यह कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरा यह है कि हमारे सदस्यों के विचारानुसार काला बाजारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जायेगा। इस सभा को पता है कि एक समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ था। उसी प्रकार बियरर बाँडों सम्बन्धी इस विधेयक को जो हमारे सामने हैं, कानूनी अदालत में चुनौती दी गई है और अब वह मामला उच्चतम न्यायालय में है। मैं दलगत राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, परन्तु मैं कुछ वास्तविकताओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उदाहरण के लिए मेरे राज्य तमिलनाडु में ग्राम अधिकारियों के 24,000 पदों को एक साथ समाप्त कर दिया गया है। ऐसा एक अध्यादेश द्वारा किया गया। उस अध्यादेश को अब ग्राम अधिकारियों ने चुनौती दे दी है। वह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तमिलनाडु सरकार कुछ लोगों की ग्राम अधिकारी के पदों पर भर्ती कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि वही राजनीतिक दल जो उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, क्योंकि वह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, वही राजनीतिक दल विधेयक को पारित करने के लिये उसी राज्य सरकार की कार्यवाही का समर्थन कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : विधेयक ही पारित हो चुका है। (व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह एक वास्तविकता है। हमें इसका सामना करना है। (व्यवधान) जहां तक काले धन का सवाल है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक संकट है, जिसका सामना किया जाना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु मैं कहना चहता हूँ कि जहां तक इस उपाय का संबंध है, काला बाजार सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने का यही एक मात्र उपाय है। यह सरकार के उन उपायों में से एक है जिनसे काले धन सम्बन्धी गतिविधियों को रोका जाना है। हम राजनीतिज्ञ जानते हैं कि चुनाव के दौरान हम धन स्वीकार करते हैं, चाहे वह काला हो या सफेद। चुनाव के दौरान हम यह नहीं सोचते कि यह काला धन है या सफेद। (व्यवधान)

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 72 में उल्लिखित है कि :

"72. यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध

किया जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर-वाद-विवाद का प्रश्न रख सकेगा।

परन्तु जब इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से बाहर है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा··· (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : इसमें लिखा है 'चर्चा' · (व्यवधान)

श्री के० ए० राजन : इस पर पहले ही पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जा चुकी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूँ। (व्यवधान) मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूँ। जब मैंने निर्णय दिया था क्या आप उस समय सभा में नहीं थे ? (व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अतः महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ (व्यवधान) अतः मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कहता हूँ कि यह काले बाजारियों के कार्यकलापों को और इस मामले में एकाधिकार सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के उपायों में से एक है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का स्वागत करता हूँ (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे लोग चाहे जो महसूस करें, मैंने तो चर्चा का आनन्द लिया है। यह बड़ी ही आनन्ददायक थी। वास्तव में मैं इस सुझाव पर भावविभोर सा हो गया था कि मुझे इस उम्र में विवाह करना चाहिए (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं चाहता हूँ कि आप काले बाजार से सम्बन्ध विच्छेद कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बाद में विचार करने की बात है। अनेक वक्ताओं ने कठोर भाषा का भी प्रयोग किया है जो व्यवहार रूप में अपशब्द कहने के लिए उतारू हो आए। मैं भी स्कूल गया हूँ और मैं इसी तरह की भाषा बोल सकता हूँ। परन्तु जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है इस तरह की भाषा की शब्दावली बहुत ही सीमित है। अतः मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।

यहाँ बात बहुत ही साधारण है। क्या संसद इस विशेष कानून को बनाने में सक्षम है ? जहाँ तक वैधानिक सक्षमता का सम्बन्ध है, इस आपत्ति के बारे में केवल दो सदस्यों अर्थात् श्री फर्नान्डीस और श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो पहली बात कही है वह यह है कि यह राज्य के राजस्व पर एक अतिक्रमण है, क्योंकि जो धन अन्यथा राज्य के पास आयकर के रूप में जाता, वह उनको उपलब्ध नहीं होगा और उस हद तक इस तरह का कानून बनाने में सक्षम नहीं है। मैं जो दलील देने जा रहा हूं उसकी श्री सोमनाथ चटर्जी अधिक सराहना करेंगे। सार रूप में इस

विधेयक का संबंध उधार से है। संविधान के अनुच्छेद 292 से यह शासित है। उधार के सम्बन्ध में जब तक संसद कानून के द्वारा कतिपय प्रतिबन्ध या सीमा नहीं लगाती है, तब तक सरकार को उधार लेने की पूरी शक्ति प्राप्त है। अतः यह आपत्ति कि राज्यों को आयकर से वंचित किया जा रहा है, सही नहीं है, क्योंकि कानून सार रूप में उधार के सम्बन्ध में है, न कि आयकर के बारे में। श्री फर्नान्डीस द्वारा कही गई दूसरी बात कि अनुच्छेद 292 बिना किसी सीमा के उधार लेने की अनुमति नहीं देता है तो मैं उनका ध्यान स्वयं इस अनुच्छेद की ओर दिलाता हूँ। इसमें यह कहा गया है :

> "भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे,·····उधार लेने तक संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।"

वाहक बांड लोक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गए हैं और भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर हैं। परन्तु संसद ने किसी सीमा के बारे में कानून पास नहीं किया है। इसलिए इस वजह से कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने इस अनुच्छेद को उद्धृत किया है। मैंने यह कहा कि इस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि आप एक निश्चित मात्रा रखें या आप उस निश्चित मात्रा को निर्धारित करें जिसे आप ऋण के रूप में लेना चाहते हैं। वाहक बांड में अनिश्चित धनराशि लेने का प्रयास किया गया है। यदि कल 1000 करोड़ रुपए की बजाय काला धन की जमाखोरी करने वाले एकाएक साफ हृदय होकर यह निर्णय करते हैं कि उन्हें अपना समूचा काला धन लगा देना चाहिए तो आपके 1000 करोड़ रुपए के चलन में वे 10,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। क्या उस अनुच्छेद के अनुसार आप 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकतें हैं, क्योंकि आपकी वचनवाद्धता भारत की संचित निधि पर है कि आप उस धन राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से करेंगे ? मैं यह मान रहा हूँ कि संविधान का यह विशेष उपबन्ध "संसद समय-समय पर सीमा नियत करे ..'

श्री आर० वेंकटरामन : इसमें यह उल्लेख है "संसद सीमा नियत करे।"

श्री जार्ज फर्नान्फीस : यदि माननीय मंत्री इस पर विश्वास कर रहे हैं कि "संसद सीमा नियत करे" तो इसका अर्थ यह है कि उस विशेष मामले में उसने कोई सीमा नियत नहीं की है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर विस्तार से वाद विवाद किया जाये।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे आशंका है कि मेरे माननीय मित्र ने अनुच्छेद को सही-सही नहीं पढ़ा है। इसके अनुसार संसद भारत सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधार के बारे में कुल सीमा का अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है—राज्यों के मामले में भी इसी तरह का अनुच्छेद है—ताकि यदि हम समय-समय पर इस सीमा को नियत करें तो हम उसे बढ़ा सकते हैं। परन्तु जहाँ तक वर्तमान कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है, संसद ने उनके प्रशासन का हमारे प्रशासन के दौरान सार्वजनिक ऋण की अधिकतम सीमा नियत करते हुए विधान पास करना उचित नहीं समझा। अतः यह आपत्ति वैध नहीं है।

सक्षमता के बारे में आपत्ति को दूर करते हुए मैं एक उस मुद्दे के विषय में कहना चाहूँगा जिसका मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने उल्लेख किया है अर्थात् यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पहले तो आपत्ति का सम्बन्ध विधायी सक्षमता से नहीं है। इसका संबंध तो कानून की वैधता से है। श्री चटर्जी इसे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। अतः इसे केवल कानूनी आधार पर निपटाते हुए मैं अब दूसरे पहलू पर आ रहा हूँ।

सरकार अपनी जरूरत के अनुसार विभिन्न दरों और विभिन्न शर्तों पर जनता से धन उधार लेती है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष 16 फरवरी को सरकार ने बाजार में जाकर 528 करोड़ रुपए उधार लिये जो कि 2 घंटे में मिल गया। सरकार ने यह राशि कुछ शर्तों के साथ 7.50% और 6.75% ब्याज की दर से ली। मैंने अपने बजट भाषण में उस दिन इस बात का उल्लेख किया था कि मैं राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र का एक नया सेट जारी करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं 12 प्रतिशत ब्याज दूंगा। व्यावहारिक दृष्टि से इसमें 6 वर्षों में धनराशि दुगनी हो जाएगी यह। बांडों का एक दूसरा सेट है जो विभिन्न शर्तों और विभिन्न मापदंडों में जारी किया जाएगा। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कुछ ऋण कतिपय शर्तों पर जारी किये जाते हैं और कुछ अन्य ऋण विभिन्न शर्तों पर जारी किये जाते हैं इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वास्तव में इस मामले में ऋण का एक सेट कतिपय प्रकार के उधार के बारे में जारी किया जाता है और कतिपय विभिन्न शर्तें लगाई जाती हैं। मैं इस बात पर आगे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने मित्र, जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं, के फायदे के लिए अपनी सभी दलीलों को व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। अतः हमें यहाँ पूर्वाभ्यास से पहले वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। इस उद्देश्य से इतना कहना ही पर्याप्त है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन न किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री सेन आ गए हैं। उनसे पूछ लीजिए।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मैं उनका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप इसका विरोध करते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री चटर्जी को यह जानना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने यह प्रश्न किया था।

इसकी नैतिकता के बारे में अनेक प्रश्न हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि बैंकिंग प्रणाली से बाहर धन का परिचलन हो रहा है। इसे काला धन या कुछ भी धन कहें। यह तो माना गया है कि काला धन बहुत अधिक है। सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने मुझसे अपील की है कि इस समस्या का समाधान ढूंढ़ा जाये। सभी सदस्यों ने यह भी स्वीकार किया है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होती है। यह काला धन एक दुर्लभ वस्तु से दूसरी दुर्लभ वस्तु तक चलता रहता है जिससे मुद्रास्फीति होती है, अभाव की स्थिति होती है और उसके परिणामस्वरूप इसका अन्य वर्गों की अपेक्षा समाज के गरीब वर्ग पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। अतः वित्त मंत्री सबसे पहले अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करें। अब मैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार को कैसे रोकूं जब तक कि मैं बैंकिंग प्रणाली से बाहर चल रहे कतिपय धन को परिचालन से वापस न लूं। यदि मैं इस धन को वापस नहीं लेता हूँ और

इसका चलन बन्द नहीं करता हूँ और उसे जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के जघन्य कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध न कराने की कार्यवाही नहीं करता हूँ, तो मैं चाहे जो कुछ करूं, मैं चाहे जो रियायतें दूं उत्पादन के लिए चाहे जो प्रोत्साहन दूं, मूल्य स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है।

मुझे खेद है कि हम इस कालेधन पर किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकते।

श्री निरेन घोष : क्या मैं एक उपाय का सुझाव दूं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे आपके उपाय की जानकारी है। यह व्यवहार्य नहीं है। मैंने आपका प्रश्न सुना है। अब मैं आपके प्रत्येक सुझाव के बारे में बताउंगा। जब समाचारपत्रों में और बाहर इस तरह की आलोचना हुई तो मैं प्रेस कतई नहीं गया और मैंने वाहक बांड के बचाव में कुछ नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस अवसर पर मामले को और इसके आधार को पूरी तरह स्पष्ट करता हूँ। मैं सभी बातों का जवाब दूंगा। अतः महोदय, मुझे समा और आपका सहयोग चाहिए। मैंने बड़े धैर्य और बिना किसी व्यवधान के सभी को सुना है और मैं ऐसी ही आशा करता हूँ।

विशेष वाहक बांडों के जारी करने का यह सुझाव इस सभा में 1950 में आया था जब मैं पहली बार इस सभा में आया था, जब यह लोक सभा नहीं थी बल्कि अंतरिम संसद थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने यह सुझाव दिया था। वे सरकार से बार बार पूछते थे कि सरकार देश में मुद्रा प्रसार को दूर करने और उसके परिणामस्वरूप देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए वाहक बाँड जारी क्यों नहीं कर रही है। वांचू समिति के एक सदस्य श्री चितले ने एक पिमत टिम्पण लिखा था जिनमें उन्होंने कहा था कि वाहक बांड जारी किये जाने चाहिए। इस सभा और दूसरी सभा के अनेक सदस्यों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार को दूर करने का एक तरीका यह है कि बाहक बांड जारी किये जायें।

मैं यह नहीं समझता कि ये सभी लोग अनैतिक हैं यदि यही तरीका है जिससे आप अर्थ-व्यवस्था में एक खराब स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं, यदि यह कम बुरी बात है तो आप यह नहीं कह सकते कि यह अनैतिक है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका कोई बुरा उद्देश्य है। इतना ही नहीं, अतीत में सरकार ने किसी न किसी रूप में यदि ऐसा ही नहीं तो इसी तरह की कर रियायत अनेक लोगों को दी थी जिससे कर के भुगतान से बचा गया था।

स्वैच्छिक घोषणा योजना 1951 में आरम्भ की गई थी। 1960 के बाद एक और योजना चलाई गई। 1975 में फिर दूसरी योजना आरम्भ की गई। प्रत्येय योजना में हमने कुछ न कुछ रियायतें दीं। हमने कहा कि यदि आप उस धन की घोषणा कर देते हैं जिस पर आपने आयकर नहीं दिया है, तो आपको जुर्माने, दण्ड, सजा आदि से छूट मिल जायेगी। यह उसी सिद्धांत का विस्तार है। ऐसी ही स्वर्ण बाण्ड योजना थी जो 1965 में लागू की गई और 1980 में पूरी हुई। 1965 की स्वर्ण बाण्ड योजना में हमने कहा था कि यदि सोना सरकार के पास जमा कर दिया जायेगा तो हम यह नहीं पूछेंगे कि यह सोना कहां से आया चाहे वह तस्करी का ही हो या वह कर बचाकर खरीदा गया हो। हमने सरकार के पास जमा किए जाने वाले सोने पर दो प्रतिशत ब्याज देने की बात भी कही। हमने उन्हें सभी प्रकार की दण्डात्मक

कार्यवाहियों से छूट दी और एक सीमा विशेष तक धन-कर, दान-कर और सम्पदा-कर की भी छूट दी।

यदि आप 'स्वर्ण' के स्थान पर 'धन' शब्द प्रस्थापित कर दें तो यह वही योजना हो जाती है जो 1965 की स्वर्ण बाण्ड योजना थी। लोगों की इस बात पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो बहुत ही असाधारण किस्म का है या जो पहले कभी नहीं हुआ। महोदय, इसी प्रकार की योजना एक अन्य देश में लागू की गई जिससे अर्थव्यवस्था के लिए बड़े अच्छे परिणाम रहे। अतः यह कोई ऐसा काम नहीं है जो पहले नहीं किया गया हो। वस्तुतः यह 1965 की स्वर्ण बाण्ड योजना जैसी ही एक योजना है जिसके अन्तर्गत कई प्रकार की छूट दी गई थी। फर्क यही है कि तब हमने सोना जमा करने के लिए कहा था और अब रुपए जमा करने को कह रहे हैं।...

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या विशेष बाण्ड धारी इन बाण्डों की प्रतिभूति पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हाँ। मैं वह भी स्पष्ट करूँगा। इसकी व्यवस्था अध्यादेश में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या बैंक इसे प्रतिभूति मानेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : आप ठीक कहते हैं (व्यवधान)। मैं स्पष्ट करूंगा। इसकी व्यवस्था की गई है। हमने कहा है कि इन बाण्डों का इस्तेमाल बैंकों से धन लेने के लिए किया जा सकता है। यह उपबन्ध उसी प्रकार लागू होता है जैसे बैंकों से दूसरे नियमों के अन्तर्गत उधार लेने के लिए।...

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जो मुद्रा प्रसार की आपने बात की है उसका क्या समाधान है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसका उल्लेख भी करूंगा। 50 प्रतिशत या उससे कम की अदायगी की जाएगी। यह केवल उत्पादक प्रयोजनों हेतु दिया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किन्हीं सिद्धान्तों के अन्तर्गत !

श्री आर० वेंकटरामन : जी हाँ, हमने बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत भेज दिए हैं। अनके अन्तर्गत बाण्डों को केवल समर्थक प्रतिभूति के रूप में उत्पादक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसे किसी सामाजिक खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। समर्थक प्रतिभूति सम्बन्धी उपबन्ध भारतीय स्टेट बैंक को जारी किए गए अनुदेशों के अन्तर्गत आता है। इन अनुदेशों में स्पष्टतः कहा गया है कि इसे केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मुद्रा प्रसार पर अच्छी तरह नियंत्रण रखा गया है। यदि मैं इसका उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो मेरा प्रयोजन भी खत्म हो जाता है। मेरा दोहरा प्रयोजन है पहला है अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले धन को जुटाना, उस पर नियंत्रण रखना। दूसरा है इसे उत्पादक कार्यों में लगाना। इस पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मैं इन बांडों के जरिए धन ले

रहा हूँ। इन बाण्डों की समर्थक प्रतिभूति देने पर बैंक उसी प्रकार अग्रिम धन और सहायता देगा जैसी कि ऋण नीति के अन्तर्गत दी जाती है। इसलिये मेरा कहना है कि यह बाण्ड कोई नई बात नहीं है। यह उस कार्यवाही का ही विस्तार मात्र है जो हमने पहले की है। अब हमने बाण्डों का सहारा लिया है।

दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है।

श्री नीरेन घोष : क्या यह न्याय संगत है (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं पहले आर्थिक पहलू स्पष्ट कर रहा हूँ। राजनीतिक पहलू पर बाद में आऊंगा। मैं इस भाषण का विजयघोष के साथ अन्त चाहता हूँ। इसलिए राजनीतिक पहलू को अन्त में स्पष्ट करूंगा।

हमने 97,500 करोड़ रुपये की विशाल पंचवर्षीय योजना लागू की है। इसके लिए हमें धन जुटाना है। इस प्रयोजन के लिए धन इकट्ठा करने का एक तरीका यह है कि जो धन देश की अर्थव्यवस्था में बिगाड़ पैदा कर रहा है उसे दूसरे कार्यों में लगा कर योजना व्यय को पूरा किया जाए। इस बात को देखते हुए कि पिछली स्वेच्छा घोषणा योजना के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपये की रकम घोषित की गई थी और यह पाँच छः वर्ष पहले की बात है, मैं इस तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि इस वर्ष बाण्ड योजना से 1000 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी। 1975 में मिले 700 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1000 करोड़ रुपया मिलने की बात में अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो मुझे 1000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ रुपया इस योजना के अन्तर्गत मिलेगा। मैं अपने मित्र जार्ज को आश्वासन दे सकता हूँ कि जब तक मैं इस विभाग का प्रभारी रहूंगा तब तक आप राहत की आशा कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमें आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। अन्यथा मेरी क्या स्थिति होगी ? सरकार तीन तरीकों से धन इकट्ठा करती है। पहला माध्यम है कराधान। दूसरा उधार लेकर और तीसरा घाटे की व्यवस्था करके। घाटे की व्यवस्था की सदैव एक सीमा होती है। अगर आप उसको लांघ जाते हैं तो मुद्रास्फीति होती है और कीमतें बढ़ती हैं और परिणामस्वरूप करों की तुलना में इसका समाज के गरीब वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः मैं एक निश्चित सीमा से अधिक घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं कर सकता। कराधान की भी अपनी सीमाएं हैं। बढ़ती कीमतों और रुपये के घटते मूल्य के कारण कर लगाने की सीमा भी अधिक नहीं लांघी जा सकती। अगर मैं 800 करोड़ रुपये का और कर लगा देता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट की क्या हालत होती।

तीसरा विकल्प है उधार लेकर धन इकट्ठा करना। मैंने न केवल बैंकों से 100 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था का प्रावधान 1980-81 के बजट में लिया है अपितु बैंक व्यवस्था से बाहर के मुद्रा-चालन से भी ऋण लेने की बात सोची है। अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से यह योजना एक समयावधि के लिए ऋण लेने के अलावा कुछ नहीं है। कुछ माननीय सदस्य कहेंगे कि मैं वैध धन की तुलना में काले धन के लिए अधिक रियायत दे रहा हूँ। मैं कुछ आंकड़े पेश

करना चाहूंगा। जो व्यक्ति इस वर्ष मार्च में 10,000 रुपये लगाएगा उसे 1991 के अन्त में 12,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप इसे राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएं तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा। दूसरी ओर 1991 में 12,000 रुपये प्राप्त करने के लिए उसे केवल 6,000 रु० इन बाण्डों पर लगाना पड़ेगा अतः 10,000 रु० जमा करने पर दस साल बाद उसे 12,000 रु० मिलेगा। उसे 4,000 का नुकसान होता है। इस धन पर अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया कर 40 प्रतिशत बैठता है। आप में से जो गणितज्ञ हैं इसका हिसाब लगा लें। यह 39 प्रतिशत से अधिक बैठता है। वैध धन पर लगने वाला कर केवल 25 प्रतिशत है। इसलिए काले धन को कोई अधिक छूट नहीं दी गई है। काले धन वालों को उससे अधिक कुछ नहीं मिला जो वे कर देने के बाद प्राप्त कर सकते थे। इसके विपरीत कर की प्रभावी दर 25 प्रतिशत है और बाण्डों में धन लगाकर उन्हें 40 प्रतिशत कर देना होगा। उसे इतना ही लाभ है कि उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, सीविल या अपराधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसके लिए उसे 40 प्रतिशत देना होगा। यह सब देश के हित में और अर्थव्यवस्था के हित में किया जा रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अगर आप इजाजत दें तो एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। यह सही है कि सरकार कर लगा कर, उधार लेकर और घाटे की व्यवस्था करके धन जुटाती है। जैसा आपने कहा घाटे की व्यवस्था खतरनाक होती है। पर यह सही नहीं है कि ऋण लेना भी खतरनाक है क्योंकि इसमें अन्तरण और गुणात्मक वृद्धि होती है क्योंकि आप गरीबों से ब्याज लेते हैं और अमीरों को धन देते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इस पहलू पर हम बजट-चर्चा के दौरान विचार करेंगे। इसका बाण्डों से कोई सरोकार नहीं है।

अगला मुद्दा एक राजनीतिक तर्क के बारे में है। कहा गया है कि सत्ताधारी दल को बड़ी मात्रा में काला धन मिल रहा है। जब वे यह कहते हैं तो मैं समझता हूं कि वे यह भूल जाते हैं उनमें से भी कुछ कहीं सत्ताधारी दल हैं। यहाँ एक सत्ताधारी दल है जो केरल में विपक्ष में है और एक और सत्ताधारी दल है जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु में विपक्ष में है। प्रत्येक स्थान में···

श्री सोमनाथ चटर्जी : बाँडों के सम्बन्ध में सत्ताधारी दल।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रत्येक राज्य को कुछ हिस्सा दे दें तो यह सब नहीं कहेंगे। वे इसका विरोध भी नहीं करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्हें न केवल इसका छोटा सा हिस्सा ही मिलेगा किन्तु उन्हें योजना अंशदान के रूप में इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। उन्हें यह मालूम नहीं है। अतः मैं समझता हूँ यह तर्क कि इस दल या उस दल को इससे लाभ होगा अथवा इसका राजनीतिक प्रयोजन है, बिल्कुल गलत है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि प्रत्येक विपक्षी दल ने इस प्रकार का आक्षेप किया है···

श्री सुनील मैत्रा : आप जब विपक्ष में थे तो आपने भी वही बात कही थी।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने आपके विरूद्ध कहा है, आप मेरे विरूद्ध कह रहे हैं। यह अच्छा खेल है। मैं नाराज नहीं हुआ। क्या मैंने आपके भाषण में कभी भी व्यवधान किया है बल्कि मैंने इसका आनन्द लिया है।

मुझे केवल एक या दो बातें कहनी हैं। मेरे माननीय मित्र, श्री चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप में निवेश का भिन्न तरीका है। यूरोप में यह किस प्रकार किया गया मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूं। फ्रांस में 1952 में कर अपवंचकों को न केवल अभियोग से उन्मुक्ति दी गई थी किन्तु उन्हें बकाया करों के भुगतान से भी उन्मुक्ति दी गई बशर्ते कि वे अप्रकट काम को एक निर्धारित तारीख से पहले निवेश करें।

इटली में 1966 में एक आम मुआफी दी गई।

इजरायल में कई बार मुआफी दी गई।

ब्राजील, फिलिपीन, अर्जेन्टिना, मलयेशिया, पाकिस्तान, श्री लंका में भी मुआफी दी गई

(व्यवधान)

दो और सुझाव हैं। एक है विमुद्रीकरण के बारे में। विमुद्रीकरण करने का अर्थ यह होगा कि किसी विशेष मुद्रा को आगे अवैध घोषित करने के परिणामस्वरूप काफी गड़बड़ी हो जायेगी और कोई भी व्यक्ति कम से कम एक महीने तक किसी दूसरे व्यक्ति को अपना माल नहीं बेचेगा और इसके परिणामस्वरूप सारी अर्थव्यवस्था ठप्प हो जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1945 में विभुद्रीकरण हुआ था किन्तु ऐसा नहीं हुआ था।

श्री आर० वेंकटरामन : 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण करना बिल्कुल भी विमुद्रीकरण नहीं है और यदि मेरे मित्र चाहते हैं तो मैं 1 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण करूंगा। यह कहने में कोई तथ्य है कि 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया जाये? यदि आप विमुद्रीकरण करना चाहते हैं और यदि ऐसा किया जाता है तो सारे देश में अव्यवस्था हो जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या "नॉनसेन्सिकल" (मूर्खता से पूर्ण) शब्द असंसदीय है। इस पर अध्यक्ष का निर्णय लम्बित है। अध्यक्ष को इस पर निर्णय देना होगा। यह अध्यक्ष के निर्णय के लिए लम्बित है। प्रधान मंत्री ने "नॉन्सेन्सिकल" शब्द का प्रयोग किया है। मैंने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। इस पर आपत्ति उठाई गई। इस शब्द के प्रयोग पर अध्यक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा है कि क्या यह संसदीय है अथवा असंसदीय है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं कुछ भी असंसदीय नही कहना चाहता हूं। यदि मैंने यह कहा है तो मैं इसे वापस लेता हूं। मैं इस पर कोई निर्णय नहीं चाहता हूँ। मैं कार्यवाही वृत्तान्त में इसमें शुद्धि कर इसके स्थान पर "इट हैजनो सेन्स" (इसका कोई अर्थ नहीं है) करना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं स्पष्टीकरण मांग कर सकता हूँ? माननीय वित्त मंत्री ने अभी कहा है कि वह 100 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कर रहे हैं। उन्होंने 10 रुपए के करेंसी नोट की बात नहीं कही है क्योंकि यदि आप देश में चलन में जो मुद्रा है उसे देखें तो आपको

मालूम होगा कि 10 रुपए के नोट की मुद्राप्रणाली में प्रमुख भूमिका है। अतः यदि आप वास्तव में विमुद्रीकरण करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए के नोट का भी विमुद्रीकरण करना होगा। किन्तु मंत्री महोदय आप इसका विमुद्रीकरण नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से राजनीतिक दलों का चन्दा करने का स्त्रोत सूख जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा हुआ माननीय सदस्य ने केवल राजनीतिक दल ही कहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरे माननीय मित्र कभी सभा की इस ओर आयें और बैठें तो उनके लिए मुझे कुछ महान कार्य छोड़ना चाहिए। मैं यह विमुद्रीकरण उनके लिए छोड़ूंगा।

श्री ज्योतिर्मय वसु : जी हाँ, मैं प्रसन्नता से इस कार्य भार को स्वीकार करता हूँ...

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : जहाँ तक स्पष्टीकरण का सम्बन्ध है मैं यह नहीं कहूँगा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में विमुद्रीकरण नहीं करेगी क्योंकि जब मैंने इस बारे से सभी कठिनाइयां बतायी हैं तो इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सरकार ने अपना एक इरादा बना दिया है क्योंकि यदि कठिन स्थिति आ जाये तो सरकार हमेशा ही कड़े कदम उठायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह और अच्छी बात है।

श्री आर० वेंकटरामन : किन्तु मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें यह उचित समाधान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटरामन को जो लोग जानते हैं और जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ वह 'साम' दाम दण्ड भेद के विचारों के व्यक्ति हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : दूसरा सुझाव यह था कि हम इस धन का मकान बनाने आदि के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे सकते थे। इसमें भी पहली बात यह है कि यदि आप इस धन को जिसका कर अपवंचन से सम्बन्ध है, कामप्रद धंधों में निवेश करें तो इससे कर के रूप में राजस्व नहीं मिलेगा किन्तु दूसरी ओर हम उसी बात के दोषी होंगे जिसके लिए स्वयं आप हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं अर्थात् इस बात के लिए कि काला धन बिना किसी कर अदायगी के बाहर आ रहा है जब कि वाहक बांडों में उन्हें 40 प्रतिशत देना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं है किन्तु अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश में किसी मुद्रास्फीति की स्थिति में यदि आप इस प्रकार के धन का प्रयोग इस्पात, सीमेंट तथा इन सभी वस्तुओं को खरीदने में करते हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ जायेगी।

एक माननीय सदस्य : वे ऐसा कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटमामन : अतः कालाधन अपना दबाव डालेगा और अधिक मुद्रास्फीति पैदा करेगा। यही कारण है कि मैंने कहा है कि मैं मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण करना चाहता हूँ

और इसे कम करना चाहता हूँ और यह सुनिश्चत करना चाहता हूं कि धन का प्रसार रोका जाये। मैं नहीं चाहता कि उसी धन का एक ऐसे तरीके से प्रयोग किया जाये कि इससे मुद्रा प्रसार तथा प्रसार की गति बढ़े और मूल्यों पर अधिक दबाव पड़े। यही कारण है कि हम इनमें से किसी भी बात को स्वीकार न कर सके...

श्री नीरेन घोष : सबसे बड़े 80 व्यापार गृहों के सदस्यों को जेल में डाल दीजिए और उन्हें तब तक जेल में रखिये जब तक वे कालेधन को जमाखोरी समाप्त न करें। तब आपको इसका तीन चौथाई मिल जायेगा...(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं झुक नहीं रहा हूँ। हर एक बात का कोई अन्त होता है और इस वाद विवाद का भी अन्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने इनमें से प्रत्येक मुद्दे को ले लिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि सभा मेरे प्रस्ताव को पारित कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट की है। जहाँ तक सभा की विधायी क्षमता का प्रश्न है मैंने इस मामले की जाँच की। लोक सभा की यह मान्य प्रथा है कि अध्यक्ष एक ऐसे मुद्दे पर अपना निर्णय नहीं देता है कि क्या...

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप पहला भाषण तो नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ निर्णय दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरी अनुमति से जा सकते हैं।

किसी ऐसे मुद्दे पर कि क्या विधेयक संवैधानिक दृष्टि से सभा की विधायी क्षमता के अन्तर्गत है या नहीं। यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इस मामले में अपने दृष्टि कोण व्यक्त करें और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। सदस्य इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति के प्रस्ताव पर अथवा इस विधेयक के संबंध में बाद में किसी प्रस्ताव पर मतदान के समय इन पहलुओं पर विचार करते हैं।

अब मैं प्रस्ताव को सतदान के लिए सभा में रखता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय कौन सा प्रस्ताव ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही पेश कर दिया है।

प्रश्न यह है :

"कि विशेष वाहक बंधपत्र, 1991 के धारकों को कुछ उन्मुक्तियों तथा ऐसे बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों और उनसे सम्बद्ध विषयों की बावत उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

4.10 म० प०

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या :-2

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील	अराकल, श्री जेवियर
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी	बन्सी लाल, श्री

बारोत, श्री मगन भाई
बरवे श्री जे० जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह श्री
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुरगैयन, श्री एस०
नागरत्नम, श्री टी०
नायडू श्री पी० राजगोपाल
नायक, श्री जी० देवराय
पांडे, श्री केदार
पांडे श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी० डी०
पटेल, श्री शान्तु भाई
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाइलट, श्री राजेश
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रसन्ना कुमार, श्री एस० एन०
डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
गवावी, श्री भेराबदन के०
गहलोत, श्री अशोक
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
कर्मा, श्री लक्ष्मण
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
कृष्णन्, श्री जी० वाई०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाजन, श्री बाई० एस०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मल्लिकार्जुन, श्री
मायातेवर, श्री के०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मूर्ति, श्री एस० वी० चन्द्रशेखर
रणवीर सिंह, श्री
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती वी० राघाबाई आनन्द
राव श्री जलगाव कोन्डाल।
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० एस० संजीवी
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री जी० एस०
साही, श्रीमती कृष्णा
साठे, श्री वसन्त
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेन, श्री ए० के०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिगडा, श्री डी० बी०

कांदरी, श्री एस० टी०
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के०
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुब्बा, श्री पी० एम०
सुब्बुरमण,श्री ए० जी०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री माऊ साहिब
शिव शंकर पी०
सिंह डा० बी० एन०
शिव प्रकाशम, श्री डी० एस० ए०
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
ढुडू, श्री मनमोहन
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
विश्वास, श्री अजय
बसु, श्री ज्योतिर्मय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
हरिकेश बहादुर श्री
खाँ, श्री गयूर अली
कोडियन, श्री पी० के०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री आनन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
रशीद मसूद, श्री
राय, श्री ए० के०
साहा श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप
सेन, श्री सुबोध
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिंह, श्री बी० डी०
सिंह, श्री धर्मवीर
तिरकी, श्री पीयूष
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :-

पक्ष में	110
विपक्ष में	40

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने 36 करोड़ रुपये इकट्ठा किये हैं किन्तु हमारे 40 मत हैं ।

(व्यवधान)

(श्री जार्ज फर्नान्डीस और कुछ अन्य माननीय सदस्य तब सभा से बाहर चले गये)

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :-

पक्ष में : डा० कृपा सिन्धु भोई, सर्वश्री भीखाभाई, शिव प्रसाद साहू, मालदेवजी, एम० ओडेदरा, प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत और श्री विर्दाराम फुलवारिया ।

विपक्ष में : श्री धनिकलाल मंडल ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरःस्थापित ।

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश 1981 के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश 1981 द्वारा विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1982/81]

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले जारी

(दो) खेल-कूद के क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम

श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : महोदय, खेलों के क्षेत्र में भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ रहा है । जीवन में अनुशासन लाने तथा हमारे युवा लड़के-लड़कियों को शारीरिक तथा मानसिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए राष्ट्र को एक खेल नीति का निर्माण करना चाहिए, जिसमें शहरी और ग्रामीण साधारण जनता के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए तथा जो हमारी युवा पीढ़ी में एक नव-जीवन के लिए प्रेरित कर सके ।

इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर मैं संघ सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह नेशनल ओलिम्पयक एसोसिऐशन तथा उसकी राज्य शाखाओं के माध्यम से संगठित समय-वद्ध परिणामों-मोख और प्रभावी अनुवर्ती कार्यक्रम बनाये। खेलों में सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित समय में सुधार हो सकता है।

केन्द्रीय सरकार को समूचे देश में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाना चाहिए और भावी पीढ़ियों में दृढ़ता और इच्छा-शक्ति की भावना भरने के लिए सहायक कार्यक्रमों की गति में तीव्रता भी लानी चाहिए।

देश में खेल सम्बन्धी गतिविधियों पर प्रति व्यक्ति कुल मिलाकर छः पैसे ही खर्च किया जाता है। हम देश के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को खेलों से सम्बद्ध नहीं कर पाये हैं। हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। खेलों के विकास के लिए आवश्यक बात यह है कि गांव की अधिकांश जनता को राष्ट्र को मुख्य धारा में मिलाया जाए। केवल तालुका और जिला स्तर पर खेलों और खेलों में कम्पटीशनों (प्रतियोगिताओं) का आयोजन ही काफी नहीं है, बल्कि हमारी जनता में खेलों के प्रति उत्साह भरने के लिए उचित ढंग से अच्छी रीति से बनाये गए खेल के मैदान छोटे-छोटे उपयोगी खेल कम्पलेक्स (स्टेडियम) तथा खिलाड़ियों तथा जिमनास्टक खिलाड़ियों के लिए खेलों का सामान तथा अन्य खेलों के सामान के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करनी होगी।

(तीन) **मोटरगाड़ियों में डीजल के स्थान पर पावर अल्कोहल का उपयोग**

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : हम प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये के कच्चे तेल और डीजल तेल का आयात कर रहे हैं यह धनराशि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ बनती जा रही है।

यह पता चला है कि ब्राजील और अन्य देश वाहनों में डीजल के स्थान पर पावर अलकोहल का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने जब सरकार से 1978-79 में पावर अल्कोहल उत्पादन की हमारी क्षमता के बारे में जानना चाहा था तो उन्होंने बताया था पावर अल्कोहल के बारे में उनके पास जानकारी उपलब्ध है और वह इसका उत्पादन करने में सक्षम हैं।

हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सीरा उपलब्ध है और वर्तमान चीनी मिलों में थोड़ा-सा परिवर्तन कर पावर अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। यदि हम पावर अल्कोहल का उत्पादन कर सकें तब हम डीजल तेल के आयात में भुगमता से कमी कर सकते हैं और हम विदेश व्यापार के सम्बन्ध में घुगतान की स्थिति में सन्तुलन भी ला सकते हैं।

समाचार पत्रों में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि डीजल तेल के स्थान पर सूर्यमुखी फूल के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। हम इसका प्रयोग कर डीजल तेल की खपत को कम कर सकते हैं।

हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य तेज कर देना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या डीजल तेल के स्थान पर अन्य खाद्य तेलों का प्रयोग किया जा

सकता है और क्या किसी प्रकार के पत्तों से मीथेन निकाला जा सकता है और क्या इसका प्रयोग डीजल के स्थान पर किया जा सकता है।

(चार) राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न वक्तव्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ :—

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिस प्रकार मजबूत करना चाहिए मजबूत नहीं किया जा रहा है। राजस्थान प्रान्त में सार्वजनिक वितरण प्रणाली टूटने की स्थिति में आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानों में गेहूँ उपलब्ध नहीं हो रहा है। राज्य में जो चावल भेजा जा गया है वह बहुत ही न्यूनतम क्वालिटी का है और बहुत ही महंगा है। गेहूं के भाव 225 रुपए से लेकर 250 रुपए क्विंटल तक बढ़ गए हैं। राज्य में चीनी ग्रामीण क्षेत्रों में दो-दो माह तक और कहीं-कहीं तीन माह तक नहीं पहुँचती और राज्य की जनसंख्या के आधार पर पूरा कोटा नहीं मिलने से ग्रामीणों को 300 ग्राम से 400 ग्राम तक चीनी मिलती है। इसके अलावा और कोई आवश्यक वस्तुओं के बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक प्रकार से क्रियान्वित न होने से ग्रामीण जनता में असंतोष है। यह प्रश्न अविलम्ब लोक महत्व का है।

(पाँच) पश्चिम बंगाल के बरुईपुर तथा अन्य क्षेत्रों के बीच ख़राब टेलीफोन लाइनों की मरम्मत

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में बरुई पुर की जनता को बरुईपुर और कलकत्ता के बीच टेलीफोन लाईन में हमेशा ही दोष रहने से, कलकत्ता और अन्य स्थानों से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बरुई एक विकासशील कस्बा है अतः इसके लिए अन्य स्थानों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए संचार व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है।

अतः मैं यह माँग करता हूं कि इन लाईन में जो दोष हैं उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए ताकि ट्रंक कालों के साथ-साथ स्थानीय कालों को व्यवस्था हो जाए और इस विकासशील कस्बे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बरुई पुर और नई दिल्ली में एस० टी० डी० की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं यह भी माँग करता हूँ कि बरुई पुर डायमण्ड हार्बर और काकद्वीप के टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार की व्यवस्था की जाए और मन्त्री महोदय सदन में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

———

रेल बजट 1981-82 सामान्य चर्चा—जारी

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने रेल बजट पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया।

कुछ कहने से पहले, रेल मंत्री जी के सम्बन्ध में जो हमारे पूर्ववक्ता श्री सत्यदेव सिंह जी ने प्रशस्ति की है, मैं अपने को उस से सम्बद्ध करता हूँ क्योंकि समयाभाव के कारण पुनः उन शब्दों को कहना उचित नहीं है। वर्तमान बजट पर कुछ कहने से पहले मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान इससे पूर्व जो रेलों की क्षमता थी, उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस वक्त इस देश की बागडोर माननीय इन्दिरा गांधी जी के हाथों में थी, उस समय 1976-77 में हर जगह रेलों की क्षमता के बारे में चारों तरफ से शोहरत थी।

उसके बाद जब संयोग से इन्दिरा जी सत्ता से हटीं और जनता पार्टी का शासन आया तो उन तीन सालों में रेलवे में काफी गिरावट आई। आंकड़ों से मालूम होगा कि 1977-78 में रेलवे के माल यातायात में कितनी गिरावट आई। उस वर्ष 22 करोड़ 20 लाख टन का अनुमान था किन्तु 19 करोड़ 40 लाख टन ही लदान सम्भव हो सका। उस के बाद इसका गंभीर असर पड़ा उसके अगले साल में। 1978-79 में 9001 डिब्बों का जहाँ औसत लदान था वहाँ अप्रैल से दिसम्बर 1979 तक घट कर 8644 माल डिब्बे रह गया।

1977-78 में थर्मल बिजली घरों के लिए जहाँ 2578 डिब्बे का औसत लदान किया गया वहाँ 1978-79 में अप्रैल से दिसम्बर तक 2770 डिब्बों का औसत लदान किया गया। किन्तु जनवरी 1980 में यह लदान 2913 डिब्बे हो गया और फरवरी में बढ़कर 3290 डिब्बों पर पहुंच गया।

कहने का तात्पर्य यह है कि जनता पार्टी के शासन काल में तीन सालों में जो गिरावट आई थी वह काफी दूर हुई। मान्यवर उस समय की हालत बहुत खराब थी। बिजली की देश में कमी थी और तमाम ट्रेनें बंद हो गयी थीं। जैसा मैंने बताया कि थर्मल पावर को कोयले का लदान 1977-78 से बढ़ कर 1980 के जनवरी और फरवरी में 3290 डिब्बे तक पहुंच गया था।

1977-78 में ट्रेनें अपने नियत समय पर नहीं चलती थीं लेकिन पहले जब इन्दिरा जी सत्ता में थीं और पण्डित जी रेल मंत्री थे तो लोग रेलों से अपनी घड़ी का समय मिलाया करते थे। अगर वे पांच मिनट भी लेट हो जाते थे तो गाड़ियां छूट जाती थीं। जनता पार्टी के शासन काल में ट्रेनों में समय की पाबन्दी केवल 48 प्रतिशत रह गयी थी जबकि 1976-77 में ट्रेनों में समय की पावन्दी 93 प्रतिशत थी। जनता पार्टी के शासन के बाद जब पुनः श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हकूमत हुई और पण्डित जी रेल मंत्री हुए तो यह समय की पाबंदी 90 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

जनता पार्टी के राज में, 31-12-79 तक 162 जोड़ी ट्रेनें बन्द थीं किन्तु जनवरी 1980 में जब कांग्रेस की फिर से हकूमत आई तो उस समय तुरन्त करीब 65 जोड़ी ट्रेनें चालू की गईं।

मान्यवर मैं अतीत की तरफ आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि जिस समय इन्दिरा जी शासन में थीं और पण्डित जी रेल मंत्री थे तो रेलों में काफी तरक्की हुई थी और जनता पार्टी के शासन में काफी गिरावट आई थी। उसके बाद जब पुनः इन्दिरा जी शासन में आयीं और हमारे पण्डित जी रेल मन्त्री हुए तो रेलों में पुनः काफी प्रगति हुई।

हमारे माननीय मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है, उसके पढ़ने से मान्यवर यह लगा कि हमारे मंत्री जी ने एक रिपोर्ट यहाँ पढ़ दी। मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को शायद हमारे चेयरमेन साहब ने बना दिया होगा और मंत्री जी ने उसको पढ़ दिया होगा। हमारे चेयरमेन साहब शायद तीन महीने पहले इस कुर्सी पर आये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि आज के पहले रेल विभाग में जितने काम थे वे पूरी तरह अच्छे नहीं थे और ट्रेनें जो थीं वे लपनी पटरी से उतर गई थीं। जब हमारे चेयरमेन साहब आए हमारे मंत्री जी आए तो एक मंत्र फूंका और एक पालिसी का एलान किया और सारी गिरी हुई रेलों को पटरी पर ला कर रख दिया। मैं समझता हूँ कि यह बात परम्परा के विरुद्ध है। मैं तो नया मेम्बर हूँ लेकिन आज तक इस तरह की रिपोर्ट शायद पूर्व में किसी भी दल के शासन द्वारा पेश नहीं की गई होगी। मैं जानना चाहूँगा कि परिचालन फिर पटरी पर आ गया, इसका क्या मतलब है ? क्या वह पटरी से उतर गया था ?

मान्यवर, मैंने इसीलिए इसके पूर्व के आंकड़े आपके समक्ष रखे। हमें यह भी मालूम है कि उस समय सूखे की वजह से ट्रेनें पानी भी पहुंचा रही थीं। हमें यह भी मालूम है कि बिजली की कमी की वजह से ट्रेनों से उतना यातायात नहीं हो पा रहा था और उधर असम का आन्दोलन चल रहा था लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार के आने पर ट्रेनें चालू की गईं जो कि पहले बंद थीं। यह जो रिपोर्ट है और इसमें जो शब्द है, मेरी समझ में ये शब्द उचित नहीं हैं।

मान्यवर, मुझे इस पर और अधिक कुछ नहीं कहना है, दो-तीन शब्द और कहूँगा। जहाँ तक रेल भाड़े में और माल ढुलाई के भाड़े में वृद्धि का सम्बन्ध है, मेरा नम्र निवेदन है कि साधारण डिब्बों में सफर करने वालों के लिए यह वृद्धि बहुत अधिक है। अभी जो बजट कल पेश किया गया है, उसमें भी तमाम लोगों को राहत दी गई है। अभी सालभर हुआ है जब 10-12 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और अब 10 प्रतिशत और वृद्धि हो गई। आज साधारण आदमी के लिए ट्रेन में बैठने की जगह भी नहीं है, लोग छतों पर सफर कर रहे हैं, ऐसे समय में मेरा निवेदन है कि जितनी भी गुंजाइश हो सके इस वृद्धि को कम किया जाय। इस बढ़ोतरी में एक जगह यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दूसरे दर्जे के डिब्बे में आरक्षण की दर 25 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया कर दी गई है। दुगुना कर दिया जाता तब भी ठीक था, एकदम चौगुना कर दिया गया है। दूसरे दर्जे के आरक्षण में एक से तीन रुपए तक की वृद्धि की गई है। लंबे सफर में साधारण आदमी, साधारण किसान बिना आरक्षण के नहीं चल सकता। पहले तो यह था कि लंबे सफर के यात्रियों को बर्थ दी जाती थी। यह ठीक है कि बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन उसी अनुपात में जिस अनुपात में फर्स्ट क्लास और वातानुकूलित के किराए में वृद्धि की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में मंत्री जी पुनः विचार करें।

माल-भाड़े के सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि घरेलू काम में आने वाली चीजों के सम्बन्ध में कुछ छूट दी जाए। जैसे लकड़ी का कोयला, नमक ये सब मुख्य चीजें हैं। फर्टिलाइजर का उपयोग किसान करता है, कोई व्यवसायी उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए उस पर भी रियायत दी जाए। इसी प्रकार मिट्टी का तेल, खाने का तेल,

चीनी और दालें, इनका उपयोग साधारण आदमी करता है, इसलिए इनके मालभाड़े में अगर रियायत दी जाए तो आम आदमी को इसका लाभ होगा। पहले भी सदन की राय को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन मंत्री जी ने इन पर रियायत की थी।

मान्यवर, ये तो जनरल बातें थीं, अब मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मान्यवर इसके पहले के रेलवे-बजट में देवरिया से कुशी नगर होते हुए पडरौना तक रेल-लाइन निकालने का प्रावधान था। मान्यवर कुशी नगर देश का ही नहीं विश्व का एक प्रसिद्ध स्थान है। पूरे विश्व के लोग कुशी नगर जाते हैं। बहुत दिनों से मांग थी। गत वर्ष इस सदन में ऐलान हुआ था। पूर्व मंत्री जी ने देवरिया से पडरौना तक रेल लाइन बिछाई जाएगी, इस बात को कहा था। उसमें मेरा एक संशोधन था कि पडरौना और छितौनी को छोड़ दिया जाए। पर साल के बजट में भी एलान किया गया था कि छितौनी का पुल बनेगा, रेल-लाइन बनेगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पुराना ऐलान देवरिया से कुशी नगर होते हुए पडरौना तक रेल लाइन निकालने का हो चुका है, अगर उसका प्रावधान है तब तो ठीक है, मेरे देखने में तो नहीं आया, अगर नहीं है तो उसका समावेश अवश्य करना चाहिए।

सात साल पहले की बात है। एक जलसा किया गया था और उसमें श्रीमती गांधी ने छितौनी में बंधे पुल का शुभारम्भ किया था। उस रेलवे लाइन का क्या हुआ पता नहीं। आज तक वहां के लोग तरस रहे हैं। इस एलान को किए हुए पांच छः साल हो गए हैं लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। अब मंत्री जी ने बड़े जोर से एलान तो किया है और कहा है कि बड़ी लाइन बनेगी और लोग बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह काम यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति को आप देखें। आपको पता चलेगा कि छितौनी से पडौना और देवरिया तक अगर लाइन बन जाती है तो सीधे पटना से होते हुए छितौनी होते हुए बनारस, इलाहाबाद और काफी दूर तक आया जाया जा सकता है। यह बहुत लाभप्रद लाइन हो सकती है। इसके बारे में मेरा मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है।

अभी हमारे यहाँ नई बड़ी लाइन बन रही है। नौनापार एक स्टेशन है। 35 साल से वह चला आ रहा है। उसको उखाड़ा जा रहा था। पटरी वहाँ बिछाई गई थी। मंत्री जी ने आदेश दिया है कि इस को उखाड़ना रोक दिया जाए और पुराना जैसा स्टेशन था वहाँ वह वैसा बना रहे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पक्के तौर पर एलान कर दिया जाना चाहिए कि स्टेशन बरकरार रहेगा, जो चीज बनी हुई है वह बनी रहेगी, उसको उखाड़ा नहीं जाएगा।

देवरिया का ओवरब्रिज भी बनना चाहिए। दो तीन और चीजें हैं जिन के बारे में मैं मंत्री जी को बाद में बता दूंगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रेनों में जो बड़ी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, इस पर ध्यान दिया जाए। रात में लम्बी सफर वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें पुलिस का विशेष प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए। मैं समझता हूं मौजूदा रेलवे पुलिस अपर्याप्त है। उस में इजाफा होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि अगर रेलवे चलती रहती है तो समूचा देश चलता रह सकता है। देश के लिए इनका महत्व निर्विवाद है। लेकिन देखने से पता चलता है कि आए दिन पौलिटिकल लोग हड़ताल करवा कर समूचे राष्ट्र का नुकसान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि रेलों को अनिवार्य सेवा घोषित किया जाए। साथ ही मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि भी हों और जज भी हो और वह मजदूरों और सरकार के झगड़ों का निपटारा करे। रेलों में हड़ताल न होने दी जाए। इनको अनिवार्य सेवा माना जाए।

आरक्षण में बड़ी धांधली होती है। कह दिया जाता है कि सीट नहीं है लेकिन जब दस रुपए दे दिए जाते हैं तो सीट अपने आप मिल जाती है। खान पान की भी बड़ी शिकायतें हैं। मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों के बारे में सख्ती होनी चाहिए। बड़े बहादुर चेयरमैन साहब आपको मिले हैं। वह घूम-घूम कर देखें तो उनको पता चलेगा कि आज भी बड़ी रिश्वतखोरी रिजर्वेशन के मामले में, वैगन देने के मामले में चलती है। मेरी शुभ कामनाएं उनके साथ हैं।

इन शब्दों के साथ रेलें पटरी से न उतरें यही कामना करते हुए मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री श्री केदार पांडे जी को आए हुए मात्र तीन चार महीने ही हुए हैं और इस अर्से में इन्होंने रेलों के काम में काफी सुधार तथा तरक्की की है और इसके लिए मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि सारा देश उनको इसके लिए बधाई दे रहा है।

मैं बिहार से आता हूं। मैं उनको धन्यवाद देता हु कि उन्होंने रांची से लोहरदगा और लोहरदगा से टोरी तक बड़ी लाइन बनाने की बात कही है। यही नहीं रांची से हजारीबाग और हजारीबाग से कोडरमा तक नई बड़ी लाइन बनाने की भी उन्होंने बजट में घोषणा की है। आश्वासन तो बहुत लोग दिया करते हैं। पर लोग अमल में नहीं लाते।

रांची से लोहरदगा जो छोटी लाइन है इसको बड़ी लाइन में कर दिया जाए और इसी लाइन को आगे बढ़ाकर टोरी तक लें जाएं। इस लाइन का आजादी से पहले से सर्वेक्षण हो चुका है, 1947, 1971 और 1975 में सर्वे हुआ, बार बार लोग सोचते हैं कि इस बार यह लाइन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि इस बार रेल मंत्री जी ने घोषणा की है और रेल बजट में इसको शामिल भी किया है और उन्होंने कहा है कि प्राण जाएं पर वचन न जाए। यह क्षेत्र पिछड़े हुए और हरिजनों आदिवासियों का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का इलाका है। यहाँ से आज भी दो लाख भाई बहन रोजी रोटी की तलाश में अपना घर बार छोड़कर इलाहाबाद, फैजाबाद, और पंजाब जा रहे हैं क्योंकि बेकारी है। छोटा नागपुर में एशिया का सबसे बड़ा बौक्साइट का भंडार है, लेकिन बड़ी लाइन न होने के कारण वहाँ बेकारी है और लोग काफी परेशान हैं। मैं आदिवासियों की तरफ से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब आप उनको सब तरह की सुविधाएं देना चाहते हैं तो कम से कम उन मां बहनों की इज्जत का ख्याल रख कर आप 1981-82 में इस लाइन को पूरा करें, यानी रांची-लोहरदगा-टोरी और हजारीबाग-कोडरमा लाइनों में काम शीघ्र शुरू कर दिया जाए। अधिकारी लोग कहते हैं कि

रांची-लोहरदगा लाइन में 10 पॉईंट की कमी है। एक इंडियन ऐलयुमिनियम कम्पनी जो देश की सबसे बड़ी कम्पनी है उसको बाक्साइड ले जाने के लिए डिब्बे नहीं मिलते हैं। लोहरगा में ट्रकों से बॉक्साइट ले जाने के लिए 45 रु० प्रति टिन के हिसाब से वह पे करते हैं और मूरी तक जहाँ उनकी फैक्ट्री है बॉक्साइट को ले जाते हैं। हजारों ट्रकों से हर महीने बॉक्साइट ले जाते हैं। अगर बड़ी रेल लाइन बन जाती है तो जो पैसा अभी उस कम्पनी को ट्रकों की ढुलाई के लिए देना पड़ता है वह सारा का सारा पैसा आपको मिल सकता है। रांची में पैरोजा गाड़ी लोहरदगा के लिए सवेरे 8 बजे चलती है जो लोहरदगा रात को कभी 11 बजे कभी 12 बजे पहुंचती है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

आपने 150 किलोमीटर के बाद सेकेण्ड क्लास का किराया 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया है। आपको मालूम है कि देश में काफी गरीब लोग रहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि 150 किलोमीटर की सीमा को बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर दें और उसके बाद 5 प्रतिशत के हिसाब से ही किराया बढ़ाएं। मालभाड़ा आपने 15 प्रतिशत बढ़ाया है। आप जानते हैं कि मालगाड़ियों से खाने का सामान दूर-दूर प्रांतों से आता है। अगर अधिक भाड़ा व्यापारियों को देना पड़ेगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। मैं जानता हूँ कि विकास के लिए आपको पैसा भी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि माल भाड़ा 15 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत ही बढ़ाया जाए।

चंडीगढ़ एक्सप्रेस रांची से चलती है और पलासू जिले के टोरी स्टेशन पर 5 मिनट के लिए जरूर रुके क्योंकि इसके इर्दगिर्द काफी बड़े बड़े शहर हैं और एशिया की सबसे बड़ी बौक्साइट माइन है तथा कोल फील्डस हैं। इसलिए चंडीगढ़ ऐक्सप्रैस टोरी स्टेशन पर 5 मिनट जरूर रुके, साथ ही यहाँ से प्रथम श्रेणी के चार बर्थ और सेकेण्ड क्लास की 8 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करने की भी कृपा करें। मैंने इस सम्बन्ध में रेल मंत्री जी को पत्र भी दिया है और आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

इसी प्रकार मौर्या एक्सप्रैस रांची तक चलाने की व्यवस्था की जाए जिससे रांची से मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके।

टोरी में डिब्बों की कमी है। यह एक ऐसा स्टेशन है जहाँ आज भी व्यापारियों का कम-से-कम 30, 40 लाख रुपए का माल बरसों से पड़ा है, लकड़ी, कोयला बौक्साइड पड़ा हुआ है पिछले सत्र में मैंने सवाल भी पूछा था तो मंत्री जी ने कहा था कि सुधार की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक डिब्बों में वृद्धि नहीं हुई है। इसकी वजह से देश के तरक्की के काम में रुकावट हो रही है और व्यापारियों को भी भारी घाटा हो रहा है। लकड़ी, कोयला, बांस यह सारी चीजें वहाँ बरसों से पड़ी हैं, इसलिए डिब्बों का शीघ्र इंतजाम किया जाए।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि पिछड़े क्षेत्र और भी हैं जैसे उड़ीसा का क्षेत्र है। यह बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है। कालाहांडी, सम्बलपुर, बालंगीर और फूलबनी मिलें बिल्कुल बैकवर्ड हैं। सम्बलपुर से तालचर तक एक रेलवे लाइन बनाने का विचार था। यह पहाड़ी इलाका है और यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ एक नई रेलवे लाइन बनाने की अविलम्ब व्यवस्था की जाए।

कटक जाने के लिए मद्रास होकर जाना पड़ता है। उसके लिए या तो समुद्र के मार्ग से जाना पड़ता है या बंगाल होकर जाना पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से भी जरूरी है कि संबलपुर से तालचर तक नई बड़ी रेलवे लाइन बनाई जाए। अम्बागुड़ा से लाजीगढ़ रोड़ तक भी एक नई रेलवे लाइन बनाकर इन्हें जोड़ दिया जाना चाहिए।

मैं 10 वर्षों तक साउथ ईस्टर्न रेलवे का मेम्बर रह चुका हूं। लोहरदगा से गुमला, रायडी, जशपुर, रायगढ़ होकर कोरबा तक बड़ी लाइन से मिलाने की बात चल रही थी, इसपर अगर इस वर्ष नहीं तो कम-से-कम अगले वर्ष के बजट में जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसके बनने से बम्बई की दूरी 347 किलोमीटर लगभग कम हो जाएगी।

जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, यह देश की तरक्की के लिए बहुत लाजमी हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए माननीय रेल मंत्री श्री पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो वचन दिया है, वह उसको ध्यान में रखें और आदिवासी बहिन-भाइयों की ओर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन गरीबों का ख्याल रखें, छोटा नागपुर और उड़ीसा प्रान्त का अवश्य ध्यान रखें।

धन्यवाद।

श्री राम अवतार शास्त्री पटना : सभापति महोदय, मैं इस बजट का जोरदार विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब नवम्बर महीने में रेल प्रशासन में तहलका मचा, परिवर्तन लाया गया तो लोगों ने समझा था कि रेलों की व्यवस्था में, उसके विस्तार में तरक्की होगी, वृद्धि होगी, मजदूरों का सहयोग लेकर देश को और विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ाया जायेगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसा लगा कि नये रेल मंत्री श्री केदार पांडे जी रेलवे-बोर्ड के बन्दी बन गए। रेलवे बोर्ड जो चाहता है, वह उनसे करवाने की कोशिश करता है और मेरी समझ में तो ये उसको हु-बहू मान लेते हैं। इसका उदाहरण एक ही है, जब ये अपना भाषण पढ़ रहे थे तो साल भर की सफलता असफलता का जिक्र करना तो दूर रहा, इन्होंने 3 महीने की चर्चा ही की कि इससे हमने माल ढोने में यह प्रगति की है। यह पांडे जी नहीं बोल रहे थे बल्कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे थे। वह अपनी उपलब्धियां दिखाना चाहते थे क्योंकि वह 6 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं। इस तरीके से उन्होंने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, वह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और यह उन्हीं की वजह से तरक्की हुई है। उस जाल में हमारे पांडे जी फंस गये। इसलिए पंडित जी मेरा ऐसा अन्दाजा है कि पुराने रेल मंत्री जी को जरूर सदमा हुआ होगा, जिसकी चर्चा सबसे पहले वक्ता शायद श्री मधु दंडवते जी ने की थी।

रेलवे बोर्ड में कौन लोग हैं ? किसी न किसी रूप में उनका सम्बन्ध हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े इजारेदारों और पूंजीपतियों से है। वे नहीं चाहते कि रेलवे सही मानों में जनतांत्रिक तरीके से, रेल मजदूरों, यात्रियों और उपभोक्ताओं की मदद से प्रगति करे। वे तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मदद से देश और रेलों का विकास करना चाहते हैं। अगर यही नीति रही और यदि हम आम जनता का सहयोग लेकर और देश की आवश्यकता तथा पिछड़े

हुए इलाकों के विकास को देखते हुए ट्रांसपोर्ट के विकास में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे।

मंत्री महोदय ने रेल बजट में क्या किया ? उन्होंने 356 करोड़ रुपये के किराये और भाड़े बढ़ा दिए। किन पर ? आम लोगों पर। दूसरी श्रेणी पर 10 प्रतिशत-10 प्रतिशत लगेज और पार्सल पर, 15 परसेंट एयर-कन्डीशन्ड फर्स्ट क्लास पर, 12.5 परसेंट पहले दर्जे पर और 15 परसेंट माल पर बढ़ाया गया है। लेकिन रेलवे लोहे और मैंगनीज को कम भाड़े पर ढोती है। इन चीजों का सम्बन्ध किन लोगों के साथ है ? बिड़ला, टाटा आदि हिन्दुस्तान के इजारेदार और पूंजीपति इस कच्चे माल को अपने कारखानों में ले जाते हैं और उससे पक्का माल तैयार करते हैं। सरकार उन लोगों को तो सहूलियत देती है और जनता पर चोरी करती है। यह उसकी नीति बन गई है।

सरकार कहती है कि रेलवे द्वारा सोशल आब्लीगेशन्ज सामाजिक दायित्वों, पर 331.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। वह सबर्बन और नान-सबर्बन ट्रेनों को चलाने के लिए 227.45 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसके नाम पर सरकार आम लोगों के भाड़े को बढ़ाना चाहती है। यह सामाजिक दायित्व तो सरकार को निभाना ही चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी, तो देश की गरीबी नहीं मिटेगी, देश का बिकास नहीं होगा, वह सामान को देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा कर लोगों तक नहीं पहुंचा सकेगी।

सरकार यह भी कहती है कि कोयले का दाम 328.8 प्रतिशत, डीजल का दाम 280 प्रतिशत स्टील के दाम 260 प्रतिशत, बिजली के चार्जिज 232 प्रतिशत, सीमेंट और मकान बनाने के दूसरे सामान के दाम 231.8 प्रतिशत और स्टाफ पर खर्चा 250 प्रतिशत बढ़ गया है। यह बहाना बनाकर सरकार किराया और भाड़ा बढ़ाना चाहती है। इसीलिए उसने इस तरह का बजट पेश करके आम जनता पर चोट की है, जबकि चोट करनी चाहिए थी इजारेदारों पर और उनके सामान पर। पहले ऐसे काफी सामान को मुफ्त रखा गया था, जिसका आम-जनता से सम्बन्ध है, लेकिन अब केवल तीन चीजों को मुक्त कर रखा गया है। इससे पता लगता है कि इस सरकार की नीति क्या है।

सरकार पुरानी लीक पर चल रही है। साम्राज्यवादी लोग, अंग्रेज, उनको रेलों की 700 करोड़ रुपये की पूंजी विरासित में दे गए थे। अब रेलों की पूंजी जरूर 5500 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन किसकी मेहनत से ? मजदूरों की मेहनत से, यात्रियों और देश की जनता के सहयोग से, लेकिन सरकार उन्हीं पर चोट करती है। यह ट्रांसपोर्ट का विकास करने की सही नीति नहीं है।

अगर आप टाटा, बिरला, डालमियां, इनके लोहा मैंगनीज वगैरह की ढुलाई पर भाड़ा बढ़ाइये तो 220 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। फिर जनता पर चोट करने की जरूरत आप को नहीं पड़ेगी। लेकिन आप 220 करोड़ रुपया उनसे नहीं लेना चाहते।

इसी तरह से रेल के डिब्बों का देखिए की क्या हाल है। 1950-51 में आपके पास 2 लाख 3596 डिब्बे थे और 1980 के 31 मार्च, को आपके पास 4 लाख 5 हजार 185 डिब्बे हैं। 30 वर्ष

में दुगुने ही हुए हैं और इनका इस्तेमाल केसे होता है ? बड़े-बड़े पूंजीपति इस्तेमाल करते हैं। पाँच से दस दिन तक वह रखते थे, उसके बाद आप डैमरेज लेते थे। अब आपने 20 दिन का समय बढ़ा दिया और आपके रेलवे बोर्ड के लोग उनसे दोस्ती रखते हैं जिससे वे महीनों उसको रखे रहते हैं, बसमें गोदाम बना लेते हैं। उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है तो जाहिर है कि डिब्बों की कमी होती है। आप स्वयं कहते हैं कि 13 हजार डिब्बों की कमी है। यह कमी नहीं हो सकती थी, लेकिन इस तरह की चीजें आज हमारे देश में चल रही हैं और रेलवे बोर्ड जैसा सफेद हाथी सारे देश को नचा रहा है। वहाँ आप की बात नही चलती। वह जो चाहते हैं वही करते हैं।

रेल के विस्तार के बारे में आजादी के 30 वर्ष के बाद आप देखें, कुल 7000 हजार रूट किलोमीटर आप बढ़ा पाये हैं। 30 बर्ष में क्या यह उपलब्धि बहुत है ? नहीं। आज टोटेल रूट किलोमीटर कितना है—60933, उसमें 32 साल में कुल 7 हजार रूट किलोमीटर आपने बढ़ाया इसमें से 25 हजार रूट किलोमीटर लाइन की लाइफ खत्म हो गई है लेकिन उसको आप बदलते नहीं हैं जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं का एक कारण यह भी है। इसको बदलने का प्रोग्राम आप को बनाना चाहिए था।

इसी तरह से इंजन देखिए, अंग्रेज अब गए थे तो ओवर एजेड इंजन 8 हजार छोड़ गए थे, अभी 11 हजार इंजन कुल हैं और ये अच्छे इंजन हैं। लकड़ी के डिब्बे जिसमें यात्री चलते हैं 13 उस समय थे। इसकी तादाद कितनी बढ़ी ? मैंने ऊपर बताया कि कितने आपके यहाँ डिब्बे बढ़े।

अगर आप ठीक से संगठित कीजिए और विस्तार के लिए कैसे-कैसे काम होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए तो आपकी जो अभी 5500 करोड़ की पूंजी है वह भी बढ़ेगी। अंग्रेज केवल 700 करोड़ रुपये छोड़ गए थे। आपने यह पूंजी बढ़ायी। अभी और बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा देश का विकास कर सकें।

रेलवे के विकास के बारे में मैं यह कहना चाहता था कि आप पुराने रास्ते को छोड़कर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से फिर मदद ले रहे हैं। अखबार में आया है कि बर्ल्ड बैंक से आप ने विद्युतीकरण के लिए 12 सौ करोड़ की याचना की है। क्या यह देश को नव-उपनिवेशवाद से छुड़ाने वाला रास्ता है या नव-उपनिवेशवाद को और बढ़ाने वाला है ? 12 सौ या साढ़े 12 सौ करोड़ की याचना आपने की है, यह एकोनिम्का टाइम्स में निकला है और आपने उसका कोई कांट्रेडिक्शन नहीं किया है। तो बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से पल्ला छुड़ाइये और इजारेदारों पर ज्यादा से ज्यादा चोट कीजिए। उनसे माल भाड़ा अधिक वसूलिए और मजदूरों का सहयोग लेकर आगे बढ़िए, तभी देश का कल्याण होगा, नहीं तो देश का कल्याण होने वाला नहीं है। देश की तरक्की नहीं होगी और रेल का विकास भी नहीं होगा।

अब मजदूरों के सवालों पर आइये। लेकिन इससे पहले रेल दुर्घटनाओं का भी सुन लीजिए। इसी से ताल्लुक है। आप कहते थे कि रेल दुर्घटनाओं पर भी बोलिए। तो रेल दुघटनाएं 1972-73 में 7177 हुई थीं और 1979-80 में 12179 हुई हैं। इसमें घातक दुर्घटना 79813 थी जिसमें लोग मरे 1972-73 में और 1979-80 में 900 इनकी संख्या थी।

तो दुर्घटनायें बढेंगी क्योंकि लाइन पुरानी हैं । आप मजदूरों का सहयोग लेना नहीं चाहते हैं, आप लोको रनिंग स्टाफ पर हमला करते है फिर काम कैसे बनेगा ? क्या रेलवे बोर्ड वाले गाड़ी चलायेंगे ? आज 10, 12 और 14 घंटे लेट गाडियाँ चलती है लेकिन क्या कभी आपने रेलवे बोर्ड के चेयर मेंन या जनरल मैनेजर को पुल-अप किया ? नहीं । आप-पुल अप करते हैं डाईवरों को, फायर मैन को, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को और फलाने—डिकाने को । इस तरह से काम कैसे चलेगा तभी दुर्घटनायें होती हैं। आपके लिए आवश्यक है कि आप मजदूरों का सहयोग हासिल करें ।

आपके यहाँ कैजुअल वर्कर बहुत सारे हैं । सबसे पहले मैं गैंगमेन की बात बताऊँगा जो कि जाड़ा गर्मी और बरसात में प्राणपण से काम करते है, अपने जीवन को दाव पर लगाकर काम करते है जो अस्थायी उनकी तादाद है 1 54,511 । सी पी सी वेतन मान पाने वाले 61,187 हैं । दैनिक मजदूर 43,142 हैं । कुल मिलाकर 2, 58,840 हैं । लेकिन गैंगमेन की हालत क्या है उनको आप वर्दी तक नहीं देते । 21 सूत्री कार्यक्रम वर्षों से पेंडिंग है, आप उसपर कोई निर्णय नहीं लेते । जब आप चहाते हैं उनको निकाल देते हैं । मिनिस्टीरियल स्टाफ के लोग लड़ाई लड़ते है, 330-560 के वेतनमान में आप डायरेक्टर रेकूटमेन्ट करना चाहते हैं' वे उसका विरोध करते हैं लेकिन आप कोई रास्ता नहीं निकालते । कैजुअल मजदूरों की संख्या ढ़ाई लाख है । 4 जून, 1980 को उस समय के रेल मन्त्री पं० कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि तीन महीने में तमाम कैजुअल मजदूरों को रेग्युलर बना दिया जाएगा लेकिन कितने लोगों को आपने रेग्युलर बनाया ? 12 हजार को बनाया है, 21 हजार का फैसला आप कर चुके हैं लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए, साल भर से ज्यादा बीत गया फिर भी कुछ नहीं हुआ है ।

इसी तरह से जो खान-पान की व्यवस्था है वह जितनी रही है वह सभी लोग जानते हैं। 26-4-1978 से पहले 2176 कर्मचारी वहां पर थे जिनको कि वेयरर कहते हैं । उनमें से 1437 कर्मचारियों को उस समय की सरकार ने नियमित किया लेकिन अभी भी 1062 कर्मचारी बाकी हैं । इसी तरह से जो आपकी डिपार्टमेन्ट्स में कैटेरिंग चलती है उसकी संख्या 650 है और कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है । (व्यवधान) इस तरह के सैकड़ों, हजारों मजदूर हैं जिनको आप रेग्युलर क्यों नहीं करते ? इसी तरह से निर्माण मजदूर भी हैं । पूर्वोत्तर रेलवे में 13 हजार ऐसे मजदूर हैं जिनकी मांगों को आप नहीं मानते हैं ।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मजदूरों का सवाल है ।

आप बहुत सारे कांप्लिनेन्टरी पासेज देकर लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं । मैं पूछता हूं इस बात का किसने आपको अधिकार दिया है ? आपने 269 फर्स्ट क्लास के कांप्लिमेन्टरी पासेज और एअरकण्डीशंड के पासिज दिए हैं । 24 कॉंप्लिमेन्टरी पासेज दूसरी श्रेणी के दिये हैं । 3 फरवरी से पहले की यह फीगर है । ये 293 में लोग कौन हैं ? ये भूतपूर्व एम पीज भूतपूर्व मिनिस्टर सारे ही कांग्रेस आई के नेता रातों रात सोशल वर्कर बन गए । (व्यवधान) मेरे पास लिस्ट है और उसी की बात यहाँ पर करना चाहता हूं । (व्यवधान)

मुझे सोलह मिनट हो चुके हैं और मैं दो-तीन मिनट और लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : इनको सिग्नल दें, तो भी नहीं बैठते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इस सिलसिले को बन्द कीजिए। लाखों रुपया बर्बाद करने का अधिकार न रेलमंत्री को है, न रेलवे बोर्ड के मैम्बरान को है और न ही चैयरमैन को है—इसको फौरन बन्द कीजिए।

श्री केदार पांडे : काम्पलोमेंट्री पास किसी को न दिया जाए, यह कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति है।

श्री रामावतार शास्त्री . मैं भी यही कहता हूँ। मैं एकतरफा नहीं बोल रहा हूँ। सरकार ने अपोजीशन में दो-तीन को दिया है और बाकी को नहीं दिया है। श्री गुणानन्द ठाकुर को दिया है। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ...

श्री केदार पांडे : दो-तीन नाम की सिफारिश आप करे तो आप को भी मिल जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह करने वाला नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नही हूँ।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप इसमें टाइम मत लगाइये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पटना में गंगा पर रेलवे पुल क्यों नही बनाते हैं। उसको तो बनाइये।

श्री केदार पांडे : होने जा रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : पटना और गया लाइन को दोहरा कीजिए। लाइन पर हर साल 12 लाख रुपया पूंजीपतियों को क्यों देते हैं। उसको बन्द करके अपने कब्जे में लीजिए और उसको बड़ी लाइन बनाइए।

आखिरी बात में बंगाल के बारे में कहता हूँ—साउथ ईस्टर्न रेलवे के खडगपुर डिवीजन में भोगलपुर और पंचसुकरा के बीच में एक स्टेशन बनाने की माँग है, इसको आप जरूर कीजिए।

श्री केदार पांडे : शास्त्री जी, आपने फतुंहा और इस्लाम पुर की बात कही है। इसके अलावा और आपने क्या कहा है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं वही कह रहा हूँ जिसके बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी भी आपसे कह चुकी हैं। आपने हजारों से ज्यादा रनिंग स्टाफ को 14 (2) के अन्तर्गत डिसमिस कर रखा है, जिसमें कोई भी अपील नही कर सकता है। चार्ज-शीट भी नही मिल सकती है। इस लिए मेहरबानी करके दमन की नीतियों को छोड़िए और उनके साथ बात करके उनकी माँगों को मानिए तथा जितनी भी दंडात्मक कार्यवाहियां हैं, उनको समाप्त कीजिए। आप यह मत समझिए कि रेल मजदूर कायर हैं। रेल मजदूर 74 में भी लडे, 76 में भी लड़े, 60 में भी लड़े और 49 में श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसलिये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 17 लाख-20 लाख रेल मजदूर कदुआ की बतिया नहीं हैं कि उन पर चाकू चल जायेगा। वे लड़ेंगे, अगर आपकी मजदूर विरोधी नीति नहीं रुकी। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड को जल्दी भंग कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मेरा

रेलवे बोर्ड के लोगों से कोई विरोध है, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन यह व्यवस्था खत्म कीजिए। सामूहिक रूप से जनतंत्र को चलाइए ।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : समापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने 1981-82 के लिये जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में, जबकि देश में कोयले की कमी है, बिजली की कमी है, सूखे की स्थिति है, अनेक समस्यायें हैं, उन समस्याओं से घिरे हुए देश के समक्ष रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह वास्तव में बहुत ही अच्छा कहा जायगा ।

यदि हम यह कहें कि रेलें राष्ट्र की धमनियाँ हैं जो सारे राष्ट्र की चेतना को जागृत करती हैं—तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी । आज हमारी रेलों ने देश के यातायात के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त प्रगति की है । यदि आप रेल पुस्तिका को उठा कर देखें, तो उन में दिये गये आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है । 1853 में जब से इस देश में रेलें चालू हुई, तब से आज तक इस ने बहुत अधिक तरक्की की है । देश के कृषि विकास, राष्ट्रीयता के विकास, हर तरह के विकास के कामों में रेलों ने बहुत अधिक सहायता दी है । इसी लिए रेलें आज हमारे भारतीय जीवन की एक प्रकार से धुरी में, जिन पर जीवन आधारित है, क्योंकि 80 प्रतिशत माल का यातायात रेलों के द्वारा होता है, 70 प्रतिशत यात्री-यातययात इसी के माध्यम से होता है ।

लेकिन, रेल मंत्री जी, आप ने अपने भाषण में जो यह कहा है कि तीन कहीने से रेलें, जो धुरी उत्तर गई थीं, फिर से पटड़ी पर आ गई हैं—ये शब्द उचित नहीं जान पड़ते, क्योंकि 13 महीने से ही रेलें पटड़ी पर आ गई थी, उनका केवल 3 महीने से पटड़ी पर आना मानें, तो यह ठीक नहीं होगा ।

आप ने इस बजट में यात्री भाड़े तथा माल-भाड़े में वृद्धि की है, आप का यह कदम उन लोगों पर जो मुद्रास्फीति का अर्थ-व्यवस्था से पहले ही पीड़ित थे, एक करारी चोट है । आप वातानुकूलित यान का किराया और ज्यादा बढ़ा देते, तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन आप ने द्वितीय श्रेणी का किराया बढ़ाया है जिससे गरीब जनता पर गहरी चोट पड़ी है । जहाँ तक वातानुकूलित यान का सम्बन्ध है, उसका जो किराया बढ़ाया है, यदि अर्थ-तन्त्र के आधार पर उसका मापतौल करें तो पता लगेगा कि हवाई जहाज के किराये के मुकाबले वातानुकूलित यान का किराया अधिक है, ऐसी स्थिति में लोग वातानुकूलित यान में यात्रा कर के क्यों अपना समय खराब करेंगे । मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि इनके किरायों को बढ़ाकर आप ने अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की जो कल्पना की है, मेरे ख्याल में वह सम्भव नहीं हो पायेगी ।

आप ने आरक्षण का किराया भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है । सामान्य व्यक्ति जब लम्बी यात्रा करता हैं, तब उसे शयन-यान की आवश्यकता पड़ती है । आप ने उसको किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये कर दिया है तथा आरक्षण का शुल्क 4 आने से बढ़ा कर 1 रुपया कर दिया

है—इतनी अधिक बृद्धि एक साधारण व्यक्ति के लिये बहुत ज्यादा है। आप भाड़ा बढ़ाने के साथ-साथ यदि उनके लिये कुछ सुविधाओं को भी बढ़ा देते, तो यह बढ़ोत्तरी शिरोधार्य हो जाती, लेकिन सुविधाओं में आप ने कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। आपके जो शयन-यान हैं, वे भी लकड़ी के तखते हैं। आप मीटर गेज के डिब्बों को देखिये—वहाँ जो शयन-यान रखे गये हैं—दो बेड्स के बीच में एक तीसरा बेड और बना देने से बिल्कुल कबूतर-खाना दिखाई देता है और यात्रियों को कोई आराम नहीं मिलता है, बल्कि उनमें कोई भी व्यक्ति स्वच्छतापूर्वक सांस भी नहीं ले सकता है।

आरक्षण के काम में बहुत ज्यादा धांधली देखने को मिलती है। कोई भी यात्री पहले स शयनयान में प्रवेश कर के यह प्रयास करे कि उसको जगह मिल जाय, तो उसको कह दिया जाता है कि कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि वह कण्डक्टर साहब की जेब में कुछ डाल देता है तो निश्चित तौर पर उसको आरक्षण मिल जाता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हमें अवश्य रोकना होगा।

आज रेलों की यात्रा सुरक्षित नहीं है, हर तरह की चोरी और लूटमार रेलों में होती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप रेलवे पुलिस को सशक्त कीजिये, इनकी संख्या को ज्यादा बढ़ाइये। मैं खास तौर से महिलाओं के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं, आज जो महिलायें रेल से अकेली यात्रा करती हैं उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। पहले हम देखा करते थे कि हर गाड़ी में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बा हुआ करता था, जिनमें केवल महिलायें हो सफर करती थीं, लेकिन आज इस तरह का कोई आरक्षण नहीं है। हर तरह के व्यक्ति डिब्बों में घुस जाते हैं, गुण्डे लोग डिब्बों में चढ़ जाते हैं जो महिलाओं को परेशान करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि हर गाड़ी में अलग महिला-यान होना चाहिए, जिसमें केवल महिलायें ही यात्रा कर सकें तथा इनमें आप का एक एजेटेन्डेन्ट भी होना चाहिये जो उनकी देखभाल कर सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज कल रेल के डिब्बों की छतों पर यात्रा करना बहुत ही कामन बात हो गई है।

आज मैं ट्रेन से आई तो मैंने देखा कि चित्तौड़गढ़ से लेकर जयपुर तक बराबर यात्री जितने रेल के डिब्बों में बैठे हुए थे उतने ही उन डिब्बों की छतों पर बैठे हुए थे चाहे वे जयपुर बन्ध का आह्वान करने के लिए आए थे या अन्य किसी और कारण से आए थे, यह मैं नहीं जानती। मेरा कहना यह है कि इस तरह से कब तक लोग यात्रा करते रहेगें।

इसी प्रकार बिना टिकट बहुत से लोग यात्रा करने के लिए डिब्बों में प्रवेश करते हैं। क्या आप का रेल मंत्रालय इस को नहीं रोक सकता ? इस प्रकार की धांधली और ज्यादती कब तक होती रहेगी। आप के रेल विभाग और रेलवे पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वे इसकी देखी-अनदेखी क्यों करते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इस प्रकार की यात्रा को अवश्य ही रोका जाना चाहिए।

आप ने यह भी बताया है कि आज जो रेल सेवा है, उसमें सुधार हुआ है। यह बात हमारे गले नहीं उतरती। सामान्यतः हम यह देखते हैं कि रेलों में बराबर चोरियाँ होती हैं,

डकैतियाँ होती हैं और अखबारों से जैसा हमको पता चलता है वे अब भी जारी है। इसके अलावा आप की जो रेलें हैं, वह समय पर नहीं चलती हैं। ट्रेनें समय पर नहीं चलती हैं और इसी प्रकार से हड़तालें सामान्यतः होती हैं। इसलिए रेलों की यह जो सारी पिक्चर है, जो सारी तस्वीर है, वह सुखकर नहीं है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि रेलों में सुधार हुआ है।

इसके अलावा खान-पान की जो व्यवस्था है, वह बड़ी अजीब है। यात्रा करते समय हम ने देखा है कि जो ठेकेदार इसके लिए आप ने नियुक्त किये हैं, वे सही खाना नहीं देते हैं और कभी बिल पेश नहीं करते हैं। मांगने पर भी खाने का बिल नहीं दिया जाता है और भोजन जो दिया जाता है वह बहुत निकृष्ट होता है जबकि उसके चार्जेज बहुत अधिक लिए जाते हैं। इसमें भी सुधार होना चाहिए।

एक निवेदन यह भी करना चाहूँगी कि आप की जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें रीडिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें फीस दे कर कोई भी यात्री किताब ले सके और अपने समय का सही रूप से उपयोग कर सके।

रेलों में निःसंदेह सुधार बहुत हुआ है परन्तु देश के कई ऐसे क्षेत्र है, जो विकास का इन्तजार कर रहे हैं। खास तौर से मैं राजस्थान के विषय में कहना चाहूँगी। राजस्थान में रेलों के विकास में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जहाँ पर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है और वहाँ पर आप के सैनिक भी हैं, वहाँ की रेल व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। दक्षिणी राजस्थान के बारे में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलता हैं लेकिन वहाँ पर रेल सुविधाएं नहीं हैं जैसे बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो इलाका है, वहाँ पर रेल सुबिधा नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भो निवेदन किया था और पुनः निवेदन कर रही हूं कि ये आदिवासी इलाके हैं और इनकी तरफ आप को ध्यान देना चाहिए। यदि वहाँ पर रेशवे सर्वेक्षण का काम आप शुरू करवा देते हैं, तो इससे वहाँ के आदिवासियों को बहुत अधिक राहत मिलेगी।

सभापति महोदय : प्लीज कनक्लूड।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं 5 मिनट और लूंगी।

सभापति महोदय : नो।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : तीन मिनट और दे दीजिए।

राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि और कई प्रान्तों की राजधानियों को आप ने ब्रोडगेज से जोड़ा हुआ है लेकिन जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, ब्रोडगेज लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। कई बार हमने मांग की है कि दिल्ली से अहमदाबाद का जो रास्ता है, उसको ब्रोडगेज किया जाए। आप यह नहीं करते तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच का जो छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े को ही ब्रोडगेज कर दिया जाए।

एक बात मैं पिंक सिटी एक्सप्रेस के बारे में और निवेदन करना चाहती हूँ। यह जो ट्रेन

है आप के दिल्ली से पिंक सिटी तक चलती है और अब इस को आप ने अजमेर तक बढ़ा दिया है। मेरा यह निवेदन है कि उदयपुर, जो कि लेक्स का शहर है, तक इस को बढ़ा दीजिए चाहे आप इसका नाम 'लैक-सिटी एक्सप्रेस' रखिये या 'पिंक सिटी एक्सप्रेस' ही रहने दें, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। एक और बात मैं यह कहना चाहती हूं कि झीलों की नगरी उदयपुर तक एक ही ट्रेन जाती है और वह 'चेतक एक्सप्रेस' है।

जिसमें तीन मुख्य ऐतिहासिक और दर्शनीय नगर पड़ते है—पिंक सिटी जयपुर, शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ और झीलों की नगरी उदयपुर। यह ट्रेन इतनी धीमी गति से चलती है कि इससे यात्रियों को असुविधा होती है। इसमें डीजल का इंजन अवश्य लगाया जाना चाहिए तभी जा करके यात्रियों को सुविधा होगी।

मान्यवर, चित्तौड़गढ़ कोटा तक ब्रोडगेज की मंजूरी कर दी गयी है इसके लिए मैं वहां की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मैंने सुना है कि यह लाइन लाइम डिपोजिट के बहुत से एरियाज में से हो कर नहीं जायेगी, खासकर वेगु, मांडलगढ़, विजूलिया, पार्सूली क्षेत्रों में से हो कर नहीं जाएगी, तो मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसे स्थानों को भी इस लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण रेलवे लाइन मंजूर की गयी है इसको इन महत्वपूर्ण स्थानों से निकाला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आपने इस लाइन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी हैं। यह राशि बहुत कम है। इस पर 41 करोड़ रुपये का टोटल खर्च आयेगा। अगर इतनी धीमी गति से यह लाइन बनेगी तो शायद हग लोगों को जिन्दगी में तो लाइन नहीं बन पायेगी और बन कर उसका उपयोग नहीं हो पायेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिए पैसा बढ़ाया जाए।

मान्यवर, माल भाड़े में हरी सब्जियों, स्टेशनरी और रासायनिक खाद पर भी छूट दी जानी चाहिए। अगर इन पर रेल मन्त्री छूट नहीं देंगे तो इससे गरीबों को बहुत नुकसान होगा।

माननीय सभापति जी, अन्त में मैं रेल मंत्री जी को बधायी देती हूं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और हमने काफी देशों रेल के इंजिन और डिब्बे बना कर निर्यात किये हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि रेल भाड़ा और माल भाड़ा बढ़ाने की बनिस्पत हमें अपने रेल इंजिन, रेल डिब्बे और रेल के पहिये बनाने के कारखानों की क्षमता बढ़ानी चाहिए। अगर आप इनकी क्षमता अधिक कर देते हैं तो शायद आपको यह भाड़ा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, रेलवे बजट पर पिछले दो दिनों से चर्चा चल रही है। मैं बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैंने विपक्षी दल के मित्रों के सशक्त एवं मधुर भाषणों को पूरे मनोयोग से सुना है। मैं विशेष रूप से प्रो० मधु दंडवते का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि जनता शासन में स्वयं रेल मंत्री थे और वह समितियों के बारे में गर्व के साथ बात किया करते थे। प्रो० दंडवते एक संत आत्मा हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। किन्तु उनके कार्यकाल में नियुक्त की गई समितियों का उन्होंने जिक्र किया है।

उन्होंने एक नहीं, तीन समितियों, राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति, सामाजिक दायित्वों सम्बन्धी समिति तथा एक अन्य समिति के बारे में जिक्र किया है।

मैं इस बात की क्षमा चाहता हूं कि मैं यह कहता हूं—मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे—कि जनता सरकार समितियों और आयोगों की सरकार थी किसी निर्णय लेने की, किसी प्रकार की पहल करने की, कोई दिशा अथवा आगे बढ़ने की उसमें शक्ति नहीं थी। उन्होंने कितने आयोगों का गठन किया और उसका क्या परिणाम निकला? उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। फिर भी उन्हें उस पर गर्व है। मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, उनके शासन काल में एक मंत्री महोदय थे जिन्हें सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने में गर्व का अनुभव होता था कि रेलवे लाईनों पर 50 से अधिक बार की गई शारारतों में उनका हाथ था और विपक्ष में बैठे मेरे मित्र यह कहते हैं कि उनका रेलवे बजट सबसे उत्तम था यह तो वही जानता है जिसने उस बजट के प्रभावों को सामना किया है।

मैं रेल मन्त्री महोदय को कोयले में लदान में वृद्धि करने तथा रेलवे में जड़ता हटाने के लिए उठाये गए कदमों के लिए बधाई देता हूं किन्तु इसमें अभी भी सुधार और प्रगति की काफी संभावना है क्योंकि जो कदम उठाये गए हैं वह काफी नहीं है। कोयला एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, इसकी उद्योगों में विशेष रूप से तापघरों में आवश्यकता होती है। मैं अपनी निजी जानकारी से कह सकता हूँ कि पानीपत के ताप घर को कोयले के अभाव के कारण कुछ दिनों के लिए बन्द करना पड़ा था। यह कोयला का अभाव परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न हुआ था। मैं रेल मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से ताप धरों के लिये कोयले के लाने-ले जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता की ओर दिलाता हूँ।

रेल मंत्री महोदय के बजट भाषण को पढ़ने से मुझे पता चला है कि 35 नई लाइनों तथा 13 गेज परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। किन्तु मुझे यह जानकर खेद हुआ है कि पूरे हरियाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बजट में नई रेल लाईने बिछाने अथवा वर्तमान लाईनों के रोज में परिवर्तित करने की नहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश के बारे में भी यही बात है।

श्री चिरंची लाल शर्मा : मध्य प्रदेश के बारे में मुझे निजी जानकारी नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है।

गुड़गांव के समीप फरखनगर में एक टर्मीनस है और यदि मुझे सही जानकारी है तो देश के इस भाग में केवल यही एक टर्मीनस है। फरखनगर से रेल लाइन को सुरक्षित ढंग से सुगमता से झज्जर तथा भिवानी तक बढ़ाया जा सकता है। झज्जर रोहतक जिले में उप-मंडल है जहां से सबसे अधिक जवान सेना में शामिल होते हैं।

यदि इस फरखनगर लाइन का विस्तार झज्झर और भिवानी तक कर दिया जाये तो इससे इलाके का भाग्य और स्वरूप दोनों में ही बदल जाएगा और हमें कोई ईर्ष्या नही रहेगी। पूर्ण सम्मान तथा क्षमा याचना सहित में रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इम इलाके को ईर्ष्या की दृष्टि से न देखें क्योंकि मैं देखता हूं कि उन्होंने एक भी लाइन की भी व्यबस्था इस क्षेत्र में

नहीं की है। मैं नहीं जानता कि हमारे अधिकारों को इस प्रकार कठोरता से क्यों कुचला गया है। उस इलाके की, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसका योगदान सर्वाधिक है, जो देश को अधिकतम जवान देता है, फिर इस प्रकार उसकी ऐसी क्यों उपेक्षा की जाए। मुझे विश्वास है कि श्री केदार पाण्डे इस इलाके की ओर विशेष ध्यान देंगे।

यमुनानगर-जगाधरी लाइन को राज्य की राजधानी चण्डीगढ से जोड़ा जाए तथा जगाधरी चण्डीगढ लाइन को बढ़ाकर पंजाब में लुधियाना तक मिलाया जाए। इस प्रकार इस इलाके के लोगों को राहत मिलेगी।

जहां तक रोज परिवर्तन का संबंध है, मैं अनुरोध करता हूँ कि भटिंडा से कोटकापुरा तक तथा कोटकापुरा से फाजिल्का तक ब्राड गेज और मीटर गेज दोनों लाइनें समानान्तर हैं। कोटकापुरा से फाजिल्का तक ब्राड गेज लाइन काफी है। मीटर गेज लाइन को आसानी से हटावा जा सकता है।

मैं अब रेलवे लाइनों के विद्युती करण की चर्चा करता हूं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि देश के हमारे भाग में अभिष्ठ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किसी भी रेलवे लाइन के विद्युती करण की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सोनीपत जिले के राई नामक हथान पर कुछ एशियन खेल होंगे। जो यहां से लगभग 27 किलोमीटर है। दिल्ली में सोनीपत तक की लाइन के विद्युती करण की योजना बनाई गई थी परन्तु किन्ही कारणों से यह विचार छोड़ दिया गया। दिल्ली से अम्बाला के बीच दोहरी लाइन है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह दिल्ली और अम्बाला लाइन के और विशेष रूप से दिल्ली और सोनीपत तक की लाइन के विद्युती करण की वाँछनीयता पर विचार करें। दिल्ली देश की राजधानी है। यह एक सर्व देशीय नगर है। यह शिक्षा का केन्द्र है। यह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। हजारों लोग प्रतिदिन दिल्ली आते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि यहां आवास की बड़ी कमी है और किराए भी बहुत अधिक हैं। इस संबंध में मैंने तत्कालीन रेल मंत्री और श्री केदार पांडे को एक नहीं बल्कि कई पत्र लिखे जिनमें करनाल से प्रतिदिन दिल्ली आने वाले लोगों की शिकायतें थी और पानीपत, घरौडा, समालखा, सोनीपत रोहतक, रिवाड़ी, गुड़गाँव, मेरठ और गाजियाबाद से प्रतिदिन दिल्ली आने वाले लोगों की शिकायतें थी। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि एक रटा-रटाया जवाब दे दिया जाता है।

उदाहरणार्थ,

"प्रिय श्री शर्मा जी,

मुझे आपका पत्र मिला। मैं मामले पर विचार कर रहा हूं। मैं आपको फिर लिखूंगा। परन्तु यह 'फिर' कभी नहीं आता।

रेल मंत्री श्री केदार पाण्डे : यह तो आपके पत्र की पावती मात्र है। एक विस्तृत जवाब आयेगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं जानता हूं कि वे पत्र को संबंधित विभाग या अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देते हैं। परन्तु आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि एक अफसर शाही अधिकारी और राजनीतिज्ञ के दृष्टिकोण में अन्तर होता है। हम जनता को अपने

ढग से देखते हैं। हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते है और हमें अपना उल्लू सीधा नहीं करना होता। जब हम अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजते हैं कि लोगों को कठिनाई हो रही तो क्या समय सूची में थोड़ा-बहुत हेर-फेर नहीं हो सकता ? हमारे पत्रों की उपेक्षा की जाती है और हमारे पत्र के उत्तर में हमें यह बताया जाता है।

"खेद है इस पर विचार किया गया और यह कार्य ही नहीं हो सकता।"

आप कृपया इस बात से सहमत होंगे कि हजारों यात्री जिनमें अधिकाँश सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो यहां से 70 मील दूर करनाल से मेरठ से, पलवल से गुड़गांव से और रिवाड़ी तथा अन्य स्थानों से दिल्ली आते हैं। यदि इन सभी लाइनों पर समय में कुछ हेर-फेर किया जाए, विशेष रूप से शाम को, तो इससे रेलवे को क्या नुकसान होगा। आपने अधिकारियों के अफसर शाही दृष्टिकोण को देखा है। महोदय, मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाए कि वे हृदय हीन हैं। उन्हें आम आदमी की कोई चिन्ता नहीं है। वे उनकी बात तक नहीं सुनते।

महोदय हम प्रतिनिधि मंडल लेकर संबंधित अधिकारी के पास भी गए थे। उन्हें या तो मान लेना चाहिए कि वे क्यों नहीं मानते। वे हमेशा घिसा-पिटा जबाव देते हैं 'खेद है, यह नहीं किया जा सकता।'...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मुझे क्षमा किया जाए। इन घंटियों से मेरा केवल विचार प्रवाह भंग होगा। सूची में मेरा नाम बहुत पहले था परन्तु अपरिहार्य कारणों से मैं कहीं बाहर था। अन्यथा मुझे कम से कम 15 मिनट और अधिक मिल जाते। मैं केवल 5 मिनट और लूंगा। मैं अपने लोगों की कटिनाइयों को जानता हूँ।

सभापति महोदय : आप लीजिए परन्तु अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : जब हम रेल मंत्री के समक्ष अपना मामला रखते हैं तो वे बड़े धैर्य से सुनते हैं। जिस ढंग से वे मेरी बात सुनते हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। परन्तु कठिनाई तो यह है वे इसका कोई ठोस और पर्याप्त परिणाम नहीं निकलता। हम जो अभ्यावेदन देते हैं उनका उद्देश्य लोगों की शिकायतों को सामने लाना है। हमें अपने लोगों से पत्र पर पत्र प्राप्त होते हैं जिनमें लिखा होता है 'क्या हमने आपको केवल इसीलिए भेजा था। हमने आपको कुछ भी न करने के लिए भेजा था हमें तब बहुत शर्म महसूस होती है।

महोदय मुझे याद है कि पिछले वर्ष जुलाई में 'घरोड़ा के 10 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मण्डल रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी से मिला था। महोदय, मेरी उपस्थिति में उन्होंने दो अधिकारियों को बुलाया। मैं नहीं जानता कि वे बोर्ड के सदस्य थे या नहीं। उन्होंने हमारा अनुरोध मान लेने के लिए उन्हें निदेश दिया। रेल मंत्री द्वारा किए गए आदेश वहां मौजूद हैं। लेकिन वही ढाक के तीन पात वाली बात रही। परन्तु ठोस काम कुछ नहीं होता। हम लोगों के जनता के प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। मैं पूर्ण सम्मान के साथ रेल मंत्री से लोगों की इन वास्तविक शिकायतों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं और अनुरोध करता हूँ कि वे इन दैनिक यात्रियों की इच्छानुसार समय सारिणी में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर दें।

इसके बाद ऊपरी पुलों का प्रश्न आता है। मैं हरियाणा से सम्बन्ध रखता हूँ। वहाँ गीता का उपदेश स्थल कुरुक्षेत्र है। और कर्ण की स्थली करनाल है। और पानीपत है जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक स्थान है।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : जहाँ एतिहासिक युद्ध लड़ा गया था।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : जी हां, महा भारत युद्ध के अतिरिक्त। अन्य बड़े शहर भी है। इस रेलवे लाइन पर उपरी पुलों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है और यदि ऐसा सम्भव नहीं हैं तो कम से कम नीचे के पुल ही बनाये जा सकते हैं। जैसा कि पानीपत में एक स्थान पर किया गया है। इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय रेल मंत्री से कुछ समय निकालकर इन स्थानों का दौरा करने के लिए कहूँगा तभी वे परिस्थिति की गम्भीरता को समझेंगे। महोदय, हमें कभी-कभी रेलवे क्रासिंग पर 40-45 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्रासिंग है जिन पर कि व्यक्ति नहीं रहता। मान लीजिए राज्य सरकारें कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि हमने अभ्यावेदनों के द्वारा मांग की है तो रेल प्राधिकारियों को इन्हें उपलब्ध कराना चाहिए।

महोदय, मैं अब मजदूर और लोको शेड एसोसिएशन के बारें में दो शब्द कहना चाहता हूँ। लोकोशेडो में स्वयं रेलवे कर्मचारियों द्वारा कोयले की चोरी होती है। कोयला लोकोशेड़ कर्मचारियों और ड्राइवरों द्वारा उसे बेचा जाता है। किस लिए? अपनी ऐसोसिएशन का वित्त पोषण करने के लिए हड़ताल के दौरान धन की व्यवस्था करने के लिए और बाधा पहुंचाने तथा अकुशलता के लिए। मुझे श्रमिकों के प्रति लगाव है परन्तु रेलवे कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार किए जाने वाले कार्यों की निन्दा की जानी चाहिए और रेलवे की कार्य कुशलता के हित में उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने देखा कि एक गाड़ी में ग्यारह बोगियों की व्यवस्था थी परन्तु उसय साथ केवल 5 या 6 बोगी जुड़ी हुई थी परिणाम स्वरूप हजारों लोगों को गाड़ी की छत पर यात्रा करनी पड़ी जो कि सुरक्षा की दृष्टि के लिए खतरनाक है।

इसके अतिरिक्त रेलवे के माध्यम से भेजे जाने वाली वस्तुओं की चोरी की शिकायतें हैं। एक बार एक बजाज स्कूटर बुक किया गया परन्तु इसकी चोरी हो गई। रेलवे अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित की और उसने कीमत चुका दी। उसे क्या नुकसान हुआ। कुछ नहीं। वह स्कूटर को दोगुनी कीमत पर बेच सकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मैं समाप्त करने वाला हूँ। वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी के किरायों में वृद्धि के संबंध में एक शब्द कहना चाहूँगा। मैं माननीय रेल मंत्री से इसके अतिरिक्त किराए को समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ। महोदय, रेलवे में खान-पान की व्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर निगाह रखने और इसमें सुधार लाने का प्रयत्न करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि रेल मंत्री पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रेल सुविधायें उपलब्ध कराने की आगे जिनके उन्होंने बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है, ध्यान देंगे। मैं उनसे विशेष रूप से, निकट के स्थानों से दिल्ली आने वाले दैनिक यात्रियों के लिए भलाई जाने वाली गाड़ियों के समय में समायोजन की मांगों को मानने के लिए अनुरोध करता हूँ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, मैं कोई ऐसा भाषण नहीं करने जा रहा हूँ, जिससे कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को उत्तेजित होना पड़े, क्योंकि पांडे जी के प्रति मेरे मन में थोड़ी हमदर्दी है। लेकिन इस देश की जनता के प्रति, मेरा ख्याल है कि पांडे जी को भी हमदर्दी होगी, इसलिए मुझे यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है कि यह बजट जन-विरोधी बजट है। इस बजट के बारे में एक एडिटोरियल का वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

श्री केदार पांडे ने स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक कडा रेलवे बजट प्रस्तुत करने की संदिग्ध प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है।

मेरा ख्याल है कि इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पांडे जी खुद समझ सकते हैं।

माल-भाड़े और यात्री किराये में जो वृद्धि की गई है इससे इस देश की जनता के सामने कठिनाइयां बढ़ेंगी। अभी आपको सिर्फ 14 महीने सत्ता में आए हुए हो रहे होंगे और इतने दिनों में 2 बार मालभाड़े में और 2 बार किराये-भाड़े में वृद्धि की गई। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें तो वृद्धि हुई ही है। इस बजट से इस देश में मुद्रा-स्फीति होगी, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी।

आज जो मालभाड़े में वृद्धि की गई है, उसमें गेहूं चावल, दूसरी तरह के खाद्यान्न, कपास, कोयला, सोफ्ट कोक, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, दियासलाई के, मालभाड़े में वृद्धि की गई है। इसमें अधिकांश चीजें देश की बहुसंख्यक जनता के इस्तेमाल में आने वाली हैं। गेहूं और चावल का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, कम-से -कम इस प्रकार की चीजों में जो वृद्धि की गई है, जो कि कामन मैन, आम आदमी के इस्तेमाल में आती है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस वृद्धि को समाप्त करने की कृपा करें।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : कोरम की कोई बात नहीं है। हरिकेश जी आप बोलिए।

श्री हरिकेश बहादुर : सभापति महोदय, यह काम हमारा है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय : सुन्दर सिंह जी आपको कुछ काम है तो आप जाइए। श्री हरिकेश बहादुर आप बोलिए।

श्री हरिकेश बहादुर : रेल दुर्घटनाओं का जो सिलसिला जारी हुआ है, कमलापति जी

को जब रेल मंत्रालय से बाहर जाना था, उस समय से यह शुरू हुआ है और यह लगातार चला जा रहा है । सौराष्ट्र मेल, पंजाब मेल, संगम एक्सप्रैस, अभी मद्रास के पास एक दुर्घटना हुई, ये दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं । मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि इसपर गंभीरता से विचार करें और रेल परिचालन की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें ।

रेलों का समय से न चलना भी जनता के लिए बहुत कष्टदायक है । मेरा सुझाव है कि इस व्यवस्था में भी सुधार किया जाए । रेल यात्रा इस समय बहुत असुरक्षित हो गई है, जगह-जगह डकैतियां और तरह-तरह की वारदातें हो रही हैं जिससे कोई भी रेल यात्री अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है ।

पुलिस फोर्स में जी० आर० पी० का मैं जिक्र करना चाहता हूं । यह फोर्स आपके कन्ट्रोल से बाहर है क्योंकि स्टेट गवर्नमैंट इस पर कन्ट्रोल करती है। जी० आर० पी० के कांस्टेबल तो ऐसा कर रहे हैं कि बगैर लोगों से पैसा लिए बोगी में जाने नहीं देते । मैंने अभी एक कम्पलेंट किया है, कार्यवाही हो रही है लेकिन रेल मन्त्रालय ने बताया कि हम सीधे उस पर कार्यवाही नहीं कर सकते, इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों से कहना पड़ेगा । इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति रेल विभाग में काम कर रहा है, सुरक्षा का काम कर रहा है, उस पर नियंत्रण करने का अधिकार भी रेल विभाग का होना चाहिए । मैं माननीय रेल मंत्री से कहूंगा कि रेल विभाग का नियंत्रण जी० आर० पी० पर हो, वह इस बारे में आवश्यक कदम उठाए वरना यह आर० पी० एफ० को भी बदनाम कर देंगे । गलत कार्य जी० आर० पी० वाले कर रहे हैं और आप बदनाम हो रहे हैं ।

इस लिए मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय राज्य सरकारों और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से बात करके जी० आर० पी० पर अपना नियंत्रण स्थापित करें ।

अभी किसान रैली हुई । कोयले की कमी की वजह से हिन्दुस्तान में तमाम गाड़ियों का चलना बन्द हो गया है । डीज़ल की कमी से किसानों का, कितना नुकसान हो रहा, यह बात सभी जानते हैं । अभी किसान रैली के सम्बन्ध में लगभग 140 गाड़ियां चलाई गई होंगी । माननीय सदस्य जानते हैं कि उनमें कितना कोयला और डीजल लगा । यह राष्ट्र के प्रति एक बड़ा भारी अन्याय हुआ, जिसका मैं विरोध करना चाहता हूँ ।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : क्या किसान रैली होनी चाहिए या नहीं ?

श्री हरिकेश बहादुर : होनी चाहिए, लेकिन दूसरे दलों को भी एसी सुविधा देनी चाहिए । हम लोगों का कन्वेन्शन हुआ, लेकिन हमें सिर्फ सात गाड़ियां मिलीं, जबकि हमें पचास गाड़ियों की ज़रूरत थी ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : जितने लोग इसके साथ हैं, उसके हिसाब से ये साढ़े तीन गाड़ियों के लायक भी नहीं हैं ।

श्री केदार पांडे : गाड़ियाँ देने में हमने कमी नहीं की ।

श्री हरिकेश बहादुर : बी जे पी का भी कन्वेन्शन हुआ । उन्हें भी सिर्फ सात गाड़ियाँ मिलीं ।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश में बेरोजगारी की बड़ी गम्भीर समस्या है। रेल विभाग में जो कैजुअल लैबरर्ज काम करते हैं, उनमें से बहुत से दस दस, बारह बारह सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो कैजुअल लैबरर्ज काम कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र स्थाई करने की कृपा करें।

जो एम्पाईज रिटायर होते हैं, उनके बच्चों को भी नौकरी देने के लिए कोई कोटा रेल विभाग में निर्धारित किया जाये। जिन रेल कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों या विधवा पत्नी को नौकरी देने का एक नियम है। लेकिन कमपैशनेट ग्राउंड्ज पर विधवा महिलाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस बारे में तरह तरह की कठिनाइयां बताई जाती हैं। खास कर एन ई रेलवे के बारे में लोगों ने मुझे बताया है। ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि अगर किसी रेल कर्मचारी का कोई लड़का न हो, तो उसके मर जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी को अवश्य नौकरी मिले। अगर यह नियम बना जाये, तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

क्लास थ्री और क्लास फोर एम्पलाईज के प्रोमोशन के और अवसर पैदा किए जाएं।

आर पी एफ को या तो सी आई एस एफ—सैंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स—का दर्जा दिया जाए या रेल कर्मचारियों का। इस समय उनको न तो सी आई एस एफ की सुविधाएं मिलती हैं और न रेलवे कर्मचारियों की। उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। या तो उन्हें रेल कर्मचारियों की कैटेगरी में रखा जाये और या सी आई एस एफ की कैटेगरी में, ताकि उन्हें किसी एक की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

रेलवेज की मेडिकल सर्विसिज में जो डाक्टर काम करते हैं, उन्हें टाइम-स्केल प्रोमोशन 52% मिलना चाहिये, जैसा कि और कैडर्ज में किया जाता है। रेलवे मंत्रालय ने 36 परसेंट प्रोमोशन के लिए रीकमेंड किया था। श्री पी० वेंकटसुबय्या इस समय सदन में बैठे हुए हैं, जो डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल के काम को देखते हैं।

रेल मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार रेलवे की मेडिकल सेवा में 36% डाक्टरों की पदोन्नति की जानी चाहिए। परन्तु आप इस प्रतिशतता से सहमत नहीं हैं। कार्मिक विभाग कह रहा है कि इस श्रेणी के केवल 22% व्यक्तियों को पदोन्नति दी जाए। अतः मैं आपसे कम से कम इस सम्बन्ध में रेलवे की सिफारिश को स्वीकार कर लेने के अनुरोध करता हूं। आपके कार्मिक विभाग को इस 36% की बात को मान लेना चाहिए।

इसके बाद दो बातें और कहना चाहता हूं। पांडेय जी जरा ध्यान से सुन लें। जो टिकट चेकिंग स्टाफ के लोग हैं, टी टी ईज, इनको रनिंग स्टाफ मानने में आपको क्या आपत्ति है? जवाब देते समय आप कृपा करके इसका भी जवाब दें। मैं चाहता हूं कि इनको भी रनिंग स्टाफ माना जाए क्योंकि रनिंग स्टाफ मानने का जो नियम बनाया गया है उसमें बहुत ऐसे कर्मचारी भी रनिंग स्टाफ माने जाते हैं जो परिचालन का काम भी नहीं करते, जैसे ब्रेक-वैन में बैठा हुआ कर्मचारी जो रेल परिचालन को पैरालाइज नहीं करता, लेकिन उसको भी रनिंग स्टाफ मानते हैं। उसको यदि रनिंग स्टाफ मानते हैं तो टी टी ईज को भी जरूर रनिंग स्टाफ मानना चाहिए।

कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बीस बीस पच्चीस पच्चीस और तीस तीस साल से एक ही स्थान पर पड़े हुए हैं और वहाँ की केवल राजनीति करते हैं, जैसे मैं गोरखपुर और दिल्ली के के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को जो तीन चार साल से अधिक एक जगह पर हैं उनका ट्रांसफर जरूर होना चाहिए, नहीं तो वे केवल राजनीति और तिकड़म करते हैं और पूरी व्यवस्था को गड़बड़ करने का काम करते हैं।

गैंगमैन की एक बात कहना चाहता हूँ। गैंगमेन के प्रोमोशन के चांसेज बढ़ाए जाने चाहिए और उनको पी० डब्लू० आई० के रैंक में लाना चाहिए।

एलेक्ट्रिफिकेशन आफ रेलवेज की बात मैं कहना चाहता चाहता हूं जिसे बहुत से लोगों ने कही है। लोको रनिंग स्टाफ की बहुत सी समस्याएं हैं। उनकी हड़ताल भी हुई थी। उस पर थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जरूरत है। दस घंटे से अधिक उनसे काम नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में कोई एग्रीमेंट भी हुआ है। बे स्केल का रिस्ट्रक्चरिंग, उस पर पुनर्निर्धारण होना चाहिए।

एन ई रेलवे में जून 1980 में जो एजीटेशन हुआ था उसमें से बहुत से लोगों का विक्टिमाइजेशन किया गया था। हम चाहते हैं कि उस विक्टिमाइजेशन को विदड्रा किया जाये और लोगों को फिर से री-इंस्टेट किया जाये।

रेलवे के मजदूरों का एक दफ्तर यहाँ दिल्ली में है 40, एम एन बारी मोर सराय में, उसको पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। उसे पुलिस से छुड़ा कर फिर से उनको वापस किया जाये।

आई आर सी ए के 1200 कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाय, यह मेरी मांग है।

अन्तिम चीज मैं कह देना चाहता हूं। बाराबंकी से गोरखपुर रेलवे लाइन जो मीटर गेज है, उसका ब्राडगेज में कन्वर्जन हो रहा है। जल्दी ही पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए और गौतम बुद्ध एक्सप्रैस के नाम से एक गाड़ी चलाई जाए जो गोरखपुर से दिल्ली तक आती हो। यह मेरी मांग है। कम से कम गोरखपुर से दिल्ली के लिए गौतम बुद्ध एक्सप्रैस एक जरूर चलाई जाये। साथ ही गोमती एक्सप्रैस को भी गोरखपुर तक ले जाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री श्री पांडेय जी द्वारा पेश किए गए रेलवे बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यों तो हम अनुशासन की बात करते हैं लेकिन अनुशासन को हम सिर्फ सेना तक और पुलिस तक की ही सीमित रखते हैं। आज हमारे देश में जो अनुशासनहीनता की हवा वह रही है उसको कैसे हम सही दिशा दें, सही रास्ते पर लाएं इस की ओर हमें ध्यान देना है। वर्तमान कठिन आर्थिक परिस्थिति में बजट पेश किया गया है यह सही है कि उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिएं जैसे जो दूसरे दर्जे की यात्री हैं, उनको

जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, उसके लिए उनके ऊपर जो बोझ पड़ा है, वह एक विचारणीय बात है। मैं रेल मंत्री जी से कहूँगा कि उस पर वह पुनर्विचार करें और इस बात की कोशिश करें कि हमारे समाज के जाने गिने हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास यातायात के लिए, सफर के लिए पूंजी नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से वे पूंजी इकट्ठी कर के एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, वैसे लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वे उस पर पुनः-विचार करें।

हमारे विरोधी पक्ष के लोग एक और बड़ी ऊंची आवाज में इस बात का नारा लगाते हैं कि आज जरूरत की चीजें उनको नहीं मिलती हैं, कोयला नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल नही है, और आवश्यकता की चीजें नहीं मिल रही हैं, और दूसरी ओर विरोध-पक्ष की ओर के इन्हीं लोगों की ओर से आन्दोलन चलाए जा रहे हैं। कहीं रास्ता रोको, कहीं ट्रेन रोको, इस तरह के आन्दोलन किए जा रहे हैं।

जहां तक हड़ताल का प्रश्न है, हर क्षेत्र की तरह आज रेलवे में भी हमारे विरोध पक्ष के लोगों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन अधिक से अधिक हड़तालें करा सकता है, अधिक से अधिक लोगों को भड़का सकता है। आज इस बात की कोशिश उनकी ओर से हो रही है।

इस हड़ताल के पीछे मजदूरों का हित नहीं होता है, इस हड़ताल के पीछे मजदूरों की भलाई नहीं होती है। इस हड़ताल के पीछे कुछ दलों का राजनीतिक स्वार्थ होता है। आज मैं बड़े साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि आज सारे देश में विरोध पक्ष की ओर से एक ऐसी तैयारी की जा रही है एक फिजा बनाई जा रही है कि इस देश में अराजकता पैदा हो, अस्थिरता पैदा हो, इस बात की कोशिश हमारे विरोध पक्ष की ओर से हो रही है। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले रेलवे को माध्यम बनाया है। आपको याद होगा, 1974 में श्री जार्ज फर्नान्डीस और दूसरे नेताओं द्वारा सारी रेलवेज को बन्द करने का नारा लगाया गया था और इस बात की कोशिश की गई थी कि सारे देश को ठप्प किया जाए। उनकी कोशिश थी कि बिजली की पैदावार को रोका जाए, कल-कारखाने बन्द हों जरूरत का सामान बाजारों में न मिले। सारा देश ठप्प हो जाए—इस बात की कोशिश की गई थी। 1974 की हड़ताल के बाद हमारी सरकार बड़ी सख्ती से पेश आई, हमारी सरकार की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बड़ी मेहनत करके फिर से अनुशासन लागू किया। 1977 के आते-आते रेलों में एक अनुशासन की भावना कायम हुई थी और गाड़ियाँ भी ठीक ढंग से चलने लगी थीं आपने देखा होगा कि 1976-77 और 1977-78 में रेलों की पर्फारमेन्स बहुत अच्छी रही थी किन्तु जनता पार्टी की सरकार बनते ही ऐसे लोगों को जिन्होंने 1974 में अनुशासन-हीनता की थी, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, गलत ढंग से रेल सम्पत्ति को बर्बाद किया था और जिनकी हमारी सरकार ने निकाल दिया था, उनको फिर सेवापिस ले लिया गया। यही वजह है कि रेलों में जो स्थिरता आई थी, जो अनुशासन आया था पुनः समाप्त हो गया और वह सिलसिला अभी जारी है। अभी हाल में लोकोमेन के द्वारा हड़ताल कराने की कोशिश की गई। सी पी (एम) द्वारा चलाई जा रही यूनियन के माध्यम से लोकोमेन की स्ट्राइस काल की गई। बड़े दुःख की बात है कि आज विरोध पक्ष के लोग इस बात की आवाज उठाते हैं कि

कहीं आँख निकाल ली जाती है और कहीं पुलिस द्वारा पैर तोड़ दिए जाते है लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं यहाँ पर आता हूं, कटिहार का क्षेत्र, वहाँ एन एफ रेलवे का डिवीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो मजदूर भाई अपने काम पर जाना चाहते थे उनकी सी पी (एम) के कैडर सदस्यों द्वारा मरम्मत की गई, उनके हाथ तोड़ दिए गए और यहाँ तक कि उन पर तेजाब फेंका गया...(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : उड़ीसा में पत्रकारों के साथ कांग्रेस (आई) के लोगों ने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे रेल मन्त्री चाहते हैं कि रेलें ठीक ढंग से चलें ताकि लोगों को सुविधा मिले और जरूरत का सामान उन तक पहुंच सके तो उसके लिए जरूरी है कि अनुशासन लाया जाए और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए जो कि डिमोक्रेसी, लोकतन्त्र के नाम पर अनुशासनहीनता पैदा कर रहे हैं और रेल की सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। सारे देश की आर्थिक स्थिति रेलों के साथ जुड़ी हुई है, अगर रेलें ठीक ढंग से नहीं चलेंगी, आवश्यक चीजों की ढुलाई नहीं होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती है।

मान्यवर, मैं रेलवे बोर्ड और खास कर मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बजट में उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा है जो अब तक नजर अन्दाज होते रहे हैं। जैसे बिहार का छोटा-नागपुर वह इलाका है जहां के लोगों ने अभी तक रेल को सिर्फ सपनों में ही देखा है, लेकिन आज उन का यह सपना साकार होने जा रहा है। इतना ही नहीं देश के उत्तर-पूर्व के उन इलाकों को भी इस बजट में शामिल किया गया है, जो अब तक नेग्लेक्ट होते रहे है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनकी ओर मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जैसे टनकपुर-घाट-बागेश्वर, रामनगर-मरचूला-चौखुटिया। ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के लोगों ने भी आज तक रेलों को नहीं देखा है। अगर उनकी तरफ मंत्री जी का ध्यान जायेगा, तो उनका सपना भी सरकार हो सकता है।

आखिर में, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। कटिहार रेल्वे डिवीजन का हैड-क्वार्टर है, जहाँ से ब्राड-गेज और मीटर-गेज दोनों लाइनें गुजरती हैं, लेकिन दुख की बात है कि कटिहार से कोई भी गाड़ी दिल्ली को ओर सीधी नहीं जाती है, जिससे वहां के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस तरफ अवश्य ध्यान दें।

एक निवेदन यह है कि "गौर एक्सप्रेस" जो इस समय मालदा से खुलती है, मैं चाहता हूं कि वह कटिहार तक लाई जाय और वहाँ से खोली जाय, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा हो सके।

कटिहार में एक रेल्वे वैगन वर्कशाप खोला जाना चाहिये, जिससे वहां जो डवलमेन्ट के के काम हो रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।

पटना के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया है, यद्यपि वह मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं...

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आप के क्षेत्र की बातों का भी समर्थन करता हूं ।

श्री तारीक अनवर : वहाँ की जनता की सुविधाओं की ओर भी मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मंत्री जी और रेल्वे बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रेल्वे में अनुशासन बनाने में काफी मेहनत की है और काफी ठोस कदम उठाये हैं। मैं आगे के लिये भी विश्वास रखता हूं कि इसी तरह से, मजबूती से अनुशासन बना कर, यातायात की जो सुविधायें हैं उनको देश और लोगों तक पहुंचायेंगे ।

सभापति महोदय : सभा कल 11-00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

6.00 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 मार्च, 1981/12 फाल्गुन. 1902 (शक) के 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

1981 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिटर्स, नई दिल्ली-2, द्वारा मुद्रित ।